राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या: 11

मंगलवार,

15 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: न इधर, न इधर। नमस्कार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह अदा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यह अदा भी ठीक है और यह अंदाज भी निराला है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री सुखराम विश्नोई।

सरकारी बस स्टैंडों से निजी बसों का संचालन

202. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा सरकारी बस स्टैंडों से निजी बसों का संचालन करने की अनुमति दी गई है? यदि हां, तो कितनी राशि निजी बस मालिकों से सरकारी बस स्टैंड से बस संचालन करने हेतु निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितनी निजी बसों का सरकारी स्टैंड से संचालन का अनुबंध किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार निजी बस मालिकों को सरकारी बस स्टैंडों से निजी बसों के संचालन की अनुमति देकर धीरे-धीरे राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन बंद करना चाहती है? यदि हां, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री युनुस खान): (1) राज्य सरकार द्वारा सीधा बस स्टैंड (बस अड्डों) का संचालन नहीं किया जाता है। वर्तमान व्यवस्थानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा बस अड्डों का संचालन किया जा रहा है।

(श्री युनुस खान)

जी हां। परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश 37/2015 द्वारा निगम के बस अड्डों पर भी राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम वाहनों के साथ-साथ निजी वाहन अर्थात् लोक परिवहन सेवा की बसों के संचालन की अनुमति दी गई है।

निजी बस मालिकों से निगम/अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित बस स्टैंड से बस संचालन हेतु निर्धारित राशि एवं प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 15 निजी बसों को निगम बस स्टैंड से संचालन की अनुमति दी गई है, जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, आर एस आर टी सी बसों का वर्तमान पैसेंजर लोड फैक्टर 72 परसेंट है। अगर यही पैसेंजर लोड फैक्टर 90 परसेंट हो जाय तो बसें मुनाफे में चलने लगेंगी। एक तरफ तो पैसेंजर कम मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं बस अड्डों से, उन्हीं रूटों पर प्राइवेट बसों को चलाया जा रहा है। क्या रोडवेज को फेल करने का तरीका है?

नम्बर दो। जितने भी रूट हैं उनमें से सिर्फ 12.64 परसेंट रूटों को ही नेशनलाइज किया हुआ था, उनको डिनेशनलाइज किया गया है। उन रूटों पर पहले ही प्राइवेट बसें चल रही थीं।

अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है, यह सरकार का निगम है और दूर इंटीरियर तक बसें जाती हैं, एक पैसेंजर मिलता है तो भी सरकार की बस लेने के लिए जाएगी। लोक कल्याणकारी सरकार होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोडवेज को फेल करने का तरीका सोचा जा रहा है।

माननीय अध्यक्षजी, आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि जो 12 परसेंट नेशनलाइज रूट को डिनेशनलाइज किया गया है, इन रूटों पर न लगाकर जो पीछे 77.34 परसेंट रूट बचते हैं, उन रूटों पर प्राइवेट बसें लगायी जाएं ताकि रोडवेज भी बच जाय और सरकार भी बच जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 12.5 प्रतिशत मार्ग ही हैं और उन्हीं पर निगम की बसों का संचालन हो रहा है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े हम देखें, तो निगम की जो स्थिति है उस स्थिति में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारों ने प्रयास किया है कि निगम की स्थिति ठीक हो। 1998 के बाद में लगातार निगम की स्थिति भी आर्थिक दृष्टि से नुकसान की ओर जा रही है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और पिछले 10 वर्षों का औसत देखते हुए, क्योंकि निगम का बेड़ा बढ़ नहीं रहा है और सड़कों का निर्माण लगातार होता जा रहा है, सड़कों की संख्या भी बढ़ रही है, ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़ रही है; इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहन सिर्फ निगम के ही होते हैं और निगम इन 476 रूट्स पर अपनी पूरी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2014-15 के बजट में यह घोषणा की थी कि हम इसको डिनेशनलाइज करेंगे। लेकिन चूंकि लोक कल्याणकारी सरकार है, इसलिए हमने इनको डिनेशनलाइज नहीं करके, फिर कालान्तर में यह सोचा कि इसको मोडिफाई कर दें और मोडिफिकेशन करने के बाद, कुछ रूट्स पर, जो रोडवेज इन नेशनलाइज्ड रूट्स पर बसें नहीं चला पा रही थी, जो खाली रूट थे, उन पर हमने निजी क्षेत्र को परमिशन दी और उसका कानूनन इसका प्रावधान है।

इस सेवा का नाम राजस्थान लोक परिवहन सेवा देते हुए, इसी 13 दिसम्बर, 2015 को, जब सरकार के दो वर्ष पूरे हुए, तो इस सेवा को शुरू किया गया और लगभग 77 परमिट हमने जारी किये, जिसमें कल माननीय नेता प्रतिपक्ष यह कह रहे थे कि एक भी बस नहीं चल रही है। मैं आज कह रहा हूं कि आज लगभग 26 बसों का संचालन तो हो रहा है, 46 परमिट लोगों ने उठा भी लिये और अभी चूंकि प्रक्रिया चल रही है और लगभग, मैं यह कह सकता हूं, इस प्रक्रिया के तहत भी हमारे पास जो आवेदन आये हैं, उन आवेदनों के अनुसार भी, ये आवेदन अभी हमारे पास 5,250 शेष हैं, इन आवेदनों के उपरान्त हम लगभग 3,642 बसों का संचालन इन रूट्स पर ही कर सकते हैं। क्योंकि प्रोपरली रोडवेज सर्विस नहीं दे पा रही है, इसलिए यह सेवा शुरू की गयी थी।

माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की है कि लोक कल्याणकारी सरकार है, रोडवेज को बंद करने की सरकार की मंशा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की रोडवेज को बंद करने की कतई मंशा नहीं है।

(श्री युनुस खान)

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में यह भी कहा था कि कर्मचारियों की नौकरी पर भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। पिछले तीन बजटों पर, आज देख सकते हैं, हम औसतन 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता रोडवेज को अभी दे रहे हैं। रोडवेज को चलाने की मंशा सरकार की है। यह बार-बार भ्रम फैलाना कि रोडवेज की बस को बंद किया जाएगा, मैं सोचता हूं, कतई उचित नहीं है।

चूंकि यह लोक कल्याणकारी सरकार है, यह हमारा दायित्व बनता है कि जहां रोडवेज सर्विस नहीं दे रही है वहां जनता को सर्विस मिले। इसलिए लोक परिवहन सेवा को शुरू किया गया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न कर लीजिए ना।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं यह चाह रहा था 72 परसेंट पैसेंजर लोड अभी वर्तमान में है, वह 90 परसेंट हो जाय, तो रोडवेज मुनाफे में चले। क्या सरकार इस पर प्रयास कर रही है, आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या इसको बंद करने पर लगी हुई है? यह मेरा सवाल था, इसका जवाब नहीं आया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा, यह बात सही है कि लोड फैक्टर अभी बीच में 72 परसेंट भी हुआ, 74 परसेंट भी हुआ, 75 परसेंट भी हुआ। अभी पिछले 2 वर्षों में रोडवेज प्रबंधन ने अपने प्रयास के माध्यम से लोड फैक्टर को बढ़ाया है। लेकिन जब से रोडवेज बनी है तब से लेकर आज तक की पूरी हिस्टरी देखें, तो गत वर्ष जितना लोड फैक्टर था उतना लोड फैक्टर 1964 के बाद कभी भी नहीं आया। क्योंकि लोड फैक्टर के बहुत सारे कारण हैं, अकेला कारण नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि 90 प्रतिशत लोड फैक्टर होगा तो निश्चित रूप से वह फायदे में होगी। लेकिन राजस्थान में इसके संचालन के लिए, राजस्थान रोडवेज के संचालन के लिए जो खर्चा आ रहा है, वह बहुत ज्यादा है। एक मात्र राजस्थान स्टेट ही ऐसा है जो सिक्सथ पे कमीशन दे रहा है। उसकी बदौलत थोड़ा लोड ज्यादा आ गया। उस वजह से घाटे की स्थिति बनी हुई थी।

लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सरकार का और रोडवेज प्रबंधन का प्रयास है कि लोड

(श्री युनुस खान)

फैक्टर बढ़े, उनकी सेवाएं बढ़ें, उनकी सुविधाएं बढ़ें, रोडवेज कतई बंद न हो। यह आश्वस्त करते हुए, मैं सदन को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जनता को भी और कर्मचारियों को भी, कि राजस्थान सरकार की नीयत बिलकुल साफ है, रोडवेज की जितनी मदद होगी, सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। रामलाल शर्मा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक सवाल था।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। नहीं, नहीं। रामलाल शर्मा। इनका अंकित नहीं। आ गया जवाब, पर्याप्त आ गया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश के कई कस्बों में बाइपास निकलने की वजह से जो आपके परिवहन के निर्धारित स्टैंड थे, उन स्टैंडों पर आपकी आर एस आर टी सी की बसें नहीं जा रही हैं। रात्रिकालीन में करीब 3 किलोमीटर बाइपास पर सवारियों को उतारकर चली जाती हैं। जो निर्धारित बस स्टैंड हैं उन बस स्टैंड से ही वे बसें सवारी लेते हुए गुजरें, क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? और ऐसी लापरवाही करने वाले चालकों के खिलाफ भी क्या कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नेशनल हाइवे बनने की वजह से बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जो बाइपास बनने की वजह से, पुराने बस स्टेशन हैं, वे अन्दर रह गये और उन पर बसें कई बार नहीं जाती हैं। यह जो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की है, यह सही है। सरकार इस हेतु रोडवेज प्रबंधन को निर्देश देगी कि इस तरीके के चालक और परिचालक जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही करें और चूंकि यह जनता की सुविधा के लिए बसें चल रही हैं, इसलिए इस तरह की लापरवाही न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रहेगा, और उसके निर्देश भी जारी कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो। शंकर सिंहजी राजपुरोहित। रावत नहीं, राजपुरोहित। रावत नहीं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से रोडवेज का भट्ठा बिठाने का काम किया था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल करें। सवाल करें आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सवाल यह है कि पूर्व में सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले हाई कोर्ट में गये थे। यह रोडवेज निगम जनता की सेवा के लिए है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, और हाई कोर्ट ने प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को और रोडवेज को एक ही दर्जा दिया। जबकि यह सरकार का उपक्रम है, यह जनता की सेवा के लिए है। पूर्ववर्ती सरकार के समय....

श्री अध्यक्ष: आप सवाल करो। भाषण मत दो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सवाल यही है कि सरकार उसके लिए वापस अपील में नहीं गई। जिसके कारण से, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के रोडवेज की बसों के आगे-आगे चलने से, इस रोडवेज का भट्ठा बैठा है। तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कोर्ट में जायेगी? मतलब, इस रोडवेज को बचाने के लिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के ऊपर रोडवेज की कोई लगाम हो, इसके लिए सरकार जायेगी क्या? जिससे कि ये प्राइवेट बसें रोडवेज के आगे चलती हैं, तो कम से कम इस पर तो पुनर्विचार करना चाहिए कि रोडवेज के अड्डों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर खड़े नहीं रहें। इस पर तो पुनर्विचार सरकार को करना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह राजस्थान की जनता को यातायात की सुविधाएं दे। चूंकि परिवहन विभाग के यहां पर, चाहे, वह रोडवेज है, चाहे निजी आपरेटर हैं, दोनों हमारे यहां पर स्टेट कैरिज परमिट लेकर वाहनों का संचालन करते हैं, इसलिए दोनों में हमारे कोई इस तरीके का भेद नहीं है कि हम प्राइवेट को प्रमोट करें, और इसको डिमोरेलाइज करें और उसको प्रमोट करें, इसको डिमोरलाइज करें। यह सरकार का मन्तव्य नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट वर्ष में घोषणा की थी कि हम राजस्थान स्टेट बस डवलपमेंट अथोरिटी बनाकर इन बसों का संचालन एक ही बस स्टैंड से करेंगे। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और उस प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां भी हो गईं, बजट भी आ गया। उसकी प्रक्रिया में हमने यह भी तय कर लिया कि राजस्थान में पायलट के रूप में तीन बस अड्डों को, जो निगम

(श्री युनुस खान)

के हैं, जैसे मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या बस अड्डों से निजी बसों का भी संचालन होगा, तो उसी प्रक्रिया में जिस तरीके से एयरपोर्ट अथोरिटी आफ इण्डिया एक ही जगह से, चाहे प्राइवेट हों, चाहे इण्डियन एयरलाइंस हो, चाहे एयर इण्डिया हो, सभी का संचालन एक ही टर्मिनल से करती है, उसी तरीके से राज्य सरकार का भी मन्तव्य है कि निगम की बसें भी और प्राइवेट बसें भी एक ही बस टर्मिनल से संचालित हों। उस बस टर्मिनल पर सारी वे सुविधाएं हों जो जनता को चाहिए, जैसे पीने का पानी, बैठने की जगह, शौचालय, आदि। इनके लिए सरकार कोशिश कर रही है।

चूंकि आपने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा है कि उस प्रकरण में क्या वापस अपील करेगी, तो उस प्रकरण को दिखवा लेंगे कि क्या प्रकरण था। लेकिन चूंकि अब सरकार इस मन्तव्य की ओर बढ़ रही है कि हम सभी का संचालन एक जगह से करें, और हम राजस्थान की जनता, जो कि ऐसी सुविधाओं से वंचित है, उसको सुविधाएं देने के लिए बस टर्मिनल्स का हम डवलपमेंट करेंगे।

श्री अध्यक्षः तीसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जहां-जहां जिस-जिस विधान सभा क्षेत्र में बस स्टैंड नहीं हैं, जैसे ब्लाक हैं बानसूर में, बानसूर और नारायणपुर, तो क्या आप पी पी पी मोड पर या किसी और तरीके से वहां पर बस स्टैंड बनाने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह पूछा है कि बानसूर और नारायणपुर में क्या बस स्टैंड बनाने का विचार सरकार करती है, पी पी पी मोड पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी शुरुआत है और इस तरीके का प्रस्ताव पंचायत समिति या अगर वहां पर नगरपालिका है, तो उसकी तरफ से अथोरिटी के पास आयेगा, तो निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भंवरसिंह।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में आबंटित राशि

203. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भंवरसिंह)

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा 2015-16 में सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन कर ''मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना'' लागू की गई है?

(2) उक्त योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास कार्यों हेतु सरकार द्वारा ग्राम पंचायतवार कितनी धनराशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में चिह्नित ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजना को निरन्तर जारी रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां।

(2) मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 में विकास कार्यों हेतु सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि में प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए रुपये 20.00 लाख आबंटित किये गये हैं।

(3) मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत वर्ष 2015-16 में चिह्नित ग्राम पंचायतों द्वारा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधान किये जाने से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र/राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं में उपलब्ध राशियों से प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं।

(4) मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में भी सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन करने के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना 2015-16 में राजस्थान के सभी विधान सभा क्षेत्रों में शुरू की गयी और सभी विधायकों के द्वारा एक-एक ग्राम पंचायत का चयन भी कर प्रशासन को सौंप दिया गया।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने जवाब दिया है, 2015-16 में मुख्य मंत्रीजी के नाम से शुरू की गई इस महत्वपूर्ण आदर्श ग्राम पंचायत योजना में राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रीजी ने कहा कि महानरेगा के माध्यम से 20-20 लाख रुपये प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायत को आबंटित किये गये हैं। वहीं 2016-17 के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयनित की गयी राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यदि राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार के बजट का जब प्रावधान ही नहीं किया गया है तो मुख्य मंत्रीजी के नाम से इतनी महत्वपूर्ण योजना को चालू करने का उद्देश्य या कारण क्या रहा? क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, महानरेगा में तो वैसे भी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर कार्य स्वीकृत होते हैं। आदर्श ग्राम पंचायत जब बनाई है और 2015-16 में यह योजना चालू की गई है, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार 2016-17 और आगामी वर्षों में इन आदर्श ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है?

साथ ही मंत्री महोदय से मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि इस योजना में राज्य सरकार का यदि बजट स्वीकृत करने का विचार नहीं है, तो इस योजना के उद्देश्य क्या हैं? क्यों न राज्य सरकार यदि इस योजना में बजट नहीं देती है तो इस योजना को पुन: बन्द कर दिया जाए? क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आदर्श ग्राम पंचायत और सामान्य ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, जवाब आ रहा है। जवाब देंगे आपका।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से सेण्टर में सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना शुरू की, उसी की तर्ज पर 4 फरवरी, 2015 को राजस्थान में लागू की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस योजना में कोई एक फंड की ही आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस योजना के अन्दर बेहतर मानव विकास करना, जैसे सभी को शिक्षा, टीकाकरण, लिंगानुपात, उत्तम

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पोषण स्तर, खेलकूद, मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराना है। दूसरा, बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करना, जैसे स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, लघु और कुटीर उद्योग तथा पर्यटन को बढ़ावा देना। तीसरा, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, जैसे समुदाय विशेष तथा जाति विशेष में प्रेमभाव बढ़ाना, महिलाओं एवं बुजुर्गों को सम्मान देना, स्वयं सहायता समूहों का विकास करना, ग्राम सभा में जन-भागीदारी बढ़ाना, आदि हैं। चौथा, सुशासन की व्यवस्था करना, जैसे सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना, जनता के कार्यों को निश्चित समयावधि में पूरा करना, ग्राम सभा में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, मकान व अन्य मूलभूत सुविधाएं देना है।

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूं कि जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 20 लाख रुपये प्रत्येक पंचायत में वे हैं जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा के अन्दर परिसम्पत्ति निर्माण निधि की एक घोषणा की थी 50 करोड़ रुपये की। वह यह घोषणा थी कि जो महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्दर 60:40 का रेशो श्रम और सामग्री के बीच में मेन्टेन करना पड़ता है, जिसमें सामग्री मद में 40 परसेंट से अतिरिक्त जो खर्चा होगा, वह पैसा उस 50 करोड़ रुपये में से खर्च किया जायेगा। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के अनुसार हमने राजस्थान के अन्दर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अन्दर 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। हम दूसरी जगह भी कर सकते थे, परन्तु यह पहला साल था, इसलिए हमने 50 करोड़ रुपये की राशि को जो भी ग्राम विकास योजना बनी है, उसके ऊपर खर्च करने के लिए अधिकृत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूं कि इसका उद्देश्य नेक है और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, यह आप लोगों को लीडरशिप डवलप कर-करके, गांव के अन्दर किस प्रकार से एक पंचायत आदर्श बने; जो-जो मैंने आपको उद्देश्य बताये हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु आप संगठित होकर उस पंचायत को डवलप करें जिससे कि आने वाले समय में दूसरी पंचायतें भी सीख लें और उनमें भी विकास के नये आयाम स्थापित हों और लोगों को आदर्श कहलाने का मौका मिले। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में जो पंचायत विधायक के द्वारा अनुशंसित की जाती है, तो उसका सम्पूर्ण, समग्र विकास करवाने की मंत्री महोदय बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब ग्राम पंचायतों में पैसा इस योजना के तहत नहीं जायेगा, गांव का, चाहे सड़क का है, चाहे सामुदायिक विकास का है, तमाम तरह के काम करवाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बार पुन: करबद्ध अनुरोध रहेगा कि इस योजना में बजट का प्रावधान किया जाये, और बिना बजट के यदि इस योजना को आप चलाते हैं, तो क्यों आप मुख्य मंत्रीजी का नाम बीच में ला रहे हैं? क्यों हम विधायकों को इस आदर्श ग्राम पंचायत को गोद लेने की बात कर रहे हैं? हम उस गांव में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि विधायकजी, आपकी यह पंचायत गोद ली हुई है और इसको एक माडल ग्राम पंचायत के रूप में बनाइये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यही प्रश्न रहेगा कि इन ग्राम पंचायतों में विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा राशि आबंटित की जाये, न कि महानरेगा के माध्यम से।

जो यह बात कह रहे हैं कि महानरेगा के माध्यम से, तो ग्राम पंचायत का वैसे भी 60-40 का रेशो पूरी ग्राम पंचायत का होता है। इंडिविजुअल एक काम 80-20 के पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। एक तरह से मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं कि इस योजना के तहत उस गांव का विकास होगा।

मेरा पुन: निवेदन रहेगा कि...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये। सवाल पूछिये, सवाल।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ...इस योजना को या तो बंद कर दिया जाये, या सरकार इस योजना में कोई बजट आबंटित करे। हमारा मूल उद्देश्य बजट आबंटन कराने का है।

श्री अध्यक्ष: कह चुके आप यह बात। तीन बार आप यह बात कह चुके। माननीय मंत्री महोदय। आप यह बात तीन बार कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं, जो आप बता रहे हों कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

यह 50 करोड़ रुपये महात्मा गांधी नरेगा योजना के हैं, यह नहीं है; यह राज्य मद का पैसा है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने महात्मा गांधी नरेगा के अलावा परिसम्पत्ति निर्माण निधि की 50 करोड़ रुपये की घोषणा की है। वह हमने 50 करोड़ रुपये श्रम-सामग्री का जो 60-40 का रेशो है, उसके अलावा सामग्री मद में ज्यादा खर्च हो, उसके लिए यह व्यवस्था की है। इसी के आधार पर हम लोगों ने आप लोगों को, प्रत्येक पंचायत को 20-20 लाख रुपये उसमें से अलाट किये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। आपका जवाब आ गया। आपका जवाब आ गया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह नरेगा के धन को इस तरह से बता रहे हैं...

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको कह रहा हूं कि यह राज्य मद का पैसा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। कामिनी जिंदल। पूरक प्रश्न कीजिये। आ गया आपका जवाब?

सुरेश धाकड़। इसके बाद आपका है। सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि एक वर्ष के अन्दर सारे ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो सकते, वह आदर्श नहीं बन सकती। इसमें मेरा यह अनुरोध है कि इसमें थोड़ा समय बढ़ाया जाये और उसको एक वर्ष की बजाय दो वर्ष किया जाये।

दूसरा, बजट के लिए जैसा प्रावधान किया, तो उसमें मनरेगा में भी 60-40 के रेशो से छूट दी जाये।

एक निवेदन और है। जो ग्राम पंचायतें किसी कारपोरेट सेक्टर के सी एस आर के दायरे में आती हैं। तो सरकार को उनसे यह आग्रह करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सी एस आर के तहत पहले प्राथमिकता में जो मुख्यमंत्री आदर्श गांव हैं, उनमें प्राथमिकता से काम हों।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, एक वर्ष से दो वर्ष बढ़ाया

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जाये, यह प्रक्रियाधीन है मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर। अभी 196 माननीय सदस्यों ने आदर्श ग्राम पंचायत को चयन किया है और चार अभी भी माननीय विधायकों ने चयन नहीं किया है। 110 ग्राम पंचायतों के अन्दर सर्वे हो चुका है और 80 पंचायतों में ग्राम विकास योजना बन गई है। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रक्रियाधीन है और मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर इसका फैसला होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। तीसरा पूरक प्रश्न। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने जो जवाब दिया कि नरेगा में 60-40 के रेशो का अनुपात नहीं बैठने से जो मैटेरियल में ज्यादा पैसा लगता है, उसमें हम 20 लाख रुपये देंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत को। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कि मनरेगा डिमांड आधारित योजना है। अगर वहां डिमांड नहीं होगी तो आपका 20 लाख रुपये में से एक रुपया उस पंचायत में नहीं लग सकेगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनटाइड फंड आप पंचायतों को देते थे, उसमें ये आदर्श ग्राम पंचायत भी शामिल है, वह पैसा आपने पूरा का पूरा जल स्वावलम्बन में कुछ ही चिह्नित पंचायतों को दे दिया। तो इस पंचायत को भी नहीं मिलेगा एक रुपया अनटाइड फंड का।

तीसरा, जो कार्ययोजना आपने बनाई है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाटडानाऊ मैंने चयन की थी, मैंने मीटिंग भी ली है अधिकारियों के साथ में। पूरे जिले में सबसे पहले मैंने यह शुरुआत की। चूंकि आदर्श ग्राम पंचायत योजना की थी, लेकिन बाटडानाऊ में प्रारम्भिक विद्यालय भी नहीं है। सीनियर स्कूल तो है, लेकिन छठी से लेकर नहीं है। कार्ययोजना में एक नम्बर पर नाम है और आप ही के विभाग से सम्बन्धित है, प्राथमिक शिक्षा। चूंकि पंचायती राज से यह सम्बन्धित है, इसलिए क्या इस वर्ष बाटडानाऊ में प्रारम्भिक विद्यालय खोलने का विचार रखते हैं? अनटाइड फंड से आदर्श ग्राम पंचायतों को जो जल स्वावलम्बन से छूट देने का विचार रखते हैं? ये दोनों बात बता दें।

श्री अध्यक्ष: बस, बस। बहुत ज्यादा हो गया आपका प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अध्यक्ष महोदय, ये अनटाइड फंड के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा, यह इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी नरेगा के बारे में यह बिलकुल सदन को पता है कि यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, मांग आधारित योजना है। मैंने जैसा कि सदन को निवेदन किया है, यह मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के जो उद्देश्य मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, उनके अलावा जो फंड है, केन्द्र प्रवर्तित योजना, राज्य प्रवर्तित योजनाओं का साथ कन्वर्जन किया जा सकता है; महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ सामग्री मद में एक्स्ट्रा पैसा देकर कन्वर्जन किया जा सकता है। सी एस आर के पैसों के साथ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह पैसा काट लिया ना। मंत्रीजी, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अनटाइड फंड का आदर्श ग्राम पंचायत का भी पैसा काट लिया आपने।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करूं, यह अनटाइड फंड वाला पैसा, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, पंचायती राज से सम्बन्धित ही है यह। इस आदर्श ग्राम पंचायत से भी काट लिया। पूरे प्रदेश की पंचायतों से तो काटा ही काटा, आदर्श ग्राम पंचायत को भी अनटाइड फंड का पैसा नहीं दे रहे हैं। यह मैं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह अनटाइड फंड का पैसा...

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, डोटासराजी, दूसरा सवाल नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं निवेदन कर रहा हूं कि अनटाइड फंड का पैसा निर्मल योजना से है, यह भी मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए दिया गया है। इसलिए कोई काटा नहीं गया है। यह उसमें दिया गया है। तो मेरा निवेदन है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन पंचायतों से भी काटा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीरा लाल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...इसमें

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सी एस आर के पैसों से आप काम करवा सकते हो; गुरु गोलवलकर योजना, जन सहभागिता योजना, उसमें काम करवा सकते हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हीरा लाल निवाई। विराजिये। आ गया, जवाब आ गया। आप बैठिये। जवाब आ गया।

श्री हीरालाल (निवाई): प्रश्न संख्या 204 ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरत नहीं है। जवाब नहीं देंगे। हां, हां, नहीं देंगे जवाब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो प्राइमरी स्कूल की मांग कर रहे हैं। कार्ययोजना में एक नम्बर पर नाम है। खोलोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब नहीं आयेगा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खोल दो ना। कर दो घोषणा। क्या जाता है? राज का काम है, कर करा दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है, मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके और मेरे तो सम्बन्ध ही अच्छे हैं। कर दो घोषणा प्रारम्भिक विद्यालय की।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वे जवाब नहीं देंगे। मैंने मना कर दिया उनको।

श्री हीरा लाल निवाई।

जयपुर को पेयजल की आपूर्ति हेतु ईसरदा डैम का निर्माण

204. श्री हीरालाल (निवाई): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई कस्बे एवं चाकसू तथा जयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ईसरदा डैम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): विधान सभा क्षेत्र निवाई के कस्बा निवाई एवं विधान सभा क्षेत्र चाकसू के कस्बा चाकसू को बीसलपुर बांध आधारित बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना से वर्ष 2011 से तथा जयपुर शहर को बीसलपुर-जयपुर वृहद् पेयजल परियोजना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

से वर्ष 2009 से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण, इन शहर/ कस्बों की पेयजल आपूर्ति हेतु ईसरदा बांध का निर्माण करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जवाब दिया। मेरा प्रश्न यह है कि ईसरदा कोफर डैम 2003-2008 के बीच में बना है और उसकी अगर एक मीटर ऊंचाई और हो जाती है, तो बीसलपुर से... ठीक है, मैं आपके उत्तर से सहमत हूं। बीसलपुर बहुत दूर पड़ता है। निवाई, चाकसू, बल्कि जयपुर को भी पानी सप्लाई किया जा सकता है। उसकी एक मीटर ऊंचाई और बढ़ जाये ईसरदा कोफर डैम की, 2003 से 2008 के बीच में जो बना है। मेरा, माननीय मंत्री महोदया, यह निवेदन था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसमें आपका विधान सभा क्षेत्र निवाई है, उस निवाई के 199 गांव और 584 ढाणियां जुड़ी हुई हैं और 118 करोड़ रुपये की लागत से उनमें काम चल रहा है। निवाई शहर में पानी पहुंच चुका है। बाकी भी कम्प्लीट हो जायेंगे। सात-आठ महीनों के अन्दर उसको भी हम पूरा कम्प्लीट कर देंगे। आपके 199 गांव और 584 ढाणियां जुड़ जायेंगी।

इस तरह से जो आपका कहना है ईसरदा बांध के सम्बन्ध में; आपका जो विधान सभा क्षेत्र है, उसका तो आलरैडी काम चल रहा है और बीसलपुर से ही उसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन जहां तक ईसरदा डैम का सवाल है, इसकी बात माननीय सदस्य ने पूछी। इसमें यह 2007 के अन्दर बांध बना है। 40 करोड़ रुपये की लागत में डब्ल्यू आर डी से डिपोजिट वर्क में पी एच ई डी ने यह बांध बनवाया है। 125 एम सी एफ टी का यह डैम है। इसके तहत भी हम लोग इस पर योजना बना रहे हैं। क्योंकि जो टोंक जिला है, वह पूरा ही हमने बीसलपुर के साथ में जोड़ दिया है। तो अब जो ईसरदा का कोफर डैम बना हुआ है, उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसमें यह 100 एम सी एफ टी का पानी जो कोफर डैम के अन्दर है, उसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ईसरदा बांध की और भी योजना है। पूरे बांध को बनाने की जो लगभग पहले 550

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करोड़ रुपये की थी, अब क्योंकि मुआवजा, वगैरह तीन गुना हो गया है, इसलिए उसका दाम भी ज्यादा हो गया है, तो अब लगभग डेढ़ हजार करोड़ का वह प्रोजेक्ट है। उसकी डी पी आर बन रही है, डी पी आर बनने के बाद में फिर उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, उससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष: तो फिर विराज जाइए।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरा एक निवेदन है, माननीय मंत्री महोदया, उसकी ऊंचाई हो जाए। उससे खाली चाकसू और निवाई ही नहीं, बल्कि टोंक के सारे कुओं में पानी रिचार्ज होगा और लोगों की फ़सलों को उससे फायदा होगा; सरसब्ज होगा। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्यजी ने जो कहा है, उस पर मैं सहमत हूं। इसके ऊपर हम सर्वे कराने के बाद ही कुछ कह सकेंगे कि उसकी अगर हाइट बढ़ानी है तो उसको बढ़ाकर उसके अन्दर क्या लाभ मिल सकता है। उसके बारे में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह तो निवाई और चाकसू से सम्बन्धित है। शंकर सिंहजी रावत, आप क्या पूछेंगे?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बीसलपुर से नहीं है।

माननीय दर्शन सिंहजी। पूरक प्रश्न।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो करौली के बारे में पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

महोदया से इतना ही पूछना चाहता हूं कि चाकसू विधान सभा क्षेत्र में और चाकसू कस्बे में बीसलपुर की जो योजना है, मार्च, 2016 तक पूर्ण होनी थी, उसमें थोड़ी देर हो गई है। उसको कब तक आप जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे? यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह तो जवाब आ चुका है, करा देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): चाकसू से आने वाले माननीय विधायकजी ने जो पूछा है, उसमें मैं उन्हें जानकारी देना चाहती हूं कि चाकसू के 275 गांव और 487 ढाणियां इस योजना के अन्दर हैं, जिसकी लागत लगभग 234 करोड़ की है। इसका कार्य चल रहा है।

जैसा कि आपने कहा कि इसको जल्दी से हमें पूरा करना चाहिए। हम भी इसमें चिंतित है, इस कार्य को हम शीघ्र पूरा करना चाहते हैं। हम आलरैडी डिले हैं इसमें, लगभग जो कम्प्लीशन डेट है वह 22.2 की थी हमारी और दिसम्बर तक जा रहे हैं। लेकिन इसमें जे डी ए से जो हमारी कुछ जमीन, ओवरहैड टैंक्स बनाने हैं, उसके लिए कुछ लेनी है। उसी के संदर्भ में हम बात करके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब से और इसको रिजाल्व करवा देंगे और जल्दी इस कार्य को शुरू करा देंगे। वैसे पार्शली कमीशन हम आपके 225 जो गांव हैं, इनको हम अगस्त तक कमीशन कर देंगे। तो यह पार्शली तो हमारी योजना के अन्दर इन 225 गांवों को अगस्त तक पानी पिला देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश भंसाली।

बाल/किशोर सुधार गृह में बाल अपचारियों को पृथक रखने की योजना

205. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित बाल/किशोर सुधार गृह में बाल अपचारियों के साथ अनाथ बच्चों को भी रखा जाता है? यदि हां, तो क्या इससे अनाथ बच्चों के आचरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है?

(2) क्या उक्त बाल/किशोर सुधार गृह के प्रबंधक द्वारा सरकार से इस सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) जी नहीं। जोधपुर स्थित बाल/सुधार गृह में बाल अपचारियों के साथ अनाथ बच्चों को नहीं रखा जाता है। किशोर गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह का बाहरी परिसर एक है, परन्तु किशोर गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह के आवासीय भवन एवं मुख्य द्वार अलग-अलग हैं।

उपेक्षित बालकों का अपचारी बालकों से किसी भी प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं है।

(2) कोई पत्राचार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बताया, वह बात ठीक नहीं है। बहुत बड़े अक्षरों में 'भास्कर' में छपा है कि किशोर के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसका कोई पत्राचार भी नहीं हुआ है। इनके ध्यान में तो आना चाहिए कि इस तरह की हरकतें हुई हैं, उस किशोर गृह में हुई हैं। यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: ले आए आप ध्यान। जांच करा लीजिए इसकी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जानकारी दे रहे हैं, यह मुझे दे दें और मैं उसकी जांच करा लूंगा और जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. किरोड़ी लाल।

लालसोट में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनितों का पुन: सर्वे

206. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजनान्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक चयनित पात्र व्यक्तियों एवं लाभान्वित व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजनान्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक नए चयन किए गए व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में चयन किए गए पात्र

(डा. किरोडी लाल)

व्यक्तियों का पुन: सर्वे व वेरिफिकेशन कराया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने लाभार्थी हैं जिन्हें अपात्रता की श्रेणी में मानते हुए पात्रता सूची से वंचित किया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में ऐसे कितने लाभार्थियों का पुन: सर्वे व वेरिफिकेशन कर लाभान्वित होने की पात्रता से वंचित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने नए पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजनान्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को चयनित पात्र व्यक्तियों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजनान्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक नए चयन किए गए लाभार्थियों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपीलीय प्रक्रिया के तहत पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

(3) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पूर्व में चयन किए गए पात्र व्यक्तियों में से पुन: सर्वे व वेरिफिकेशन के पश्चात् प्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में पात्रता सूची से कम किए गए व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपीलीय प्रक्रिया के तहत पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

(4) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में पुन: सर्वे व वेरिफिकेशन के उपरांत 80,611 व्यक्तियों को खाद्य सूची से कम किया गया है।

(5) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजनान्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक नए चयन कर लाभान्वित किए जा रहे लाभार्थियों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, एन एफ एस ए में 53.90 परसेंट शहरी क्षेत्र में एवं 69 परसेंट ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के चयन करने का आधार क्या है? क्या यह सही है कि आनन-फानन में इस सीमा को तोड़ कर लोगों का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर, 2013 से लागू किया गया है, राजस्थान में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार 53 परसेंट आबादी शहरी क्षेत्र की और 69.90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का चयन, पात्र व्यक्तियों का, किया जाता है।

रहा सवाल, इसमें निष्कासन और समावेश के नियम बने हुए हैं। टास्क फोर्स की कमेटी का जो पुनर्गठन हुआ है, कमेटी तीन दफा गठित हुई है। उसने जो समावेशन और निष्कासन के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मापदण्ड दिए हैं, उनके आधार पर ही चयन करते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, एन एफ एस ए, माननीय मंत्रीजी, आपने छह जिलों को पोस मशीन बांट दीं और एक अप्रैल से आप सभी जिलों में पोस मशीन बांटने जा रहे हैं, जबकि अभी तक पूरे राशन कार्ड नहीं बने हैं। आधार कार्ड तक नहीं बन पाये हैं। फिर सीडिंग कैसे होगी? और सीडिंग हो भी गई, तो जहां ए पी एस डीलर शिक्षित नहीं हैं तथा जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां पोस मशीन कैसे काम करेंगी?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत अनुभव है इस विभाग से। पोस मशीनों की वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाने के लिए...

श्री अध्यक्ष: बातचीत नहीं। बातचीत नहीं। गुंजल साहब, अपनी सीट पर जाइये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हमने प्रदेश भर में, छह जिले तो पहले फेज में थे, प्रदेश भर में करीब 15 हजार के लगभग पोस मशीनों का वितरण किया जा चुका है, ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं, उसको

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

उसका जो मिलना चाहिए अपेक्षित, वह उसी मात्रा में मिले। बायोमैट्रिक मशीन के द्वारा उसका सत्यापन होगा।

आपने जो बात बताई है, निश्चित रूप से जहां दूर-दराज क्षेत्र हैं, जहां पर मोबाइल टावर सही काम नहीं कर रहा है, वहां पर हमारी यह व्यवस्था है कि वहां पर जो नेटवर्क काम करता है, जिस कम्पनी का मोबाइल का टावर चाहे एयरटेल हो, चाहे बी एस एन एल, जिस तरह का भी हो, प्रयास रहेगा कि हमको वही नम्बर दिया जाए ताकि उससे सत्यापन हो जाए।

दूसरा, हमने बहुत जल्दी सीडिंग की प्रक्रिया चालू कर रखी है और करीब 70 परसेट सीडिंग का कार्य हो गया और जल्दी ही हम 100 प्रतिशत सीडिंग करके, पोस मशीनों की पारदर्शिता से, पात्रता के व्यक्तियों को चयन करके उन लाभान्वित व्यक्तियों को शुद्धता की मात्रा मिले, ताकि जो डाइवर्जन और डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था थी, वह बंद हो सके।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री ओम प्रकाश।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न तो यह है कि पूरे प्रदेश के लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 69 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत पात्र परिवारों को यह राशन की सामग्री मिलनी चाहिए। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो सूची बनी हुई है, वह सूची सरपंच, सेक्रेटरी और पटवारियों ने सरपंच के कहने पर बनाई हुई है। जिस सरपंच को जिस व्यक्ति ने वोट दिया है, उस व्यक्ति का नाम तो उस पात्रता सूची में है और जिसने नहीं दिया है, उसका उस पात्रता सूची में नाम नहीं है।

मेरे महुवा विधान सभा क्षेत्र में जो ए-कैटेगरी में हैं, बी पी एल, स्टेट बी पी एल, अंत्योदय, आस्था और अन्नपूर्णा, इन पांच कैटेगरियों को तो हण्ड्रेड परसेंट राशन का वितरण होना है। बी-श्रेणी में ए पी एल कैटेगरी आती है। ए पी एल में कौन पात्र होंगे, कौन अपात्र होंगे, यह बहुत-बड़ा प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने भूमि का आधार माना है...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): जी। हम भूमिहीन किसानों को सबसे पहले और बढ़ते हुए क्रम में नीचे लेकर गये हैं। क्या पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू करने का मंत्री महोदय का विचार है, या नहीं है? नंबर-1 ।

(श्री ओमप्रकाश)

नंबर-2 । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री महोदय को, कालाबाजारी को रोकने के लिए आपने पास मशीन लागू की है। इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब आप इससे इतने ढंग से काम कर रहे हैं कि प्रत्येक आदमी को राशन मिलेगा, लेकिन महुआ का मजदूर जब बीकानेर में जाकर मजदूरी करेगा तो हर महीने वह पैंतीस किलो गेहूं लेने के लिए महुआ नहीं आ सकता। क्या मंत्री महोदय, जिस तरह से ए टी एम से किसी भी बैंक का पैसा मिल सकता है, तो क्या राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति कहीं से भी राशन की सामग्री प्राप्त कर सकता है? क्या इस योजना को मल्टीपोर्टेबिलिटी के आधार पर लागू करने की आपकी मंशा है या नहीं? ये दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चयन प्रक्रिया जो एन एफ एस ए की है उसमें मापदंड हैं। मैंने अभी सदन को अवगत कराया कि इसके अन्दर समावेश और निष्कासन के मापदंड बने हुए हैं। किसी भी ग्राम पंचायत सरपंच के या कोई प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर कहीं अगर इस तरह की सूचियां बनी हैं, तो बिलकुल गलत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में तो हमने आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत पटवारी और उस ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी और नगरपालिका, नगर परिषदों में वहां का ई.ओ. उन सूचियों का सत्यापन करेगा। उसके बावजूद भी कोई पात्र व्यक्ति चयन से रह गया, तो 5.11.2015 को समस्त राजस्थान में हमने एस डी ओज को आदेश कर दिया है कि वे उस व्यक्ति से अपील लें और अपील पर स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं, उसके डाक्यूमेंट के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। अगर वह पात्र व्यक्ति है तो उसको जोड़ने का काम करें।

दूसरी इन्होंने प्रदेश भर में जहां व्यक्ति है वहीं मिलने की बात की, तो उस पर अभी विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूछेंगें आप? हो गया।

पूरक प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार यह मशीन के

(श्री शंकर सिंह)

द्वारा अंगूठा लगाकर, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति कई जगह पर राशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनके फिंगर प्रिंट सही नहीं मिलने के कारण, अब किस वजह से, पता नहीं, चूना, सीमेंट का ऐसा कार्य करने से भी फिंगर प्रिंट में फर्क आ जाता है। जिस व्यक्ति को राशन डीलर पहचान लेता है कि यह वास्तव में राशन जिसका है वही व्यक्ति राशन ले जा रहा है, फिर भी उस को उस मशीन के द्वारा मना कर दिया जाता है; या सही नहीं होता है, तो उसको राशन से वंचित कर दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए क्या व्यवस्था है?

आज 6 महीनों से ब्यावर क्षेत्र में, मैंने कल भी आपको निवेदन किया था, कहीं पर भी ऐसे हा-हाकार मचा हुआ है और विपक्षी दल के लोग, कांग्रेस के व्यक्तियों ने पन्द्रह दिन तक ब्यावर में धरना लगाया हुआ है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि इसमें सुधार किया जाए, इस व्यवस्था में कहीं न कहीं सुधार किया जाए। यह मशीन के द्वारा जहां-जहां पर भी आपने अच्छी व्यवस्था की है।

पूर्व की गांधीवादी सरकार ने 2012 में सर्वे करवा करके, इनको पूरे राजस्थान में कहीं ऐसा ईमानदार आदमी नहीं मिला और गुजरात की फर्म को ले जाकर के, वहां ईमानदार मिला।उसकी वजह से यह फर्जीवाड़ा हुआ है और उसकी सज़ा हमारी जनता भुगत रही है।

मेरा आपसे निवेदन है कि उस गांधीवादी सरकार के द्वारा किये गये कार्यों पर आप सुधार करें और निश्चित तौर पर हमारी ग्रामीण जनता को उसकी सज़ा नहीं मिले। आज 6 महीने से वहां व्यक्तियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में सुधार करवायें। धन्यवाद।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम गांधीवादी हैं और ये गोडसेवादी हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस पास मशीन को राजस्थान में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले तो यह बता दो कि गांधीवादी सरकार है कि सामन्तवादी सरकार है? फिर आगे बताना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह भी बता दूंगा समय आने पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह सरकार है नाथूराम गोड़सेवादी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। मंत्री महोदय का जवाब आ रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पोस मशीनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था चालू की जा रही है, राजस्थान में यह एक बहुत बड़ी अनूठी पहल है। आये दिन इस खाद्य विभाग में डाइवर्जन, कालाबाजारी, इधर-उधर डिस्ट्रिब्यूशन का मामला था। उस अपेक्षित व्यक्ति को, बायोमैट्रिक से उसका अंगूठा लगेगा और उसी पात्र व्यक्ति को माल मिलेगा। अगर पी डी एस में, ब्यावर से आने वाले हमारे मेंबर कह रहे हैं कि पी डी एस डीलर अगर कह दे तो उसी को दे दें, अगर पी डी एस के डीलर से दे देते तो बायोमैट्रिक की व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। हां, इसमें फिंगर में या कोई टेक्निकल गड़बड़ है, मशीन खराब है, तो निश्चित रूप से उसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न तीसरा। श्री गोरधन।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल वहां के डी एस ओ से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार हमारे को आदेश नहीं देती है तब तक हम यह लागू नहीं करेंगे। कृपया आप आदेश दिला दें। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि अगर मशीन में खराबी हो, खराबी मशीन में नहीं है ... (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) राशन दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ...(व्यवधान) कइयों के फिंगर प्रिंट नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्री गोरधन।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। थोड़ी दया दिखाइये। जनता परेशान हो रही है, उसको अनाज मिल नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। बिलकुल नहीं। जवाब देने की जरूरत नहीं है। गोरधनजी पूछ रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बता रहा हूं। तसल्ली रखो एक मिनट। (व्यवधान)

श्री गोरधन (धोद): डोटासराजी, सुनो तो सही एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी तरफ देखिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपनी बात हुई, वह ही कहना।

श्री गोरधन (धोद): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, ये डोटासराजी यह सोचते हैं कि मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहूं, वो पूछें; मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि जब से बायोमैट्रिक मशीन चालू की है सीकर जिले में, तो उसके पश्चात्, यानी 5-6 महीने से, तो उसके पश्चात् कितना तो आपने, चाहे गेहूं का वितरण है, यहां से आबंटन किया गया और कितना उस डीलर से उपभोक्ता को दिया गया? यह मेरे को बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एन एफ एस ए से जुड़ा हुआ मुद्दा था। पास मशीन पर हमने पहले तो पूरे राजस्थान में एक-एक पायलट प्रोजेक्ट में लिये थे, अब समस्त राजस्थान को कर दिया है और समस्त राजस्थान में जहां-जहां पास मशीनें गयीं, वहां पर ट्रांजेक्शन चालू हो गया है और इतना बढ़िया, मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आने वाले छह महीने के बाद इस राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। वह व्यक्ति जिसको ढाई किलो दाल मिलती है, पांच किलो में ...(व्यवधान) उसको मिलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दो माननीय सदस्य का। एक भी व्यक्ति के पास में अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके पूरे परिवार को गेहूं से वंचित किया जा रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ...(व्यवधान) जवाब दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी का अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ...(व्यवधान) यह भाषण देने का प्लेटफार्म नहीं है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि शुद्धता की जहां तक बात आती है, आपकी सरकार पर रोज अंगुली उठती थी, आपके मंत्रियों पर उठती थी। इस बार दावे से कह सकता हूं कि पास मशीन से हम पांच किलो पर-व्यक्ति को देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में नवीन खातों में के.वाई.सी. की अनिवार्यता

207. **श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने हेतु सूची उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सूची के साथ में लाभार्थियों की के.वाई.सी. सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध करायी जा रही है? यदि नहीं, तो उक्त सूची किस आधार पर भिजवाई गयी है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लाभार्थियों के बिना के.वाई.सी. पूर्ण किये ही बैंक खाते खोले जा चुके हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते खोलने हेतु शीर्ष सहकारी बैंक को निर्देश प्रदान कर लाभार्थियों की सूची के साथ के.वाई.सी. सम्बन्धित जानकारी भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पेंशन, भामाशाह महिला मुखिया व पैक्स स्तर पर संधारित नरेगा प्रदत्त लाभार्थियों की सूची मय के वाई सी की जानकारी यथा – भामाशाह योजना में भामाशाह आई डी संख्या, पेंशन योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी पी पी ओ नम्बर एवं नरेगा योजना में नरेगा जाब कार्ड नम्बर, इत्यादि की सूचना शीर्ष बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध करवाई गई।

(श्री अजय सिंह)

(2) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से पेंशन, भामाशाह महिला मुखिया एवं पैक्स स्तर पर संधारित नरेगा खातों की सूचना के आधार पर शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को योजनावार व शाखावार खाते खोलने हेतु कुल 1,05,72,574 लाभार्थियों की प्राप्त सूचना में से दिनांक 9.03.2016 तक 68,21,102 खाते खोल कर 23,61,382 खातों की के वाई सी पूर्ण कर ली गयी है। शेष 44,59,720 खातों की के वाई सी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार की महती भामाशाह योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उक्त खाते सहकारी संस्थाओं को वित्तीय रूप से सक्षम व सुदृढ़ बनाने एवं भामाशाह योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उनके खातों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले समस्त नकद लाभ 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना' के क्रियान्वयन हेतु सहकारी बैंकों की व्यावसायिक रणनीति एवं आमजन के वृहत् हितों को ध्यान में रखते हुए खोले जा रहे हैं।

(3) राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग व अन्य विभागों के द्वारा भामाशाह योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची मय आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, पी पी ओ नम्बर, मनरेगा जाब कार्ड नम्बर, इत्यादि के वाई सी से सम्बन्धित जानकारी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध करवायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बैंक में खाता खोलने से पहले आवेदन करना पड़ता है। बिना आवेदन किये आप खाता कैसे खोल दोगे? क्या यह सही है कि खाता खोलने की पहली शर्त है कि प्रार्थी पहले आवेदन करे, लेकिन प्रार्थी द्वारा आवेदन नहीं किया गया है? एपेक्स बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक ने उसके नाम का खाता खोल दिया है। अभी तक खातेदार को यह भी पता नहीं है कि मेरा खाता बैंकों में खुल गया है। यदि हां, तो क्या यह आर बी आई के नियमों का उल्लंघन हुआ है? इस कानून के उल्लंघन से यदि कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी एपेक्स बैंक लेगा? रजिस्ट्रार आफिस लेगा? या जैसे सिंडिकेट बैंक में ग्राहकों की जानकारी के बिना खातों में लेनदेन होकर गबन हुआ है, वैसा ही प्रकरण भविष्य में इन खातों में नहीं हो जाये।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

क्या यह सही है कि खाता खोले गये खातों की के वाई सी पूरी कराने के लिए सहकारी विभागों के कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है? यदि ये कैम्प पहले लगाये जाते तो इससे जनता का भला हो जाता। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के रूप में सहकारिता का ग्राम-ग्राम में नेटवर्क है। उसके बावजूद हम निजी एन जी ओ, ई-मित्र के माध्यम से कार्य कराने के क्यों इच्छुक हैं? दूसरे बैंकों को प्राइवेट ई-मित्रों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इनके पास ग्राम सेवक व सहकारी समितियों की तरह विस्तृत नेटवर्क नहीं है। हम अपने नेटवर्क को भूलकर, इन एन जी ओ की सहायता प्राप्त करने के इच्छुक क्यों हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, 2015-16 के बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, 175 बिन्दु संख्या है, ''प्रदेश में सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ भामाशाह योजना से जोड़ते हुए इनके माध्यम से भी सेवा दूरदराज के क्षेत्र में पहुंचाई जायेगी। इसके लिये पैक्स, लैम्प्स तथा ई-मित्र केन्द्रों को बिजनेस कोरसपोंडेंट्स बनाने का निर्णय लिया गया।''

मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने अभी जो भी सूचनाएं डी ओ आई टी विभाग से लेकर हमारे सी सी बीज को यह प्रेषित की है ताकि ज्यादा से ज्यादा खाते हमारे सहकारी बैंकों में खुल सकें और नकद लाभ की जो भी केन्द्र की योजनाएं हैं...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय, आर बी आई की जो पेनल्टी लगेगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यह भी आप इसमें स्पष्ट करें। आने वाले दिनों में पेनल्टी लगनी ही है। उसका जिम्मेदार कौन रहेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, जवाब आ रहा है, आप सुनिए। आप दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना। जवाब आ रहा है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): इसके बारे में यह सूचना लेकर भेजी गई है।

माननीय सदस्य जो पेनल्टी के लिए कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो भी खाते हमने अभी खोले हैं, उनकी शीघ्रता से हम के वाई सी करवा रहे हैं और बिना के वाई सी करवाये किसी भी खाते को अभी तक आपरेट नहीं किया

(श्री अजय सिंह)

गया। इसलिए किसी भी तरीके से रिजर्व बैंक की किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): पेनल्टी लगेगी तो जिम्मेदार कौन होगा, आप यह क्लीयर कर दे। पेनेल्टी लगेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? रजिस्ट्रार आफिस रहेगा या एपेक्स बैंक रहेगा? यह क्लीयर करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, यह नहीं। जवाब आ रहा है। बार-बार डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, ये सरकार के बैंक हैं और माननीया मुख्य मंत्रीजी की यह घोषणा है कि गरीब को, जो गांव ढाणी में बैठा हुआ है, उसका भुगतान अटल सेवा केन्द्र पर यह सरकार करवाना सुनिश्चित कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक 4 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन हमारी सहकारी बैंकों में हमारे बीसीज के माध्यम से हो चुका है।

आप रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक का जो भी यह लगाया है के वाई सी के लिए, Know Your Customer, अपने ग्राहक को पहचानिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मनी लांड्रिग जैसी अव्यवस्था न हो; कोई भी काला धन हमारे बैंकों में न हो। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनकी गाइडलाइंस हैं, ''All other account get opened only on the basis of the MGNREGA card or the Aadhaar Letter should be treated as small accounts.''

माननीय अध्यक्षजी, हमारे पास जो भी हैं, ये बडे छोटे अकाउंट हैं और वे कहीं न कहीं सरकारी कार्यालय में पहले से पंजीबद्ध हैं। नरेगा के 38 लाख खाते हमारे पास पहले से ही हैं। हम उन्हीं को खोलकर उनकी वापस के वाई सी करवाकर कर रहे हैं। 15 लाख की के वाई सी हमने कर ली है। आप कैम्प के लिये कह रहे हैं कि कैम्प पहले लगाते, हमारे कैम्प नहीं, हमारे को तो जल्दी से जल्दी प्रयास करके, अकाउंट खोलें, उसकी के वाई सी करवाये और उसकी सीडिंग कराने के बाद वह खाता चालू होगा, और किसी तरह की पेनल्टी आर बी आई से नहीं लगाई जायेगी। यह मैं आपको सुनिश्चित करता हूं। बहुत नियमों के अधीन विभाग कार्रवाही कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एक तो इस प्रश्न को घुमा दिया। कोई बात नहीं।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

अभी हाल ही में चल रही व्यवस्थापकों की हड़ताल का एक मात्र कारण है, एपेक्स बैंक रजिस्ट्रार आफिस के दिन-प्रतिदिन गुमराह करने वाले विभिन्न परिपत्र निकलना। को-आपरेटिव जनता का आंदोलन है। यह अधिकारियों के भरोसे नहीं चल सकता। क्या इसे जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से चलाने का विचार सरकार रखती है? व्यवस्थापकों की हड़ताल के कारण मार्च माह में रिकवरी नहीं होने से राजस्थान के किसानों को भारी ब्याज का नुकसान होगा; एक-एक किसान को 12-12 हजार रुपये का नुकसान होगा; बैंक का आउटस्टैंडिंग बढ जायेगा; सी आर, ए आर कम हो जायेगा और बैंकों के लाइसेंस भी खतरे में पड़ जायेंगे।

शीर्ष सहकारी बैंक बैंकिंग कार्य में लिये जाने वाले टी एस एस साफ्टवेयर एण्ड सर्वर की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें होने वाला खर्च कितना होगा एवं उक्त खर्च किस संस्था द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है? एक करोड़ से अधिक संख्या में विभिन्न सहकारी योजना लाभान्वित खाते खोले जाने का कार्य, सर्वर अथवा अन्य प्रकार के साफ्टवेयर, हार्डवेयर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अतिरिक्त राशि व्यय करनी होगी। यदि हां, तो बैंकवार अनुमानित राशि विवरण सदन की मेज पर रखें। सहकारी बैंक आर टी अनुमान प्राप्त कर सदन के पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, यह क्या कर रहे हैं आप? बिलकुल एक के बाद एक पूरक प्रश्न! जवाब दीजिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया कि व्यवस्थापक हडताल पर हैं और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को महत्व नहीं दिया जा रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में हमने 9,010 बी सी बनाये हैं, उनमें से 3,224 बी सी हमारी सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां, हमारी जो पैक्स हैं, लैम्प्स हैं, वे हैं। माननीय सदस्य के जिले में जरूर 50 जो जी एस एस हैं, वे हमारी बी सी बनी हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि अधिक से अधिक इसमें बी सी बनें। हमारी प्राथमिकता भी यही है कि सबसे पहले अगर कोई बी सी बने तो पैक्स बनें, लैम्प्स बनें।

(श्री अजय सिंह)

व्यवस्थापकों की मांगों की जो बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10-15 साल से, गत सरकार के समय भी, उनकी सरकार के सामने इन्होंने इस समस्या को यहां पर रखा था। उनकी पे का 60 परसेंट का राइडर लगाया हुआ था, वह लगातार पिछली सरकार भी नहीं हटा पा रही थी, हमने हटाकर उनको भारी राहत दी है। विभिन्न तरह का जो वे व्यापार कर रहे हैं, पी डी एस का सिस्टम है, रिकवरी में है, उसमें भी उनको प्रोत्साहन राशि, उनका कमीशन सुनिश्चित किया। व्यवस्थापकों का भी किया है, समिति का भी किया है।

मेरा तो आपके माध्यम से सदस्य को कहना है कि राजस्थान में हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खाते हमारे खुलें। हम तो यह चाह रहे हैं कि नरेगा का, पेंशन का पूरा भुगतान हमारे सहकारी बैंकों के द्वारा उस गरीब को गांव में हो।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): इनकी परफोर्मेंस ठीक नहीं है। मंत्री ने अपनी डिमांड जुड़वाई है परफोर्मेंस दिखवाने के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दिखाने दो। आप भी दिखाते हो, या नहीं?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि के वाई सी तो आप मांग रहे हो, आर बी आई के रूल्स में यह लिखा हुआ है कि बिना आवेदन के आप किसी का खाता नहीं खोल सकते हो, ऐसे तो आप पूरे राजस्थान के खाते खोल दो, बिना किसी को बताये। मेरा खाता कोई बैंक खोल दे, मुझे जानकारी नहीं हो, यह नहीं हो सकता।

दूसरा, एपेक्स बैंक के रजिस्ट्रार ने इनको विश्वास में लिया नहीं, बताया नहीं। इन्होंने को-आपरेटिव बैंक का एक सर्कुलर मांग लिया कि हम फार्म छपवाना चाह रहे हैं और कम से कम एक करोड़ खाते खोलने हैं। वह फार्म छपवाने के लिए 10 रुपये का टेंडर कर रहे हैं। ऐसे 10 करोड़ बनते हैं, और वही फार्म को-आपरेटिव बैंक छपवा ले तो वह मात्र 40 पैसे में आता है। इन्होंने अपने खाते खुलवाने के चक्कर में बैंक के इतने फार्म छपवा लिये।

(श्री सुरेश धाकड़)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कहीं सरकार का नुकसान नहीं हो, राजकोष का कहीं घाटा नहीं हो और बिना आर बी आई के रूल्स के अगर आवेदक बैंक में जाकर, बैंकों में लाइनें लगी हुई हैं खाते खुलवाने के लिए, ये लाइनें बंद होनी चाहिये। पूरे राजस्थान में खाते खुलवाये जायें।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सदस्य ने जो फार्म के बारे में बात कही है, उसको मैं दिखवा लूंगा। जहां तक रिजर्व बैंक की और के वाई सी की बात कही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जायेगा और जब तक के वाई सी और सीडिंग का कार्य पूरा नहीं हो जायेगा, किसी भी खाते को चालू नहीं किया जायेगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, 40 लाख और 10 करोड़ का फर्क है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। श्री धीरज गुर्जर। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आसन के माध्यम से पूछता हूं, मंत्रीजी यह बतायें कि क्या पहले से ही खुले हुए 1 करोड़ 75 लाख खातों को आप सहकारी बैंक की मात्र 486 शाखाओं में खोलना चाहते हैं? जब नाबार्ड इस वित्तीय वर्ष में कैम्पों के लिए 8 करोड़ और अगले वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ देने को तैयार है, तो आपके रजिस्ट्रार, सहकारिता ने 26 करोड़ रुपये का प्रावधान क्यों किया? अप्रचलित फार्म छपाने के लिए 8 करोड़ अप्रचलित फार्म आप लोग छपवा रहे हों, उससे सरकार को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसकी आप जांच कराकर रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्रवाही करना चाहते हो, या उसमें आप भी शामिल हों?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने आपको पहले बताया कि हमने 1 करोड़ 5 लाख खातों की सूचना डी ओ आई टी से ली थी और लेने के बाद इनको हमने, हमारे जो भी केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, वहां पर हमने प्रेषित कर दिया है। ये सभी पहले से ही पंजीकृत हैं, ये कहीं न कहीं से पेंशन ले रहे हैं। लेकिन हमारा विभाग, चूंकि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि दूर-दराज... आज सहकारिता विभाग का ही नेटवर्क है, अच्छी गुडविल है। आप मुझे बता दें, एक विधान सभा क्षेत्र में कितने बैंक की ब्रांच होंगी जहां से एक गरीब को भुगतान मिल जायेगा? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री अजय सिंह)

कल ही जवाब में कहा था ...(व्यवधान) दो जनों का उदाहरण दिया था कि गांव में उनको पेमेंट मिला।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) 8-8 पेज के फार्म छपवा कर 10 करोड़ रुपये आपके रजिस्ट्रार खा रहा है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): हमारा प्रयास यह है कि उस गरीब को वहीं पर...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में;

(2) श्रीमती सोनादेवी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में; एवं

(3) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से चंडीगढ़ की दवा फर्म स्काट आइडल कम्पनी लि. द्वारा असत्य व जालसाजी दस्तावेज प्रस्तुत कर टेंडर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार, श्रीमती सोना देवी एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में पेयजल परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

(3) श्री भजनलाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं जांच उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में व्यवस्थाओं में सुधार के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर में ऐतिहासिक धरोहर बीकाजी की टेकरी को पर्यटकों के लिए खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्या की ओर से श्रीगंगानगर नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा छात्रों को फर्जी प्रवेश एवं फर्जी अंकतालिकाएं देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शत्रुघ्न गौतम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के जिला परिवहन कार्यालय में फिटनेस केन्द्र को जारी रखने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कोलायत के कपिल सरोवर की सफाई कराने व कोलायत को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर के गांव चेराई, बेरड़ो के बास निवासी किसान प्रेमाराम की हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्या की ओर से जालौर के कार्यशील पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड के पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चूंकि आज पुलिस और कारागार की अनुदान मांगें सदन में विचारार्थ ली जाएंगी, जिसमें अधिक समय लगेगा, अत: माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उललेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(श्री अध्यक्ष)

आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 65 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. डा. मंजू बाघमार, जायल विधान सभा क्षेत्र में बिजली कनेक्शन में आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में;
2. श्री ललित कुमार, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक वर्ष 2013 की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने के सम्बन्ध में;
3. डा. जसवन्त सिंह यादव, बहरोड़ नीमराना उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार दिए जाने तथा इन उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में; एवं
4. श्री बच्चू सिंह, विधान सभा क्षेत्र बयाना में बारेठा बांध से निकलने वाली नहरों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजगढ़ नगरपालिका में अनियमितताएं

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ में ई.ओ. का चार्ज एक बाबू को दे रखा है, जो नियमानुसार किसी भी सूरत में ई.ओ. की पोस्ट पर नहीं रह सकता,वह पिछले एक वर्ष से कार्य कर रहा है और पिछले एक वर्ष में जो कार्य करवाए गये हैं, उन कार्यों की गुणवत्ता, उन कार्यों के हालात, 70 परसेंट तक उनमें बिलो रेट में छूटने के बाद भी वे कार्य कराये गये हैं। इसलिए जितने भी कार्य एक वर्ष में करवाये गये हैं, उन सभी कार्यों की जांच करवाकर, उनकी गुणवत्ता की जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

दूसरा, राज्य सरकार की सम्पत्ति गढ़ परिसर, उसमें राज्य सरकार की बिना अनुमति के उस पर कार्य नगरपालिका द्वारा करवाया गया है, वह व्यक्तिगत, अपने ठेकेदारों को लाभ देने के लिए और उसकी टेंडर प्रक्रिया जो थी, उससे दस लाख अधिक राशि बढ़ाकर उसका कार्य करवाया गया। जीरो से लेकर 25 लाख तक की चेयरमैन की पावर की बात करते हुए, प्रत्येक कार्य को एक-एक साथ दो-दो करोड़ के कार्य कराये गये और उसमें किसी भी बोर्ड

(श्री मनोज कुमार)

की स्वीकृति नहीं ली गई, ना वितीय कमेटी द्वारा स्वीकृति ली गई और दो-दो करोड़ रुपये के काम 25 लाख की अपनी पावर का मानते हुए करवाये गये, जिसमें सरासर भ्रष्टाचार किया गया। इसके लिए 245 के जो-जो नोटिस दिये गये, उन नोटिसों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नगर पालिका द्वारा नहीं की गई। 245 की कार्यवाही का नोटिस देकर, पैसे लेकर, वह कार्रवाही ड्राप कर दी गई। ना तो नियमानुसार उनको रोका गया, जिनके तामील के बिना मकान बनाये गये और नक्शे के बिना, जो नक्शा स्वीकृत हुआ उससे हटकर कार्य किया गया, लेकिन पैसे लेकर उनकी कार्यवाही ड्राप कर दी गई।

निर्धारित ठेकेदार जो ठेका लेता है, उस ठेकेदार से बिलो रेट में जो राशि होती है उस राशि को नगरपालिका उन ठेकेदारों से जमा करवाती है। इसका कोई नियम नहीं है। जैसे 70 परसेंट के हिसाब से 30 परसेंट बिलो छूटी, उस 30 परसेंट राशि को नगरपालिका जमा कराती है बिना नियम के और उस पैसे का दुरुपयोग नगरपालिका करती है। ठेकेदारों के बीच मिल-बैठकर के उसमें कुछ कार्य नगरपालिका के चेयरमैन और ई.ओ. द्वारा रोककर आम ठेकेदारों को उसकी निविदा की कापी नहीं दी जाती और उसको पूरी बी.एस.आर. रेट पर अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उस बी.एस.आर. रेट पर उन ठेकेदारों को पूरे पैसे में वे कार्य दिये जा रहे हैं।

मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन से लेकर हमारी जो मुख्य रोड है, जो पी.डब्ल्यू.डी. की रोड है, वहीं पोस्ट आफिस के सामने व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लाभ पहुंचाने के लिए और वहां रोड पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर दिया। पूरे पोस्ट आफिस ने उसकी कलक्टर तक आपत्ति दर्ज कराई। उसके बावजूद भी नगरपालिका ने वहां शौचालय बना दिया और वह सिर्फ इसलिए बना दिया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वहां आवास है और वहां आने वाले लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो जाए। पूरा तो पोस्ट आफिस का जो आवास है उसका रास्ता बंद हो गया है; मुख्य पी.डब्ल्यू.डी. की रोड पर अतिक्रमण कर लिया। अगर नगरपालिका की वह जगह है तो आप उसकी जांच कराएं। जांच कराकर के, अगर पालिका इस जगह नहीं है, तो शौचालय को वहां से हटाया जाए; जो सरकारी सम्पति का उस शौचालय के नाम से दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सभी कामों की तुरन्त जांच करवाकर ई.ओ. को तुरन्त प्रभाव से हटाएं। माननीय मंत्री महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं कि ई.ओ. बाबू है, जिसको चार्ज दिये हुए एक वर्ष हो गया और वह अनियमितता के लिए बैठा रखा है। इसलिए आप इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर हमारी राजगढ़ की जनता को लाभ दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूरे राजस्थान में ई.ओज. की कमी होने के कारण विभिन्न नगरपालिकाओं में, नगर परिषद् में ई.ओ. के स्थान के ऊपर कई दूसरे अधिकारियों को चार्ज दिया हुआ है। रतनगढ़, चूरू के अन्दर भी यह बात सही है, जो व्यक्ति ई.ओ. के पद पर काम कर रहा है, वह ई.ओ. का पद उसके पास नहीं है राजगढ़ का, वह स्वास्थ्य निरीक्षक है। 23 स्थानों पर स्वास्थ्य निरीक्षकों को छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर ई.ओ. का चार्ज दिया गया है।

जहां तक शिकायत का सम्बन्ध है, इर्रेगुलेरिटीज का ताल्लुक है, यह एडजोर्नमेंट मोशन है...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ई.ओ. स्वास्थ्य निरीक्षक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं अब भी कहना चाहता हूं, आज भी उसका हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वह अभी स्वास्थ्य निरीक्षक नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मनोज कुमारजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हाई कोर्ट में पेंडेसी का मतलब जजमेंट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. साहब आपने खुद ने एक शिकायत की 03.08.2015 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एल.एस.जी. के नाम। उस वक्त यह व्यक्ति ई.ओ. नहीं था, जिस दिन आपकी शिकायत थी। वह सितम्बर, 2015 से ई.ओ. है। आपकी शिकायत 03.08.2015 की है। इस शिकायत पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शिकायत के आधार पर हमने डिप्टी डायरेक्टर को जांच के आदेश दे दिये हैं और डिप्टी डायरेक्टर की जांच जब आएगी, उस जांच के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

एक दूसरी शिकायत आपके एक पूर्व पार्षद ने ए.सी.पी. को की है। ए.सी.पी. ने एक पत्र हमारे डिपार्टमेंट को भेजा, बिना किसी आब्जर्वेशन के।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बिना किसी आब्जर्वेशन के जो लैटर भेजा, उसके ऊपर भी हमने जांच गठित कर दी है। 15.09.15 को यह पत्र ए.सी.पी. से मिला और 24.11.15 को हमने इसकी जांच के लिए भी डी.डी.आर. को नियुक्त कर दिया है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं, जांच के बाद जो भी आएगा, वह हो जाएगा।

लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, आपका यह कहना कि बिना सक्षम स्वीकृति के काम कराये गये, किसी मेम्बर आफ पार्लियामेंट का मकान या आफिस होने के कारण काम कराये गये, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका का अध्यक्ष 25 लाख रुपये के काम की स्वीकृति देने में सक्षम है; 25 लाख के ऊपर के काम की स्वीकृति देने के लिए फाइनेंस कमेटी सक्षम है; उससे ऊपर के काम देने के आपकी जो एग्जीक्यूटिव बाडी है वह सक्षम है। जो भी काम लिये गये, प्राइमरी मैं यह कह सकता हूं, प्राइमरी तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चेयरमैन को उन कामों को स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकार थे। किसी मेम्बर आफ पार्लियामेंट का मकान होने से या मकान नहीं होने से वहां सड़क बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, तय नहीं हो सकता। जिस जगह पर, सड़क कहां बनाई जाए, नाली कहां बनाई जाए, यह उसकी डिमांड के आधार पर, उस स्थिति के आधार पर तय होगा। कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। एक मुझे आपके पार्षद साहब ने ज्ञापन दिया, उसमें लिखा है कि वार्ड नम्बर 25 में वहां रास्ता बना दिया गया जहां उपाध्यक्ष रहता है। तो उपाध्यक्ष रहता है और वाकई में सड़क बनी नहीं हो, तो क्या उसको सड़क इसलिए नहीं बनानी चाहिए कि उपाध्यक्ष रहता है? आप भी बता दें, आप कहीं रहते हैं तो वहां भी सड़क बनवाने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह आधार किसी शिकायत का नहीं होना चाहिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्रीजी, मैं शौचालय की बात कर रहा हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं शौचालय की बात कर रहा हूं। पोस्ट आफिस के सामने बना है, वह गलत बना है। आप जांच करा लें। आप जांच करा लें। गलत नहीं बनवाये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं, काफी है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप जांच करा लें। गलत नहीं बनवाये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इतना ही कह रहा हूं कि आपके पत्र की शिकायत के आधार पर, केवल पत्र की शिकायत के आधार पर, जो प्राइमरिली एस्टेब्लिश होने लायक नहीं लगती है, उसके बावजूद, यह सवाल पूछने से, एडजोर्नमेंट से पहले हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच वी डी आर को दे दी। इससे ज्यादा उसकी उम्मीद किसी माननीय सदस्य को क्या करनी चाहिए?

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जांच का जो भी निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर में राजकीय विद्यालय की स्थापना

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करती हूं, साथ ही मैं सरकार को अवगत करवाना चाहती हूं कि श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यह विधान सभा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ-साथ, इतने बड़े क्षेत्रफल में होने के साथ-साथ, इसमें एक भी सरकारी कालेज नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक निजी कालेज बगसिंह कालेज है जिसको पूर्व सरकार ने जाते-जाते नाम मात्र गवर्नमेंट कालेज कर दिया था, उसको वर्तमान सरकार ने आते ही कैंसिल कर दिया। मेरा मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि बगसिंह कालेज को पुन: गवर्नमेंट कालेज का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): जवाब तो दिलाएं, साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप दे रहे हैं जवाब। यस-यस। बैठिए, गोविन्द सिंहजी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि रायसिंहनगर में कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है, पर राजस्थान में टोटल 289 उपखण्डों में से, उपखण्ड हैडक्वार्टर में 164 ऐसे उपखण्ड हैं जहां अभी महाविद्यालय नहीं हैं। निश्चित रूप से रायसिंहनगर में

(श्री कालीचरण सराफ)

आपके निजी महाविद्यालय 8 चल रहे हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी है, जहां सरकारी महाविद्यालय भी नहीं है और निजी महाविद्यालय भी नहीं हैं, वह है।

जहां तक पिछली सरकार की आपने कही, आठ महाविद्यालय पूरे राजस्थान में उन्होंने जाते-जाते स्वीकृत किये, बिना वित्तीय प्रावधान के, बिना किसी मतलब के। केवल घोषणा कर दी, असत्य वाह-वाही लेने के लिए। फिर भी उनमें से तीन उपखण्ड हैं, जहां उन्होंने घोषणा की थी, वहां हमने नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा इस बजट में की है। आगे आप भी विश्वास रखिए, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आपके यहां भी निकट भविष्य में खोले जाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: समय का ध्यान रखना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जी, तीन मिनट।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट।

चंडीगढ़ की दवा फर्म द्वारा असत्य दस्तावेजों की प्रस्तुति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सुराज संकल्प यात्रा चल रही थी तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, मंत्रीजी राठौड़ साहब ने, सबने एक ही बात कही थी कि गहलोत साहब की सरकार ने नकली दवाइयां ले लीं, अमानक पाए जा रहे हैं, लोगों को जहर बांट रहे हैं। इस तरह का दुष्प्रचार किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी वर्तमान में किस प्रकार की दवाइयां खरीद रहे हैं, किस प्रकार की दवाइयां कम्पनियां सप्लाई कर रही हैं, उसका नमूना देना चाहता हूं। चण्डीगढ़ की एक कम्पनी है, स्काट आइडल कम्पनी है, जिसने बाकायदा सरकार की निविदा शर्तों को स्वीकार किया और निविदा शर्तों में स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस में यह प्रावधान था कि फाल्स, फोर्ज्ड फेब्रिकेटेड कोई भी बात उसमें नहीं की जाएगी, कोई तथ्य छुपाया नहीं जाएगा। इनकी शर्त संख्या 2-जी है, उसकी पालना नहीं करने के बावजूद, इनकी अनुशासन कमेटी ने दो बार सिफारिश कर दी कि इसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, माननीय मंत्री महोदय, आपको

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस कम्पनी से इतना क्या प्यार है कि आप इसको ब्लैकलिस्टेड नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? आपके 47 दवाओं के नमूने इन दो साल के अन्दर फेल हो चुके हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रदेश के अच्छे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे थे, आज यह कम्पनी बाकायदा तथ्य छुपाकर आई है, इसकी सप्लाई की गई दवाइयां वे अमानक पाई गईं, उस अमानक पाई गईं के तथ्यों को उसने छुपाया है। आपकी अनुशासन समिति ने दो बार अभिशंसा भी कर दी है। उसके बावजूद इस कम्पनी को बचाने का काम आप क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वादे के साथ आपने जनता के वोट लिये हैं उस वादे को निभाइये। कम्पनियां, अमानक पाई गई दवाइयों के तथ्यों को छुपा-छुपाकर ब्लैकलिस्टेड कम्पनियों को आप ठेके दे रहे हैं और उन ठेकों के आधार पर इस राजस्थान की जनता को जहर बांटने का काम आपकी सरकार कर रही है। इससे बड़ा घोर अपराध कोई सरकार कर नहीं सकती।

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से कि आप चण्डीगढ़ की फर्म स्काट आइडल कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड करेंगे, कि नहीं करेंगे? प्रदेश के लोगों को जहर, जो अमानक पाए गए, उनके जो सैम्पल थे, उस जहर को पिलाने का, देने का काम करेंगे, या इस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि दिनांक 24.9.2015 को एक संस्था द्वारा स्काट आइडल फार्मेसिस्ट कम्पनी की शिकायत की गई। यह भी सही है कि जब इस कम्पनी ने निविदा फार्म भरा, उस समय निविदा की शर्त संख्या 2-जी, जो यह कहती है कि निविदादाता निविदा में अपनी उन दवाइयों के लिए दरें नहीं भरेगा जो दवाइयां तिथि से पूर्व दो वर्ष में देश में घटियां, अमानक पाई गईं। यह भी सही है कि निविदा शर्तों की गाइडलाइंस फार ब्लैकलिस्टिंग हैं, उसके अन्दर भी लिखा है कि फेब्रिकेटेड दस्तावेज या निविदा हासिल करने की नीयत से तथ्यों की जानकारी को छुपाएगा, ऐसे निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाएगी और दो वर्ष के लिए उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसकी शिकायत आने पर, 24.9.2015 को शिकायत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्राप्त हुई और 19.2.2015 को आर टी पी नियम तीन में, जो आर एम एस सी एल की सब कमेटी बनी हुई है, उसने इनसे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण के आधार पर 19.10.2015 को ही इसको डिसिप्लीनरी कमेटी, जिसमें एम डी आर एम एस सी एल हैं, ई डी (प्रिक्योरमेंट) हैं, ई डी (फाइनेंस) है, ई डी (क्वालिटी कन्ट्रोल) है और ड्रग कंट्रोलर है, अब इसके सामने सारी जांच के बाद, 31.12.2015 को सारी जांच के बाद, इसी स्काट आइडल कम्पनी के लिए दो निविदाएं, जिसके अन्दर, पूर्व के अन्दर, दो स्प्रो फ्लोक्सिन 500 एमजी, 19.11.2013 को जिसका एन.एस.क्यू. हुआ था, नोट स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी; एक अल्ट्रा वैक्सटीन 10 एम जी, इसका 21.4.2014 को, ड्रग कंट्रोलर ने कहा था कि ये दवाइयां मानकता को लिए हुए नहीं हैं। इस आधार पर इस कम्पनी को दो निविदाओं के अन्दर तीन मेडिसिन के लिए, बिड़ के अयोग्य करार किया, इसको दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया और, माननीय सदस्य, चार लाख रुपये इस पर पैनल्टी भी लगाई।

आप जो कह रहे हो कि हम किसी को बचाना चाहते हैं, हमारा मकसद कतई नहीं। हां, यह सही है कि अनुशासन समिति की सिफारिश पर ब्लैक-लिस्टिंग करने का अधिकार एम डी को है। मामला एम डी के पास गया। साथ में फर्म ने यह कहा कि फर्म के अन्दर लीगली, कानूनी रूप से कुछ कमी-खामियां, उन्होंने अपने वकील के साथ दस्तावेज पेश किये। एम डी ने इस सारे मामले को लेकर बोर्ड में रखा। 03 फरवरी, 2016 को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है, उसने कहा "RMSCL is hereby authorized to take final decision in this regard after taking legal opinion and keeping financial interests of the corporation in mind." अभी यह लीगल ओपिनियन के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आज मैं यह घोषणा करता हूं कि हम इस कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड कर रहे हैं। इस कम्पनी के आधार पर इन्होंने निविदाओं के अन्दर जो तथ्य छिपाए, उसकी जांच करवाएंगे। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि कई दवाइयां घटियां पाई गईं, मैं समझता हूं कि वह समय आपका था, यहां बिलकुल पारदर्शिता से काम होता है। हमने जो शर्तें बनाई हैं, ई-टेंडरिंग करते हुए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके दो साल में 47 दवाइयां अमानक पाई गयी हैं। जहर खिलाने का काम राजस्थान प्रदेश की जनता को आपकी सरकार कर रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पहली बार हुआ है कि जो भी दवाई निर्माता कम्पनी सप्लाई करती है, उसके बाद डबल्यू.एच.ओ. का जी.एम.पी. सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हम दो वर्ष के लिए टेण्डर देते हैं। उसके टर्न-ओवर और सब चीजों के बारे में हमने जो शर्तें तय कर रखी हैं, वह सारी शर्तों को अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा।

मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर मुफ्त दवा योजना के अन्दर, जो पिछली सरकार ने चलाई, हमारी यह सरकार आने के बाद हमने न केवल उसके बजट को बढ़ाया, बल्कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमने उन शर्तों को कड़ा किया। इस कम्पनी के खिलाफ प्राइमा-फेसाई जो मामले सामने आये हैं, हम इसको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे, कार्यवाही भी करेंगे। मैं आज ही हिदायत दूंगा, इस प्रकार की शिकायत के आधार पर, जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, हमारे एस.एस., मेडिकल, इन सारी शिकायतों का संकलन करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

आपका जो आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, हमारा कतई इरादा इस प्रकार की किसी कम्पनी को बचाने का नहीं है। मैं सदन में ही घोषणा कर रहा हूं कि हम इस कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पढ़े हुए माने गये।

पर्ची के माध्यम से। डाक्टर मंजू बाघमार।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जायल में बिजली कनेक्शन की समस्या

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चूंकि पूरी तरह से ढाणियों में बसा हुआ है और ढाणियां गैर-आबादी क्षेत्र में आती हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा गैर-आबादी क्षेत्र में स्वीकृत सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार घरेलू कनेक्शन के लिए 500 मीटर दायरे तक निर्धारित शुल्क 3,800 रुपये लिया जाता था, किन्तु 06/11/15 को एक आदेश निकाला गया, उस आदेश के तहत जो ढाणियां दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना में सर्वे में नहीं आई हैं, उन ढाणियों में गैर-आबादी क्षेत्र के अन्दर विद्युत कनेक्शन करने के लिए सौ रुपये प्रति मीटर की

(डा. मंजू बाघमार)

दर से अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्होंने जो नया आदेश निकाला है, उसके तहत एल.टी. लाइन से गैर-आबादी क्षेत्र के अन्दर जो हम विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं, मान लीजिये, एल.टी. लाइन से 200 मीटर दूर पर हैं तो वहां पर 20-20 हजार रुपये उनका डिमाण्ड नोटिस आ रहा है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम अपने एम.एल.ए.-लैड से भी उसमें पैसा दे रहे हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने जो नया आदेश निकाला है, उसमें कुछ संशोधन किया जाये, ताकि गैर-आबादी क्षेत्र के अन्दर ढाणियों में जो विद्युत कनेक्शन होता है उसमें राहत मिल जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ कहेंगे थोड़ा। बहुत हालत खराब है। हमारे तो कनेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। सब बंद हो गये कनेक्शन।

श्री अध्यक्ष: चलो, आपने भी अपनी बात कह दी।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मंत्रीजी कह रहे हैं। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्रीजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जायल से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही है, आबादी क्षेत्र से, भले ही वह अरबन क्षेत्र हो या रूरल क्षेत्र में, जहां भी आपका ट्रांसफार्मर है, वहां से लगभग हम 500 मीटर तक हमारे जो खेत पर रहने वाले, गांव में रहने वाले, ढाणियों में जो किसान रहते हैं, उनको 500 मीटर तक अगर ट्रांसफार्मर में कोई जगह है, तो 500 मीटर तक 3,800 रुपये में कनेक्शन जारी करते हैं। यह बात बिलकुल सही है कि नागौर से कई माननीय सदस्यों ने ढाणियों में अपने विधायक कोटे से पैसे दिये हैं, जहां उन्होंने 11 के.वी. के पैसे दिये हैं और कई उन्होंने ट्रांसफार्मर के भी पैसे दिये हैं। इनकी जो स्वीकृति है, एम.एल.ए. फण्ड की जो स्वीकृति है, यह 06/11 का जो हमने नोटिस

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

निकाला है, सर्कुलर निकाला है 06/11/2015 को, उससे पहले इनकी स्वीकृति हो चुकी है। निश्चित रूप से 06/11 से पहले जो भी स्वीकृति निकली हुई हैं, जिसमें आपकी फाइनेंशल स्वीकृति जो जिला परिषद से निकली हुई हैं, उन कार्यों को, जो भी काम पेंडिंग हैं, निश्चित रूप से इस काम को पूरा कराएंगे। 06/11 के बाद जो भी सैंक्शंड हैं, उसमें नियम के अनुसार हम काम कराएंगे।

श्री अध्यक्षः श्री ललित कुमार। (व्यवधान) बस हो गया, जवाब आ गया। श्री ललित कुमार।

द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में अनियमितताएं

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं पर्ची के माध्यम से, बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के, आर.पी.एस.सी. द्वारा 2013 में जो द्वितीय क्षेणी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें चयनित अभ्यर्थियों के मामले में किशनगंज-शाहबाद के 42 अभ्यर्थियों को चयनित करने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, आर.पी.एस.सी. द्वारा बिना नोटिफिकेशन के रिवाइज रिजल्ट किये बाद, उनको बाहर निकाल दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब यह परीक्षा आयोजित हुई, उसके बाद आर.पी.एस.सी. द्वारा एक शुद्धि पत्र हेतु वेबसाइट पर 31/07/2014 को यह निकाला गया कि टी.एस.पी. और सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति व अनारक्षित वर्ग हेतु अभ्यर्थी दर्शाये गये हैं। इस परीक्षा में टी.एस.पी. और सहरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्ग, पुरुष व महिलाएं, जो टी.एस.पी. क्षेत्र के, व आयोग की वेबसाइट पर राजस्थान आनलाइन पोर्टल पर 01/08/2014 से 07/08/2014 तक आवेदन और शुद्धि कर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के सहरिया भाइयों के अलावा, उसी क्षेत्र के, किशनगंज-शाहबाद के अन्य अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने हेतु आर.पी.एस.सी. ने शुद्धि पत्र निकाला था।

इसी सन्दर्भ में मैं यह कहूंगा कि 2013 अभ्यर्थी परीक्षा सैकिण्ड ग्रेड, इसके पहले 2012 की द्वितीय श्रेणी अभ्यर्थी परीक्षा में 8 अभ्यर्थी आदिवासी सहरिया भाइयों के साथ अनुसूचित जनजाति के, उनको भी नियुक्ति दी गयी।

(श्री ललित कुमार)

2004 से जो सहरिया क्षेत्र और किशनगंज-शाहबाद के लिए आर.पी.एस.सी. ने जो नोटिफिकेशन निकाला, वह भी मैं आपके सामने यहां पढ़कर सुनाना चाहूंगा। राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 25/11/2004 को राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवासित अनुसूचित जाति, जनजाति, जो राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी आधारभूत सुविधाओं, मापदण्डों, राज्य के बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील के सहरिया क्षेत्रों में तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

इसी पर, 2004 के इस आदेश से सहरिया जाति और सहरिया क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सुविधाएं देते हुए, 2004 से 2012 तक के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुईं, उनमें लगभग 8 अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति, एस.सी. के और सहरिया जाति के, इनकी भर्ती की गई और वे आज वर्तमान में नियुक्त होते हुए, वे परमानेंट हो चुके हैं।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, मैंने यह क्वेश्चन 9 तारीख को 120 क्रमांक नम्बर पर भी लगाया था, जिसमें मेरे को यह जवाब दिया गया कि किशनगंज, शाहबाद टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं आता है, "भारत सरकार के 12/01/81 के शिड्यूल्ड एरिया स्टेट आफ राजस्थान की गाइडलाइंस के अनुसार नवगठित तहसीलों में बारां जिला टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं आता है।" परन्तु मेरा यह कहना है कि जब आर.पी.एस.सी. ने शुद्धि पत्र में सहरिया क्षेत्र मानते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को सुविधाएं पूर्व में दी हुई हैं, उनको नियुक्तियां दी हुई हैं, तो वर्तमान में जब 2013 की भर्ती हुई, उसमें उन 42 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। मेरा यह निवेदन है कि आर.पी.एस.सी. ने अगर यह रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला है, 9/01/2015 से 12/01/2015 तक, इसमें सात विषय के अन्य कई सारे 42 अभ्यर्थी, जिन्हें बाहर कर दिया गया, इनके बारे में विचार करते हुए सरकार क्या विचार रखती है? मेरा यह पर्ची के माध्यम से निवेदन है।

इसी के साथ-साथ मैं एक और बात यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे 8 अभ्यर्थी पूर्व में, 2004 से 2012 तक, जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, वे फुल-स्केल पेमेण्ट उठा रहे हैं। 2013 की जो यह भर्ती हुई, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, इसमें दो अभ्यर्थी सहरिया हिन्दी विषय के और दो अभ्यर्थी सहरिया सामाजिक विज्ञान के लिए। इनके अलावा जो नोटिफिकेशन है, उसमें

(श्री ललित कुमार)

स्पष्ट दिया हुआ है। उसके बावजूद उन 42 अभ्यर्थियों को आज बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा, अभी वर्तमान में चिकित्सा विभाग द्वारा नर्सिंग ग्रेड, जी.एन.एम. की भर्ती की गई। उसमें बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद को अलग से सहरिया क्षेत्र मानते हुए नियुक्तियां दी गयीं और आज वर्तमान में वे अपनी पोस्टिंग लेकर कार्य कर रहे हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से और सरकार से यह निवेदन है कि सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जाति और एस.टी. वर्ग के सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जायें, या इसमें संशोधन हेतु प्रेषित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: डा. जसवंत सिंह यादव।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेस्पांस।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप रेस्पांड कर रहे हैं। विराजिये आप।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 में आर.पी.एस.सी. ने सात विषयों के लिए, 9,437 पद विज्ञापित किये थे, उनमें से 9,363 को हमने नियुक्तियां दे दीं। 17.09.2014, 18.09.2014 और 19.09.2014 को इनके परिणाम घोषित किये गये।

(12.30 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

परिणाम घोषित करने के बाद 31.07.2014 और 4.01.2014 को प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई, कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि हमको इसकी सूचना समय पर नहीं मिल पाई अतः हम टी.एस.पी. क्षेत्र को अपना विकल्प-पत्र नहीं भर सके। इसके लिए आर.पी.एस.सी. ने 12.12.2014 को एक प्रेस नोट जारी कर दिनांक 17.12.2014 तक टी.एस.पी. और सहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों से टी.एस.पी. और सहरिया क्षेत्र जाति हेतु आरक्षण का लाभ दिये जाने बाबत आन-लाइन और आफ-लाइन विकल्प मांगे। विकल्प में इन्होंने जो दिये, उससे बारां क्षेत्र के किशनगंज और शाहबाद तहसील के अभ्यर्थी, जो सहरिया जाति के नहीं हैं, उन्होंने भी टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिये। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील क्षेत्र टी.एस.पी. क्षेत्र में मान्य नहीं है; अपितु केवल सहरिया जाति के आरक्षण हेतु मान्य हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

भारत सरकार की अधिसूचना 12.09.1981, द शिड्यूल्ड एरियाज स्टेट आफ राजस्थान आर्डर, 1981 तथा जन-जातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.03.2015 के अनुसार नव-गठित तहसीलों में भी बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र को टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं माना है। यानी, बारां जिले का कोई भी क्षेत्र टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित नहीं है।

इसीलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 12.01.2015 को जो प्रेस नोट जारी करके स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अध्यापक-सेकण्ड ग्रेड की जो परीक्षा 2013 के विभिन्न विषयों के, 09.01.2015, 10.01.2015 और 12.01.2015 को जारी संशोधित परिणामों में केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए परिणाम जारी किया गया है। उसमें बारां जिले के अभ्यर्थियों को टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु मान्य न किया जाकर संशोधित परिणाम में सम्मिलित नहीं किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 09.01.2015, 10.01.2015 और 12.01.2015 को रिशफलिंग, जो परिणाम जारी किये हैं, उनमें ये 42 अभ्यर्थी अपने मूल वर्ग के नहीं होने के कारण चयन से बाहर किये हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हमारे पास नियुक्ति हेतु ये नाम उन्होंने, अभिशंसा नहीं किये जाने के कारण विभाग ने नियुक्तियां नहीं दी हैं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह टी.एस.पी. क्षेत्र नहीं है, यह भारत सरकार का नोटिफिकेशन है और आर.पी.एस.सी. ने भी यही माना है, परन्तु जो शुद्धि पत्र 31.07.2014 को निकाला गया, आर.पी.एस.सी. द्वारा, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया, एस.सी. और एस.टी., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सहरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को फार्म भरवाया उसमें। इसका स्पष्टीकरण, इसको मानते हुए उन अभ्यर्थियों ने अपना उसमें दिया। उनका चयन करते हुए, उनके डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बाहर निकाला है।

श्री उपाध्यक्ष: Do you want to react on it?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनको स्पष्ट बता दिया कि वह बारां जिले का कोई क्षेत्र इस टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं आता। उसके लिए विकल्प केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए मांगे गये थे। इसलिए उनके जो फार्म्स हैं, वे आर.पी.एस.सी. ने हमारे पास नहीं भेजे।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): मंत्री महोदय, मैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बस, That's all. डा. जसवन्त सिंह यादव।

नीमराणा (बहरोड़) स्थित उद्योगों में स्थानीय को रोजगार व उद्योगों द्वारा कारित प्रदूषण

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वह इंडस्ट्रियल एरिया है और वैसे भी अलवर जिले के अन्दर जो भी दुनिया की औद्योगिक इकाइयां हैं, वे सब अलवर जिले के अन्दर हैं।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, और केवल मैं बोलने के लिए ही नहीं खड़ा हुआ हूं; मंत्री महोदय, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इतना प्रयास किया, 'रिसर्जेंट राजस्थान' और उद्योगपतियों से मिलना, दुनिया भर के नए उद्योग लाये, इंवेस्टर लाये और नई-नई इकाइयां भी वहां पर लग रही हैं, बड़े-बड़े प्लांट भी लग रहे हैं, लेकिन अब बड़ी विडम्बना क्या है कि उनके अन्दर स्थानीय नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाती है। अगर किसी का एड्रेस अलवर जिले का है, तो उस बच्चे को किसी भी कीमत पर नौकरी नहीं मिलती है, चाहे वह आई.आई.टी. ग्रेजुएट ही क्यों न हो। अच्छी से अच्छी आई.टी.आई. हो, आई.आई.टी. हो, बढ़िया इंजीनियरिंग कर रखी हो, उनके लायक हो, सब तरह से वह अपने आप के अन्दर कम्पीटिशन में हो, फिर भी केवल उसका दुर्भाग्य यह है कि उसका एड्रेस वहां का लोकल एड्रेस लिखा रहता है।

मंत्री महोदय, थोड़ा-सा आपसे निवेदन है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाएं कि झारखंड और जितने भी नार्थ-ईस्ट राज्य हैं, उनमें पहले बहुत उद्योगपति गये थे, बड़ी-बड़ी कोयले की खदानें ली थीं, उन्होंने वहां पर बड़ा पैसा भी कमाया लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें शामिल नहीं किया। अंत क्या हुआ? नक्सलवादी पैदा हो गये। आज सरकार के लिए वह एरिया सम्भालना भारी हो रहा है। यही हालत हमारे यहां पर होते जा रहे हैं। नौजवान बच्चों को जो इग्नोर किया जा रहा है, अगला हमारा जो चुनाव होगा, वह भी इसी आधार पर होगा। जिन नेताओं के पास कोई काम नहीं है, अभी से वे इस धंधे में लग गये। आप जितना वातावरण बना रहे हों, जितना 'रिसर्जेंट राजस्थान' कर रहे हो, जितना आप कह रहे हो कि इतना एम.ओ.यू. आपके प्रयास से हुआ, यह अच्छी बात है, अगर लोकल बच्चों को आपने उसमें, कोई भी रास्ता निकालें, बाध्यता नहीं है, वह आप जानें कि सरकार किस तरह

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

से ऐसा रास्ता निकाले और उन बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो ऐसी अराजकता का माहौल होगा।

दिल्ली के तो बहुत नजदीक था गाजियाबाद, दिल्ली के बहुत नजदीक था फरीदाबाद, हमसे पहले वे डवलप हुए और आज वे उजड़ गये इंडस्ट्रियल एरिया। इसीलिए उजड़ गये कि वहां भी उन लोगों ने वहां के लोकल लोगों को उसमें शामिल नहीं किया। आज यही हाल होगा। जितने आपके यहां उद्योगपति लाने की आप कोशिश कर रहे हो, अगला राजनीतिकरण इसका होगा और ऐसे आंदोलन होंगे। अभी होंडा के अन्दर हुआ, वह भी एक राजनीतिक स्टंट था। बाहर के लोग लाये गये और एक भावना भड़काई गयी कि लोकल बच्चों को इसके अन्दर रोजगार नहीं मिलता, उनके साथ शोषण होता है। इसी तरह से अब हमारे यहां यह खेल शुरू होगा। मंत्री महोदय, आपका प्रयास तब सार्थक रहेगा, जब अभी आप इसको सम्भालें, उद्योगपतियों को बैठाएं कि आप इसके अन्दर कुछ करें।

दूसरा, इसमें मैंने प्रदूषण का दिया हुआ है। कुछ फैक्टरियां ऐसी हैं, मैं कई बार उठा चुका हूं, जितनी स्पिरिट फैक्टरी हैं, जैसे बीम ग्लोबल स्पिरिट फैक्टरी, कारोड़ा है, परनोड़, एक और शराब की फैक्टरी कारोड़ा के अन्दर है; जय अंबे केमिकल फैक्टरी, सोतानाला में है; श्रीनाथ केमिकल, सोतानाला में है; ग्लोबस फैक्टरी, श्यामपुरा के अन्दर है; ये वे फैक्टरियां हैं जो अपना तो कमा रही हैं; फैक्टरियां चल रही हैं, वहां के लोग शिकायत कर चुके हैं, सरकार ने आदेश दिये तो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट पोल्यूशन के लिए लगाये। जब पोल्यूशन के लोग आते हैं तो वे पहले उनको इन्फोर्म करते हैं और जिस दिन वे आते हैं उस दिन तो चालू कर देते हैं और जैसे ही वे जाते हैं तो उनको बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका उसको चलाने में खर्चा आता है। आज आप एक मानवीय आधार पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी एक टीम को एनी-टाइम, आप दिल्ली जाते हो, दुनिया भर की आपकी विजिट होती है, किसी भी एक फैक्टरी के चारों तरफ आप पांच मिनट खड़े होकर देख लेना, किसी गांव में चले जाना, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें पांच-दस-पन्द्रह लोग कैंसर से पीड़ित नहीं हों, अस्थमा से पीड़ित नहीं हों। तो मेहरबानी करके कोई ऐसा कानून बनाएं कि वे या तो पोल्यूशन प्लांट को चलाएं या उनके खिलाफ कार्यवाही हो, जिससे वहां का वातावरण बन सके। लोगों का जीवन बन सकें, यह आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दो इश्यूज रेज किये हैं, एक तो एम्प्लायमेंट रिलेटेड है और एक पोल्यूशन रिलेटेड है। उन्होंने सही बोला है कि जब उद्योग हमारे प्रदेश में आ रहा है, हमारे यहां पर उत्पादन कर रहा है, हमारे यहां से प्रोफिट्स कमा रहा है, तो एम्प्लायमेंट जो है, हमारे बच्चों को, हमारे नौ-जवानों को मिलना चाहिए। मैं इसमें माननीय सदस्य से पूरा सहमत हूं। जब हम स्पेशलाइज्ड पैकेज देते हैं, हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज को, अलग-अलग सेक्टर्स को, तो हम दो चीजों पर पूरा ध्यान देते हैं कि इसके अन्दर निवेश कितना लगेगा और एम्प्लायमेंट, रोजगार कितना मिलेगा। ये हमारे दो बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास कोई कानून नहीं है जिससे हम बाध्य करें, जिससे हम उद्योगपति को फोर्स कर सकें कि आपको कम से कम इतनी एम्प्लायमेंट हमारे लोकल लोगों को देनी पड़ेगी।

मैं अभी चेन्नई में गया था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उद्योग का। मैं हुंडई मोटर्स के पास गया था और वे अपनी एक और बड़ी इकाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने राजस्थान में आमंत्रित किया। आज आप देखें कि जितनी भी आपकी आटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, सब तमिलनाडु जा रही हैं, या कर्नाटक जा रहे हैं, या महाराष्ट्र जा रहे हैं। उसका जो प्रमुख कारण है, उनको स्किल्ड लेबर मिल जाती है। यह राजस्थान की एक हमारी कमजोरी है।

मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने स्किलिंग के अन्दर भी अभी, जैसे आपका होण्डा मोटर्स है, सैंट गोबेन है, इन्होंने अपने स्कूल शुरू कर स्किलिंग के, जिसके अन्दर ये इनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके पश्चात् उनको नौकरी की गारण्टी करते हैं। जहां अन-स्किल्ड लेबर है, वहां हमारे बच्चों को फिर भी रोजगार मिल जाता है लेकिन स्किलिंग की हमारी बहुत भारी आवश्यकता है।

माननीय सदस्य, आपको यह बताना चाहूंगा, जो हमने 'रिसर्जेंट राजस्थान' के लिए मेहनत की, इतने महीनों से मेहनत की और हमने रोड शो किये...(व्यवधान) एक सेकण्ड। आप दुबारा पूछ लेना।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट के लिए। मंत्री महोदय, एक मिनट। अलवर जिले के अन्दर बहरोड़ के बारे में जो बात करना चाहते हैं,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

हिन्दुस्तान में भी नहीं मिल सकता, जितना स्किल्ड अलवर जिले के बहरोड़ में है। हण्ड्रेड परसेंट लिटरेट हैं और ऐसा कोई आई टी आई, ऐसा कोई इंजीनियरिंग कालेज, ऐसा कोई मेडिकल कालेज नहीं मिलेगा इस हिन्दुस्तान में, जिसमें बहरोड़ के बच्चे नहीं होंगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अभी बोला, कोई भी इंडस्ट्री जब आती है तो वह अपनी लेबर कोस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करती है ताकि उसकी प्रोफिटेबिलिटी बढ़े। वह क्यों चाहेगी कि झारखंड से लोगों को लेकर आएं? उनको हाउसिंग भी देनी पड़ती है, उनके खाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अपने लोकल्स को क्यों नहीं दें? हम लोग इस हाउस के अन्दर, जो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोकल लेबर सबसे ज्यादा आएं क्योंकि वह हमारे लिए सस्ती भी रहती है। It is a question of demand and supply for skilled and unskilled labour.

लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, जैसे होण्डा का मैंने एग्जाम्पल दिया, सेंट गोबिन का दिया, ऐसी अन्य कई इंडस्ट्रीज हैं, उनको मालूम है कि अभी राजस्थान का वातावरण कंडूसिव है इंडस्ट्रीज के लिए, और वे चाह रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर ही स्किल डवलपमेंट किया जाए। हमारा जो सी जी आर आई एस, सेंटर आफ सिरेमिक ग्लास रिसर्च इंस्टिट्यूट, इन्होंने स्किलिंग शुरू कर दी है। एन टी टी एफ बंगलौर है, जो पचास साल की पुरानी संस्था है, रिकग्नाइज्ड बाई गवर्नमेंट आफ इंडिया, इनको हमने जमीन भी दी है, बिल्डिंग भी बनाई है, एम पी-लैड का भी फण्ड आया है और यह पूरे एरिया के अन्दर स्किल डवलपमेंट लोकल इंडस्ट्रीज के लिए ही स्थापित की गयी है। टैक्सटाइल्स, रेमण्ड्स, ये सब लोग स्किल्ड डवलपमेंट कर रहे हैं। तो मैं यही माननीय सदस्य को कहूंगा कि स्किल डवलपमेंट के अन्दर अपने को जोर देना है।

आपके क्वेश्चन का जो दूसरा भाग था, प्रदूषण के बारे में, यह सही है कि हमारे बच्चे प्रदूषित पानी के साथ नहीं जी सकते हैं। आजकल जो हैल्थ हैजार्ड जो पोल्यूशन से है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जहां प्रदूषण का मामला है, वह एक्चुअली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर हैं। कोई इंडस्ट्रीज को जो एन ओ सी मिलती है, तो आपको रेड, ओरेंज और ग्रीन, जो आपके अलग-अलग प्रदूषण के नोर्म्स हैं, उनके मुताबिक परमिशन मिलती है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कोई अगर आप कम्प्लेंट करते हो, तो प्रदूषण बोर्ड, अगर वह नहीं मानें तो उनको बंद भी करते हैं।

हमारा उद्योग विभाग का राजस्थान सरकार के अन्दर जो रोल है, हमने सी ई टी पी एक्ट बनाया है, जिसके अन्दर कोई भी औद्योगिक क्षेत्र आए, रीका का हो, कुछ भी हो, उसके अन्दर सी ई टी पी एक्ट के तहत हमें सी ई टी पी का प्रावधान हमने उसके अन्दर एम्बाइव किया है ताकि प्रदूषण नहीं हो। इसके अलावा हमने अभी सांगानेर के अन्दर जो सी ई टी पी का अप्रूवल हुआ है, आपके बालोतरा के अन्दर हुआ है, आपके पाली में हुआ है, वह हमने जाकर केन्द्र सरकार से बहुत ही बड़ा अमाउंट लगाया हैं। हम यह कर रहे हैं और सी ई टी पी एक्ट के अन्दर भविष्य के अन्दर यह प्राब्लम नहीं आये, यह हम कर रहे हैं।

इसका जो मेन सेकण्ड भाग है, वह माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, पोल्यूशन के बारे में जो बोलना चाहें, इनकी इच्छा हो, तो बोलें।

श्री उपाध्यक्ष: I can't allow a question. I mean, this is not a question. How can you take that liberty?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र में बहरोड़ नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हो रहे हैं, वहां पर लोगों को बहुत रोजगार भी मिल रहा है, अपनी स्टेट की रेवेन्यू भी वहां पर खूब मिल रही है। वहां पर बराबर जो हमारे नियम हैं पोल्यूशन कंट्रोल के, हमारे अधिकारी नियमित, 123 बार इस साल में वहां जाकर जांच की है, 49 नमूने लिये हैं, उनमें से 23 नमूने सही नहीं मिले, उनको नोटिस दिया गया। उनमें से जिसने ठीक कर लिया, उनको छोड़ दिया गया। बाकी सात को हमने नोटिस जारी कर दिये कि आप लोग इनको बंद करो। दो का हमने जल और विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया है। हमारी पूरी चेष्टा यह रहेगी, वहां पर कोई भी अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो तुरन्त कार्रवाही करने के लिए हमने वहां पर व्यवस्था कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बच्चू सिंहजी।

(अनुपस्थित)

डा.फूलचन्द भिण्डा।

याचिका

विराटनगर शक्तिपीठ का विकास

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विराटनगर स्थित शक्ति पीठ का विकास करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ का क्रमोन्नयन

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ को नवीन विषयों के साथ पी.जी. (स्नातकोत्तर) में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल।

निवाई उपखण्ड में कतिपय उप तहसीलों का सृजन

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र निवाई उप खण्ड में कतिपय उप तहसीलें सृजित किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोरधन।

Hon'ble Member, you can't run around like this. This is not a jogging park.

धोद में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना

श्री गोरधन (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार धोद विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

चौमेहला में नया कालेज खोलना

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार चौमेहला क्षेत्र में नया कालेज खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

समिति प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-16) का प्रतिवेदन (क्र.सं. 2)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2015-16 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था। अनुदान की मांग पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों में अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वह कटौती प्रस्ताव, जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांग पर होने वाली बहस

(श्री उपाध्यक्ष)

के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, तो उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्य को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 44,68,02,31,000/- (अक्षरे चवालीस अरब अड़सठ करोड़ दो लाख इकतीस हजार) की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 17- कारागार की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,47,34,48,000/- (अक्षरे एक अरब सैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख अड़तालीस हजार) की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम प्रकाश।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा निवेदन यह था कि जो आपने अभी व्यवस्था दी, वह व्यवस्था तो अपने कई वर्षों से चल ही रही है, लेकिन अपने यहां दो जो कटौती प्रस्ताव आते हैं, कुछ कटौती प्रस्तावों को तो माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मंत्रीजी अस्वीकार कर देते हैं, सब रखे हुए माने जाते हैं, अस्वीकार कर देते हैं और लिखित में जवाब दे देते हैं। आम तौर पर सभी माननीय सदस्य से कहते हैं कि जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं, मैं उनका जवाब भेज रहा हूं।

तो यहां यह तय नहीं हो पाता उन कटौती प्रस्तावों में कि माननीय मंत्री महोदय ने कौनसा कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया और कौनसा नहीं किया, क्योंकि सारों के जवाब ही आते हैं। तो वे कहते हैं, हमने अग्राह्य कर दिये हैं। इसलिए इस पर भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कोई कटौती प्रस्ताव दिया है शिक्षा में स्कूल खोलने के लिए और मंत्री महोदय स्कूल खोलने के लिए तैयार हो गये। तो सारे के सारे कटौती प्रस्तावों को अग्राह्य कर, फिर इसको स्वीकार करें। क्योंकि यहां सदन में ऐसे बहुत से प्रसंग आये हैं जब कई कटौती प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है; सदन में भाषण देते समय भी स्वीकार किया गया है और उत्तर में भी स्वीकार किया गया है।

इसलिए, आज नहीं कल, कभी भी, आप एक ऐसी व्यवस्था करें कि जिन कटौती प्रस्तावों को माननीय मंत्री महोदय उचित समझते हैं और स्वीकार करते हैं, उनके बारे में तो कम से कम सदन में घोषणा करें और जिनको वे अस्वीकार करते हैं, या अग्राह्य करते हैं, अस्वीकार करते हैं, अग्राह्य करने का तो अधिकार आपका है, तो वह करते हैं तो उसकी लिखित में सूचना तो भेजते हैं माननीय मंत्री महोदय। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्षः इस सम्बन्ध में आसन पूरी जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा।

जिस तरह से आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ने के साथ-साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन पिछले दो वर्षों में राजस्थान सरकार में अपराधों की संख्या में जो घटोतरी हुई है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और गृह मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे दौसा जिले से आने वाले माननीय विधायक ने, उनके नेतृत्व में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनको माथे पर बैठाये रखा और उन्होंने या उनके समर्थकों ने पिछले दस साल में करीब पचास बार

(श्री ओमप्रकाश)

रोड जाम करने का काम किया। उसी रोड जाम करने के चक्कर में उनके और उनके समर्थकों के बीच, उनके विरुद्ध में राजस्थान सरकार, चाहे पार्टी, कोई सी भी सरकार रही हो, उनके खिलाफ करीब 14 मुकदमे पुलिस विभाग में दर्ज हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय सदन में बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब सामान्य आदमी की हिस्ट्रीशीट खोलने की बात करते हैं और एक जन-प्रतिनिधि की हिस्ट्रीशीट खोलने की बात करते हैं तो आपका क्राइटेरिया, जैसा मैंने सुना है कि दस केस के बाद आप हिस्ट्रीशीट खोलते हैं, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दौसा जिले में जितने भी जन -प्रतिनिधि हैं उनकी फाइल दिखवा लीजिए और दस मुकदमे से ज्यादा हैं, तो क्या आपकी मंशा है, उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलना चाहते हैं या नहीं?

साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कई विधायकों को सुरक्षा दे रखी है, कइयों को नहीं दे रखी। जिन लोगों से आम जनता डरती है, आपने उनके घर पर भी सुरक्षा दे रखी है और जब वे क्षेत्र में जाते हैं तो थानेदार भी उनके आगे-पीछे घूमता है। थानेदारजी कहते हैं कि कंट्रोल रूम से सूचना आती है, इस वजह से हम प्रोटोकाल देते हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिनसे आम जनता डरती है, उनको क्या सुरक्षा देना चाहते हैं? जिनके खिलाफ दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मुकदमे हों, खुद अपराध की श्रेणी में आते हों, ऐसे लोगों को कौनसी सुरक्षा दे रखी है? अब मैं आपसे मांग करता हूं, ऐसे लोगों की सुरक्षा जल्दी से जल्दी हटाई जाए।

जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, दौसा जिले में, पूरे प्रदेश की बात करें, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय को कि इन दो सालों में ना तो आपके इस कार्यकाल में कोई रोड जाम हुआ है और ना कोई बड़े मुकदमे दर्ज हुए हैं और मुकदमे दर्ज जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए भी हैं, चाहे चोरी का हो, चाहे और दूसरे मुकदमे हों, उनका खुलासा भी आपने किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा।

लेकिन अपराधों की श्रेणी, चाहे साइबर क्राइम की बात करें, चाहे दूसरी तरह के अपराधों की बात करें, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और उनकी श्रेणी अलग-अलग तरह से बढ़ रही है। महुवा जो तीन जिलों का बार्डर, करौली, भरतपुर और अलवर बार्डर हैं, मैं आपसे मांग करता हूं, यहां पिछले दो साल से लगातार डी.जी.पी. ने आपको निवेदन किया है कि महुवा में

(श्री ओमप्रकाश)

एडिशनल एस.पी. आफिस होना चाहिए; मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया और गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि महुवा में एक एडिशनल एस.पी. आफिस खुल जाए और एक बड़ा अधिकारी वहां बैठ जाए तो अपराधों पर और भी लगाम लगेगी और जो आये दिन रोड जाम और अनावश्यक रूप से जो अपराध होते रहते हैं, उनमें भी कमी आयेगी।

गृह मंत्री महोदयजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमें एक पत्र के द्वारा अवगत कराया कि प्रत्येक विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके आदेश और निर्देश के अनुरूप बीस लाख रुपये की राशि पुलिस विभाग को जिला परिषद के माध्यम से दे दी है, जिससे भी अपराधों में कमी आयेगी।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो दो साल का कार्यकाल रहा है, उसमें दौसा जिले को आपने बिहार बनने से बचाया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा।

इसी के साथ अपनी बात को यहीं खतम करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, अनेक मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण और हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, वह मांग संख्या 16-पुलिस है। किन-किन परिस्थितियों में और किन-किन विपरीत परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता रहती है। अनेक तरह की शिकायतें पुलिस से होती हैं और अनेक तरह की अपेक्षाएं भी पुलिस से होती हैं। वे दोनों साथ ही चलते हैं, जितनी अपेक्षाएं हैं उतनी शिकायतें भी हैं।

1,08,387 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का यह विभाग है और चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो या अन्य कोई धार्मिक त्योहार हों, गणतंत्र दिवस हो, या स्वतंत्रता दिवस हो, कोई सामाजिक मेले हों या राजनीतिक सभाएं हों, सब लोग अपने घर पर रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन राजस्थान का जो पुलिसकर्मी है आपकी व्यवस्था में वहां खड़ा रहता है। होली के दिन हम होली खेलते हैं, दीपावली के दिन हम घर पर पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी बाजार में, या जहां भी जरूरत है, वहां सुरक्षा के नाते रात को खड़ा रहता है। वह अपने परिवार के साथ होली या दीपावली नहीं मनाता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट से जितनी अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, चाहे उनका स्वयं का हो, परिवार का वेलफेयर हो, ऐसी व्यवस्थाएं हम कर पाये हैं? हम यह अपेक्षा करते हैं कि कानून-व्यवस्था को वे दुरुस्त रखें, शांति-व्यवस्था को वे बनाये रखे, हर नागरिक की वे सुरक्षा करें, अपराध का जो अन्वेषण है वह जल्दी से जल्दी करें। सभी तरह की आपदाओं में हमेशा हम अपेक्षा करते हैं कि पुलिस वाले तुरन्त पहुंचें, उनको बचाएं, अगर कोई घटना हो गयी है तो उनको निकालें। दिन हो या रात, यह कभी नहीं कहा जाता है कि पुलिस की ड्यूटी आठ घंटे की है, उसके बाद उसकी ड्यूटी नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में हमारा पुलिस विभाग काम कर रहा है।

वह राजस्थान की विशेष परिस्थितियां हैं, करीब एक हजार से अधिक किलोमीटर का हमारा पाकिस्तान का बार्डर है, जिसमें 836 किलोमीटर रेगिस्तान का वह रेतीला भाग है जिसमें आंधियां चलती हैं; चलने में भी तकलीफ होती है। यहां यू.पी. का बार्डर भी लगता है और बांग्लादेशियों की समस्या भी है।

विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी, आजकल राजस्थान में पांच-छह ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक हो गया है और दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय। खनिज हो या बजरी माफिया हो, आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी मिनरल हो, उसके अवैध खनन के मामले और बजरी के अवैध खनन के मामले दिनोंदिन अनेक बढ़ रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग के लिए

(13.00 बजे)

यह परेशानी का विषय बना हुआ है। भू-माफिया हो, जल माफिया हो, या शराब माफिया हो, ये दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। आजकल नया बढ़ा है नकल माफिया। यह तो इतनी अधिक संख्या में तुरन्त बढ़े हैं कि उनकी रोकथाम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारी बदनामी भी हो रही है। अफीम और डोडा-पोस्त के माफिया हैं; हथियार तस्करी के माफिया हैं।

आजकल सबसे अधिक एक माफिया पनपा है, जेल के अन्दर बैठे-बैठे अपनी गैंग चलाते हैं, वह जेल माफिया भी है। मैं कितने माफिया आपको गिनाऊं, ये सब कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जेल

(श्री जोगाराम पटेल)

के अन्दर बैठा, लेकिन जेल के अन्दर बैठे-बैठे उसने अपनी ऐसी व्यवस्था और वातावरण कर रखा है, इतने लोग लगे हुए हैं कि वह बाहर से भी अपराध इतना सुसंगठित रूप से नहीं कर सकता, जितना वह वहां से कर रहा है।

हमारे संगठनात्मक ढांचे में 7 पुलिस की रेंज हैं, 2 पुलिस के कमिश्नर हैं, 36 पुलिस के जिले हैं, 241 वृत्त हैं, 861 थाने हैं और 1,215 पुलिस चौकियां हैं। यह इतना बड़ा नैटवर्क है, इस नेटवर्क को दिन-रात कंट्रोल करना एक साधारण बात नहीं है। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय गृह मंत्रीजी को कि इतने बड़े नैटवर्क वाले, राजस्थान के 4 लाख 32 हजार किलोमीटर के भौगोलिक परिक्षेत्र में आप इसको सम्भाल रहे हैं।

खाली यही नहीं है, आपकी रेलवे पुलिस है। उस रेलवे पुलिस में भी आपका क्षेत्र बढ़ा है। 5 हजार किलोमीटर से अधिक आपकी ब्राडगेज हैं, 546 में मीटर गेज हैं, आपकी 36 पुलिस चौकियां हैं, 6 वृत्ताधिकारी हैं, पुलिस स्टेशन हैं; जोधपुर, अजमेर की आपकी 2 रेंज हैं। आपकी आर ए सी है; आपकी अनेक बटालियनें हैं; एस सी आर बी एम फिंगर स्पेशलिस्ट का ब्यूरो है। यह सारा नेटवर्क आपकी पुलिस का एक संगठनात्मक ढांचा है, जिसकी वजह से हम राजस्थान में शांति-व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बीच भी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध कम हो रहे हैं। अपराध बढ़ना और अपराध घटना, यह समाज की प्रक्रिया का एक निरन्तर हिस्सा है। कोई भी कभी यह गारंटी नहीं ले सकता कि अपराध नहीं बढ़ेंगे, कोई भी कभी यह गारंटी नहीं ले सकता कि अपराध बिलकुल ही नहीं होंगे; अपराध बढ़ते भी हैं, अपराध घटते भी हैं, लेकिन अपराध बढ़ना और घटना उतना दु:खदायी नहीं है जितना हम अपराध पर कितना तुरन्त कंट्रोल कर पाते हैं, अपराधी को कितनी हम सज़ा दिला पाते हैं, अपराधी में हम कितना भय पैदा कर सकते हैं और फरियादी में हम कितना विश्वास पैदा कर सकते हैं। यह हमारे लिए उल्लेखनीय विषय है। अगर फरियादी और आम जनता में विश्वास पैदा होगा, अपराधी में भय पैदा होगा, तो अपराध पर अंकुश लगाने और कम करने का सबसे अधिक माध्यम यही बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वर्तमान समय में पुलिस प्रणाली

(श्री जोगाराम पटेल)

में काफी परिवर्तन हुए हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्रीजी ने सम्भागवार बैठकें ली हैं, जिलेवार भी कोशिश की हैं। इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि हमारे पुलिस महकमे में ऐसे कौन से अधिकारी हैं, या पुलिस कर्मी हैं, जो शांति-व्यवस्था में या अपनी ड्यूटी में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं, ऐसे कौनसे हमारे अधिकारी हैं, जो बहुत तत्परता से अपनी ड्यूटी करते हैं, तन्मयता से अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। इस सम्बन्ध में आप जो कार्रवाही कर रहे हैं, वह वास्तव में काबिले-तारीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पहला निवेदन जो करूंगा, वह यह है कि अभी तक जितना विश्वास जनता का, फरियादियों का पुलिस पर होना चाहिए, वह उतने स्तर का नहीं हुआ है। हमें इसमें और सुधार की आवश्यकता है। हमें जनता का विश्वास और जीतने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेक घटनाओं को आपने तुरन्त, चाहे वह छबड़ा की हो, चाहे मथानिया की हो, चाहे चूरू की हो, चाहे महिलाओं पर होने वाली घटनाएं हों, उन पर तुरन्त आपने अंकुश किया। आज दिन तक आपके कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसी सामाजिक या धार्मिक असहिष्णुता फैलाने की घटनाएं नहीं हुई हैं।

मैं आज इस मौके पर आपको धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा कि जो जोधपुर में 2 बच्चों के अपहरण की घटनाएं शनिवार को हुई थीं, यह बहुत गम्भीर विषय था। एक साथ 3 बच्चों का अपहरण हुआ था, जिनमें से 2 का अपहरण माना गया और 1 तो घर का ही था। उसमें से 1 बच्चा कल रात को, जो डिगाड़ी की घटना थी, वह वापस आ गया है, वह सकुशल वापस आ गया है। पारिवारिक मामला ही था। वह भूपेन्द्र जो बच्चा है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भूपेन्द्र, सियारामजी का जो लड़का था, वह वापस आ गया है, लेकिन 1 बच्चा अभी तक नहीं मिला है। शनिवार से वह गायब है। मैं आदरणीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करुगा कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास किये जायें। उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, उस मां और पिता के साथ क्या बीत रही होगी, आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। हालांकि पुलिस विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन शनिवार से रविवार, सोमवार और आज मंगलवार है, इतने दिन रहना, कोई न कोई दुर्घटना का संकेत दे रहा है। कृपया उस सम्बन्ध में आप तुरन्त कार्यवाही करें।

(श्री जोगाराम पटेल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला जो सुझाव है, वह यह है कि परम्परागत जो अपराध होते थे वे धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। अपराधियों और अपराधों की श्रेणी में चेंज हो रहा है। आज की तारीख में, अब सबसे ज्यादा अपराध होते हैं साइबर क्राइम के। नकल माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया, पानी का माफिया, जेल में बैठे-बैठे चलाने वाले, ये अपराध होते हैं। पहले के जमाने में लूट हो गयी, या वैसा हो गया। हमारी जो मां-बहन हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं, जो रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, वे ज्यादा बढ़ रहे हैं।

जो ज्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं, कोई कारण रहा होगा, वह कारण एम्प्लायमेंट का या अन-एम्प्लायमेंट का भी हो सकता है, पैसे की कमी या ज्यादा पैसे का भी हो सकता है, फैशन का भी हो सकता है, कारण कोई भी रहा हो लेकिन अपराध करने वालों का एक वर्ग जो पैदा हो रहा है, वह नये तरह का पैदा हो रहा है। पढ़े-लिखे लोगों का वर्ग पैदा हो रहा है; अच्छे घरानों के बच्चों का वर्ग पैदा हो रहा है; अच्छे सामाजिक प्रतिष्ठा वाले जो परिवार हैं उनके बच्चों का वर्ग पैदा हो रहा है। अभाव वाले व्यक्तियों की अपराध करने की जो प्रवृत्ति थी, उस पर धीरे-धीरे अंकुश लग रहा है, लेकिन यह वर्ग जो बढ़ रहा है। इस वर्ग पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। भविष्य में इस पर विचार भी करना पड़ेगा। विभाग के जो बड़े अनुभवी अफसर हैं उनको इस पर विचार करना पड़ेगा कि इस पर हम धीरे-धीरे कैसे अंकुश लगायें और वह आगे नहीं बढ़े। यह एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका तुरन्त आइडेंटिफिकेशन करना भी सम्भव नहीं है।

क्रिमिनोलोजी और फोरेंसिंक साइंस का डवलपमेंट हमारे यहां नहीं हो रहा है। इसलिए क्रिमिनोलोजी आफ फोरेंसिक साइंस का डवलपमेंट करना, उसका हमारे विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण के लिए स्थान उपलब्ध करवाना और जितने तरह के वर्तमान में कानून हैं, उन कानूनों की उनको जानकारी करवाना जरूरी है। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि इसी वजह से हमारे अनेक जो अपराधी हैं, वे कोर्ट में छूट जाते हैं। टेक्निकली हमारा जो अफसर है, वह इतना जानकार नहीं है इस कानून का। वह टेक्निकली इतना जानकार नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं जाने-अनजाने में उससे इन्वेस्टिगेशन में कमी रह जाती है और उसका वह अपराधी फायदा उठा लेता है। कोर्ट में जाकर के टेक्निकली किसी न किसी कारण से, उसको बरी कह दो, संदेह का लाभ कह दो, वह ले लेता है। इसलिए साइबर क्राइम और क्रिमिनोलोजी आफ फोरेंसिंक

(श्री जोगाराम पटेल)

साइंस को हमें डवलप करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा ताकि इन अपराधियों पर रोक लगाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन साइकोलोजी का भी इसमें एक पाठ होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए हमारे पुलिस अधिकारियों को कि वे अपराधी की साइकोलोजी पढ़ें। क्या वाकई में उसने अपराध किया है, या उससे जाने-अनजाने में हुआ है; उसकी आदत है, किसी उकसावे से किया है, या किसी कमी से किया है। उसकी साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो अपराध का कारण भी उसके अन्दर से निकलेगा। ज्यों ही अपराध का कारण उसके अन्दर से निकलेगा, तो उसकी रोकथाम पर भी आसानी रहेगी। मेरा यह निवेदन है कि इस विषय को, चाहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये, हमारी ट्रेनिंग में शामिल किया जावे, या जहां जरूरत हो, इन विषयों को इसमें शामिल कर इस बारे में अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन आफिसर्स को, हमारे पुलिस-कर्मियों को, अफसरों को ट्रेनिंग देकर एकदम दुरुस्त किया गया, तो सही रहेगा। मैंने अमेरिका के एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वहां इस निमित्त ही उनकी हर तीसरे साल निश्चित ट्रेनिंग होती है, उनको पढ़ाया जाता है कि किस तरह के क्राइम आ रहे हैं; किस तरह से आज की तारीख में जो हैंग होने की टेक्नोलाजी आ रही है, उसका उनको अनुभव कराया जाता है। हमारे यहां भी ऐसा किया जाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा निवेदन यह है कि पुलिस के सामने बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां भी हैं। हमारी कोर्टों में जो पेंडेंसी बढ़ रही है, उसमें एक सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि हमारे अपराधी फरार हो गये हैं, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है। उनको किसी तरह से, वारंट से तलब भी किया गया है, चाहे वह स्टैंडिंग वारंट हो या कोई और वारंट हो। करीब 63 हजार फौजदारी प्रकरण इस कारण से पेंडिंग हैं। जब स्टडी की गई, तो पता चला कि 63 हजार केसेज इस वजह से पेंडिंग हैं कि उनमें मुलजिम पेशी पर नहीं आ रहे हैं, वे फरार हो गये हैं, या आ नहीं रहे हैं। 15,900 के करीब, मैं समझूं, 16 हजार का आंकड़ा, स्टैंडिंग वारंट जिसको कहते हैं, स्थायी वारंट कहते हैं, वे जारी हो चुके हैं और उनकी पालना नहीं हो रही है और 13 हजार से अधिक संख्या के जो वारंट हैं उनकी तामील नहीं हो रही है। तो यह 15 हजार या 20 हजार का आंकड़ा आ रहा है, 16 हजार वह और 14 हजार यह, इनकी अगर पालना हो, तो यह जो लिटिगेशन पैंडेंसी का जो रेशो है वह तुरन्त

(श्री जोगाराम पटेल)

ही डाउन हो जायेगा, उसका डिस्पोजल हो जायेगा; आइदर उसको सज़ा होगी, बरी होगा, जो भी होना है, हो जायेगा। यह आंकड़ा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनोंदिन बढ़ रहा है। आप पांच-दस साल का आंकड़ा लेंगे, तो लास्ट यीअर जाकर जो 60 हजार था, वह इस साल 62,815 का हो गया है। इतने हमारे वारंट पैंडिंग हैं और इन वारंट पैंडिंग की वजह से वे अपराधी भी कहीं अपराध कर लेते हैं वे देखते हैं कि सज़ा हो जायेगी, एक साथ चलेगी सज़ा और वह कोर्ट में लिटिगेशन भी पैंडिंग रहती है और फरियादियों में भी डर रहता है कि यह जो बाहर फिर रहा है, कहीं भी पकड़ा जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि यह जो अपराधी बाहर फिर रहे हैं, तामील नहीं हो रही है, इससे न केवल हमारी साख पर बट्टा लग रहा है, बल्कि इससे फरियादियों में जहां भय नहीं होना चाहिये, वहां भय पैदा हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनका मैं एक-दो उदाहरण के तौर पर बताऊं, चाहे हमारे आई ए एस अफसर रहे हों, जिनके केसेज हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, चाहे वे रहे हैं, चाहे टंडन साहब हो, मोहंती साहब हो, संधू साहब हो, चाहे हमारे भंवरी कांड की इंदिरा विश्नोई हो जो पांच साल से, चाहे हमारा आनंदपाल हो, ऐसे अनेक नाम गिना सकते हैं, यह तो उदाहरण के लिए नाम गिनाये हैं; ये लोग कहीं पकड़ से बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन यह समाचार पत्रों में सुर्खियां बन करके एक वातावरण पैदा कर रहे हैं कि देखिये, पुलिस इनमें कोई कार्रवाही नहीं कर रही है। चाहे पारस देवी कांड हो, कालूलालजी के क्षेत्र में, पारस देवी कांड, रात को कहां घुमाई गई उस बच्ची की लाश को; या उस बच्ची को, किसकी, कौन गाड़ी में लेकर रात भर फिरता रहा; किस तरह से हत्याकांड हुआ। तो ये सारे जो विषय हैं, वे विषय इसीलिए जरूरी हो जाते हैं कि चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, जैसे इंदिरा विश्नोई पांच साल से है, आपके मोहंती साहब है, टंडन साहब है, संधू साहब है, आनंदपाल है, मोहनलाल है, मैं लिस्ट गिनाऊं, ये कितने भी हो सकते हैं लेकिन ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं तो वातावरण खराब करते हैं और यह लगता है कि पुलिस जान-बूझकर, हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाही करती होगी, पूरा प्रयास करती होगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, वे कभी बाहर नहीं रहने चाहिये।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि पिछले दो सालों की या पिछले कुछ

(श्री जोगाराम पटेल)

अरसे से ए सी बी अपना पूरा शिकंजा कस रही है, लेकिन फिर भी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो डाउन आ रहा है। पिछले दस साल का फिगर का मैंने एनेलेसिस किया, तो दिखने में तो यह समाचार-पत्रों में सुर्खियां खूब बनती हैं कि इतने फलां विभाग के अधिकारी पकड़े गये, फलां पकड़ा गया अफसर, फलां पकड़ा गया, बड़े हाई लेवल के भी पकड़े गये, लेकिन फिर भी टोटल रेशो आ रहा है, वह दिनोंदिन कम आता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ए सी बी को भी हमको दुरुस्त करके, एकदम उसको निष्पक्ष बनाकर कार्रवाही करनी पड़ेगी। इसलिए यह जो आरोप लग रहे हैं रोजाना, भ्रष्टाचार के हों, सरकार की ड्यूटी के दौरान अवैध तरीके से करने का कोई मामला हो, ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी हम आगे...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, बहुत ही रेलेवेंट बात कह रहे हैं, पर यह आफिसर्स गैलेरी खाली है। न तो डी जी, पुलिस दिख रहे हैं, न डी जी, एंटी-करप्शन दिख रहे हैं। क्या बड़े अधिकारियों को कह दिया गया है कि भाई, यहां आने की जरूरत नहीं है? या उनकी तरफ से कोई एक आदमी नोट ले रहा है? खाली एक ही आदमी नोट ले रहा है। क्या उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है कि वह उपस्थित रहें? आपके देखने की बात है। विधान सभा को इतना इर्रेलेवेंट मत बनाइये कि अधिकारियों की अनुपस्थिति हो जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सूचना भेजकर दोनों अधिकारियों को निवेदन करते हैं कि कार्रवाही में उपस्थित रहें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सूचना भेजना अलग बात है, यहां उपस्थित रहना अलग बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व के अन्दर जब भी गृह विभाग की मांगों पर चर्चा होती थी, आपके गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हमेशा उपस्थित रहते थे, आपके होम सेक्रटरी उपस्थित रहते थे। आज क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय ही नोट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बराबर नोट कर रहे हैं, लेकिन वे लोग यहां नहीं हैं। यह तो सरासर इस डिबेट का, इस सदन का अपमान है। ऐसा मैं मानकर चलता हूं। कोई अधिकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित रहते हैं, लेकिन आज जो चर्चा है, सामान्यतया यह अनुमान रहता है कि दो बजे बाद चर्चा शुरू हो पाती है, आज एक बजे शुरू हो गई। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से वे पहुंच रहे हैं और उनको यहां रहने की हिदायत है। जो अधिकारी बैठे हैं, वे उनको सूचना करें, तुरन्त आयें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सूचना की बात नहीं है, हिदायत है इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है पर अपन सब लोग मिलकर सदन की गरिमा बनायेंगे तो बनेगी। पूरी गैलेरी खचाखच भरी रहती थी और आज कोई नहीं है! आप जैसे मिनिस्टर के होते हुए नहीं है तो फिर हमारे जैसों के तो क्या होगा! (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुन: एक सर्कुलर जारी कर देते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हाउस के उप नेता के तौर पर माननीय गृह मंत्रीजी हमेशा ही सरकार की तरफ से जवाब भी देते रहे हैं और बहुत सक्षम जवाब देते रहे हैं। आफिसर्स का गैलेरी में नहीं होना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो इतनी महत्वपूर्ण डिबेट है, ऐसा लगता है कि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई नोट्स लेने ही नहीं हैं, उनको किसी भी माननीय सदस्य की किसी बात को सुनने का मतलब ही नहीं है। यह कहना बहुत इर्रेलेवेंट है कि वे पढ़ लेंगे बाद में, पढ़ कर उस पर बाद में कार्रवाही कर लेंगे। पढ़कर कार्रवाही करना बहुत अलग है और सुनने के बाद, उस बात को गहराई से समझना बिलकुल भिन्न है। मैं समझता हूं कि आप इस बात को जानते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी भावना की पूरी कद्र करते हुए, जहां भी कमी रही है, उसका तुरन्त सुधार कर रहा हूं और भविष्य में आपको इस प्रकार की बात कहने का अवसर न मिले, इसका प्रयास होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सर्कुलर भी जारी कर देंगे, आज ही संसदीय कार्य मंत्रालय से जारी करेंगे कि भविष्य में जिस-जिस विभाग की मांग हो, उस विभाग के सारे उच्च पदस्थ अधिकारी सारे समय पर उपस्थित रहें। आज के लिए क्षमा याचना करते हैं। भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह भी सुनिश्चित कर लें कि अगर अफसरों की गैलेरी

(श्री उपाध्यक्ष)

खचाखच भरी रहे कोई महत्वपूर्ण मांग पर, तो फिर सदन भी खचाखच भरा रहे महत्वपूर्ण मांग पर।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, विभिन्न प्रकार के अपराधों की श्रेणी का। मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि वर्तमान में किस तरह से नये-नये अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी पनप रहे हैं। उसमें से मैं किसी एक पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं किसी को कोई हर्ट भी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा एक मौताणा का जो है अपराध, यह भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है कि यह कोई रीति हो, इसमें मैं कोई विवाद में नहीं जाता और उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता, पर यह जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, रोज अखबारों में सुर्खियां बन रहा है। इस पर भी कोई कानून नहीं है; न निश्चित कानून है, न कोई नियम है। अब जो जिसके जंच गया वह उतने दिन तक मृतक की लाश रखते हैं; कितना मांगा जाता है, कितना नहीं मांगा जाता है। इस सम्बन्ध में भी हमें विचार करना पड़ेगा और कोई न कोई निश्चित कानून, हमारी चाहे परम्पराएं हो सकती हैं, चाहे हमारे रीति-रिवाज हो सकते हैं, कोई जमाने में वह रीति हो सकती है, आज वह कुरीति बन सकती है, लेकिन इस बारे में भी विचार कर कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि उस स्थान पर हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और लम्बे समय तक वे बैठे रहते हैं और उसकी वजह से सामाजिक जो अव्यवस्था होती है, या आपस में जो सामाजिक विवाद होते हैं, वह भी एक भयंकर विचार करने का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा भगोड़ों का आपसे निवेदन किया, ये सारे विषय हैं, उनके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करके इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि अपराध और अपराधियों की श्रेणी में जो दिनोंदिन वृद्धि हो रही है, या भिन्नता आ रही है, उसके सम्बन्ध में हम भविष्य के लिए तैयार हैं, या नहीं। एक तो यह।

दूसरा यह कि हमारा जो लिटिगेशन रेशो था, कंविक्शन का, वह कंविक्शन का, लिटिगेशन का रेशो दिनोंदिन बढ़ रहा है, या घट रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक जवाब में सरकार ने यह बताया है कि जो कंविक्शन का रेशो है, वह करीब 2 परसेंट, 3 परसेंट, 10 परसेंट के बराबर रहा

(श्री जोगाराम पटेल)

है। अगर यह रेशो रहा, तो धीरे-धीरे जो अपराधियों में भय होना चाहिए, वह खतम हो जायेगा। यह जो लिस्ट दी है मेरे प्रश्न के जवाब में, इसमें मैक्सिमम 27, 50, 0, 15, 25, 2, 3, 5, 49, यह रेशो रहा है। यह जो हमारे सरकार की ओर से पैरवी करने वाले हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे ए पी पी हैं, हमारे पी पी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और हम, जैसा आपने पहले केस सिस्टम जो डवलप किया था, जो इंवेस्टिगेशन करेगा वह ठेठ तक, कन्विक्शन की स्टेज तक उसका फालो करेगा, लेकिन उसमें कमी आयी है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में फिर गम्भीरता से विचार किया जाय। जब तक हमारा कन्विक्शन रेशो नहीं बढ़ेगा, तब तक दो बात का हमेशा रहता है; एक जिस व्यक्ति ने, जिस हमारे पुलिस आफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन किया, उस पर प्रश्नचिह्न लगता है कि वह बरी कैसे हो गया। उसने कहां कमी रखी, या अपराध झूठा ही इन्वेस्टिगेट कर उसको मुलजिम मान लिया, या हमारी पैरवी में कमी रही। भले ही उस आफिसर ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया था, उसकी पूरी तरह से जांच की थी और जांच के उपरान्त सभी दस्तावेजों सहित चालान पेश किया था, तो कहां कमी रही? इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर कमी रही, या ट्रायल के दौरान हमारी पैरवी में कमी रही। ये दोनों विषय भी गम्भीरता से विचार करने के योग्य हैं। जो लिस्ट दी है, उसके अनुसार तो बहुत गम्भीर हो गया। आप पहले से ही इस सम्बन्ध में सतर्क हैं। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले जो अधिकारी हैं, जिनको अधिवक्ता कहें, पी पी कहें, ए पी पी कहें, गवर्नमेंट एडवोकेट कहें, उनकी ओर भी ध्यान देना और इसके सम्बन्ध में हमारे पुलिस आफिसर हैं उनका पीछा करना, जब तक उस केस का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाय, यह भी जरूरी है।

इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन यह भी है कि कमिश्नरेट बनाने का श्रेय, आदरणीय गृह मंत्रीजी, आपको है और आपको धन्यवाद भी है कि आप पहले ऐसे गृह मंत्री हैं हिन्दुस्तान में जिसने सबसे पहले पुलिस एक्ट बनाया था 2007 में; पुलिस एक्ट बना, कमिश्नरेट बना जोधपुर और जयपुर में, लेकिन आज की तारीख में कई बार जनता में यह डिस्कस होता है कि कमिश्नरेट बनने से फायदा हुआ, या नुकसान। इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। जैसे मैं जोधपुर का उदाहरण दूं, तो कमिश्नरेट बनने के बाद अपराधों में कमी नहीं हुई, अपराध बढ़े हैं, अपराधों का रेशो बढ़ा है। किसी भी एंगल का लें। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 तक का जो फिगर है, उस फिगर के आधार पर

(श्री जोगाराम पटेल)

हम इस नतीजे पर तो पहुंच ही सकते हैं कि अपराध तो बढ़े हैं, अब कारण कोई अलग हो सकते हैं, पब्लिक भी बढ़ सकती है और कोई कारण भी हो सकते हैं, कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों की कमी-बेशी रही होगी, उन्होंने तो अपना पूरा प्रयास भी किया होगा, लेकिन अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, अपराधियों को सज़ा क्यों नहीं मिल रही, यह प्रश्न तो हमेशा जीवित रहेगा और इस बारे में हमको गम्भीरता से विचार करना ही पड़ेगा। जितने भी अपराध बढ़े हैं, चाहे हत्या का है, हत्या के प्रयास का है, डकैती का है, लूट का है, अपहरण का है, बलात्कार का है, बलवा का है, नकबजनी का है, चोरी का है, भारतीय दण्ड संहिता के अन्य अपराध हैं, या एक्साइज का है, एस सी, एस टी का है, जुआ का है, आर्म्स का है, एन डी पी एस का है, अन्य एक्ट का है, सभी में रेशो, किसी में कम, किसी में ज्यादा, सभी में रेशो बढ़ा है।

एक अपराध में जरूर कमी हुई है, महिलाओं पर अपराध हो रहे थे, उनमें कमी जरूर हुई है। जहां वर्ष 2013 में महिला अत्याचार 25 हजार थे, 2014 में इसमें कमी हुई है। महिलाओं पर अत्याचार के अन्य प्रकरणों में भी कमी हुई है। बलात्कार के प्रकरणों में कमी हुई है। यह मामला जरूर संतोष का विषय है कि जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कमी हुई है। कुल मिलाकर जो अपराधों में कमी होनी चाहिए थी, वह कमी नहीं हुई है।

इसलिए मैं इस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्री महोदय, इसमें हमारे जितने सीनियर आफिसर हैं, जो अनुभवी हैं, उनके साथ बैठकर एक बार पुन: विवेचन किया जाय कि ज्यादा कंट्रोल अपराधियों पर, मुलजिमान पर और अपराधों पर कमिश्नरेट के बिना था, या कमिश्नरेट बनने के बाद हुआ है। यह विषय अगर अन्य जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठकर, संगोष्ठी करके, अपराधों और अपराधियों का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे, तो ही यह पता लगेगा कि कमिश्नरेट का हमको फायदा हुआ है, या नुकसान हुआ है।

बच्चों और बच्चियों के अपहरण के केसेज बहुत बढ़ रहे हैं। इस ओर भी हम अभी तैयार नहीं हैं। जिस सामाजिक व्यवस्था में रोजाना ये अपराध बढ़ रहे हैं, या नकल गिरोह के अपराध बढ़ रहे हैं, या जोधपुर में जो आतंकी अभी तक पकड़े गये हैं उनके अपराध बढ़ गये हैं, उस सम्बन्ध में भी इन तीन विषयों में हम तैयार नहीं हैं। अनेक तरह के लोग जोधपुर में, जोधपुर सम्भाग

(श्री जोगाराम पटेल)

में, जहां हमारा पाकिस्तान का बार्डर लगता है, वह अनेक तरह के संदिग्ध लोग पकड़े गये हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, मिलिटरी के अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं। हालांकि बहुत तत्परता से कार्रवाही की गयी, उनको पकड़ा गया, उनकी जांच की गयी और जांच करने के बाद पता लगा कि यह गिरोह इतना फैला हुआ है, लेकिन गिरोह फैला हुआ तो है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाये। इस पर भी विचार जरूर करना पड़ेगा कि वह बार्डर एरिया है, एक हजार किलोमीटर का हमारा बार्डर एरिया है और 800 किलोमीटर करीब का हमारा मरुस्थल का बार्डर एरिया है; उसके अन्दर जितने अभी 5-6 महीनों या साल भर में जो अपराधी पकड़े गये और जिन गतिविधियों के साथ वे पकड़े गये, जैसा उनका लिंक पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ रहा है, या जिन गतिविधियों में रहे हैं, उनके साथ रहा है। हमें इस बारे में विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नकल गिरोह और फर्जी डिग्रियां, ये अपराध भी अनेक बढ़े हैं। नकल गिरोह तो कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। चाहे राजस्थान सरकार हो, या पुलिस विभाग हो, उनके सामने एक चैलेंज है। हालांकि अब धीरे-धीरे जाकर उस पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर भी रोजाना पेपर आउट करना; भले ही पेपर आउट नहीं हुआ हो, उसको फर्जी तरह से पेपर आउट बतलाना। कितनी तरह के इन्वेंशन करके, उन्होंने कितने-कितने तरह के इक्विपमेंट तैयार कर लिये, छोटे-छोटे पाइंट के इक्विपमेंट, उसके आधार पर जाकर नकल गिरोह तैयार करना; पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान में कितना उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क के आधार पर जाकर पेपर की तैयारी करना, उसकी व्यवस्था करना; अगर यह सब नहीं हो, तो उसके स्थान पर दूसरा आदमी भेजकर उसके पेपर की तैयारी करवाना; उसकी नकल करवाना; इस सम्बन्ध में हमें तैयार होना पड़ेगा।

इसका एक कारण और भी है, माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि हमारी पुलिस की नफरी, पुलिस की चौकियां और पुलिस थानों के बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर में सी आई का आफिस है, वह एक छोटे से कमरे में चल रहा है। हम कह सकते हैं, हमें ट्रक व जीप में आफिस चलाना पड़ रहा है। चाहे राजीव गांधी थाना हो, चाहे करवड़ हो, चाहे बोरानाड़ा हो, पुलिस के जो थाने

(श्री जोगाराम पटेल)

हैं उनके पास कोई स्थान नहीं हैं। पुलिस की चौकी बढ़े, कानून के अनुसार उनमें नफरी बढ़े और सभी पुलिस थानों का कंस्ट्रक्शन हो, सी आई आफिस का, रेंज आफिस का आफिस बने, तो काम करने में भी सुविधा रहती है। यह भी बड़ा कारण है। हम भले ही हमारे आफिसर्स को या हमारे विभाग को कितना भी कहें, लेकिन उनकी जो कमी है, उस बारे में हमको विचार करना पड़ेगा और राजस्थान सरकार को इसमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि इस बारे में जो कमी रही है उसको ठीक किया जाए।

अंत में दो-तीन बातें निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले तो मेरा आपके लिए आभार है, आपने बोरानाड़ा थाने के लिए जो फण्ड पड़ा था उसको रिलीज किया। दो थाने, कुड़ी भगतासनी थाना बन रहा है और बोरोनाड़ा का फण्ड आपने रिलीज किया, उसके लिए आभार। उसके बावजूद भी, करवड़ और राजीव गांधी थाने का 56 हजार रुपये महीने का किराया लग रहा है। आप हिसाब करेंगे तो 56 हजार रुपये में 5-10 साल में हमारे थाने का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। हम हमारे एम एल ए-लैड से देने को तैयार हैं, जमीन जे डी ए देने को तैयार है। हम जमीन आइडेंटिफाई करें और थानों का कंस्ट्रक्शन करें, चौकियों का कंस्ट्रक्शन करें, सी आई आफिस का कंस्ट्रक्शन करें, ताकि हमारे आफिसर्स वहां आराम से कर सकें। पहला निवेदन यह है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे वहां नफरी अभी कम है, कमिश्नरेट में। मैं आंकड़ों के साथ नहीं गिनाऊंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, हमारी नफरी कम है। इस नफरी की ओर ध्यान दें।

साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा, जितनी हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्दर मुख्य रूप से जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को जेल के अन्दर कैसे रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जेल गिरोह का अपराध जोधपुर से हो रहा है। जोधपुर की जेल शहर के बीचों बीच आयी हुई है; क्षमता से अधिक अपराधी हैं; मोबाइल रखना, हथियार रखना, मामूली बात है। प्रयास करने के बावजूद भी वे नहीं रुक रहे हैं और जेल में बैठे-बैठे अपने गिरोह चला रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जोधपुर सेंट्रल जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जाय; आधुनिक किस्म की सुविधाएं उसमें बढ़ायी जायं; जेल में जो कैदी हैं, उनको रोजगार जो मिलने वाला है, उनके अनुसार रोजगार के

(श्री जोगाराम पटेल)

साधन उपलब्ध कराये जायं; जेल अधिकारियों की, प्रहरियों की कमी है, उसको बढ़ाया जाय।

अंत में, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, आपको मौका नहीं दूंगा। मेरा यह भी निवेदन है कि जेल व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रोब्लम जो आ रही है, वह जेल प्रहरियों की कमी है और वे लम्बे समय से वहां जमे हुए हैं। उनके आपस में उनसे सम्पर्क हो जाते हैं। सम्पर्क होने के बाद वह गिरोह बन जाता है और फिर चाहे अवैध हथियार हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अन्य तरह की सिम हो, वे अन्दर पहुंच जाते हैं और उससे अपराध ज्यादा घटित हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में आप कोई न कोई विचार करके निर्णय लें।

मैं लास्ट में निवेदन करूंगा कि तीन नेशनल हाइवे जोधपुर में लगते हैं, चाहे पाली वाला नेशनल हाइवे 65 हो, बाड़मेर वाला 114 नेशनल हाइवे हो, या जैसलमेर वाला नेशनल हाइवे हो, इन नेशनल हाइवे पर रोजाना अनेक एक्सिडेंट हो रहे हैं। इन नेशनल हाइवे पर न तो पुलिस की मोबाइल टीम है, न एम्बुलेंस है और न कोई पुलिस चौकी है। इसलिए पुलिस को फोन करने के बाद पहुंचने में समय लगता है। इन तीनों नेशनल हाइवे पर चूंकि बहुत अधिक एक्सिडेंट हो रहे हैं, इसलिए वहां पर भी आप इनकी व्यवस्था करें।

अंत में मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि अपराधों में राजस्थान लेवल पर कमी अवश्य हुई है, फिर भी अपराधियों में भय और फरियादियों में शांति और विश्वास पैदा करना पुलिस का पहला कर्तव्य है और आप इसमें खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपने जो अपराध में कमी की है और निष्पक्षता से जो जांच करवाई है और पुलिस अधिकारियों में यह जो एक पैठ कायम की है कि जो अच्छा काम करेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा और जो काम नहीं करेगा, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, इन सबके आधार पर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जब पुलिस की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बहुत स्पष्ट और ईमानदारी से उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पुलिस का काम केवल अपराध नियंत्रण नहीं, समाज में कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाना भी अब पुलिस का काम हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस आज की व्यवस्था नहीं है, पुलिस स्टेट टाइम पर भी थी, चाहे उन्हें राजा के सैनिक कहकर पुकारा जाता हो। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक, हर व्यवस्था में पुलिस की अपनी एक भूमिका रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब आज इस मांग पर चर्चा कर रहा हूं तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज के समय में पुलिस का काम इतना बढ़ गया कि पुलिस का काम, उसकी गतिविधियां, उसकी नकारात्मकता और सकारात्मकता, समाज में सरकार के स्वरूप में देखी जाती हैं। अब इतनी बड़ी भूमिका जिस विभाग की बन गई कि उसकी गतिविधियों के मूल्यांकन से सरकार की सफलता-असफलता पर सवाल खड़े होते हैं, एक गम्भीर सवाल स्वाभाविक उठता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में उस महकमे की चर्चा प्रारम्भ हो जाए और अधिकारी अधिकारी-दीर्घा में उपस्थित नहीं रहें, अगर यह उनकी उदासीनता है, तो सरकार की उदासीनता के रूप में परिलक्षित किया जायेगा। हम इस जवाबदेही से नहीं बच सकते। माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पुलिस की भूमिका को किसी भी प्रकार से शब्दों से नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं करते; हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में पुलिस के बिना लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करना भी असम्भव है, पर हमें इसके दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी, इसका सकारात्मक पहलू और इसका नकारात्मक पहलू, और इसमें जो दोष और विसंगतियां हैं, उनके समाधान के रास्तों पर जाना पड़ेगा।

अगर केवल हम, ईमानदारी से, यही चर्चा करते रहेंगे कि हमारे राज में आंकड़े कम थे, आपके राज में आंकड़े ज्यादा हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका अनुभव है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, उसका कोई तर्क नहीं है; पर इस सदन में बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्रीजी स्वयं वरिष्ठ लोगों में से हैं; सरकार चाहे हमारी रहे, या प्रतिपक्ष की रहे, आंकड़े पुलिस बनाकर देती है। किसी सरकार के मंसूबे और नजरिये, अपराध को घटाने -बढ़ाने के आंकड़ों पर ध्यान नहीं रहता, हर सरकार लोक कल्याणकारी हित में काम करने की चेष्टा रखती है। कोई गृह मंत्री और मुख्य मंत्री, राजस्थान में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह परम्परा नहीं पड़ी कि अपने राज में अपराधों को संरक्षण दे। यह केवल पुलिस के आंकड़ों का भ्रम है, मायाजाल है, जिस पर हमारा वाक् युद्ध चलता है। अगर मैं यह कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अभी राजस्थान की राजनीति में ये परम्पराएं नहीं पड़ीं कि राजस्थान के गृह मंत्री, राजस्थान के मुख्य मंत्री चाहे, कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, अपराधों की बढ़ोतरी में सहायक हों। ऐसा हमने हिन्दी फिल्मों में जरूर देखा है कि कभी-कभी कोई मंत्री, गृह मंत्री, अपने आगे के भविष्य की कल्पनाओं के साथ अपराधियों से बड़ी सांठ-गांठ रखते हैं। क्योंकि वहां अपराधियों का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उस तीन घंटे की फिल्म में दो घंटे और 55 मिनट का प्रभुत्व अपराधी का होता है। अभी राजस्थान का समाज इस दिशा में नहीं गया कि हमारे सामाजिक जीवन पर अपराधी का प्रभुत्व कायम हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के पिछले 50 सालों के अपराधों के आंकड़े उठाकर देख लें, इस राजस्थान की 7 करोड़ से ऊपर जनता में 5 प्रतिशत से ज्यादा जनता का थानों के साथ सरोकार किसी साल में नहीं पड़ता। यह सिर्फ 5 प्रतिशत है। 95 प्रतिशत हमारे समाज का व्यक्ति आज भी कानून और व्यवस्था में विश्वास रखता है, आज भी वह सभ्य समाज की कल्पना के साथ जीता है, लेकिन सभ्य समाज की कल्पना के साथ जीते हुए वह कैसी अनुभूति महसूस करता है, उसकी मैं कुछ बातें आज आपको बताना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था है, यह अंग्रेजों के जमाने की, मुगलों के जमाने की है। मुगलों के जमाने की जब व्यवस्था है, माननीय गृह मंत्रीजी, तो मुगलों ने अपनी व्यवस्था अपने अनुकूल इस देश को हांकने के लिए पुलिस दी। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद इस देश में सशक्त ला एन्फोर्समेंट एजेंसी, कानून की सशक्त पालना कराने वाली, तब कल्पना केवल कानून-व्यवस्था नहीं थी, तब कल्पना थी कि इस हिन्दुस्तान की गरीब जनता जो आजादी की मांग कर रही है, धारा 144 लगाकर उसको अपनी बात कहने के अधिकारों से वंचित कर दिया जाए; वह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अपने हक-अधिकार की बात करे, तो 332, 353 का राइडर लगाकर उसको जेल के शिकंजों में डाल दिया जाय। यह जो नजरिया था 1857 के बाद आई पी सी और सी आर पी सी लाने का, यह भारत के हितों के लिए नहीं था; यह अंग्रेजी सरकार के हितों को किस प्रकार से सुरक्षित करके इस हिन्दुस्तान की जनता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पर थोपा जाए, यह था। लेकिन आज मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों ने व्यवस्था कायम की, उस व्यवस्था को आजादी के बाद हम नहीं मिटा पाये। जो मुगलों ने तफ्तीश में शब्द कर दिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान का, राजस्थान का कौन-सा फरियादी और कौन-सा मुलजिम दरयाफ्त को जानता होगा? आप कह रहे हैं कि हम आनलाइन इन्वेस्टिगेशन चालू करने वाले हैं, जब आनलाइन इन्वेस्टिगेशन में वह पढ़ेगा, दरयाफ्त, बकौल, तलबी, तफ्तीश, जैरकार, उनवान, नाकाबिल, दस्तंदाजी, सलूक, जुर्म, इंतबा, दफा, पैरोकार, इस्तगासा, बकौल, ताजिराते हिन्द, आला हिजरब, मुस्तकिल, इत्यादि, ये शब्द आज भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि जिस कानून और व्यवस्था से आज हम इस राजस्थान को हांक रहे हैं, या चला रहे हैं, इस कानून और व्यवस्था पर मुगल सल्तनत की अमिट छाप आज भी जिंदा है और यह एक बहुत बड़ा आत्मचिंतन का विषय है। क्या हमने कभी इस विषय में प्रयास किया कि इस प्रकार के शब्दों को हमारी इस पुलिस की डिक्शनरी और शब्दावली से हटा दिया जाना चाहिए?

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 68 साल बाद भी, अंग्रेजों के शासनकाल में कानून-सम्मत पुलिस व्यवस्था का जन्म हुआ, यह कानून सम्मत है और वह 1857 की क्रांति दुबारा न हो, हिन्दुस्तान 1947 देखने के लिए तैयार न हो, इसलिए कैसे उसको आई पी सी, सी आर पी सी और एक पुलिस की नवजात व्यवस्था से बांधकर रोका जा सकता है। इसीलिए जो पुलिस की छवि मुगलकाल से लेकर अंग्रेजों तक रही, आज भी हिन्दुस्तान में उसके बेहतरीन प्रयास नहीं हुए कि इतने बड़े सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी आज राजस्थान की पुलिस के बारे में इस समाज में कोई सकारात्मक बात है। राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान में कोई सकारात्मक विचार ही पैदा नहीं हुआ।

हम केवल आंकड़ों की बात कर लें, हम विपक्ष पर हमला कर लें, सरकार पर हमला कर लें, लेकिन इस सदन में आने वाला एक-एक सदस्य इस बात को महसूस करता है, कई बार आन-रिकार्ड स्थितियां हैं कि सजायाफ्ता और जेल से छूटकर आने वाले बंदियों ने सार्वजनिक तरीके से इस तरीके की बात कही कि हमारे अपराध तब तक फलते-फूलते रहते हैं, जब तक हमारा हिस्सा और साझेदारी पुलिस की व्यवस्था के साथ कायम रहती है और जब

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यह बंद हो जाता है तो हम पर दण्ड पहुंचाता है। यह जो धारणा बन गई, इस धारणा को कौन तब्दील करेगा?

इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था का जन्म शासन-तंत्र के रक्षक के रूप में हुआ। 68 साल बाद हजारों-सैकड़ों काम अच्छे किये होंगे, अपराधों पर नियंत्रण हुआ होगा; अपराध की प्रक्रिया, अपराधियों को दण्डित करने के लिए लगातार प्रयास, उसके बाद पुलिस अपनी छवि में क्यों नहीं सुधार कर रही? मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, कई बार पुलिस के लोग कहते हैं, पुलिस में यह धारणा बन गई कि पुलिस के बिना शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं है, लेकिन पुलिस का जो स्वरूप बन गया, मैं कह रहा हूं कि 95 प्रतिशत जनता, जिसका पुलिस के साथ कोई सरोकार नहीं है; पुलिस कहती है कि हमारा इस 95 प्रतिशत जनता में अच्छे, बड़े ईमानदार, निरपराधी लोगों से क्या रिश्ता है! हमारा सरोकार तो उन पांच प्रतिशत लोगों से हैंजो अपराध करते हैं, डकैती करते हैं। वे हमारे साथ सरोकार के पात्र हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को हमने तोड़ा नहीं। इसलिए राजस्थान के गृह मंत्री को पुलिस के एक शीर्षस्थ अधिकारी के लिए यह कहना पड़ा कि माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। यह व्यवस्था का दोष है, अधिकारी का दोष नहीं है। यह आजादी के बाद वृत्ति बन गई है कि जो सभ्य समाज है, जिसकी व्यवस्था के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस पर हमने कठोरतापूर्वक पालन करने की बजाय जो समाज में विकृति और विध्वंस फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ पुलिस के तार जुड़ने की आम बातें हो गईं। क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? सदन के सब माननीय सदस्य इसमें बैठे हुए हैं।

इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि 95 प्रतिशत लोगों का थानों से कोई काम नहीं पड़ता। गृह मंत्रीजी बैठे हैं, 95 प्रतिशत लोग ईमानदारी से घर के बाहर जब निकलते हैं तो पुलिस के दर्शन चौराहे के ट्रैफिक पुलिस के रूप में करते हैं, या कहीं नाकाबंदी के नाम पर किसी बदमाश की तलाशी और फिर मोटरसाइकिलों के चालान के नाम पर पुलिस के दर्शन होते हैं। अगर पुलिस चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को अंजाम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

देने का एक बहुत बड़ा साधन है, तो मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस राजस्थान में आज भी यह व्यवस्था है कि जो पुलिस का नाकारा, कमजोर, उदासीन व्यक्ति है, उसको चौराहे पर खड़ा कर दो। पुलिस और सरकार का चेहरा है, वह आम आदमी को कैसा नजर आएगा? आज भी परफेक्ट लोग ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं चुने जाते हैं। आज भी कर्तव्यनिष्ठ लोग, जो पुलिस के नाकारा लोग हो जाते हैं, जिनकी वृत्ति इधर-उधर की होती है, उनको ट्रैफिक पुलिस के लिए लगा देते हैं।

आज राजस्थान में कौनसी परम्परा है? हम आजादी के बाद आधुनिकीकरण की, और तौर-तरीकों की बात करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम रोज बात करते हैं, चौराहों पर सी सी टी वी कैमरे लगने चाहिए, अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए। राजस्थान की पुलिस की छवि में सुधार नहीं होने का बड़ा कारण चौराहों पर रोज की चौथ-वसूली है। कोई साधारण बात नहीं। ट्रकों की लाइन लग जाती है; किसी अपराधी पर नियंत्रण के नाम पर नाकाबंदी में सैकड़ों-सैकड़ों मोटरसाइकिलें थाने में खड़ी कर ली जाती हैं। आप जाओ चेन्नई और दिल्ली में, 100 मोटरसाइकिल चौराहे पर आप रोककर बता दें; जनता खड़ी हो जाएगी, विद्रोह हो जायेगा। आप किसी पर्टिकुलर अपराधी को रोकना चाहते हों तो सूचना के आधार पर तयशुदा कार्रवाही करो। एक अपराधी को रोकने की नाकाबंदी के नाम पर आप समाज को प्रताड़ित नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में हमें राजस्थान में कोई मेकेनिज्म डवलप करना पड़ेगा। आप लगाइये सी सी टी वी और कैमरे। कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आप हर आदमी को चैक करोगे कि वह यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो देश के महानगरों में एक मेकेनिज्म डवलप हो गया है कि आप जाइये, आपके नम्बर सी सी टी वी कैमरे में आ जायेंगे, आपके खिलाफ जो जरूरी कानूनी कार्रवाही बनती है, वह कार्रवाही निश्चित रूप से हम करेंगे। यह व्यवस्था भी हमको देनी पड़ेगी। लोगों को लगना चाहिए कि पुलिस का काम वास्तविक अर्थों में लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि कानून का वायलेशन करने वाले लोगों को ठीक रास्ते पर लाने का है। मैं समझता हूं कि आज जब राज्य के गृह मंत्री इस विषय में अपना प्रत्युत्तर देंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था और नाकाबंदी के नाम पर जिस प्रकार की व्यवस्था

(श्री प्रहलाद गुंजल)

समाज के सामने उपस्थित होती है, इस बारे में निश्चित रूप से अपना कोई न कोई वक्तव्य देंगे।

जहां तक अपराध का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भौतिकतावादी युग है, प्रतिस्पर्द्धा का दौर है, बेरोजगारी है; प्राकृतिक आपदाएं लोगों के सामने संकट खड़ा कर देती हैं; औद्योगीकरण बढ़ रहा है। इन सारी चीजों के चलते हुए आप आबादी के बढ़ते हुए तौर-तरीकों से अपराधों को रोक नहीं सकते। जरूरत इस बात की है कि आप अपराधों पर नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हों? जहां तक आप अपराधों पर नियंत्रण की बात करते हैं, यह आंकड़ों का मायाजाल अधिकारी हमको दे देते हैं और हम उसमें से पढ़ देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, एक व्यवस्था दीजिए, कोई आंकड़ा मायना नहीं रखता; जो अपराध समाज में घटित हुआ, आपने एफ आई आर दर्ज नहीं की, आपके खिलाफ संदेश जा रहा है। आप लिबर्टी दीजिए, प्रिविलेज दीजिए आदमी को। दिल्ली सरकार ने फ्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कायम कर दी; किसी व्यक्ति के साथ कहीं अपराध हुआ और उसने जाकर थाने में सूचना दे दी, हर थाना पाबंद होगा कि उसका फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया जाये जीरो नम्बरी एफ आई आर पर, चाहे वह किसी दूसरे थाने का हो, और उसकी तफ्तीश करके सम्बन्धित थाने को भेज दिया जाये। यहां ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हत्या हो जाती है, लाश पड़ी रहती है, सीमा विवाद में। फिर स्टेशन के प्रचलन के अभाव में चार-चार घंटे...। इस राजस्थान में यह दोष केवल हमारी सरकार में ही नहीं है, यह पुलिस व्यवस्था में दोष है। कोई सी भी सरकार हो, थाने की सीमा के संज्ञान के अभाव में चार-चार घंटे डैड बोडी पड़ी रह जाये, एफ आई आर दर्ज नहीं होती। ऐसे उदाहरण भी अगर ढूंढोगे तो 50 मिल जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किस भारत में जी रहे हैं? हमारी मुख्य मंत्रीजी की कल्पना 2020, प्रधान मंत्रीजी की कल्पना 2020, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने; हम फिर से विश्वगुरु की कल्पना में जीना चाहते हैं, और जो पुलिस इस सरकार और व्यवस्था का समूचा चेहरा बनकर लोगों के सामने रहती है, उस चेहरे को हम सुधारने के बारे में कभी गम्भीर नहीं हों, मैं समझता हूं, इससे बड़ी दयनीय स्थिति और नहीं हो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सकती, चाहे सरकार हमारी हो, चाहे सरकार किसी और पार्टी की हो। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि फ्री रजिस्ट्रेशन होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, पुलिस पर दबाव बनेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, अपराध घटित हुआ है, जांच मेरे दायरे में आयेगी, या जांच किसी के दायरे में आयेगी। यह फरियादी में विश्वास होना चाहिए कि थाने की चौखट पर उसकी बात को सुना गया है। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है।

अभी बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गृह विभाग के पहले पैरा में लिखा है, ''प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाये रखने और अपराधियों को शीघ्र सज़ा दिलाये जाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को साउंड करने की बात। माननीय गृह मंत्रीजी, आप यहां विराज रहे हैं, ए सी बी अपना काम करती, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करती। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पिछले दिनों ए सी बी ने बड़े मगरमच्छों को पकड़ा, आई ए एस अधिकारी पकड़े, आई पी एस अधिकारी पकड़े, जज पकड़े। ए सी बी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। लेकिन उसके दूसरे पहलू में आपने कभी जाकर झांका नहीं होगा। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक दौर ऐसा आया, जून, 2015 से नवम्बर, 2015 तक सारी ब्यूरोक्रेसी भयग्रस्त हो गई कि कहीं काम करते हुए मुझे उलझाने की साजिश तो नहीं की जा रही; कहीं मुझे मेरे काम के पारितोषिक के रूप में जेल की हवा नहीं खानी पड़ जाये। भयाक्रांत पूरे प्रदेश में चिह्नित करके अधिकारियों और कर्मचारियों का पीछा करने का काम ए सी बी ने किया और नियम और प्रक्रिया से काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी भी भयभीत हो गये। गृह मंत्रीजी, मैं यह उम्मीद करूंगा कि आज जब जवाब देंगे, ए सी बी आपके अधीन नहीं है, राज्य की मुख्य मंत्रीजी से बात करेंगे। अगली बार जब मैं सदन में होम डिपार्टमेंट की डिमांड पर आऊंगा तो उन दर्जनों फाइलों को लेकर आऊंगा, जिन दर्जनों फाइलों में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी से लेकर ए डी जी पुलिस ने यह कह दिया, अपराध प्रमाणित हो गया, लेकिन डी जी के स्तर पर जाकर फिर से सी आई लेवल के अधिकारी से जांच करवाकर उन फाइलों को बंद कर दिया गया। ऐसी दर्जनों फाइलें हैं। क्या यही व्यवस्था देना चाहते हैं? क्या हम ए सी बी को नया भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते हैं? ऐसी व्यवस्था के चलते हुए लोक कल्याणकारी सरकार की धारणा लोगों के दिमाग पर बन नहीं सकती।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार के जितने प्रकरण हुए हैं कि कितनी फाइलें ए डी जी लेवल तक चालान योग्य मान ली गईं, दुबारा पुन: इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन्हें एक छोटे से, अदने से अधिकारी से जांच कराकर बंद कर दिया गया। ए सी बी का सिस्टम है। कोई मायने नहीं रखता ए डी जी, कोई मायने नहीं रखता आई जी, वहां एस पी तो थानेदार होता है चौकी का। वहां पर तफ्तीश के आदेश और तफ्तीश बंद करने के आदेश डी जी के लेवल पर होते हैं। इस लेवल पर इस प्रकार का खेल अगर राजस्थान में होने लग जाए, तो मैं बहुत ईमानदारी से आज कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, सारा राजस्थान जानता है कि गुलाबचन्द कटारियाजी जब इस सदन में बोलते हैं तो आत्मा से बोलते हैं। आपकी ईमानदारी, सच्चाई, नेक नीयति और राष्ट्र निष्ठा के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन यह कौनसा दृश्य है? आप और आपका महकमा, उत्तर और दक्षिण; आप और आपका महकमा; पूरब और पश्चिम! इस पूरब और पश्चिम के संतुलन को बनाए रखने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब आपका प्रतिउत्तर आएगा तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम फाइलें जिनको ए डी जी लेवल तक चालान योग्य मान लिया और पुन: जांच के नाम पर बंद कर दिया गया डी जी पी स्तर पर, उनकी जांच के आदेश की घोषणा करेंगे। चाहे आप मुख्य मंत्रीजी के लेवल पर इसकी चर्चा कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, चाहे इसकी मुख्य मंत्रीजी के लेवल पर चर्चा करनी पड़े।

माननीय गृह मंत्री महोदय, एक और दुविधाजनक स्थिति हो गई। इस विसंगति की तरफ कौन जाएगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? पुलिस में एक विकृति आ गई...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गुलाबजी को तो भ्रष्टाचार शब्द ठीक लगता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने यह डिपार्टमेंट ही अपने पास नहीं रखा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब राजस्थान पुलिस नहीं बची है, गृह मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा, अब पुलिस हो गई शेखावटी की पुलिस। आप पर्ची भेज रहे हैं, मुझे पता है, मैं पांच मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। रेलेवंट बात कर रहा हूं, इर्रेलेवंट बात नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बिलकुल परवाह नहीं करें। जब तक मैं नहीं कहूं, तब तक बोलते रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) इसलिए कह रहे हैं कि आपको इस बात का फख्र है कि आप उस आसन पर विराजमान हो गए, फिर भी आप जैसी बुलंद आवाज सदन में गूंज रही है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस नहीं बची है, वह कोटा की पुलिस हो गई, वह पश्चिमी राजस्थान की पुलिस हो गई, वह शेखावटी की पुलिस हो गई; वह जातियों में बंटी हुई पुलिस हो गई है और इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी राजस्थान और शेखावटी में जो आज अपराध गिरोह पनप रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं राजस्थान के गृह मंत्रीजी से, आप जांच करायें कि पश्चिमी राजस्थान और शेखावटी में जो जातिगत आधार पर अपराध के गिरोह पनप रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जातिगत अधिकारियों की भूमिका बराबर से इसमें लिप्त पाई जाएगी। मैं गारंटी के साथ यह कहना चाहता हूं।

हम इस पुलिस के चेहरे को किस प्रकार से सुधारें? हम नहीं कहना चाहते, पुलिस नाकारा है लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ आज कहना चाहता हूं, पर्ची आ गई है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जानता हूं, पुलिस के बारे में हम कितनी गलत धारणा मन में बनायें लेकिन फिर भी मैंने जो कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पुलिस के बिना सम्भव नहीं है और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को लगे कि मेरी व्यवस्था है, मेरे अनुकूल व्यवस्था है। आज स्थिति क्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची ऐसे समय पर ही क्यों पहुंचती है? जब वे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो ऐसे समय पर ही क्यों पहुंच जाती है कि आप कम बोलें?

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आप अधिवक्ता हैं, इसकी शंका आपका एक अभिन्न अंग हो गया।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दोष हम केवल पुलिस पर भी नहीं मढ़ सकते हैं। आम जनता में चारित्रिक दोष आ गया और उसी में से लोग व्यवस्था में जाने लगे हैं, उसी में से लोग पुलिस में जाने लगे हैं। इसलिए, माननीय गृह मंत्रीजी, हमें इस स्तर पर भी चिंता करनी पड़ेगी। हम सदन में बैठे हैं राजस्थान को रिप्रजेंट करने के लिए; केवल कानून-व्यवस्था हमारा जिम्मा नहीं है। हम समाज में होते हुए डि-रेलमेंट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

को कैसे रोकें! आज अखबारों में रोज इस प्रकार की घटनाएं छपती हैं, पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। अब तो अखबारों को शर्म आने लग गई; मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के एक बड़े अख़बार को, जिसने कह दिया, हम इस प्रकार की नकारात्मक खबरें नहीं छापेंगे, लेकिन समाज की यह जो नकारात्मक प्रवृत्ति बन गई है, दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार, मामा ने भानजी के साथ किया बलात्कार, ये जो सामाजिक रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। ये जो लोगों में बिलकुल मानवीयता से निम्न स्तर की गिरावट आ रही है, इन सारे विषयों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है।

इन सारे विषयों पर नियंत्रण ला एन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया, वह पुलिस करती है। उस पुलिस के आचरण में सुधार के लिए कहीं-न-कहीं, जब उनकी ट्रेनिंग हो, तो एक नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा के अभाव में आज हालात क्या हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर ईमानदारी से आपसे कहूं, तो हालात ठीक नहीं हैं। कई बार समाचार छपते हैं, क्या संदेश जाएगा, क्या सीखेंगे, क्या असर समाज में जाएगा! एक-एक आई पी एस अधिकारी के घर पर, पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा, 65-65 अर्दली, 30-30 अर्दली; जूते पहनाने से लेकर कपड़े बदलवाने तक। ऐसा लगता है, उनके चरित्र को देखने के बाद, भारतीय समाज की व्यवस्था के साथ उनका सरोकार नहीं है। यह परम्परा नहीं है, यह हमारी समाज व्यवस्था का चरित्र नहीं है। जब तक नैतिक शिक्षा और सादगी का आचरण इस व्यवस्था को अपने कंधों पर ढोने वाले जिम्मेदार अधिकारी सदाचार और सादगी के वातावरण में अपने आपको नहीं ढालेंगे, लोगों की अंगुलियां उनकी तरफ उठना बंद नहीं होंगी और जब तक लोगों की अंगुलियां उनकी तरफ उठती रहेंगी, मुझे लगता है, उनके सामंती विचार, उनकी सामंती सोच हमारी डेमोक्रेसी की व्यवस्था को लीलते रहेंगे। यदि डेमोक्रेसी की व्यवस्था को जिंदा रखना है, यह डेमोक्रेसी की व्यवस्था तब जिंदा रहेगी कि इस व्यवस्था में उस आम व्यक्ति का विश्वास जिंदा रहे, जिसके लिए यह व्यवस्था बनी है, और उस आम का व्यवस्था के प्रति विश्वास जिंदा रहेगा तब जब व्यवस्था देने का जिम्मा जिन अधिकारियों के जिम्मे हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, उनके कर्म और आचरण में सादगी नजर आएगी, ईमानदारी नजर आएगी और ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, हम एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरते रहेंगे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजशाही ठाठ की मैंने चर्चा कर दी। राजशाही ठाठ के बारे में भी, गृह मंत्रीजी, ये गुण यूं ही नहीं आया, यह सेना से आया है। अंग्रेजों के समय जो सेना बनी थी, कंट्रोल करने के लिए, इस प्रकार की व्यवस्था वहां कायम थी और पुलिस में भी वही व्यवस्था हो गई। मातहत अधिकारी को गुलामों की तरह परिभाषित किया जाता है। ये व्यवस्था का दोष हम कैसे निकालें?

हम केवल आंकड़ों में उलझे हैं और आंकड़ों में उलझने की बात करेंगे, तो राजस्थान पुलिस के एक्सपर्टाइजेशन की बात करूं, यह बात सच है कि हम आंकड़ों के ग्राफ में राजस्थान में पिछले पांच सालों में भी कम आये हैं, हिन्दुस्तान में भी कम आये हैं, लेकिन इस राजस्थान में 156(3) की स्थिति क्या है? राजस्थान में फरियादी फरियाद लेकर जाता है, मैं अगर एक छोटा- सा उल्लेख करूंगा तो लगेगा कि मैं कहीं सरकार के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन इन सारी चीजों पर पर्दा डालकर हम राजस्थान में क्या संदेश देना चाहते हैं? हिन्दुस्तान में मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 156(3) के इस्तगासे, जिन्हें थाने में न्याय नहीं मिला और अदालत में गया, 1 लाख 76 हजार 165 अगर हिन्दुस्तान में 2014-15 में दर्ज हुए, तो राजस्थान अकेले में 65 हजार 146 दर्ज हुए हैं। यानी, हमारी चौखट पर न्याय नहीं, न्यायालय की चौखट पर जाता है।

इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायिक सक्रियता को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि इस राजनीतिक व्यवस्था में, ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता की दखलंदाजी बढ़ गई। क्यों नहीं न्यायिक सक्रियता की दखलंदाजी बढ़ेगी? जब व्यवस्था में बैठे हुए लोग, जब हम सदन में बैठे हुए लोग, जब ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, आम व्यक्ति के बारे में जब हमारे उत्तरदायित्व और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, तो न्यायिक सक्रियता बढ़ेगी। लोगों के पास एक आखिरी दरवाजा बचता है जिसकी चौखट पर जाकर आम आदमी खटखटाता है और चौखट भी अगर उदासीन हो जाएगी....। और वही परम्परा, अंग्रेज़ों के समय भी भारतीयों की अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, हम कहेंगे 156(3) में 90 प्रतिशत में एफ आर लगा दी, चूंकि वे काबिल चालान नहीं थे। यह 156(3) भी उसी समय का है, जब 143 में अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई चार आदमी सड़क पर इकट्ठे मत होना; आप अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ बोलोगे तो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(14.00 बजे)

332, 353 लगेगा; 156(3) आयेगा तो वह ठंडे बस्ते, रद्दी की टोकरी में चला जायेगा। अगर कोई व्यक्ति आप पर अविश्वास करके, आपके पुलिस प्रशासन के बर्ताव पर अविश्वास करके न्यायालय की शरण में जा रहा है और न्यायालय के थ्रू इस्तगासा लेकर आ रहा है, तो हमारी तय वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमें इसमें एफ.आर. देनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रकरण वे होते हैं, रियल एस्टेट का कारोबार, आज शहर से जुड़े हुए आस-पास के थानों में जो डिप्टी और सी.आई. बैठे हुए हैं, यह परम्परा आज से नहीं, कब से चल रही है, रियल एस्टेट के कारोबार में संलग्न हैं और इस कारोबार में संलग्न होते हुए, सब प्रकार के नैतिक-अनैतिक कामों में लोगों का साथ देने लगे हैं।

इसके चलते हुए, मैं आपकी भावना का आदर करते हुए, अपनी बात को विराम देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके चलते हुए, फरियादी की थाने के चौखट पर प्रताड़ना के अलावा सुनवाई नहीं हो पाती। माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से तय करेंगे कि क्या यह 156(3)-जमीनों से जुड़े हुए मामले; क्या यह 156(3)-जिनमें पुलिस खुद पार्टी बन गयी, उस प्रकार के मामले पुलिस नहीं सुने! यह हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम लोक कल्याणकारी सरकार के नाते काम कर रहे हैं, तो एक-एक व्यक्ति का विश्वास हमारे साथ बना रहे। निश्चित रूप से राजस्थान के गृह मंत्रीजी और सरकार 2020 का विजन लेकर चल रहे हैं, अपराध घटने चाहिए, लोगों का व्यवस्था में विश्वास बहाल होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में सकारात्मक कदम उठने चाहिए। इतने विश्वास के साथ, अपनी बात कहते हुए, अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जसवन्त सिंह यादव।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक दिन तो हमारे पास आना ही है, तो आज से ही शुरुआत कर दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज जरूरत थी पुलिस को,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उन सबको बजट में छुआ है, चाहे वह सबआर्डिनेट हाउसेज हों, चाहे पुलिस लाइन की मरम्मत का हो, चाहे साइबर क्राइम की स्थापना हो। मतलब, हर चीज को, चाहे व्हिकल्स की जरूरत हो, जो जरूरत थी पुलिस को, उन सब में कुछ न कुछ देने की उन्होंने कोशिश की है। हमारे माननीय गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, गृह मंत्रीजी से कई बार बातें भी होती रहती हैं, इनके वक्तव्य भी आते रहते हैं। ईमानदारी से गृह मंत्रीजी राजस्थान के हित में, राजस्थान का हित देखते हुए, पुलिस का हित देखते हुए भी, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वाकई में हमारे गृह मंत्रीजी काबिल गृह मंत्रीजी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे पूर्व वक्ता ने सारी बात कह दी, पर कुछ चीजें ऐसी हैं; यह हकीकत है, पुलिस का एक स्लोगन है कि 'आम जनता के अन्दर विश्वास और बदमाशों में भय', हालांकि उसका उलटा ही चल रहा है, कि आम जनता में भय है और बदमाशों में कोई भय नहीं है, पर जो गृह मंत्रीजी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है, यह वाकई में, मैं भी वह ही बात कहता रहूं, तो उसका कोई अर्थ नहीं। वाकई में यह एक ऐसा महकमा है जिसमें चौबीस घंटे ड्यूटी है। दुनिया का कोई महकमा ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी चौबीस घंटे बखूबी से निभा सके। यह पुलिस ही है। तो इस तरफ हमको धन्यवाद भी देना चाहिए, और उनकी कभी कोई डिमाण्ड भी नहीं होती है। हम लोग भी स्वयं अगर क्षेत्र में जाते हैं तो हमको क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। जहां हरेक घर में दीवाली मन रही हो, वहां पुलिस सड़कों पर घूम रही होती है, बाजार में घूम रही होती है। जहां होली मन रही होती है, वहां पुलिस घूम रही होती है। नया साल होता है, मन तो उनका भी रहता है।

पर मैं कुछ, माननीय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं। जिस तरह की पुलिस महकमे को तनख्वाह, भत्ते और सुविधाएं हैं, वे और विभागों से कम हैं। इनमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस भौतिक युग में अगर हम उम्मीद ही उम्मीद करते हैं, पुलिस एक ऐसा महकमा है जिस पर सारी जिम्मेदारियां लाद रखी हैं; कहीं भी कुछ हो, सारी जिम्मेदारी उसमें पुलिस की होती है। अगर पुलिस वाला कोई व्यापार करे दूसरा, तो बहुत-बड़ा गुनाह करता है। मैं नेता हूं, मैं कोई व्यापार करूं, तो अच्छा काम कर रहा हूं। ये असमानताएं, पुलिस की टोलरेंस पावर जिस तरह की है, यह अपने-आप में एक है तो अलग ही उदाहरण, पर जहां कुछ चीजें ऐसी हैं, माननीय, आपके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि हम उम्मीद करते हैं, पर उसमें हमारे पास न तो नफरी है, न उसके अनुसार हमारे पास व्हीकल हैं, न उसके अनुसार हमारे पास वैपन हैं, इस युग को देखते हुए, न हमारे पास वह इलेक्ट्रोनिक ताकत है और उम्मीद हम सारी करते हैं। आज मैं अपने ही बहरोड़ थाने की बात करूं, तो पचास प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। क्राइम बढ़ा है क्योंकि क्राउड बढ़ी है। तो इन चीजों को देखते हुए, एक बदमाश अगर लैंड रोवर गाड़ी लेकर चलता है और पुलिस के पास खटारा गाड़ी है, तो वह कैसे मुकाबला करे?

जब हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में शांति बने, क्राइम खतम हो, क्रिमिनल्स खतम हों, तो हम सबको मिल करके इस बात पर जोर देना पड़ेगा; गृह मंत्रीजी, आपको जो भी अपनी करनी है, आप बात करिये मुख्य मंत्रीजी से और पुलिस का बजट बढ़वाइये। आप इसको स्वीकार करें कि आपके पास थानों में गाड़ियां नहीं हैं; स्वीकार करो कि आपके पास कांस्टेबल नहीं हैं; स्वीकार करो, आपके पास अफसर नहीं हैं। तो कैसे मुकाबला करेंगे? आज कहीं एक्सिडेंट हो जाता है, मेरा क्षेत्र हरियाणा से जुड़ा हुआ है, एक्सिडेंट में कोई आदमी मर जाता है, जवान मौत हो जाती है। वहां का कानून कहता है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो पुलिस की तहरीर जरूरी है और जहां का रहने वाला है वहां की पुलिस आये। पुलिस के पास साधन नहीं कि वे चले जाएं। जवान मौत के उस परिवार को कहता है कि आप गाड़ी लेकर आइये, तो भी गलत बात, और नहीं गाड़ी लेकर जाता है, तो सारा दिन खराब हो जाता है। तो इस तरफ कभी ध्यान देने की जरूरत है। और तहरीर नहीं हो, तब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब होमगार्ड्स लगे हुए हैं। कभी किसी ने सोचा है कि इनको क्या तनख्वाह मिलती है? क्या इनको मानदेय मिलता है? ये परमानेंट कब होते हैं? ड्यूटी तो बराबर की देते रहते हैं। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

आज मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वाकई में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कई बार तो बड़ी अजीब स्थिति आती है। मुझे मेरे साथ की एक घटना याद है। पुलिस वाले जब तक यह सोचते रहेंगे कि हम कानून से बड़े हैं, तब तक कभी भी क्राइम खतम नहीं होगा। एक बार, मुझे याद है, मेरी गाड़ी रोक ली ट्रैफिक वाले ने।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मैंने पूछा कि क्यों रोक ली; तो बताया कि आपने बेल्ट नहीं लगा रखी। मैंने कहा कि आपने भी नहीं लगा रखी; तो बोला कि हम तो पुलिस वाले हैं। तो यह दोहरा कानून कहां से आ गया? रात को गाड़ियां पकड़ते हैं; कभी एक बार, गृह मंत्रीजी, आप जैसा सैंसिटिव गृह मंत्री एक बार देखें; वे गाड़ी पकड़ते हैं कि इसने दारू पी रखी है, इसलिए हमने बंद कर दिया। वह खुद पिये होता है, वह गुनाह नहीं है। वह कहता है कि मेरा तो हक है।

आज थानों की पोस्टिंग होती है। मैं तो गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, इससे हम लोगों को नुकसान है, राजनीति में तो कई बार करना पड़ता है; गृह मंत्रीजी हमको दो-टूक कह देते हैं कि किसी की भी सिफारिश पर थाने में कोई भी अधिकारी या जिले में नहीं लगाया जाएगा। इससे हम पर भी भार कम हुआ है। बड़ी हिम्मत वाले गृह मंत्रीजी हैं, जिन्होंने यह घोषणा की। पर थाने की सिफारिश आती है तो 99 प्रतिशत इसलिए आती है कि मुझे थाने में लगवाओ, जबकि उसको चैन नहीं है, रात-दिन की ड्यूटी है, पर आना चाहता है। जिस दिन थानों का भ्रष्टाचार खतम होगा, उस दिन नब्बे परसेंट क्राइम अपने-आप खतम हो जाएगा।

जितने बड़े-बड़े काम होते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा, चाहे वह अवैध खनन हो, चाहे वह क्रिमिनल्स की हत्याओं का मामला हो, चाहे कोई अवैध दारू हो, कोई भी अवैध काम हो, वह बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं कर सकता। यह मेरा चैलेंज है। अगर वाकई में हमें सुधार करना है तो इस तरफ ध्यान देना पडेगा। मैं लापरवाही बरतूं, उसकी सज़ा मिलती है, जनता देती है; पुलिस का कोई भी अधिकारी लापरवाही करे, तो उस पर लीपापोती होती है। यह आगे चलकर बहुत बड़ा एक विस्फोटक कारण बन सकता है।

अभी मेरे यहां पर एक व्यापारी की हत्या हुई। मेरी कोई पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं थी, मेरा कोई राजनीतिकरण नहीं था। एक सांसद जाता है, दो विधायक जाते हैं और डिप्टी साहब को कहते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसकी हत्या हो सकती है। उसको नहीं पकड़ा जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। अभी एक व्यापारी की हत्या हुई, मैंने स्वयं ने 10 बार कहा, एक दूसरे व्यापारी को धमकी मिली, उसकी एफ आई आर दर्ज हुए 6 महीने हो गये। अब जब देखा कि चारों तरफ गृह मंत्रीजी सख्त हुए हैं, ऊपर के अधिकारी सख्त हुए, तो एक मिनट में कार्रवाही हो गई। एक बदमाश जिसके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

16 केस है, रोजाना शहर में आराम से घूम रहा है, चाहे जिससे पैसे ले लेता है और उसके ऊपर अगर कार्यवाही होती है तो एक मिनट में उस पर सारा महकमा लीपापोती यह करता है कि यह तो गलत हो रहा है। अगर इस तरह से इतनी बड़ी गलती को, एक क्रिमिनल में और उन लापरवाह अधिकारियों में क्या अन्तर है जो 18-18 मुलजिमों को बचाता है, यह कहकर कि यह तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं। यह सिस्टम करोगे तो कभी भी आप क्राइम को रोक नहीं सकते। आज गृह मंत्रीजी ने ए पी ओ के आदेश कर दिये, यह कहते हुए वापस, कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। यह सिस्टम करना; एक अधिकारी का मेरे पास फोन आया कि आपकी कोई दुश्मनी है? मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। टोटल जिले के व्यापारी आतंकित है। ऐसी क्या बात हो गई कि बहरोड़ में ही स्थित रहे? कहीं भी लगा दो, बढ़िया से बढ़िया पोस्टिंग दे दो, पर उसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हों? यह विडंबना है, इस विडम्बना को दूर करना पड़ेगा।

आपसे मेरा निवेदन है, कई बार बड़ी आकवर्ड स्थिति हो जाती है, पुलिस ने दो चीजों को तो आम बना लिया; ट्रांसफार्मर चोरी हो जाये, आज तक एक भी ट्रांसफार्मर की रिकवरी नहीं हुई। वह प्रोपर्टी भी हमारी सरकार की है, राजस्थान के लोगों के पैसों की है, इसको आम मान लिया, क्योंकि उसमें किसी का वास्ता नहीं होता। इसी तरह आजकल मोटरसाइकिल उठ जाना, गाड़ियां उठ जाना, और उनकी रिकवरी नहीं होती। यह मानकर चलते हैं कि यह तो बीमा से मिल जायेगा।

अगर साल के महीने का आखिरी दिन है, एक तारीख है, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आप आंकडों पर अंकुश मत लगाओ। आप इतने निर्भीक गृह मंत्री हों। क्या फर्क पड़ेगा, आंकड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? इन आंकड़ों को रोकने के लिए, आधे बेबस लोगों की एफ आई आर दर्ज नहीं होती है। कहीं थानेदार से यह नहीं पूछ लिया जाये कि आपके आंकड़े घटे हैं या बढ़े हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि इन चीजों को दूर करना पड़ेगा।

आपसे मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पुलिस वालों का त्याग भी है, उनकी तपस्या भी है, 24 घंटे हंसते-हंसते ड्यूटी देना, यह किसी आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। उनको उसी तरह का इंसेंटिव भी मिलना चाहिये, उनको उसी तरह की शाबासी मिलनी चाहिये, उनको उसी तरह की सुविधाएं भी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मिलनी चाहिये। यह भौतिक युग है। जब एक पुलिस वाला झोंपड़ी में जाता है तो उसको भी देखता है; एक वही पुलिस वाला जब बहुत बड़े धन्ना सेठ के यहां जाता है, उसका रहन-सहन भी देखता है; वही नेता के जाता है तो उसका भी देखता है; वही किसी अफसर के जाता है, वह भी देखता है। तो उसका भी मन चलता है कि मेरी भी औलाद को इसी तरह की सुविधाएं दूं। हम पुलिस को सबसे कम सुविधाएं देते हैं, सबसे कम भत्ता देते हैं, सबसे कम साधन देते हैं। उनकी बैरकों में जाओ, उनकी हिम्मत है कि वे रह रहे हैं। कितने पुलिस बैरकों में एयरकंडिशनर लगे हुए हैं, कितने कूलर लगे हुए हैं? रेत झड़ता रहता है, पंखे चलते नहीं हैं। जेल में यह चपाती की मशीनों की जो आज माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, बहुत अच्छी बात की। कच्ची रोटियां मिलती थीं। बनाने वाले भी अपने ही लोग थे। यह एक बहुत बड़ा काम किया।

सबको पता है, कोई भी क्रिमिनल किसी भी जेल से फोन कर लेता है। सबको पता है। माननीय गृह मंत्रीजी, ऐसा कोई जेल नहीं है जिसमें आज भी...। जब पता है और हमें क्राइम रोकने हैं, तो बजट को और बढ़ाओ और हाई क्लास के जैमर लगा दो। चार सी सी टी वी कैमरे लगा दिये, उससे क्या हो गया? बजट दो। बिना बजट के आप क्राइम नहीं रोक सकते।

सबसे ज्यादा अगर बजट की किसी महकमे को जरूरत है तो वह पुलिस को जरूरत है। पुलिस की सुविधाओं में हम कटौती करना चाहते हैं, प्रदेश से क्राइम भगाना चाहते हैं, तो यह सम्भव नहीं हो सकता। हर इंसान तो इंसान होता है, एक पुलिस का सिपाही भी इंसान है, वह भी चाहता है कि उसका बेटा भी मोटर गाड़ी में घूमे। आप तनख्वाह तो उसको देते नहीं, एक्स्ट्रा भत्ता इतने ज्यादा कोई देते नहीं। वह इस तरह से सुविधाएं जुटाता है। माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह बजट दिया है, उसमें हर पहलू पर ध्यान रखा है। माननीय गृह मंत्रीजी अच्छा काम करें।

मैं लास्ट में फिर यही कहूंगा कि पुलिस से जिस तरह से काम लेते हो, उस अनुपात में, निश्चित रूप से, मैं बार-बार कह रहा हूं, अच्छे व्हिकल्स दो, अच्छे वैपन्स दो, नफरी बढ़ाओ, हर चीज में भर्ती करो। हर चीज के स्टाफ में कटौती हो सकती है, पुलिस के स्टाफ में कटौती करोगे, तो हम आप जो रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, वह उम्मीद नहीं दे सकते।

आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने ही व्यवस्था दी थी कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये, वे माननीय सदस्य नहीं बोल पायेंगे। तो माननीय गोविन्द सिंहजी डोटासरा ने कोई कट मोशन दिया नहीं था, तो वे इस पर कैसे बोल सकेंगे? वे नहीं बोल सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपके आसन से...

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न तो मुझसे किया गया है, आप क्यों खड़े हो गये? विराज जाओ। मैं मेरे पढ़े हुए वक्तव्य की दो लाइन दुबारा दोहरा देता हूं, "किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।"

गोविन्द सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): थैंक यू, सर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर चर्चा हो रही है, सौभाग्य की बात है कि माननीय गृह मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं। आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था की जो स्थिति है, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे; पुलिस में जो कमियां हैं, उन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे; पुलिस के लोगों को जो सुविधाएं चाहिये, उन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे; पुलिस से लोग जो अपेक्षाएं करते हैं, उन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे; और पुलिस समाज से, हम जन-प्रतिनिधियों से और सरकार से जो अपेक्षाएं करती हैं, उन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि एक अकेली पुलिस के ऊपर लट्ठ लेकर, यह नहीं किया, यह नहीं किया, से तो सारी व्यवस्था सुधर नहीं सकती। हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए किस प्रकार सिस्टम को सुधारें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिये, यह डिमांड के ऊपर चर्चा का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्रीजी ने जो स्थितियां विभिन्न समय पर बयान कीं, उसमें एक निवेदन करना चाहूंगा। जो आज की स्थिति प्रदेश में है, महिला अत्याचार, महिला मुख्य मंत्री, महिला अत्याचार, 2015 में 2,225 प्रकरण अभी भी पेंडिंग हैं, जांच के अधीन हैं; कोई फैसला नहीं हुआ है। दहेज मृत्यु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो महिला से सम्बन्धित है, उसमें 2013-14 की तुलना में बढोतरी हुई है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चमैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं जो एक-एक शब्द बोल रहा हूं, अगर एक में भी कहीं गलती हो, तो आप अपने जवाब में, अधिकारियों से लेकर उसका जवाब दे देना। मैं आपको प्रमाण सहित दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं, वह ठीक बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015 की स्थिति, लूट, केवल 59.15 प्रतिशत ही चालान हो पाये; नकबजनी, 28.81 प्रतिशत ही चालान हो पाये; चोरी, 18.04 प्रतिशत ही चालान हो पाये, और डकैती का ग्राफ बढा है, कम नहीं हुआ। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक चोरी जो एक बहुत संगीन अपराध है, उसमें दर्ज हुए प्रकरण 29067, चालान केवल मात्र 4,893, और एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि उसमें अदम व कुआ में तो एफ.आर. 1,410 प्रकरणों में लगाई है। अदम व कुआ का मतलब, ये घटनाएं नहीं हुईं, किसी ने गलत कर दिया। लेकिन जो घटना हो गई, उसके बावजूद भी 22,229 केसेज में एफ.आर. लगा दी गईं। इससे बड़ा कोई अहित प्रदेश के लिए हो नहीं सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सम्पूर्ण सम्पति सम्बन्धी अपराधों में जो बरामदगी है, वह केवल मात्र 52.52 प्रतिशत है; 50 के लगभग ही है। भारतीय दंड संहिता के कुल जो अपराध हैं, उन कुल अपराधों में 2003 से हमारे इस कार्यकाल से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है; कमी नहीं हुई। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

अभी माननीय प्रहलादजी गुंजल साहब, माननीय सदस्य ने बात कही। यह स्थिति तो तब है, जब पुलिस जो परिवादी जाता है उसके मुकदमे बहुत कम दर्ज करती है। अगर 156(3) के इस्तगासों का आंकड़ा ले लें, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की व्यवस्था बड़ी भयावह हो सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इन दो सालों में विद्यार्थियों पर प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुए, बेराजगारों पर हुए, चिकित्साकर्मियों पर हुए, एन.एस.यू.आई. के लोगों पर हुए, एस.एफ.आई. के लोगों पर हुए, प्रदेश युवक कांग्रेस और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध हुए, तकनीकी कर्मचारियों पर हुए, राजस्थान बी.एस.टी.सी. शिक्षक संघ पर हुए, श्रमिकों पर हुए और मेडिकल के छात्रों पर भी हुए। कुल मिलाकर जो आंदोलन हुए, वे 5,000 के लगभग हैं। किसानों ने 284 बार आंदोलन किया, वामपंथी संगठनों ने 217 बार किया, श्रमिक संगठनों ने 565 बार किया, केन्द्रीय और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राज्य कर्मचारियों ने 829 बार किया, छात्र युवा संगठनों ने 1,535 बार किया, कांग्रेस ने 310 बार किया और बी.जे.पी. ने केवल 27 बार किया और विभिन्न संगठनों ने 727 । कुल मिलाकर 4,500 से ज्यादा, पांच हजार के लगभग संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किया, धरना-प्रदर्शन किया। करीब-करीब के साथ में लाठी चार्ज हुआ, उनके साथ में मुकदमे दर्ज हुए और एक प्रकार से कोई सुनने की बात हुई नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को मजबूत करना चाहिए, लेकिन पुलिस बातों से मजबूत नहीं होगी, माननीय गृह मंत्रीजी। आपके मोदी जी ने कहा था कि हम पुलिस को मजबूत करेंगे, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पुलिस को मजबूत करेंगे, लेकिन आपने केन्द्र के नए फंडिंग पैटर्न के कारण से पांच सौ करोड़ रुपये जो आपको पुलिस के माडर्नाइजेशन के लिए मिलने चाहिए थे, वह पैसा आप नहीं ला पाये, केंद्र से आपको नहीं मिला। आप स्वयं स्वीकारेंगे कि आपने खुद दुबारा चिट्ठी लिखी है कि हमें पुलिस के माडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, दे दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला।

जो चोरगढ़ी में जिस प्रकार से चोरों का आतंक, चोरी होना रोजाना; आप अस्सी हजार की मोटरसाइकिल आठ हजार रुपये में ले सकते हो। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। चोर-लुटेरों की मौज हो गई है। 39 परसेंट से ज्यादा उनकी कोई बरामदगी होती नहीं है।

जो जयपुर पुलिस का हाल है, जयपुर कमिश्नरेट में अच्छे हालात नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं, हमारे गृह मंत्रीजी खुद यह कहते हैं कि वहां का कमिश्नर जमीनों की दलाली करता है, जमीनों के एफ.आर. लगाना, राज़ी-नामा कराना मुकदमों में। मैं समझता हूं, अगर यह सत्य बात है तो इससे गम्भीर बात कोई हो नहीं सकती। अगर सत्य नहीं है, तो जब जवाब देने गृह मंत्रीजी आएं, तो यह बताएं। आपने नहीं कहा हो, या यह बात गलत कही थी आपने, तो उसको हमें बताने की कृपा करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया कि दागी पुलिसकर्मियों को हम रिटायर कर देंगे। आज तक तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक भी दागी कर्मचारी को रिटायर करते देखा नहीं। अभी तक तो इनके एस.पीज की रिपोर्ट नहीं आईं जिलों से। पूरे तीन महीने से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी ज्यादा समय हो गया गृह मंत्रीजी के निर्देश के बाद कि कौन-कौन से दागी हैं, कौन-कौन से दागी नहीं हैं। तो यह स्थिति बन रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्थिति निवेदन करूं, आपके अलवर की कलक्टर, एक बलात्कार होने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो कलक्टर को यह कहना पडा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महिला की, जो शोषित हुई है, पीड़ित है, उसकी मैं गार्जन हूं। तब जाकर के वहां थाने पर रिपोर्ट दर्ज होती है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हमारे प्रदेश के लिए, पुलिस के लिए हो नहीं सकती।

जोधपुर में हवालात में मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। खनन माफिया अलवर कठूमर में... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं, जोधपुर में हुई है। इनके टाइम पर हुई। जेलर की हत्या की है। उस बात को दोहराओ आप। हां, उसको बोलो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे समय में हुई, तभी तो हम 24 पर आकर टिक गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जेल के अन्दर जेलर की हत्या हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दीदी, आप विराजो। हमारे से नहीं हुआ कंट्रोल, तभी तो हमारी यह स्थिति हो गई। अब आप तो करो। जो बड़े-बड़े भाषण दे रहे हों, वह कुछ करके तो बताओ। यह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ज्यादा आपने किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दीदी, विराजो। दीदी, विराजो। दीदी, विराजो।

माइनिंग अवैध माइनिंग, बताइए आप। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो तरस आ रहा है। आपने बड़े-बड़े वादे किये थे कि खनन माफियाओं को, हम अवैध माइनिंग रोक देंगे। रोक दी अवैध माइनिंग? कल 9 तारीख को नीमकाथाना में पूर्व विधायक के घर दरार आ गई। चार-चार मुकदमे हैं, 2013 से पेंडिंग हैं। सवा दो साल आपका हो गया, चार महीने हमारे निकल गये थे, आज तक उस स्टोन क्रैशर वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पूरी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आबादी, पूरे लोग दहशत में जी रहे हैं। चार-चार, पांच-पांच मुकदमे, 2013 में हुए, 2014 में हुए। अगर आप कहो तो मैं पूरा विवरण पढ़कर बता दूं। वहां पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है।

खनन माफिया, अलवर में तो बड़ा बेहाल है। हम खुद गये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखा, थाने भरे पड़े हैं अवैध माइनिंग करने वालों से। थाने में आदमी के जाने के लिए रास्ता नहीं बचता। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही कि जो जब्तशुदा वाहन हैं, उनका क्या करना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो। लेकिन आये दिन, रोजाना गोली-मारी, लड़ाई-झगड़ा, रोजाना अवैध माइनिंग। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए, जयपुर में निवारू रोड पर किस प्रकार से ज्वैलर को गोली मारकर 18 लाख रुपये लूटकर ले गये। किस प्रकार जेलों में नशीली दवाइयां, मोबाइल। जैमर की बात कर रहे थे, कहां गये वो जैमर आपके?

निश्चित रूप से प्रदेश में आप साफ मन के व्यक्ति हैं, गृह मंत्रीजी, और बड़ी सफाई से बात कहते हैं और अच्छी बात कहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, आपको मुख्य मंत्रीजी को पूरे अधिकार देने चाहिए। एस.पी. हो तो आप हटा सको, डीवाई.एस.पी. हो तो आप हटा सको, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सको, तब तो गृह मंत्री कुछ करके दिखाएगा। अगर एक सिपाही का भी नहीं देओ आप, वह भी फाइल अलग से जाए, तो गृह मंत्री +++ क्या कर सकता है? हम समझ सकते हैं, लेकिन निवेदन करना चाह रहा हूं... +++ इनके लिए नहीं कह रहा हूं (व्यवधान)। आप विराजो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): +++ शब्द मत कहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी को इस पर आपत्ति है तो मैं वापस लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं।

मैं यह पढ़ रहा था गृह मंत्रीजी का भाषण, हमारी स्कूलों को बूचड़ खाने तक कहा है इन्होंने। क्या बात कर रहे हो। किसकी बात कर हो! आप बीच में मत उठा करो। पहले ही बता देता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सरपंचों के खिलाफ जिस प्रकार से मुकदमे हुए, सरकार ने कह दिया नहीं, एस.पी. अपने-अपने लाकअप में रख दे, अलमारी में रख दें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस आसन ने आपको बोलने की तो इजाजत दी है, लेकिन समय आसन के पास तो निश्चित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके आदेश की पालना होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जब घंटी बजाएंगे, तब मैं बैठ जाऊंगा।

नशे का नेटवर्क, तोड़ रहे थे नशे का नेटवर्क। हमारे गृह राज्य मंत्री जो पहले थे, उनके घर तक इस नशे के माफियाओं ने नशे का सामान सप्लाई करने का भी दुस्साहस किया, और वह रोक नहीं सकते। रोजाना नशे, अवैध अफीम के दलाल घूम रहे हैं। ड्रग माफिया आज दुनिया भर का है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जेल से भागे, जेल से नहीं, बल्कि पुलिस की उसमें भागे, उनकी रिपोर्ट को कितने दिन हो गये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, आप जवाब दें आज शाम को कि जो रिपोर्ट 60 दिन में दी जानी थी, 30 दिन में दी जानी थी, 15 दिन में दी जानी थी, आज डेढ़ सौ दिन के लगभग हो गये। आनंदपाल के प्रकरण में दोषी लोग कौन हैं? जब सदन चल रहा है, पिछला सदन चला था तब भागा था, आज सदन चल रहा है दुबारा छह महीने बाद में, उसके बावजूद भी आप रिपोर्ट ला नहीं पाये। इससे बड़ी नाकामी गृह विभाग के लिए कोई हो नहीं सकती, सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीमा पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। होंडा कम्पनी के श्रमिकों पर लाठी चार्ज कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने 'आपरेशन मुस्कान' चलाया, आपने स्वयं ने माना है कि वह गति नहीं रही, वे कार्य नहीं हुए, जो हो जाने चाहिए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साइबर क्राइम आजकल इतने बढ़ गये हैं, उन पर किसी तरह की रोक की कोई बात नहीं हुई है।

चार-चार दिन तक बंधक बनाकर, जयपुर में कानोता में गैंग रेप हुआ, इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए और कोई नहीं हो सकती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिटिया कहती है; हम शर्मिंदा हैं, बाप कहता है, बेटी। अबोध बालिका के साथ, बसेड़ी, धौलपुर में, जो माननीया मुख्य मंत्रीजी का खुद का गृह जिला है, उसमें अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, तीन साल की बच्ची के साथ में; पीड़ित की मदद करने वालों पर हमला हुआ, लेकिन उसको बचा नहीं पाये। मां-बाप को कहना पड़ा कि बिटिया, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ करना; हम कार्यवाही नहीं कर सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अलवर में खनन माफिया ने सिपाही को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कुचलकर मार डाला। यह भी शर्म की बात है। कई जगह पुलिस पिट रही है। यह हमारे लिए भी तकलीफ की बात है कि पुलिस हमारी रक्षक होती है, उसको नहीं पिटना चाहिए, लेकिन पिटे हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाही करनी चाहिए, सख्ती से। लेकिन इसमें कई निर्दोष लोगों को फंसाकर, फिर उसको अगर आप करते हों, तो वह ठीक नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं, चिटफण्ड कम्पनियां, प्रिया चिटफण्ड कम्पनी 300 करोड़ का घपला करके चली गई, आप 30 लाख बरामद नहीं कर पाये। मैं आपको निवेदन करूं, एक और है क्यू-सेवन, करोड़ों रुपये गबन करके चली गई, आप कुछ नहीं कर पाये। ज्वैलरी शाप में एक करोड़ की ज्वैलरी, कुछ नहीं कर पाये।

'नया सवेरा' नहीं मिटा पाया नशे का अंधेरा; 800 का टारगेट था, 400 ही कैम्प कर पाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, कोटा में कोचिंग छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह हमारी सरकार के लिए बहुत ही शोचनीय प्रश्न होना चाहिए।

अकलेरा में किस प्रकार से एन जी ओ द्वारा जब जवाबदेही यात्रा निकाली गई, तो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक ने उस पर हमला किया, आज तक एफ आई आर दर्ज है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट; आपकी भावना मैं सब समझ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नौ जिलों में 'पासा' लगा दिया, उसमें सीकर जिला भी है। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरे तो आज तक 107, 116 का इस्तगासा ही नहीं है, इस 'पासा' में बंद मत करवा देना। नौ जिलों ने अपराध कर दिया क्या? उनमें आपने 'पासा' लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए।

हमारे सीकर जिले में अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस की बड़ी लापरवाही हमारे सामने आई। वह दुबारा किसी बेटी के साथ नहीं हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा-सा और निवेदन करूं कि इस पुलिस को, गृह मंत्रीजी, जांच अधिकारी तो ऐसे बनाओ, फर्जी पट्टों की जांच कर रहे हैं, उप अधीक्षक हैं ओम प्रकाश उज्जवल बाड़मेर में, वे खुद ही जांच कर रहे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हैं और दस पट्टे हैं, खुद के नाम से भी हैं, परिवार के नाम से भी हैं। वे क्या जांच कर लेंगे? इस तरह की जांच से कोई फायदा नहीं है।

निश्चित रूप से मनोबल हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। हम सबको, सरकार को फैसला करना चाहिए। अगर कहीं क्वार्टर नहीं हैं तो उनको क्वार्टर देना चाहिए।

एक छोटा-सा निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक छोटा-सा नमूना है। अजमेर में, माननीय गृह मंत्रीजी, आपको उपाध्यक्षजी के माध्यम से निवदेन करना चाहता हूं कि 2,567 सिपाहियों के पद हैं, 544 रिक्त हैं; बीकानेर सीमावर्ती इलाका है, 1,948 हैं, उसमें से 407 सिपाही नहीं है, पद रिक्त है। जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है, उसमें, 1,074 में से 255 नहीं हैं। बाड़मेर सीमावर्ती इलाका है, 1,403 में से 254 नहीं हैं। झालावाड़, जो मुख्य मंत्रीजी का खुद का कर्म क्षेत्र है, जहां से मुख्य मंत्रीजी चुनकर आती हैं, 1,479 में से 377 सिपाहियों के पद खाली हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, आपका उदयपुर जिसमें 2,904 पद हैं, उनमें से 810 पद तो सिपाही-सिपाही के खाली हैं। यह एक छोटा-सा नमूना है। हैड कांस्टेबल उदयपुर में 422 में से 205 नहीं हैं, 50 परसेंट हैड कांस्टेबल नहीं है। झालावाड़ में भी 249 में से 106 नहीं हैं, 40 परसेंट से ऊपर हैड कांस्टेबल नहीं हैं। जब सिपाही नहीं, हैड कांस्टेबल नहीं, मैं निवेदन करूं कि यह किस प्रकार की व्यवस्था होगी इसको सोचना पड़ेगा।

छात्रवृति पुलिस के लोगों को, कर्मचारियों को और बढ़नी चाहिए। अगर सरकारी रोड़वेज में वे यात्रा करते हैं तो उनको फ्री पास मिलना चाहिए। वहां पर मैस भत्ता है, वह 1,600 के बजाये कम से कम 3,000 रुपये होना चाहिए। अगर हमारी पुलिस मजबूत नहीं होगी...।

गृह मंत्रीजी, एक बात और निवेदन करूं, आप जो सामान खरीदकर दे रहे हों, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जो सबकी भावना है वह बोल रहा हूं, करो या नहीं करो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन जो सामान, जूते, वगैरह खरीदकर दिये जा रहे हैं, वह मार्का तो किसी ठीक कम्पनी का लगता है, लेकिन सारा का सारा माल घटिया जाता है। इसलिए मेहरबानी करके उन लोगों को सामान के बजाय आप पैसा दिला दीजिए। अगर पैसा आ जाएगा, तो सामान ठीक ले आएगा। आपको भरोसा क्यों नहीं है कि वह पुलिस का कर्मचारी सामान खरीदना नहीं जानता? जब वह हमारे प्रदेश की सुरक्षा करना जानता है, तो वह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सामान खरीदना क्यों नहीं जानता? इससे बड़े अफसरों के पेट में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यह फैसला मुख्य मंत्रीजी से मिलकर जरूर करवाएंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिपाहियों को +++ को छुट्टी नहीं मिलती है। एक तरफ तो ये लोग कम हैं, इसलिए एक आदमी को दो आदमियों का काम करना पड़ता है। इनको पी.एल. नहीं मिलती। इनकी छुट्टियों की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। 30 दिन की पी.एल. मिलती है, उसको 60 दिन का किया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लक्ष्मणगढ़ में डीवाई एस पी आफिस है, खुलवाया तो हमने हमारी सरकार के समय था, लेकिन पंचायत समिति पर कब्जा जमाये बैठे हैं क्योंकि उनके पास, +++ के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। दो साल हो गये। माननीय गृह मंत्रीजी, भवन के लिए पैसे दे दीजिए। नया पद नहीं खोलो, लेकिन जो खुला हुआ है, वह आदमी काम करने के लिए, उसको अच्छा साधन तो चाहिए; उसका क्वार्टर तो बना रहे हो आप, लेकिन आफिस नहीं बना रहे हो। कस्बा चौकी है, उसकी चौकी का भवन नहीं है।

मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है, पुलिस की सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ-साथ पुलिस पर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। सरकार को इच्छाशक्ति मजबूत करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रीजी, आपको बड़े फ़ैसले लेने पड़ेंगे। इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा, अगर आप ठीक कर गये। पिछली दफा यहां जब विपक्ष में बैठते थे, मैं वहां बैठता था, आप इतने शानदार भाषण देते थे और मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित होता था, तो, माननीय गृह मंत्रीजी, आपकी भावना और आपके भाषण से होता था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दो साल में वह करिश्मा जो आप कर सकते हैं, वह नहीं कर पाये। यह क्या मजबूरी है? अब की बार राठौड़ साहब भी सुस्त, आप भी सुस्त; एक मंत्री को छोड़कर सारे मंत्री सुस्त। यह हो क्या गया इस सरकार में, मेरे समझ में नहीं आया। यह कहां से कोई जादू-टोना हो गया, मध्य प्रदेश से या गुजरात से, पता नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को अधिकार दिये जाएं, उनको

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सुविधाएं दी जाएं, आधुनिक हथियार हैं वे दिये जाएं, गाड़ी-घोड़े दिये जाएं, लेकिन उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए, कि प्रदेश में अमन-चैन हो। कोई बहन-बेटी अगर रात को दो बजे भी अगर अकेली जाए तो वह अपने घर जा सके, ऐसी व्यवस्था करोगे तो आपकी वाह-वाही होगी; नहीं अब की बार इधर और अब की इधर, यह होने वाला है। इसलिए सवा दो साल का समय आपके पास है। 6 महीने तो चुनाव में लग जाएंगे। फिर तो अपन कितनी कास्ट के कौन से गांव में कितने और कौन नाराज हैं और कितने वोट, इसमें लग जाएंगे अपन 6 महीने पहले।

इसलिए मेहरबानी करके जो व्यवस्था आप सुधार सकते हैं, आज थोड़ी-बहुत घोषणा कर दीजिए। मैं समझता हूं कि और मंत्री अगर घोषणा करें तो मुख्य मंत्री, हो सकता है, नाराज भी हो जाएं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी आपके कथन के ऊपर तो नाराज भी नहीं हो सकती। क्योंकि आप वे सीनियर व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दो से 159 पर लेकर आए। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप जो कर सकते हैं, वह कीजिए। पुलिस का मनोबल ऊपर उठाइये और इन अपराधियों को अन्दर हवालात में कीजिए। यह नहीं चलेगा कि भग गया तो भग गया; मैं खुद ही आनंदपाल हो गया। यह बात कहने की जरूरत नहीं है। आप आनंदपाल क्यों हो गये? आप तो हमारे गृह मंत्री हों। आप आनंदपाल हो गये तो फिर हम बचकर कहां जाएंगे? फिर हम तो सारे मारे जाएंगे; लुखना पड़ेगा। यहां कैसे आएंगे? हमें छिपना पड़ेगा।

इसलिए, माननीय गृह मंत्रीजी, भावना में बहकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ निश्चय लीजिए। आप में हिम्मत है, आप में हौसला है। आप अधिकार अगर कोई दे, तो दें नहीं छीन लीजिए और प्रदेश में अमन-चैन कायम कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: +++ शब्द जिस संदर्भ में कहा, वह मर्यादित नहीं है। इसलिए उसको आप अंकित नहीं करके, वह अपलिखित कर दीजिये।

श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल ठीक बात है। वह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

असंसदीय नहीं भी हो, तो भी मैं मेरा शब्द वापस लेता हूं। क्योंकि देखो, स्पीच में आ जाता है। गृह मंत्रीजी अच्छे हैं, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, यह मेरी व्यथा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप भी खानदानी आदमी हो। आप भी असत्य नहीं बोलते हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन व्यक्ति कितना अच्छा है और कौन लाचार है, किस सरकार ने कितना कार्य किया, इस बात को मैं आंकड़ों सहित, प्रमाण सहित आपके बीच में रखना चाहूंगा।

सिर्फ इस बात से कि हमारे गृह मंत्री बहुत संजीदा हैं, शरीफ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, सबकी बात सुनते हैं और अनावश्यक किसी के पचड़ों में नहीं पड़ते, क्या इसका अर्थ यह निकाल लिया जाये कि राजस्थान की पुलिस वर्तमान में कोई कार्य कर रही है, या नहीं कर रही है? क्या अपराध के आंकड़े, हत्या के, बलात्कार के, डकैती के, मंत्री महोदय के गृह विभाग के पद पर आसीन होने के बाद बढ़े हैं, कि घटे हैं? इस बात को अगर हम आंकड़ों सहित रखें, प्रमाण सहित रखें और पुलिस विभाग की 2012-13, 13-14, 14-15 और 15-16 की प्रगति रिपोर्ट का अध्ययन करें, तो मैं समझूंगा, बड़े लम्बे समय के बाद इस दशक में राजस्थान के एक ऐसे गृह मंत्री के रूप में आदरणीय गुलाबजी ने, माननीय सदस्य महोदय ने, विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है कि केवल डकैती को छोड़कर, केवल डकैती को छोड़कर, क्योंकि डकैती में यह ग्राफ 64 के बजाय 68 हुआ था, उस एक फिगर को छोड़कर, नौ अपराधों में पहली बार इस दशक में कमी आई है। पहली बार!

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग और हमारा राजनेता वर्ग, ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। छुट्टी की बात इन पर भी लागू है और, मेरी समझ में, छुट्टी की बात हम पर भी लागू है। कहने के लिए, चाहे सातों दिन छुट्टी हो, या सुबह सात बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कार्य करना हो। ना मिले छुट्टी, छह महीने भी नहीं मिले, और इमरजेंसी आ जाए तो जिस प्रकार एक पुलिस वाले को कार्य करना पड़ता है, एक राजनेता को भी सुबह उठकर, साल के 365 दिन निरन्तर, लगातार प्रयासरत रहकर अपनी जनता के लिए कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत, जब भी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

किसी बात का ठीकरा फोड़ना होता है, श्रेय मिले ना मिले, आम तौर पर ये दो वर्ग ऐसे हैं, जब भी किसी बात का ठीकरा फूटना हो, तो प्रशासनिक दृष्टि से पुलिस पर और राजनीतिक दृष्टि से विधायक पर; ये एक बनी हुई परिपाटी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस परिपाटी के विपरीत राजस्थान पुलिस ने 2014-15 और 15-16 में, इन विगत दो वर्षों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य किये हैं, जिनकी बदौलत राजस्थान की पुलिस का नाम पूरे देश में हुआ है।

जहां तक बात मैं हमारे गृह मंत्री महोदय की करूं, दो ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण मेरे पास हैं जिनमें गृह मंत्री महोदय ने पहल करके राजस्थान के इतिहास में, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे दो बड़े उदाहरण इन्होंने दिये हैं जो शायद आज तक नहीं हुए। इससे इस बात का प्रमाण होता है कि राजस्थान पुलिस पूर्ण रूप से हमारे गृह मंत्री महोदय के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कार्य कर रही है। दुर्भावना से कार्य करने की बात आज तक दो साल में नहीं आयी। भ्रष्टाचार की बात निश्चित रूप से गृह विभाग से दूर जाती आ रही है। हां, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि कुछ व्यक्ति, चाहे वह आपके वर्ग में हों, चाहे पुलिस के वर्ग में हों, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य हित के साथ कम्प्रोमाइज किया। निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाही होनी चाहिए, चाहे वह राजनेता हो, या पुलिस का व्यक्ति। परन्तु कुछ ऐसे भी आई.पी.एस. व्यक्ति हमारे बीच में विराजमान हैं, आर.पी.एस. हमारे बीच में विराजमान हैं, जिन्होंने तत्परता के साथ कार्रवाही की, अपनी कार्यकुशलता का प्रमाण दिया। राजस्थान पुलिस में आज गर्व के साथ उनका नाम लिया जाता है।

राज्य में वर्ष 2015 में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 1,98,080 अभियोग पंजीबद्ध हुए। बढ़ती हुई जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी बदल रहा है, संचार और परिवहन के साधनों में व्यापक विस्तार हुआ है। उसके बावजूद इन विगत दो वर्षों में राजस्थान की पुलिस ने किस प्रकार से निम्न, जो मैं अभी उल्लेख करूंगा, किन अपराधों में कैसे कमी पाई, वह मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा।

खास तौर से मेरा जिला हनुमानगढ़ बार्डर पर आता है। गंगानगर तो अपनी अन्तरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी बार्डर-लाइन शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ। इन दोनों जिलों में अन्तरराज्यीय पुलिस के साथ

(श्री अभिषेक मटोरिया)

मिलकर, कई ऐसे गम्भीर आपराधिक प्रकरण थे और अन्तरराज्यीय गिरोह थे, जिनका पर्दाफाश राजस्थान की पुलिस ने किया। 2015 में आई.पी.सी. में 2014 की तुलना में 5.86 प्रतिशत की कमी आई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कमी आई है, यह पूर्ण रूप से एक साल के सत्ता हस्तांतरण के बाद का लेखा-जोखा बता रहा हूं मैं, 5.86। डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, चोरी, बलात्कार, इन सभी अपराधों में 2015 में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज अपराधों में पुनः इस साल पिछली बार से फिगर गिरकर, 6.17 प्रतिशत, अभियोग अन्वेषण विचाराधीन हैं और स्थानीय एवं विशेष अधिनियम में गत वर्ष की तुलना में 50.2 प्रतिशत अधिक कार्रवाही हुई है। यह एक बहुत बड़ा फिगर है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 50.2 प्रतिशत अधिक कार्रवाही होना इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान पुलिस और गृह विभाग गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में निश्चित रूप से कार्रवाही करने को तत्पर हैं।

इसके अलावा, महिला अत्याचार सम्बन्धी सचेतक महोदय बता रहे थे, और विपक्ष में होने के नाते, सचेतक के रूप में आपने अपना दायित्व निभाते हुए आपका फर्ज बनता है कि सरकार की कमी को उजागर करें, पुलिस की नाकामियों को सदन के पटल पर रखें, परन्तु जो अच्छे कार्य राजस्थान की सरकार ने और गृह विभाग ने किये, उसी का प्रमाण है कि महिला अत्याचार सम्बन्धी अत्याचारों में गत वर्ष की अपेक्षा 2015 में 9.55 प्रतिशत की कमी आई है। उसके मुकाबले चालानी का, अभी आप बता रहे थे कि चोरी जैसे जघन्य अपराध में, मैं मानता हूं, चोरी से ज्यादा 307, 302, 376 बहुत बड़े ऐसे-ऐसे अपराध हैं, जो चोरी के मुकाबले कई अधिक संगीन हैं, परन्तु महिला अत्याचार सम्बन्धी मामलों में कितना चालान हुआ है, 98.89 प्रतिशत।

एस.सी./एस.टी. की बात भी यहां कही गई कि एस.सी./एस.टी. के साथ अत्याचार हो रहा है, चालान नहीं पेश किये जा रहे, राजस्थान पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्ष 2015 में जो अत्याचार सम्बन्धी आंकड़ा है, उसमें 13.1 प्रतिशत कमी के साथ-साथ, चालानी प्रतिशत...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह महिला अत्याचार वाला आंकड़ा कहां से लाये हो? यह प्रतिवेदन दूसरी बात कह रहा है, आप दूसरी बात कह रहे हो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): कौन से साल का खोला है, सर, आपने?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह 2015 का है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 2014-15 और 15-16 के फिगर खोलिये। यह 2014-15 और 15-16 के हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह रहे मेरे पास। आप कहो तो टेबल कर दूं मैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, महिला अत्याचार सम्बन्धी।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपको आपस में वाद-विवाद करने की इजाजत किसने दे दी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बात तो सही है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सचेतक महोदय ने केवल उन्हीं फिगर्स का अवलोकन किया है जो फिगर उस...

श्री उपाध्यक्ष: सारे माननीय सदस्य अपने-अपने श्रीमुख से सत्य आंकड़े ही बताते हैं। आपके भी सत्य हैं, इनके भी सत्य हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया एक भी आंकड़ा अगर दायें से बायें हो, तो जिस प्रकार गृह मंत्री महोदय ने इनको कहा था, अभियोजन की बात पर भी मैं इनको निरुत्तर कर दूंगा। अगर एक भी आंकड़ा दायें-बायें हो, तो मैं सचेतक महोदय को चैलेंज करना चाहूंगा। इन सारे आंकड़ों का मेरे भाषण से मिलान कर लें और दोनों सालों के प्रगति प्रतिवेदन का मिलान कर लें, एक भी आंकड़ा इधर नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने भी जितने आंकड़े बोले हैं, एक भी आंकड़ा गलत हो, तो इस सदन में शाम को फैसला हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों अपने-अपने आंकड़े टेबल कर देना। दोनों अपने-अपने आंकड़े टेबल कर देना।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके आंकड़ों को तो मैंने चैलेंज ही नहीं किया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कल ही साफ हो गया था कि आंकड़ों का महत्व अब खतम हो चुका है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 99.4 प्रतिशत, मैं बताना चाहूंगा सदन को, एस.सी.-एस.टी. के मामलों में जो चालानी प्रतिशत है, वह 99.4 प्रतिशत है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अब बजट घोषणा 2016-17 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो गृह विभाग के लिए घोषणाएं कीं, उनमें प्रमुख रूप से प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाने के साथ-साथ अपराधियों को शीघ्र सज़ा मिले और त्वरित कार्रवाही, उसके साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथा अभियोजन विभाग को सुदृढ़ करना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी पहल में जो विचाराधीन बंदी हैं, उनको भी क्या-क्या, किस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, यह भी सरकार ने पहली बार सोचा है। आगामी तीन वर्षों में एक हजार सबओर्डिनेट आवास बनाने की योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत 190 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। पुलिस लाइन एवं थानों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए आगामी वर्ष में 28 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। पुलिस विभाग के निर्माणाधीन एवं नवीन प्रशासनिक भवन, जो लम्बे समय से विचाराधीन थे और अधरझूल में थे, उसके लिए राज्य सरकार ने 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

पुलिस आधुनिकीकरण की अगर मैं बात करूं, तो निश्चित रूप से पुलिस का आधुनिकीकरण, माडर्नाइजेशन होना चाहिए, परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बातों से माडर्नाइजेशन नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा प्रशासनिक विभाग है। बहुत बड़े, यहां पर जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में हैं। माडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है। परन्तु फिर भी पहली बार राजस्थान सरकार ने 34 करोड़ रुपये की लागत से उपकरण खरीदना, 10 करोड़ रुपये की लागत से वाहन खरीदने की जो राशि का समावेश इसमें किया है, यह पहली बार किसी बजट में देखने को मिला। उसके बाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, झालावाड़ की जो क्षमता 250 से 500 बढ़ाई गयी, वह भी सराहनीय है।

राष्ट्रीय पुलिस संचार नेटवर्क उपग्रह संचार तकनीक पर आधारित POL NET, यह अपने आप में आधुनिकीकरण का एक उदाहरण है। इसकी प्रणाली को अपग्रेड करने हेतु 37 VSATs, इससे बड़ा आधुनिकीकरण का प्रमाण हो नहीं सकता; इस पर 1 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत के नवीन उपकरण खरीदे जाएंगे, जिससे निश्चित रूप से साइबर क्राइम कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

प्रत्येक रेंज में एक साइबर क्राइम यूनिट स्थापित की जानी प्रस्तावित

(श्री अभिषेक मटोरिया)

है और इस हेतु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, राज्य में सुदृढ़ व्यवस्था बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

तो ये सारे के सारे जो बजट हैं, निश्चित रूप से गृह विभाग को मजबूत करेंगे।

अब कांग्रेस शासन-काल के दौरान 2009-2010 से लेकर 2013-2014 के दौरान पुलिस के लिए कुल मिलाकर जो आपने राशि रखी थी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे टोकें, उससे पहले मेरा 'आपसे' स्पष्ट मतलब कांग्रेस के लोगों से है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों ने कुल मिलाकर 9,687.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इसके संशोधित अनुमान बढ़ाकर आपने 10,420.26 करोड़ रुपये किये। अच्छी बात है। इन संशोधित अनुमानों की तुलना में 5 सालों के दौरान, कांग्रेस के शासन-काल के दौरान, 10,230 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। ठीक बात। 5 सालों के आपके बजट अनुमान की तुलना में आपने 543 करोड़ रुपये अधिक खर्चा किया। यह आपकी सरकार के समय हुआ।

अब केवल दो साल के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2013-2014 में भाजपा के सत्ता में आने के उपरांत 3 बजट जो पेश हो चुके हैं, उनमें अब तक का जो टोटल है वह इनके 5 साल के टोटल से कहीं अधिक है। 11,726.35 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है और संशोधित अनुमान 7,785.06 करोड़ का है। यह केवल 2013-2014 का है। उसके बाद 2014-2015 में पूर्ण रूप से जब सरकार ने इस बजट को पेश किया, तो यह फिगर, 3,471.55 करोड़ रुपये के प्रावधानों की तुलना में 3,600.81 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान पेश किये जा चुके हैं, जो कि अब तक 210.25 करोड़ अधिक है। केवल तीन बजट में इनके 5 सालों के टोटल, होम डिपार्टमेंट में जितना इन्होंने खर्चा किया, वह हमारी सरकार ने केवल 3 साल में कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खर्चा नहीं, यह तो अनुमान रखा, वह है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपके भी खर्चे नहीं बताये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, खर्चे बताये हैं आपने। 500 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किये हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, नहीं, 500 करोड़ रुपये, सर, अधिक हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): वे अनुमान से अधिक हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, तो खर्चे भी बताओ न साथ में।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नहीं, नहीं, खर्चे नहीं होते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 3 बजट के बाद में कितना किया?

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): These do not include expenditure, Sir. ये केवल खर्चे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आप मुझ पर छोड़ दें कि इनको जवाब देना है, या नहीं देना है। आप तो इधर मुखातिब होकर अपनी अभिव्यक्ति जारी रखें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रयास करूंगा कि आप ही की तरफ मैं ध्यान देकर इस बात की तुलना करूं, परन्तु बीच-बीच में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: और सबको यह हिदायत दी जाती है कि माननीय सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): यह बात बड़े सही समय पर कही, क्योंकि अब मैं जो फिगर पढ़ने जा रहा हूं, वे सुनकर तो निश्चित रूप से सारे सदस्य अगर चुपचाप मेरी बात सुनें तो बहुत बड़ी बात होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको यह ग़लतफ़हमी कब से हो गयी थी कि आसन सही बात नहीं कहता? आसन तो सही समय पर सही बात कहता है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2014-2015, विगत दो वर्षों में हमारी सरकार ने गृह विभाग और अपराधों के नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्या-क्या प्रयास किये। क्या हमारे प्रयास सराहनीय थे, सार्थक थे; हमारे प्रयासों से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, कमजोर हुई; क्या हमारे द्वारा अपराधियों को शरण दी गयी, या उनकी नकेल कसी गयी; यह सारी बात इन फिगर्स से स्पष्ट हो जाएंगी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक डकैती को छोड़कर, जिसमें हमारा ग्राफ 2014 में 64 था, जो 2015 में बढ़कर 68 हो गया, उसके अलावा, हत्या- 1,637, 2015 में 1,569; हत्या का प्रयास- 1,794, 2015 में 1,645; लूट- 1,301, उसकी एवज में 2015 का आंकड़ा 1,227; अपहरण- 5,671 मुकदमे दर्ज किये गये, जिसकी एवज में इस वर्ष 2015 में 5,426; बलात्कार की जो घटनाएं हुईं, वे- 2014 में 3,759 थीं, जो घट कर 3,644 हो गयीं; बलवा- 5,036 के मुकाबले केवल 4,024; नकबजनी की जो घटनाएं टोटल हुईं वर्ष 2014, में वे थीं- 6,379 और इस बार वे हुई हैं- 6,224, चोरी- 29,095 के मुकाबले 29,067; अन्य भारतीय दंड संहिता के तहत कुल मिलाकर जितने अपराध दर्ज हुए, 1 लाख 60 हजार 182 वर्ष 2014 में और वर्ष 2015 में 1 लाख 60 हजार के मुकाबले 1 लाख 48 हजार 786 । इन सभी का अगर हम योग लगाएं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो 2014 में जो अपराध थे, वह कुल 2 लाख 10 हजार 418 और 2015 में यह ग्राफ गिर कर 1 लाख 98 हजार 80 हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि एक डकैती को छोड़कर, जिसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है, सभी अपराधों में निश्चित रूप से गृह विभाग ने, पुलिस विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाही की और परिणामस्वरूप ग्राफ गिरा है?

जहां-जहां पुलिस को आवश्यकता थी कि तत्परता से कार्रवाही करे, पुलिस अपनी सतर्कता दिखाये, वैसे ही विद्युत चोरी रोकने के लिए जो प्रयास किये गये, वह 2012-13 में यह सरकार जाने से पहले, कांग्रेस के शासन काल के समय 10,103 थे और विद्युत चोरी रोकने के लिए यह जो दर्ज अभियोग थे, वे 2014 में बढ़कर 16,976 हुए और 2015 में 17,956 हुए। यह ग्राफ इसीलिए बढ़ा है कि राज्य में विद्युत चोरी को रोका जाए और अबाधित विद्युत आपूर्ति सबको मिल सके।

महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों में किस प्रकार से कमी आई है, 2014 में दहेज मृत्यु के जो आंकड़े थे, वह 408 से 463 बढ़े। निश्चित रूप से यह आंकड़ा दहेज मृत्यु का बढ़ा है। उसके अलावा, दहेज आत्महत्या का जो दुष्प्रेरण था, वह 2014 में 172 था, 2015 में 161 हुआ। महिला उत्पीड़न 2014 में 15,905, 2015-14,383 । यह ग्राफ भी गिरा है। बलात्कार के, महिलाओं के साथ, 2014 में कुल मामले थे- 3,759, जो घटकर 3,644 हुए। छेड़छाड़ के जो

(श्री अभिषेक मटोरिया)

टोटल मामले दर्ज हुए आई.पी.सी. के तहत, वे 5,999 थे, जो 2015 में घटकर 4,813 हुए। अपहरण के मामले महिलाओं के साथ 4,425 थे, जो घटकर 4,167 हुए। अन्य मामले जो आई.पी.सी. के तहत दर्ज हुए 1,484, वे घटकर 1,452 हुए। कुल मिलाकर महिलाओं के साथ 2014 में 32,152 मामले दर्ज हुए, जो घटकर 29,083 हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह घटते हुए ग्राफ से, ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कार्यवाही नहीं करना चाहते, या व्यक्तिगत रूप से कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को शह दे रहे हैं, परन्तु यह इस बात का प्रमाण जरूर है कि गृह मंत्री महोदय ने अपने विभाग के साथ अच्छा तालमेल बनाकर इन अपराधों में निश्चित रूप से कमी लाने के प्रयास किये।

अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध, जो अत्याचार 2012 में हुए 1 लाख 70 हजार 998, उनमें से कुल अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध अत्याचार थे 6,910, यानी-4.4 प्रतिशत; 2013 में ये थे 4.13 प्रतिशत, 2014 में ये घटकर हुए 3.99 प्रतिशत और 2015 में पुन: ये घटकर 3.69 प्रतिशत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से, मैं अपनी बात समाप्त केवल दो मिनट में करूंगा, आबकारी अधिनियम में जो कुल दर्ज प्रकरण हुए, यह आप चाहते हैं कि आबकारी में कार्रवाही हो, जो शराब माफिया है उस पर नकेल कसे, तो 2014 में जो 13,072 प्रकरण थे, वे 14,617 बढ़े। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत, नशे पर राज्य सरकार ने कंट्रोल किया, इस बात को यह दर्शाता है कि 823 प्रकरण 2014 में दर्ज हुए, जो बढ़कर 888 हुए। एक्सप्लोसिव्स एक्ट में 592 प्रकरण दर्ज हुए, जो बढ़कर 884 हुए, 824 हुए; जुआ एक्ट में 16,223 प्रकरण दर्ज हुए, जो बढ़कर 19,099 हुए; और आर्म्स एक्ट के तहत 5,232 प्रकरण दर्ज हुए, जो 5,894 प्रकरण, उसमें अधिक दर्ज हुए।

(14.58 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार से अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ सुझाव मैं इस विभाग में देना चाहूंगा। राजस्थान पुलिस द्वारा कुछ सकारात्मक पहल भी राजस्थान में की गयी है। राजस्थान देश में दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर 18

(श्री अभिषेक मटोरिया)

साल से कम उम्र के बाल मजदूर कार्यरत हैं और इनकी संख्या लगभग 26 लाख है। माननीय सभापति महोदय, बड़ी संख्या में राजस्थान में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से जो तस्करी करके बच्चे यहां पर लाये जाते हैं, उनको ढाबों पर, चूड़ी कारखानों पर, आरा-तारी, नगीने घिसाई और बहुत सारे ऐसे गैर-सामाजिक कार्य हैं, गैर-जरूरी कार्य हैं, जहां पर इन बच्चों को लगाया जाता है, जिनसे इनमें न केवल सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती हैं, बल्कि छोटी उम्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से ये बच्चे कमजोर होने लगते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, बुरी आदतों से ग्रसित हो जाते हैं, नशे की आदत पड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कहीं न कहीं आगे चलकर ये शातिर अपराधी का रूप लेते हैं। उस पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर जो, परिणामस्वरूप, तीन साल में जो कार्य किये, उसमें केवल अकेले जयपुर शहर में 1,500 से अधिक बच्चों को बाल-श्रम से मुक्त करवाया; विगत दो वर्षों के दौरान बाल-तस्करी के 426 प्रकरण दर्ज किये गये,

(15.00 बजे)

जिसमें 376 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जयपुर-उत्तर में 211, जयपुर-पश्चिम में 80, मेरे पड़ोसी जिले गंगानगर में 74 प्रकरण दर्ज किये गये। राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ बनाये गये जिसमें, परिणामस्वरूप, जनवरी, 2015 में आपरेशन स्माइल, जुलाई, 2015 में आपरेशन मुस्कान, जनवरी, 2015 में आपरेशन स्माइल-टू, इन सभी विशेष अभियानों के माध्यम से गुमशुदा, लापता, लावारिस बाल श्रमिकों की तलाश करके, इनके माता-पिता तक पहुंचाकर, 1,800 से अधिक बच्चों को पुनर्वासित करने का काम राज्य सरकार और गृह विभाग ने किया है।

सभापति महोदय, एक अभिनव पहल का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, जो कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में प्रथम बार हुई है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके द्वारा बच्चे पुलिस के सम्पर्क में आते हैं और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पुलिस का व्यवहार संवेदनशीलता से भरा हुआ हो और पुलिस उनको परामर्श दे, अच्छी कानूनी मदद करे, उनकी देखभाल और संरक्षण जैसे कार्य करे। ये बहुत सारी सेवाएं अगर पुलिस उनको प्रदान करेगी तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम होंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जयपुर पुलिस द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ और स्वयंसेवी संस्थाओं के

(श्री अभिषेक मटोरिया)

साथ मिलकर, राजस्थान ही नहीं, देश में पहली बार महिला थाना गांधी नगर में वन स्टाफ क्राइसेस मैनेजमेंट सेंटर फार चिल्ड्रन, 'स्नेह आंगन' की शुरुआत 28 जून, 2014 को की गयी। इसके तहत 1,200 से अधिक बच्चों को, जिनमें 1,100 से अधिक बच्चे बाल-श्रम से मुक्त करवाये गये तथा 40 से अधिक बच्चों को, जो लावारिस थे, गुमशुदा थे, उनको अपने माता-पिता को सौंपा गया। यह देश का पहला ऐसा सेंटर है, जो संचालित किया जा रहा है।

अब अन्तिम रूप में मैं सुझाव जो माननीय गृह मंत्री महोदय को देना चाहूंगा कि यह बात सत्य है, जो आपने बतायी, कि कांस्टेबल के 5,500, हैड कांस्टेबल के 7,500 और एस आई, ए एस आई के 3,000 पद खाली हैं। अपराधों पर नियन्त्रण में, मैं चाहूंगा, निश्चित रूप से इन पदों को भरा जाए। यह कमी है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिये।

पुलिस के आधुनिकीकरण और आधुनिक हथियार पर और कम्यूनिटी पुलिस प्रणाली, जिसका जिक्र माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में किया था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में भी ए.डी.जी. स्तर के अधिकारी का पद सृजित किया गया है, उसमें भी हम सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नोहर में मेरे एडिशनल एस.पी. का दफ्तर, पूर्ववर्ती सरकार ने भादरा में खोल दिया था, जो कि मेरे जिले का अन्तिम छोर का विधान सभा क्षेत्र है, जो कि सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से किया गया था; हर दृष्टि से जनता की सहूलियत के लिए दफ्तर न केवल नोहर में खुलना चाहिये, बल्कि हनुमानगढ़ में जितनी भी चौकियां हैं, उनको मजबूत करने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराये जाएं और अतिरिक्त नफरी भी हो।

इसके अलावा, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक सी आई को, बहुत कम देखने को मिलता है, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार किसी पुलिसकर्मी को टर्मिनेट करें; एक पुलिसकर्मी को टर्मिनेट किया गया और जिन कारणों से टर्मिनेट किया गया, वह कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। आम तौर पर सर्विस रूल्स में, आर एस आर में बहुत कम कारण होते हैं। या तो पुलिस वाला कायरता से पीठ दिखाकर भाग जाए, या कोई आचरण का बहुत बड़ा आरोप हो, या भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी बात हो, कि उसको तुरन्त प्रभाव

(श्री अभिषेक मटोरिया)

से टर्मिनेट किया जाए। ऐसी बात नहीं थी। केवल एक छोटी गलती निश्चित रूप से उस पुलिस विभाग के कर्मी द्वारा हुई। वह सी.आई. के पद पर था। हम सबने डेलीगेशन के रूप में मंत्री महोदय को उसकी पीड़ा बतायी, उसकी बात बतायी। आप उसका इन्क्रीमेंट रोको, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाही करो, परन्तु टर्मिनेशन जैसी जो कार्रवाही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आनन-फानन में की गयी, न केवल इन्होंने वापस ली, बल्कि उसको बहाल किया और एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के लिए, आज पूरी राजस्थान पुलिस में गर्व है कि उसको बहाल किया गया।

इसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अभियोजन स्वीकृति की जहां तक बात है, 52 ऐसी महिलाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, जिनकी कांग्रेस शासन काल के दौरान बिना देखे अभियोजन स्वीकृति दे दीं। सिर्फ 420 के मुकदमे थे। उसमें विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, केवल 400 रुपये की आंगनबाड़ी की नौकरी लगने की बात थी। उन सबकी एक बाबू ने शिकायत की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अशोक सिंघवी की तो अभी नहीं अभियोजन स्वीकृति।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): यह बीच-बीच में बोलने की आदत क्या है? आपने अपनी बात रख दी, मैं अपनी रख रहा हूं। किसी को जच रही है वह सुन लेगा, नहीं जच रही है, तो कोई बात नहीं। यह बीच में बोलने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आप तो वैसे ही सचेतक हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभियोजन स्वीकृति में उन 52 महिलाओं की कांग्रेस सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी और कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा। परन्तु पुनः उन 52 महिलाओं को लेकर मैं गृह मंत्री महोदय के यहां गया, यह रिकार्ड पर है, और जब यह बात इनको बताई, तो गृह मंत्री महोदय ने प्रोसीक्यूशन डायरेक्टर को कहा कि इतनी-इतनी महिलाएं, केवल 420 का प्रकरण, 400 रुपये की तनख्वाह ले रही हैं, आंगनबाड़ी में कर्मचारी, और आप इनको जेल भेजना चाहते हों। पुनः उसकी समीक्षा की, इसको वापस भेजा। ए.डी.पी., कलक्टर और एस.पी., तीन राय प्रमुख होती हैं कोई भी केस वापस लेने के लिए, वह केस वापस चला गया और वे 52 महिलाएं, किसी पार्टी विशेष की नहीं हैं, किसी दल

(श्री अभिषेक मटोरिया)

विशेष की नहीं हैं, किसी क्षेत्र विशेष की नहीं हैं, उन 52 महिलाओं का पुन: निरीक्षण, वह जो फाइल है, उसकी सारी की समीक्षा दुबारा होगी और मुझे पूरा विश्वास है, वह केस वापस होगा। ऐसी भी अभियोजन स्वीकृति माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, ये सारी पहल इस गृह विभाग में हुईं।

आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आज गृह, पुलिस और कारागार की मांग पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, देश के विकास की कड़ी में चाहे वह उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, पर्यटन हो, या सामाजिक कल्याणकारी कोई भी व्यवस्था हो, उसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है, यह पार्ट रहता है। एक प्रदेश का अन्य प्रदेशों में माहौल अच्छा करना हो, तो निश्चित रूप से पुलिस का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है।

माननीय सभापति महोदय, कमियां बताना एक बहुत सहज प्रक्रिया होती है, लेकिन एक अच्छाई को एप्रीशिएट करना, यह भी अपने स्वभाव में होना चाहिये। अभी प्रतिपक्ष के बन्धु जो बोल रहे थे, आपने भी बहुत अच्छे सुझाव दिये। बस सोच का नजरिया एक ऐसा होता है, हम तो कहते हैं कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है और आप कहते हों, आधा गिलास खाली है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सोच का नजरिया अलग है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार आयी, जैसा अभी बता रहे थे माननीय सदस्य, अपराधों में गिरावट आयी है और उसका एक ही कारण है, तत्परता। मैं छोटे-मोटे विषय के आंकड़ों में जाने से पहले, एक तो मैं गृह मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, इन्होंने क्या किया कि सम्भागीय स्तर पर इस तरह की एक पहल की और उसमें बिलकुल जांच, कि हमारे जिले की पुलिस, एस.पी., वगैरह क्या कर रहे हैं और क्या उनका मापदण्ड होना चाहिये, इस प्रकार करके एक अपराध की गोष्ठियां, अपराध को रोकने के लिए कुछ गोष्ठियां ऐसी कीं, अधिकारियों के साथ। उसका असर यह हुआ कि पुलिस सजग हुई और पुलिस अपराध को रोकने के अन्दर कामयाब हुई है। इस पहल के लिए भी मैं गृह मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दूसरा, आपने थानों की जो मूल्यांकन व्यवस्था की, थानों को ग्रेड दिया कि कौनसा थाना, अपने जिले में अगर दस-बीस थाने हों, तो आपस में एक काम्पीटिशन हुआ कि कौनसा थाना अपराध को रोकने में पहल करता है। तो उस थाने का जो आपने मूल्यांकन किया, उससे भी अपराधों में कमी होने में एक बहुत बड़ी सहायता हुई है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हर जिले में एक ए.डी.जी. लेवल के अधिकारी को आपने प्रभारी बनाया। वह भी एक कारण हुआ है, कि कहीं न कहीं अपराध रोकने में गति आई है।

माननीय सभापति महोदय, थानों के मूल्यांकन के विषय में, थानों का चयन भी आपने किया है। मतलब यह है कि उसने अगर काम किया है तो उनका एप्रीशिएशन करना ही चाहिये।

सी एल जी कमेटी वाला विषय है, उसका भी पुनर्गठन का अच्छा निर्णय किया है।

अब आपने पुलिसकर्मियों के काम को, अगर उन्होंने कोई संगीन अपराध खोला है, तो उनकी निश्चित रूप से पदोन्नति होनी चाहिये और वह आपने की है। चाहे खेलों में जिसने शोहरत हासिल की है, तो उनको भी आपने पदोन्नति दी है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा काम जो पिछली सरकार नहीं कर पायी, कहीं न कहीं अड़चनों के उस मायाजाल के अन्दर, नियमों के मायाजाल में अटकती रही, और यह धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गृह मंत्री महोदय को और पूरे विभाग को, यह पहली बार हुआ है कि 2016 तक आपकी डी पी सी एक भी पेंडिंग नहीं। जिनको भी आपको प्रमोशन देना है, जो भी डी पी सी हुई हैं, सारी क्लीयर कर दीं। यह पहली बार हुआ है। 2016 तक जीरो पेंडेंसी है। अब यह पहले आप नहीं कर पाये। यह आपकी कमजोरी तो रही है। (व्यवधान) चलो, वह भी कर देंगे।

दागी पुलिसकर्मियों के रिकार्ड वाला, मतलब, एक पुलिस अधिकारी का रिकार्ड तैयार करना, वह कौनसी कैटेगिरी का है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को एक निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे 2003 से 2008 तक आपने ग्रेड तय किया था, वह 'सी' कैटेगिरी का है, या 'बी' का है, या 'डी' का है, या 'ए' कैटेगिरी का है। 'ए' कैटेगिरी के अफसर को निश्चित रूप से फील्ड पोस्टिंग बढ़िया

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जगह पर मिलनी चाहिए। वह काम करेगा, तभी उसका मनोबल ऊंचा होगा, कि वह अच्छा काम करेगा तो उसे सही काम करने का मौका मिलेगा। तो यह जो ग्रेड पालिसी बनायी, उसको आप वापस मजबूती से लागू करो।

एक आपने बनाया था केस आफिसर, वह नियुक्त कर दिया था। केस आफिसर उसके केस की रिपोर्ट करेगा, वह जवाबदेह होगा। इसको भी आपने वापस एकदम एक्टिव किया तो है।

एक बीट प्रणाली है, माननीय सभापति महोदय, जब तब आप आपके बीट आफिसर को सुविधा नहीं दोगे, उसको साधन दो, उसको वाहन का भता दो। बीट अगर मजबूत होगी, यह बीट एक ऐसी इकाई है जो थाने की अन्तिम इकाई है, जहां पर ग्रामीण से उस बीट आफिसर का सीधा संवाद होता है। तो बीट आफिसर को, बीट प्रणाली को इतना मजबूत करो कि नीचे तक के अपराध पर, छोटे-मोटे अपराध पर कमी आ जाए। यह काम आपको करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा काम है, यह पहली बार हुआ है और आप अगर होते तो आप वास्तव में यह नहीं कर पाते, एक साथ 12 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती। नहीं तो आपको यह अधिकारी देते कि भई, यहां पर ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं है। गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ट्रेनिंग के लिए यहां जगह नहीं है तो बाजू के प्रदेश में भेजो, लेकिन भर्ती तो करनी पड़ेगी। यह पहली बार हुआ है, एक साथ 12 हजार और उनको मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो यह बहुत बड़ी कमी पूरी होती है।

उसके बाद भी आज जो नफरी कम है, इसको बढ़ाने के लिए मैं तो, माननीय सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया और गृह मंत्री महोदय, दोनों को निवेदन करूंगा कि इस पुलिस बल के लिए जितना भी फंड चाहिए, जितना आपका बजट आपकी देने की मंशा हो, उससे कहीं ज्यादा करो, जिससे अगर पुलिस बल मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से प्रदेश की इमेज बढ़ेगी, प्रदेश में उद्योग धंधे आयेंगे, प्रदेश में प्रवासी आयेंगे, प्रदेश में पर्यटन विकास होगा, पुलिस मजबूत होगी। तो उसको, पुलिस को यह कमी मत आने दो कि उसकी फंडिंग की कमी के लिए यह पुलिस व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसमें हमें कम से कम मजबूती लानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों में जो है, अपराधों में जो 5.86 कमी हुई है, यह तो बता दिया है, महिला अत्याचार में भी कमी हुई है; 25

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

प्रतिशत की आबकारी अपराधों को पकड़ने में जो वृद्धि हुई है, यह बताता है कि यह पुलिस और यह सरकार कितनी जवाबदेह हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज का वातावरण और आज से 25 साल पहले, बाप और बेटे के अन्दर भी मर्यादा और सम्बन्ध में, उसमें आज कमी हुई है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, अपराध निश्चित रूप से बढ़ेगा। उन अपराधों में कमी करने के लिए आपको और क्या-क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आज यह साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उस साइबर क्राइम को रोकने के लिए, माननीय गृह मंत्री महोदय, यहां हैडक्वार्टर लेवल पर एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए, जिसमें जो कुछ भी व्यवस्था है आज, आज मान लो, कई जगह जैसे साम्प्रदायिक दंगे हुए, वहां हमें इन्टरनैट वगैरह को एकदम बंद करना है, लेकिन आपके वह व्यवस्था नहीं है। तो हैडक्वार्टर लेवल पर आपको एक ऐसी ब्रांच डवलप करनी पड़ेगी जिसमें कम से यह सोशल मीडिया के तौर पर जो अपराध बढ़ रहा है, उन अपराधों की रोकथाम करने के लिए हमें इस बात को करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद तो सब ने दिया है, हम भी देते हैं, कई समय के बाद पिछली बार में पुलिस एक्ट बना था, उसके लिए तो बिलकुल धन्यवाद के पात्र हैं।

एक संगीन अपराधी जो होते हैं, उनके अपराध को, सच उगलवाने के लिए पुलिस को थर्ड डिग्री करनी पड़ती है। उसके बाद में यह मानवाधिकार और यह सारे, कई-कई लोग आ जाते हैं, कोर्ट आड़े आ जाता है। इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। आदतन अपराधी को अगर थर्ड-डिग्री नहीं दोगे, तो वह अपराध नहीं खोलेगा। सभापति महोदय, मैं एक पुरानी बात कह रहा हूं, 2004-05 में एक भरत देवासी कर के गुडा इंडला के अन्दर, उसने एक पाली के किसी अपराधी को, जिसके ऊपर आठ-आठ, नौ-नौ बलात्कार के केस चल रहे थे, आठ-आठ, नौ-नौ नकबजनी और चोरी, डकैती के केस चल रहे थे, उसको थर्ड-डिग्री दी। निश्चित रूप से उसकी डैथ हो गयी हवालात में। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। आप बैठें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। मैं कह रहा हूं....

श्री सभापति: बैठें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, थर्ड-डिग्री की आपकी बात वाजिब है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ा बदमाश है, तो उसको एन्काउंटर की परमिशन भी दें, जैसा इस सरकार में पहले होता आया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हनुमानजी, अध्यक्षजी ने मना कर रखा है न बोलने के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपको अध्यक्षजी ने मना किया है न बोलने के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसा है, अध्यक्ष जी भी चुन कर आये हैं और मैं भी चुन कर आया हूं। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? गलत तरीका है यह। आसन का सम्मान नहीं कर रहे हो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अपना ध्यान रखो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। बैठिये। बैठें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपकी पीड़ा हम जानते हैं, क्या तकलीफ है आपको। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): और मैं आपकी पीड़ा जान रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो सही हूं एकदम।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, कहीं न कहीं अपराध को रोकने के लिए पुलिस का मनोबल मजबूत तो करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें।

एक अभी बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं न कहीं हमें ऐसी रोकथाम करनी पड़ेगी पुलिस हैडक्वार्टर से और गृह मंत्री महोदय को, यह हर 354 के महिला उत्पीड़न के जो केसेज हैं, उसमें 164 के बयान कराना कम्पलसरी कर दिया। इससे क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। छोटे-छोटे आपस के झगड़े हो गये, कहीं प्रोपर्टी को लेकर, या कहीं आपस में पड़ोसी के झगड़े हो गये और एक महिला बीच में आयेगी, थोड़ी मारपीट हो गयी और वह महिला कुछ न कुछ उत्पीड़न के केस लगाती है, 164 के बयान होते हैं और 164 के बयान के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बाद सामने वाले से दस-बीस लाख रुपये की मांग होती है। यह ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है? माननीय सभापति महोदय, इस चीज को हमको करना पड़ेगा। यह पहली बार हुआ है। धारा 354 के अन्दर 164 के बयान कराना जरूरी नहीं है। जब तक कोई झगड़े के अगर साबित नहीं होता, तो नहीं कराना चाहिए। इस बात को भी आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक इसी बात में मैं आज आपको बताऊं। माननीय सभापति महोदय, एक जयपुर का रैकेट चलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, बड़ा संगीन अपराध होता है, कैसे-कैसे लोगों को, व्यापारियों को, प्रवासियों को फंसाया जाता है। जयपुर से एक लड़कियों का रैकेट चलता है और एक हजार किलोमीटर दूर रानीवाड़ा के पास बड़गांव के अन्दर किसी लड़के को बुलाया जाता है और एक आबू रोड में होटल के अन्दर कमरा बुक कराया जाता है। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है, 164 के बयान करवाती है और उसका जो भी तालमेल होता है, सेटोसेट हो जाता है, पैसा दिलवा दिया जाता है। यह कैसा अपराध है! जयपुर से चल कर, आबू रोड के थाने से एक रैकेट चलता है। यह कैसा अपराध! क्या हुआ! बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी केस की रिपोर्ट के, एक आदमी को चार-चार दिन उठा दिया जाता है और कहने के बाद वापस छोड़ दिया जाता है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कहूंगा, यह इस प्रकार के रैकेट जो भी हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए पुलिस को कहा जाए। कम से कम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यह प्रवासी, यह इनमें दहशत हो जायेगी। यह अभी जो घटना हुई है, उसका मैंने जिक्र किया है। याद आ गया, इसलिए।

माननीय सभापति महोदय, एक किसी भी सज़ा के प्रावधान में तीन कड़ियां हैं, एक तो है पुलिस, एक है न्यायपालिका और एक है जेल। तीनों अधिकारियों की कभी न कभी माननीय न्यायपालिका से भी कंसल्ट करके, उनसे निवेदन करके, एक तीन-चार महीने में ऐसी ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए, जिससे जेल में जो अपराधी हैं उसके तौर और तरीके पर पुलिस को ज्यादा ध्यान होता है, तो सभी को कम से कम ध्यान हो जाए। तो एक समन्वय, एक मीटिंग यह होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जेलों वाला विषय, आज जो बड़ी जेलें हैं, उनमें सारे प्रदेश में, मुझे लगता नहीं है, 18-20 हजार से ज्यादा कैदी होंगे।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

इसके अन्दर सिर्फ 10 परसेंट हार्डकोर अपराधी होता है। 498 में कोई व्यापारी पकड़ा गया, महिला अत्याचार वाले विषय में, दहेज प्रताड़ना के विषय में, वह अन्दर आ गया, उसे जेल भेज दिया जाता है। वहां हार्डकोर अपराधी बैठा होता है। देखा कि आज तो बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है, उसको जैसे भी लूटने-खसोटने के लिए वे अपराधी इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं न कहीं अपराध और जन्मता है।

सभापति महोदय, इस बात पर भी हमें चिंता जाहिर करनी होगी, इस बात को हमें चिंतित होकर के लेना पड़ेगा कि ये जो 10 परसेंट हार्डकोर अपराधी हैं, इनके लिए जंगल, चंबल के बीहड़, जंगलों में एक ऐसी जेल बनाई जाये, चारों तरफ जंगल है, अगर अपराधी खुलकर के चला जायेगा अकेला, तो जंगल में किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जायेगा। अन्यथा ऐसी जगह पर बनाई जाये, जहां दूरदराज तक कोई मोबाइल का टावर ही नहीं हो। कम से कम ये जो प्रोपर्टी के और इस प्रकार के जो हार्डकोर अपराध होते हैं, ये हार्डकोर अपराधी क्या करते हैं, ये एक चेन चलाते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी चेन होती है और दुर्भाग्य से, उसमें कहना पड़ता है कि जेल के अधिकारी भी उसमें उलझ जाते हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, जंगल में बनाई हुई जेल भी माननीय जहाजपुर से आने वाले सदस्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप रहोगे ना। फिर क्या दिक्कत है?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): रामलाल जी, बिल्ली के ख्वाब में आने से छिंछड़े नहीं मरते हैं। धीरज गुर्जर को जेल में डालो, इतनी आपकी औकात नहीं है। अपनी हैसियत में रहा करो। मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सुनो मेरी बात।

श्री सभापति: बस, बस, आप बैठो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): चलो, कोई बात नहीं। नाराज नहीं हों। उन्होंने मजाक किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने भी मजाक ही किया है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, वास्तव

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

में 10 परसेंट ही हार्डकोर अपराधी होते हैं। इनके लिए कोई अलग जेल बनानी चाहिए। अन्यथा तो क्या होता है कि छोटे-मोटे अपराधों में कोई वहां जाता है, तो उस आदमी का वहां बहुत शोषण होता है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बहुत पुरानी समस्या है, इस बात को विधायिका को भी सोचना चाहिए, कोई न कोई ऐसा नियम तो बनाना पड़ेगा; छोटी-मोटी नकबजनी और ऐसे छोटे-मोटे केस और उन केसों में चालान में देरी हो गई, आई ओ का ट्रांसफर हो गया, आई ओ जैसलमेर से चला गया जयपुर और 10 साल बाद, 15 साल बाद भी उसे जैसलमेर कोर्ट में पेशी पर जाना पड़ता है। जब आई ओ वहां जाता है, तो किसके साथ क्या अपराध हुआ था, वह भूल जाता है। सामने वापस चेहरा देखता है, फाइल देखता है, 10 लोगों से पूछता है और उसके बाद में करता है। आई ओ तो चला गया लेकिन आई ओ की कुर्सी तो वही है ना। इसकी भी कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक आई ओ जयपुर से जैसलमेर जाता है, 3 दिन खराब होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। उसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग से आई ओ के बयान ले लिये जायें या ऐसा कोई कानूनविद् बैठकर इसमें कोई नियम बनायें। यह पुराने जो चल रहे हैं, इस ढर्रे को अब छोड़ो। चेंज तो करना पड़ेगा। आज समय की मांग है। आई ओ रिटायर हो जाता है और उसके बाद भी पेशी पर जाता है, बरसों तक पेशी पर जाता है, और अपराध कैसे, मामूली अपराध। इसमें भी कहीं न कहीं, कम से कम वीडियो कांफ्रेंसिंग से उनके बयान जिला लेवल पर हो जायें।

सभापति महोदय, इसके बाद में एक चीज है, जेल में जो कैदी होता है, उसकी हरकत, उसकी दिनचर्या से वाकिफ जेल का अधिकारी कम होता है, बनिस्पत पुलिस वाले के। पुलिस को भी जब प्रमोशन के बाद आप नान-फील्ड पोस्टिंग देते हो, उसमें कुछ लोगों को जेल में भी पोस्टिंग दो। आखिर उसको साल-2 साल नान-फील्ड में जाना पड़ता है। तो उसमें यह भी दो, जिससे जेल में रहे कैदी की वह हरकत जानता है, कहीं न कहीं उसका सुधार होगा, कार्य प्रणाली में सुधार होगा। यह सुझाव है, मानें तो ठीक है।

एक जो छोटी-छोटी हवालात हैं, उसमें भी सी सी टी वी कैमरे लगाये जायं। अन्दर हवालात में अपराधी क्या कर रहा है, उस पर किसी न किसी अधिकारी की नजर रहे, सी सी टी वी कैमरे से। दूसरी बात, जो जेल होती है, छोटे हवालात, उसमें दीवार होती है, उसमें एक छोटी-सी जाली होती है। अब

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अपराधी ने अगर दीवार की ओट में आत्महत्या कर ली, तो मालूम ही नहीं पड़ता है। उसमें भी ऐसा कुछ रखिये कि जाली रहे, तो सबको नजर आये। ये छोटी-मोटी 2-3 चीजें हैं।

एक माननीय सदस्य: आप बिलकुल सही बोल रहे हों।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या सही है और क्या गलत, यह तो वे देख लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन और है कि हम पुलिस के विकास के लिए भी उनकी शिक्षा पर, उनका परिवार कैसे रहे और थानों में उनका मैस भत्ता, वगैरह, जो भी हैं, उनको देखें।

दूसरी बात, उनको आज के आधुनिक वाहन तो आपको देने ही पड़ेंगे। यह पुरानी जीपों से काम नहीं चलेगा। हाई पिकअप की गाड़ियां हर थाने में एक-एक होनी ही चाहिए। आप जो चौकी खोल रहे हों, उनमें भी एक-एक वाहन होना चाहिए।

सीमा के जो थाने हैं, जिनमें गौ-वंश की तस्करी और शराब की तस्करी होती हैं, उन थानों में, उन चौकियों में स्टाफ इतना मजबूत रखो और उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस रखो, जिससे बार्डर के, सीमा के जो भी थाने हैं, चौकियां हैं, उनको और मजबूत कर सकें। अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर जो इल्लीगल एलीमेंट आते हैं, उन पर भी नजर रखें। जो भी देश के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, उनको हम रोक सकते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जालौर जिले में एक विसंगति है, जालौर जिले में 2 ए.एस.पी. हैं, एक तो भीनमाल बैठते हैं और एक जालौर में बैठते हैं। भीनमाल ए.एस.पी. के पास में 3 सर्किल हैं- भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर, और जालौर एडिशनल एस.पी. के पास में 1 सर्किल जालौर है, जिसमें जालौर और आहौर दोनों आते हैं, लेकिन सी.ओ. सर्किल एक ही है। इसमें सी.ओ. सर्किल आहौर में और दूसरा भीनमाल वाला आफिस है। आज सांचौर में बार्डर होने के कारण क्राइम भी बहुत ज्यादा है; वहां से शराब तस्करी और गौ-वंश तस्करी के केसेज भी ज्यादा होते हैं, एडिशनल एस.पी. का आफिस वहां सांचौर में होना चाहिए। भाद्राजून थाना, यह स्टेट हाईवे पर है, भाद्राजून मेरे यहां चौकी है, जिसको भी थाना बना दिया, तो ये 4 थाने हो जायेंगे। एक सी ओ सर्किल आहौर में आवश्यक है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि पुलिस की हर बात की शिकायत तो रहेगी, चाहे पुलिस कितना भी काम कर ले, लेकिन मैं पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के कांस्टेबलों को इतना तो जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार सौभाग्य से जो दूसरी बार गृह मंत्री हैं, इतने मन से और दिल से काम करते हैं। एक उदाहरण तो मैं दोहराऊंगा निश्चित रूप से। यह पहली बार हुआ, जब पुलिस के किसी सीनियर अधिकारी पर सी बी आई ने शिकंजा कसा, तो राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने सी बी आई का डर छोड़कर राजस्थान की विधान सभा में यह कहा कि हां, दिनेश एन एम मेरे पुलिस विभाग का ईमानदार अफसर है। यह पुलिस बल की मजबूती से हिम्मत बढ़ाने का काम गृह मंत्रीजी ने किया है। ऐसे गृह मंत्री हमारे बीच में राजस्थान सरकार में हैं। शब्दों को मत पकड़िये। आप महान् हैं; आप हमारे गार्जियन हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना मतलब यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों जब तक पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ायेंगे, आज होली मनाने के लिए 3 दिन की छुट्टी हो गयी, सदन जा रहा है 3 दिन के लिए। पुलिस का क्या होता है, पुलिस में दूसरे दिन होली खेलते हैं। पूरे 48 घंटे की ड्यूटी के बाद वे होली खेलते हैं। क्यों? उनके परिवार नहीं हैं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम भी एक दिन पहले ही खेलते हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): वे 2 दिन बाद खेलते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, बस हो गया, पूरी बात हो गई। एक मिनट के अन्दर।

मैं फिर यही निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए बजट की एक्सट्रा व्यवस्था जितनी हम कर सकें, उससे भी और अधिक करें। एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। अगर कोई इस प्रकार का दागी पुलिस अधिकारी है, तो निश्चित रूप से उनको बिलकुल दोषित करो और दोषित करने के कारण से, यह महकमा भी अच्छा बनेगा, महकमे की एक अच्छी इमेज बनेगी और सरकार की एक अच्छी इमेज बनेगी।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया बोलने के लिए, मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मांग संख्या 16 और 17 के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कुछ कहूंगा। आज यह पुलिस और कारागार के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। पुलिस की छवि वैसे तो जैसी है, सब जानते हैं, पुलिस डंडे से काम करती है, लेकिन पुलिस इतना कठोर काम करती है, इतना कठोर परिश्रम करती है, उसको कोई नहीं देखता। हालांकि कई जगह मैंने कई कोटेशंस देखे, फ्लोरेंस नाइटेंगल जैसा कि उन्होंने पुलिस के बारे में अच्छी व्याख्या नहीं की; वे नर्स के लिए तो कहती हैं कि वे डेडिकेटेड है, डिवोटेड है; इसकी डेफिनेशन के अन्दर वे कहती हैं कि पोर्टर्स भी ठीक हैं, होर्सेज भी ठीक हैं, इवन होर्सेज का वे कहती हैं डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं, लेकिन पुलिस के बारे में उनकी राय ऐसी नहीं है। तो फ्लोरेंस नाइटेंगल की बात से मैं सहमत नहीं हूं। नर्स जैसे डेडिकेटेड है अपने मरीजों के लिए, वैसे पुलिस अपने काम के लिए भी डेडिकेटेड है; कई जगह पर अपनी जान को जोखिम में डालकर के भी काम करती है। इसलिए मैं पुलिस को उस नजर से नहीं देख रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं देखता हूं कि आज खास तौर से इस समय में हमारे काबिल और बेदाग गृह मंत्री के काल में क्राइम का ग्राफ निश्चित रूप से कम हुआ है। इसको अपोजिशन वाले मानें, चाहे नहीं मानें, गृह मंत्रीजी के नेतृत्व में विभाग ने भी कुछ पहल करके कहीं कुछ सम्मानजनक कार्य किया है। उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा, मंत्रीजी को और विभाग के अधिकारियों को भी।

माननीय सभापति महोदय, अधिकतर ऐसा होता है, पुलिस के खिलाफ ऐसा माना जाता है कि यह अपोजिट-टू-क्राइम है और अपोजिट-टू-क्राइम होने की वजह से अपोजिशन वाले भी यह सोचते हैं कि चूंकि हमारा नाम अपोजिशन नोमेंक्लेचर हो गया है, तो शायद हमको भी क्रिमिनल के रूप में नहीं ले लें कहीं। पर ऐसा समझकर पुलिस का विरोध करने वाले, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और न अपोजिशन के लिए उनकी ऐसी धारणा है। ऐसी

(श्री गोपाल कृष्ण)

बात है कि यदि कोई व्यक्ति हास्य व्यंग्य की बात करता है, हास्य और व्यंग्य कोई व्यक्ति, अगर ऐसे माननीय सदस्य बोलते हैं किसी के बारे में, तो उसकी नजाकत को भी समझना चाहिए। आजकल एक ऐसी अजीब-सी परम्परा हो गई है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, उसके खिलाफ खड़े होकर बोल देते हैं। हम किसी के प्रति कोई दुर्भावना से बात नहीं करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग के अन्दर विराट पर्व में यह भी कहा हुआ है कि शत्रु रपि गुणो ग्राह्य, दोषा वाचा गुरो रपि; शत्रु से भी गुण ग्रहण कर लेना चाहिए और गुरु को भी उसके दोष को बताने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। तो यदि शत्रु के साथ में अगर कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। व्यंग्य और हास्य की नजाकत को भी समझना चाहिए।

मैं अपनी तरफ से कुछेक बातें माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में मुरलीधर व्यास कालोनी को नया शहर थाने के अन्तर्गत रखा हुआ है, जो तीन-चार किलोमीटर दूर है। नया शहर थाना लगा हुआ है, वह पांच सौ मीटर की दूरी पर ही है। उसको हम बहुत अरसे से इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। तो उसको नया शहर थाने के अन्दर क्यों नहीं मिला दिया जाये, बार-बार हमारी ओर से निवेदन किया जा रहा है लेकिन पता नहीं? क्या बात सोचकर इसको नहीं मिलाया जाता, और दो-तीन किलोमीटर जाकर उनको किसी रिपोर्ट को करना पड़ता है।

विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में मुक्ता प्रसाद नगर में पुलिस थाना खोलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वह भी बहुत दूर है, नया शहर थाने से, इसके लिए भी थोड़ी बात अगरचे आप करें और अगरचे वायबल हो, तो थाना वहां पर भी खोला जाना चाहिए।

ट्रैफिक पुलिस की नफरी को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे बीट पर रात को जो पुलिस वाले जाते हैं, तो वह बीट में एक निश्चित अपनी परिधि बनाये हुए हैं, उस परिधि में ही चलते हैं। तो चोरों ने, नकबजनों ने, या जो भी क्राइम करने वाले हैं, उन्होंने देख लिया कि यह बीट वाले इसी रास्ते से जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। तो उस रास्ते को छोड़कर दूसरी जगह चोर अपना धावा बोलने के लिए अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। इसलिए यह देख लेना चाहिए कि कभी-कभी बदल-बदलकर, सभी मार्गों के अन्दर उनके बीट की पूरी घुमाई होनी चाहिए।

(श्री गोपाल कृष्ण)

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी अगर बीकानेर में खोला जाये। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं, कई दिनों से हमारी मांग भी है।

बीकानेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकियां प्राय: प्राय: सभी जगह खतम हो गई, जो पहले थीं। पुलिस चौकियों को खतम करने का क्या कारण है, यह पता नहीं चलता। इवन मेरे घर के पास ही आज से कोई 50-60 साल पहले से ही चौकी है, लेकिन वह अब चौकी नहीं रही और न वहां पुलिस वाले रहे और सब जगह पर पुलिस चौकियां, अधिक जगह पर बनी हुई नहीं हैं और न वे काम करती हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करूंगा कि कई सी आई, एस आई और कई अफसर 15-20 साल से एक ही जगह पर डटे हुए हैं, उनका उन लोगों से सम्पर्क हो जाता है और फिर वे उनकी मदद करते हैं और जिनकी खिलाफत करनी होती है, उनकी एफ आई आर दर्ज करवा देते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। यू आई टी में, कभी-कभी ए सी बी में, कभी-कभी एस आई, सी आई लगने की जगह पर, यू आई टी में पोस्टिंग कराने पर वहां पर प्लाट मिल जाता है जो वहां का काम करता है। यू आई टी के अन्दर तो ऐसे 15-20 साल हो गये और गृह जिला भी वही है बीकानेर, फिर भी वहीं पर बैठे हैं। कई दफा कहने के बाद भी उन लोगों को वहां से नहीं हटाते हैं और वे लोग अपनी वारदातों से लोगों को वहां फंसाने का और जो कुछ कर्म, गलत काम हैं, वे करते रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक बहुत अच्छा काम हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, कई जिलों में ए टी एम लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया बीकानेर के अन्दर। इस बात के लिए मैं, जिन लोगों ने यह काम किया है, पुलिस के आला अफसरों ने भी और पुलिस के और भी नीचे जो सबोर्डिनेट लोग हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया। इसके लिए मैं एप्रिशिएशन करूंगा निश्चित रूप से पुलिस के लोगों का, कि 41 मामलों का खुलासा किया गया है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि कारागृह के अन्दर से बंदी भागें नहीं, ऐसी व्यवस्था रहे; अन्दर मारपीट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था रहे। हत्या आदि के, या इस ढंग का कोई भी प्रकरण बने नहीं; हथियार बरामद होते हैं वे नहीं हों; मोबाइल बरामद होते हैं।

(श्री गोपाल कृष्ण)

इन सबका इंतजाम करना जरूरी है। सी सी टी वी कैमरे भी लगें। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही काम की चीज है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरी तो इतनी ही चीजें अगरचे आप एक तो पुलिस चौकियां वापस करवा दें, पुलिस नफरी पूरी ट्रैफिक के लिए बढ़ा दें, तो बीकानेर के अन्दर कुछ चोरियां कम हुई हैं, कुछ और कम हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपको पुन: धन्यवाद देता हुआ, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

आज पुलिस और कारागार की मांग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हम यह सोचते हैं कि आज की पुलिस कैसी हो, पुलिस की डेफिनिशन कैसी हो? मैं जब डिक्शनरी में देख रहा था तो उसमें पुलिस का मतलब यह लिखा था कि, ''the civil force of a state, responsible for the prevention and detection of crimes and the maintenance of public order.'' सभापति महोदय, क्या हम पुलिस को उसका यह कार्य करने दे रहे हैं? क्या हम पुलिस को इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि वह उसका मूल काम करे?

अभी एक पिक्चर लगी हुई है ''जय गंगाजल'' थियेटर्स में। मैं भी अपने परिवार के साथ देखने के लिए चला गया था। उसमें एक महिला पुलिस अधिकारी ने जिस बहादुरी से अपराधियों पर लगाम कसी, जब हम मूवी से निकले तो ज्यादातर लोगों का कहना यह था कि पुलिस ऐसी होनी चाहिए। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, उन्होंने यह कहा कि राजनीतिज्ञ ऐसे नहीं होने चाहिए। क्योंकि उसमें जो मूल अपराधी हैं, वे राजनीतिज्ञ हैं।

अगर हमें पुलिस को उसका कर्तव्य करने देना है तो राजनीतिज्ञों को एक साथ बैठकर निर्णय लेना होगा कि हम पुलिस के काम में इंटरफीयरेंस नहीं करें, उसको सही काम करने दें।

सभापति महोदय, आज पुलिस का मोराल बहुत डाउन है, जिसको हम मनोबल कहते हैं। मनोबल क्यों डाउन है? क्योंकि पुलिस को किसी जमाने में कहते थे कि पुलिस के डण्डे का डर अपराधियों में होना चाहिए, वह पुलिस का

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

डर आज नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वह बैकिंग, पालिटिकल बैकिंग, गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। यह डिपेंड करता है हमारे गृह मंत्री के ऊपर।

सभापति महोदय, यहां पर हमारे कई ऐसे प्रसंग आये जिनमें से मैं एक-दो आपको बताना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रियंका चौपड़ा की तरह बना दें।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): वैसे ही बनना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर तो सर्जरी करानी पड़ेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बड़े भारी प्रियंका चौपड़ा के चाहने वाले हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, अभी कोई सोहराबुद्दीन एन्काउंटर की बात कर रहे थे, सोहराबुद्दीन एन्काउंटर हुआ, वह एक टेरेरिस्ट था, यह साबित हो चुका है, लेकिन उसकी एवज में आज उन पुलिस अधिकारियों को क्या मिला, 7-8 साल तक वे जेल में पड़े रहे। उद्योगपति और नेता तो उसमें से निकल गये, लेकिन वे आज भी कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। घीया प्रकरण हुआ, उसमें पुलिस ने बहादुरी से उस मूर्ति चोर को पकड़ा, पकड़ने के बाद में उसको कोर्ट में पेश किया। आज क्या स्थिति है, जमानत हो गई और वह छूटकर बाहर घूम रहा है।

सभापति महोदय, पुलिस अपना कर्तव्य कैसे निभाए, उसका मनोबल कैसे बढ़ाया जाय। हमारे गृह मंत्री अभी कह रहे थे, डोटासरा जी बहुत साफ दिल इंसान हैं, साफ दिल इंसान हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिससे पुलिस का मनोबल डाउन होता है, जनता में पुलिस की छवि खराब होती है। जब कोई अपराधी पकड़ में नहीं आता, तो वे कहते हैं, सारे कुए में ही भांग पड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस का सबसे बड़ा आला अफसर कौन है आज? जब गुर्जर प्रकरण हो गया, जब हम विपक्ष में थे, तो गृह मंत्रीजी ने कह दिया, गुर्जर आंदोलन को सरकार ने सही टेकल नहीं किया। आप कैबिनेट में हों, आप गृह मंत्री हों, जिम्मेदारी आपकी है कि उसको टेकल करो। किसके ऊपर थोपना चाहते हों आप यह बात? दूसरों पर अपनी कमजोरियों को डालना, यदि आपकी नहीं चलती, तो आप कह देते, मैं गृह मंत्री नहीं रहता, मैं बाहर आ जाता हूं।

अभी-अभी इन्होंने कहा कि मैं ही आनन्दपाल हूं। अब यह बात कहने

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

से एक गृह मंत्री की विवशता पब्लिक के बीच में जाती है। ठीक है, अपराधी भाग गया, पुलिस कोशिश कर रही है, पकड़ में नहीं आया, आज नहीं तो कल पकड़ में आएगा, लेकिन गृह मंत्री यह कहे कि मैं ही आनन्दपाल हूं। यह कैसी पुलिस बनाना चाह रहे हैं? हम कैसी पुलिस आगे लाना चाह रहे हैं?

सभापति महोदय, पुलिस का बजट तो मुख्य मंत्रीजी ने खूब दिया है, उसका ये भरपूर उपयोग करें, पुलिस को वे सब सुविधाएं दें, लेकिन पुलिस का मोराल ऊपर करने के लिए, गृह मंत्रीजी, आपको विशेष प्रयास करना होगा, हम लोगों की भी जरूरत हो तो हम भी करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अपराधियों पर शिकंजा कसे, अपराधी जेल जायें, अपराधियों को सज़ा हो, अपराधी छूटकर नहीं भागें, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी होगी।

आज यह स्थिति आ गयी, मेरा एक कार्यकर्ता मुझे फोन करता है कि साहब, पुलिस वालों ने मेरे भाई को पकड़ लिया। मैंने कहा, क्यों पकड़ा? मोटरसाइकिल पर आ रहा था। मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो उसके कागज नहीं होंगे। बोला, कागज तो हैं, लेकिन वे कहते हैं, दारू पिया हुआ है। मैंने कहा कि दारू पिया हुआ है, तो फिर पकड़ेंगे ही; दारू पीकर गाड़ी चला रहा है। बोला, साहब, सारी दुनिया पीती है, इसने पी ली तो क्या हुआ? हमसे आज हमारे वर्कर यह एक्सपेक्ट करते हैं।

संयम तो हम पोलिटिशियंस को रखना पड़ेगा कि हम कंट्रोल करें, पुलिस का साथ दें, पुलिस जो कर रही है उसको सही होने दें। यह हम सब सोचेंगे, तब जाकर पुलिस का मोराल ऊपर होगा।

सभापति महोदय, अभी बहुत दिनों से यह बात चल रही है कि अभी स्टेट का क्राइम कम हुआ है। इसके लिए नेशनल रिकार्ड भी देख लेना चाहिए। क्राइम कम हुआ, इसके लिए 2014 को 2015 से कंपेयर कर रहे हैं। बेस यीअर 2013 लो, कांग्रेस का राज था, 2013 से 2014 में ग्राफ बढ़ा, या नहीं बढ़ा, यह बताएं। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ नेशनल का एवरेज है 23.4, हमारा राजस्थान का उसका तीन गुना, 65.7 परसेंट। हमारे से यू पी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, जो बड़े स्टेट हैं वे भी नीचे हैं, एस सी पर जो क्राइम हो रहा है उसमें। इसी तरह से महिला उत्पीड़न। महिला उत्पीड़न का आंकड़ा 27,933 2013 में था, वह बढ़कर 2014 में 31,151 हो गया। सिर्फ हमसे यू पी और बंगाल वाले ही आगे

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

हैं, बाकी थर्ड में हमारा नम्बर है। टोटल वायलेंट क्राइम के अगेंस्ट में 2013 में 20.3 था, वह बढ़कर 2014 में 23.1 हो गया। हमारा बेस यीअर तो 2013 हुआ, क्योंकि 2013 कांग्रेस का राज था। उसमें हमारे राज में बढ़ा, या कम हुआ, यह ग्राफ आपको देखना चाहिए, गृह मंत्री महोदय।

पुलिस की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर गृह मंत्रीजी बार-बार ध्यान भी देते हैं और जोन में आकर बैठक भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पुलिस का कांस्टेबल जो 24x7 काम करता है, वह यह देखता है कि मेरे बच्चों को मैं कहां पढ़ाऊं, मेरे बच्चों को कहां रखूं। उसके लिए क्या जिले पर हमने ऐसा स्कूल खोल रखा है? क्या हमने ऐसे आवास बना रखे हैं जहां पर वे अपने परिवार को रख सकें? जिससे वे महसूस करें कि अब मेरे परिवार की व्यवस्था हो गई, अब मैं काम अच्छी तरह से करूंगा।

इसी तरह से सब इंस्पेक्टर का सलेक्शन आर पी एस सी से होता है, लेकिन प्रमोशन के लिए उनको इंटरनल एग्जाम आप दिलाते हों, जबकि आर पी एस डाइरेक्ट डीवाई एस पी, एडिशनल एस पी और एस पी तक बन जाते हैं। यह जो दोहरी व्यवस्था है इसको बदलना चाहिए।

पुलिस विभाग की अन्य शाखाएं जैसे सी आई डी, ए सी बी, एस ओ जी, ए टी एस, वगैरह में प्रति माह 25 परसेंट राशि मूल वेतन व डी ए के रूप में मिलती है, जबकि पुलिस से इनकी ड्यूटी कम होती है। पुलिस का सिपाही 24 घंटे काम करता है, वर्दी के लिए, उन्हें 365 दिन वर्दी पहननी है, लेकिन अधिकारियों को मात्र 2,400 रुपये प्रथम बार और 7 वर्ष बाद 675 रुपये, फिर 7 वर्ष बाद 675; यानी कि 96 रुपये प्रति वर्ष वर्दी के ऊपर दिये जाते हैं कि वे अपनी वर्दी खरीदें या उसको धुलवायें। चपरासी को ही 1,900 रुपये हर साल मिल रहे हैं, एनुअली मिल रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं मिल सकता?

गृह मंत्रीजी मेरे ही जिले के, हैं वे जानते हैं कि मेरे थानों में कांस्टेबल कितने हैं, कम हैं। 60 कांस्टेबल तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही कम हैं, अधिकारियों की बात आप छोड़िए।

आपने घोषणा की थी कि हर थाने में महिला कांस्टेबल लगाएंगे, लगा भी दीं, लेकिन न तो उनके रहने-बैठने की जगह, न उनके टायलेट करने की जगह है। किस जगह जाकर वे टायलेट करें। हमको ये सब व्यवस्थाएं देनी होंगी।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

सभापति महोदय, मेरा सी.ओ. कार्यालय वल्लभनगर है और वल्लभनगर पूरे सम्भाग में आज सबसे बड़ा सी.ओ. कार्यालय है, 7 उसमें थाने हैं और जो वल्लभनगर है, उसका जो अन्तिम गांव है, वह 60 किलोमीटर दूर है, सी.ओ. आफिस से। इसलिए मेरी यह मांग है कि नया सी.ओ. कार्यालय भीण्डर में खुले और पाणून्द व सिहार में चौकियों की स्थापना हों, क्योंकि दोनों ही थानों से बहुत ज्यादा दूर हैं।

महोदय, सरकार ने पहले साल में यह तय कर लिया था कि विधायकों को पी एस ओ नहीं देंगे। अब आपने उस पर वापस पुनर्विचार किया। पुनर्विचार इसलिए किया कि अब हाउस में ही हम लोग भिड़ जाते हैं तो पब्लिक में जाते हैं तब हमारी क्या स्थिति होती है वह आप जानते हैं। 90 प्रतिशत लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन 10 परसेंट ऐसे भी होते हैं जो कुछ न कुछ हमारा मजा लेना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आपने पी एस ओ लगाये, पर मंत्री को आपने क्या दिया, आपने मंत्री को दी हुई एस्कोर्ट ही छीन ली। सभापति महोदय, न केवल मंत्रियों की, बल्कि विधान सभा के अध्यक्ष की भी एस्कोर्ट छीन ली। तो फिर आप किस अधिकार से एस्कोर्ट लेकर घूमते हैं? आप भी मंत्री हैं, दूसरे भी मंत्री हैं, तो उनकी एस्कोर्ट क्यों नहीं हो? जबकि आज जनता में इस तरह की स्थिति है। तो एक एस्कोर्ट आगे-आगे चले, तो आपको उसमें क्या एतराज है? महोदय, इस तरह से तो आप मंत्रियों और हमारे अध्यक्षजी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, कि मैं दे सकता हूं, मैं हटा सकता हूं।

महोदय, होम गार्डस भी हमारे इस काम में बहुत योगदान देते रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने जो होम गार्डस के एरियर के लिए आदेश दिया है, उसकी पालना भी सरकार नहीं कर रही है। इसी तरह से मानवाधिकार आयोग ने अनुशंसाएं व होम गार्डस को रोटेशन, नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त कर, वर्ष भर नियमित रोजगार उपलब्ध कराते हुए न्यूनतम वेतन दिया जाए, यह भी कहा है, पर उसकी भी पालना नहीं हो रही है। राजस्थान होम गार्डस सैनिकों के साथ राज्य में कर्मचारी भी होम गार्ड विभाग में कार्यरत हैं, जिन्हें माह की ड्यूटी देकर दोहरा लाभ दिया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से बन्द करना चाहिए, जिससे बेरोजगार होम गार्ड सैनिकों को रोजगार मिल सके।

महोदय, मेरा आज भी यह विचार है, बजट मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, उसको गृह मंत्रीजी अच्छी तरह से यूज करें, लेकिन इसमें एक तो पुलिस के कर्मचारी और पुलिस के अधिकारियों को पूरी तरह से संसाधनयुक्त करके,

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

उनका मोराल ऊपर बढ़ाकर, उनको यह विश्वास दिलायें कि हां, हम पालिटिकली कहीं फेल हो गये हैं, पर अब तुम्हारे जिम्मे हमने किसी काम को कर दिया, तो you have our backing. आपके पुलिस के इस डण्डे का अपराधियों के अन्दर भय व्याप्त हो, ऐसा वातावरण हम निर्मित करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री कृष्ण कड़वा।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 16 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, जिस प्रकार हमारी सेना शत्रुओं से देश की रक्षा करती है, उसी प्रकार राष्ट्र-विरोधी तत्वों से पुलिस हमारी रक्षा करती है। पुलिस का कार्य बहुत कठिन है। रैलियों के दौरान सुरक्षा, यातायात की व्यवस्था, जुलूसों को शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराना, हड़तालों, धरनों और बन्द के दौरान असामाजिक तत्वों से राष्ट्र की सम्पत्ति की रक्षा करना, चोर, डकैतों और लुटेरों से आम नागरिक की रक्षा करना, पुलिस का दायित्व है। पुलिस के कर्मचारी 24 घंटे खतरों से जूझते हैं। अपराधियों से निपटने के लिए निश्चित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें विशेष तौर से पुलिस विभाग की सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र संगरिया, जो कि पंजाब व हरियाणा सीमा से सटा है, यहां पर शराब, अफीम, पोस्त, आदि की तस्करी की सम्भावनाएं ज्यादा रहती हैं और अपराधी अपराध करके सीमावर्ती राज्य पंजाब व हरियाणा में भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी थानों, चौकियों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पूरा जाब्ता दिया जाए। विधान सभा क्षेत्र की चौकियों को वाहन की सुविधा दी जानी भी अत्यन्त आवश्यक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया का तलवाड़ा झील थाना, जिसको कुछ वर्षों पूर्व ही क्रमोन्नत करके थाने में तब्दील किया गया था, यहां पर भवन की कमी है। इसलिए यहां भूमि व भवन का निर्माण करवाया जाए।

सीमावर्ती क्षेत्र के कारण मसीतावाली चौकी को क्रमोन्नत कर थाने में

(श्री कृष्णा कड़वा)

तब्दील किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पूर्व सरकार ने तलवाड़ा झील चौकी को पुलिस थाने में तब्दील किया था, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि तलवाड़ा झील जो थाना है उसके अन्दर दो-तीन गांव ही हैं, जिनको फायदा होता है। बाकी बहुत दूर से लोगों को आना पड़ता है। इसलिए यह मसीतावाली चौकी को थाने में तब्दील किया जाना बहुत ही जरूरी है। इस थाने से कुछ ही गांवों को फायदा मिल पा रहा है, जबकि ज्यादा गांवों से थाना बहुत दूर पड़ता है। मसीतावाली चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने से ग्राम मसीतावाली, डबली कलां, डबली खुर्द, मिर्जावाली मेर, रामपुरिया, चऊवाली, भुरानपुरा, केछरवाला मेहरवाला, चक 4, 5, आर डब्ल्यू बी, आदि गांवों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है। यहां पर भूमि व भवन के लिए भी पर्याप्त जगह है।

इसके अलावा पुलिस थाना संगरिया का भवन भी छोटा है। पुलिस थाना संगरिया के भवन व भूमि का पट्टा आज तक नहीं बनाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया के थानों व चौकियों को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करें, जिससे विभाग का काम सुचारु रूप से चल सके व अपराधों पर अंकुश में पुलिस सक्रिय रूप से कार्य कर सके।

इस मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले मैं आज ट्रैक नहीं चूकना चाहता। कल वाला ट्रैक मुझे आज लेना था लेकिन कल उस बारे में बोल चुके, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस के दो चेहरे हैं, एक चेहरा सुर का, दूसरा असुर का; एक चेहरा ईमानदारी भरा, दूसरा चेहरा बेईमानी भरा। फिर भी हमें इनको इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अन्दर अगर पुलिस नहीं हो तो आम आदमी को, गरीब को, किसान को, मजदूर को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। यह जरूर है कि कुछ गन्दी मछलियां या कुछ ऐसे चेहरे हैं, जैसे चांद में भी दाग है, तो इस वर्दी पर भी कुछ लोग दाग लगा देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम में अगर इच्छा, शक्ति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस दाग को धोयेंगे।

(श्री धीरज गुर्जर)

मैं आज इस सदन के अन्दर बात करना चाहता हूं कि जब पुलिस का गठन हुआ था तब यह देश आजाद नहीं था और जब पुलिस का गठन हुआ था तब अंग्रेजों का राज था। उस अंग्रेजों के राज के अन्दर अफसर मालिक होता है, अफसर विदेशी होता था, अफसर अंग्रेज होता था और जो सिपाही होता था वह हिन्दुस्तान का नागरिक होता है। अब देश आजाद हो गया, परम्परा बदल गई, आज अफसर आजाद हो गये, लेकिन फिर भी वह जो हमारा सिपाही है, जो गरीब है, और पुलिस के पूरे सिस्टम के अन्दर अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित है, सबसे ज्यादा कोई दु:खी है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है, तो वह राजस्थान पुलिस का सिपाही है। पुलिस के अन्दर सिपाही इस भावना से भर्ती होता है कि जब मैं देश की सेवा करूंगा, अपराधियों पर लगाम लगाऊंगा, मेरे हाथ में लाठी होगी, मेरे हाथ में बन्दूक होगी, मेरे हाथ में इस राजस्थान की जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जिस दिन वह एस.पी. के आफिस के बाहर खड़ा होता है और बेल बजने पर पानी की ट्रे लेकर वह सिपाही अन्दर जाता है, तो उस सिपाही की वर्दी अपमान से मर जाती है; जिस दिन घंटी बजाकर उसको बुलाते हैं कि अन्दर आकर चाय पकड़ा दे, उस दिन उसकी देशभक्ति की भावना पूरी खतम हो जाती है। इसलिए मैं इस सदन के अन्दर मांग करता हूं कि हर डिपार्टमेंट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, पुलिस के सिपाही को यह कौनसी जिम्मेदारी दे रखी है कि उससे आप चाय पकड़ाने का काम, उससे पानी पिलवाने का काम, उससे जूते पालिश करवाने का काम, उससे अफसर के घर पर पानी पिलवाने का काम करवाते हों? ऐसा काम अगर हम करेंगे तो अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं, आज हम भी आफिस के अन्दर जाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमको अधिकारी चाय-पानी पिलायें, सबको अच्छा लगता है, लेकिन इस काम के लिए आप अलग से भर्ती करो न। आप इस विभाग के अन्दर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती क्यों नहीं करना चाहते? मैं गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं, आपका सद्‌चरित्र भरा दिल है, आप जिस समाज से आते हैं वह समाज भी किसी पर अन्याय नहीं करता, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह परम्परा शुरू करें कि राजस्थान के अन्दर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती इस विभाग में की जाए। उसके माध्यम से यह जो चाय पकड़ाने के काम में 4-5 सिपाहियों को एस.पी. अपने आफिस में एंगेज करके रखता है, 2-5 सिपाही अपने आफिस में डीवाई.एस.पी. एंगेज करके रखता है, 2-5 सिपाही थानेदार अपने पास एंगेज कर लेता है और

(श्री धीरज गुर्जर)

फिर हम कहते हैं कि थाने में नफरी नहीं, प्रदेश में पुलिस नहीं है। जब सिपाही ही चाय पकड़ायेगा, सिपाही ही काफी पिलायेगा, सिपाही ही पानी पिलायेगा, तो फिर इस राजस्थान के अन्दर क्राइम पर कंट्रोल कैसे करेंगे? और आनन्दपाल क्यों नहीं भागेंगे?

दूसरी मैं मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आज पुलिस के अन्दर पुलिस से 24 घंटे का हम काम ले रहे हैं, आदमी की आठ घंटे की ड्यूटी

(16.00 बजे)

होती है, तो एक महीने में उससे हम 36 गुना काम लेते हैं और उसके बदले में उसको 2,400/- की ग्रेड पे दे रखी है। कम से कम इन सिपाहियों के लिए भी हमें थर्ड ग्रेड पे सिस्टम तो लागू करना चाहिए। तृतीय श्रेणी के इनको हम मानकर, इनके बराबर इनका वेतनमान लागू कर दें, तो इन पर बहुत बड़ा अहसान आप लोगों का होगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, रविवार के दिन भी ये सिपाही छुट्टी मांगकर जाते हैं। मैं सिपाहियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का हो रहा है तो पुलिस विभाग के अन्दर सिपाहियों का हो रहा है। हर विभाग के अन्दर पदोन्नति के माध्यम से, डी पी सी के माध्यम से हम लोग उस कर्मचारी की पदोन्नति करते हैं, लेकिन पुलिस का सिपाही, जो 24 घंटे धरने में, प्रदर्शन में, जुलूस में, क्राइम की ड्यूटी में, मुजरिम पकड़ने की ड्यूटी के अन्दर, दौड़-भाग करता रहता है, उससे हम यह कल्पना करते हैं कि वह परीक्षा दे और परीक्षा देकर पास हो, उसके बाद उसकी पदोन्नति होगी। क्यों नहीं हम डी पी सी के माध्यम से, समयबद्ध तरीके से उसका प्रमोशन करके उसको आगे बढ़ाते हैं? ताकि उस आदमी को भी अहसास हो कि मैं आजाद राजस्थान के अन्दर, आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाला नागरिक हूं।

मैं आपसे मांग करता हूं कि 1,600/- का मैस भत्ता, जब विधान सभा के अन्दर हम 40 रुपये में रोज खाना खिला रहे हैं, तो 30 दिन के खाने के कितने रुपये हो गये? इनका 2,000 रुपया तो कम से कम, गृह मंत्रीजी, आप दरियादिल हैं, आपने राजस्थान के अन्दर इनको सम्भाला है, 2,000 रुपये या 2,200 रुपये तो कम से कम आपको इनका मैस भत्ता बढ़ाना चाहिए ताकि ये लोग आपको धन्यवाद दें।

(श्री धीरज गुर्जर)

वर्दी धुलाने की बात कही और उसके अलावा एक बात और है, हम देखते हैं कि सफेद वर्दी के अन्दर मार्शल की फौज यहां पर खड़ी रहती है। पूरे राजस्थान से ये लोग यहां पर आकर ड्यूटियां करते हैं। हमने कभी इनकी आज तक रहने और खाने की ऐसी व्यवस्था नहीं की जिसके लिए ये हमको धन्यवाद दें। ये भी हमारे नागरिक हैं। ये आते हैं और इस विधान सभा में रहते हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब हमारे को आप भत्ता देते हो 1,000 रुपये रोज इस विधान सभा के अन्दर बैठने का, तो इनको भी अधिकार मिलता है कि इनको भत्ता मिले। इनका टी ए, डी ए का बिल है, वह 11-11 महीने तक पास नहीं होता है; फाइलें इधर से उधर चक्कर काटती रहती हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि कम से कम इनके रहने-खाने की व्यवस्था अच्छी हो और इन लोगों को यहां पर जगह मिले।

ये सब बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूं, उसमें मैं आगे आऊंगा, लेकिन एक मैं आपसे और मांग करना चाहता हूं। यह आजाद हिन्दुस्तान है। जिस तरह से बाड़े में भरकर जेलों में मुजरिमों को रखते हैं, उसी तरह से पुलिस लाइनों के अन्दर एक-एक कमरे में चार-चार और छह-छह खाट लगाकर, बाड़े में जिस तरह मुजरिम भरते हैं, उस तरह से हमारे सिपाही भाइयों को इन पुलिस लाइनों के अन्दर भरा रखते हैं और एक-एक घंटे के लिए इनको बाथरूम और पेशाब, इत्यादि के लिए लगना पड़ता है। आप तो खुद दो-दो, तीन-तीन बार गृह मंत्री रहे हैं, आपको पता होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कांग्रेस और बी जे पी की बात है लेकिन हमें इनके बारे में चिंता तो करनी पड़ेगी ना और चिंता इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम इनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो इनके मन में कुंठा आ जायेगी और जब इनके मन में कुंठा आ जायेगी तो इनके मन में दो ही चीजें रहेंगी कि या तो जनता के ऊपर अत्याचार करना और या फिर रिश्वतखोरी करके अपना पेट भरना। अगर हम इनका पेट सरकार की तनख्वाह से भर देंगे, अगर हम इनको सुख-सुविधाएं दे देंगे, तो ये आततायी नहीं बनेंगे। अगर हम इनको सुख-सुविधाएं नहीं देंगे तो ये आततायी बन जायेंगे और मजबूरी के अन्दर इस वर्दी के दामन को दागदार करने का काम करेंगे।

मैं फिल्म का जिक्र करना नहीं चाहता था लेकिन भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक फिल्म का जिक्र कर दिया। उस ''जय गंगाजल'' को तो जो देख लेगा, वह नेता तो शर्म से ही मर जाएगा, लेकिन ''गब्बर इज

(श्री धीरज गुर्जर)

बैक'' फिल्म और आई थी। उस ''गब्बर इज बैक'' फिल्म के अन्दर अधिकारियों ने एक होशियार सिपाही को बार-बार एक ही काम पर लगा रखा था कि जा, समोसा लेकर आ जा; जा; चड्डी लेकर आ जा; जा, रोटी लेकर आ जा। वह इनको सलाह देता है कि इस क्राइम को मैं हल कर सकता हूं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता।

आज हमको पुलिस के अन्दर सबसे ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत इस बात की है कि पुलिस की ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इतना मजबूत करें, क्योंकि जिस तरह का क्राइम बढ़ रहा है...। हर सरकार आती है, कांग्रेस के राज में हम लोग आंकड़े बता देते हैं कि हमने अपराध कम कर दिये, बी जे पी के राज में आप बता देते हों कि हमने अपराध कम कर दिया। आदि-अनादि काल से, जिस दिन इस सृष्टि का जन्म हुआ, उसी दिन से अपराध विश्व के अन्दर चालू हो गया और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो अपराध को कम कर सके। अपराध के ऊपर प्रभावी नियंत्रण के लिए हमें खुद को सुधरना होगा, आत्म-अनुशासन जब हमारे अन्दर होगा, तो हम अपराध पर अंकुश लगा पायेंगे।

लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपराध पर अंकुश लगाने की जगह, हमको बरामदगी पर जोर देना होगा। कितनी चोरियां हमने खोल दीं; मर्डर खोल दिये; मैंने किसी को गोली मार दी, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, उसके अन्दर कौनसा पुलिस ने क्राइम पकड़ लिया। क्राइम पकड़ने का मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ऐसे मर्डर जो जान-बूझकर, साजिश रचकर किये गये, उनके अन्दर आपका परसेंटेज कितना है। उस दिन हम अपनी पीठ थपथपायेंगे। कितनी चोरियां हो गईं, उन चोरियों में हमने कितने माल को बरामद कर लिया। उसके ऊपर हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। यह परसेंटेज साल-दर-साल राजस्थान के अन्दर गिरता जा रहा है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है, गुजरात के अन्दर क्राइम ब्रांच अलग से है, मुम्बई के अन्दर क्राइम ब्रांच अलग से है। अपराध की जांच करने वाली पुलिस का 24 घंटे के अन्दर राजस्थान में या किसी भी प्रदेश के अन्दर काम रह गया धरने और जुलूस; पुलिस का काम रह गया राजनेताओं की सुरक्षा, मतलब, हमारी सुरक्षा; पुलिस का काम रह गया, सिपाहियों का और इनका काम रह गया, पुलिस के

(श्री धीरज गुर्जर)

अधिकारियों की सेवा करना, इनके परिवार के लोगों को घुमाने ले जाना। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे जाबांज सिपाही छांटकर हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उनको बेहतरीन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि उसके माध्यम से हम लोग अपराध पर नियंत्रण कर सकें।

एक इनकी बहुत बड़ी मांग आती है, जिस तरह हरियाणा में लागू है, पंजाब में लागू है; जिस तरह से रोडवेज के अन्दर यात्रा के लिए वारंट जारी करते हैं, हमें इनको फ्री पास देना चाहिए ना। सरकार का ही पैसा है। हम वारंट जारी करके देते हैं। फ्री पास इनको दे देंगे, तो इनका एक निश्चित पैसा कट जायेगा। पुलिस का सिपाही है, या पुलिस का अधिकारी है, जो भी है, रोडवेज के अन्दर यात्रा करेगा। राजस्थान सरकार की ही अंग पुलिस है। राजस्थान सरकार की अंग ही यह है, तो इनको अगर फ्री पास मिलेंगे तो निश्चित रूप से इनको सुविधा मिलेगी।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, होम गार्ड इस पुलिस का एक अभिन्न अंग है लेकिन होम गार्ड का इस देश के अन्दर सिर्फ, और सिर्फ, शोषण हुआ है। होम गार्ड के लिए जब भारत सरकार ने यह कह दिया कि पुलिस की नौकरियों के अन्दर होम गार्ड को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो हम क्यों नहीं इस मानसिकता के अन्दर पहल करते हैं? अगर ड्यूटी करता हुआ होम गार्ड का कोई आदमी मर जाता है, तो हमें घोषणा करनी चाहिए कि होम गार्ड का वह सिपाही अगर ड्यूटी के ऊपर मर जायेगा तो उसके परिवार को, मृतक आश्रित को हम लोग पुलिस के अन्दर नौकरी देंगे। पुलिस के अन्दर रोटेशन प्रणाली में तीन महीने, चार महीने काम मिलता है, उसके लिए भी उसको रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम पुलिस को सुविधा देंगे, तब हम लोग इनको यह बात कह पायेंगे कि भई, आप लोगों को यह करना चाहिए।

दूसरी एक बात, राजस्थान के अन्दर जिस गति से साइबर क्राइम बढ़ा है, टी वी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर तरह-तरह के विज्ञापन आते हैं, जिसके अन्दर चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, फलाना-ढीमका प्रतियोगिता, एक आकलन के अनुसार रिपोर्ट आई कि 30,000 करोड़ रुपये साइबर क्राइम के माध्यम से लूट लिये हैं। अब समस्या क्या होती है, गांव के लड़के का पैसा ए टी एम के द्वारा चेंज करके उसमें ले लेते हैं और जब वह पुलिस के पास जाता है तो

(श्री धीरज गुर्जर)

पुलिस वाला कहता है कि भैया, वहां मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, तो वहां तक जाने का खर्चा मुझे कौन देगा? तो हमें यह एक परम्परा शुरू करनी पड़ेगी। थाने के अन्दर जाते हैं तो फरियादी से कहते हैं कि तू गाड़ी लेकर आ; तू हमारी गाड़ी में डीजल डला, तब हम जायेंगे और उस मुजरिम को पकड़कर लायेंगे। आज तक की यह सच्चाई है, यह इतिहास सबके समय का है, तो क्यों नहीं हम इनको डीजल-पानी देते हैं? कि कहीं पर भी जाने के लिए पुलिस को मुंह नहीं ताकना पड़े। हम ऊँट के मुंह में जीरे के समान छोटा-सा भत्ता इनको देते हैं। उस पैसे के अन्दर फिर मजबूरी में इनको सांठ-गांठ करनी पड़ती है।

लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि इतना उजला चेहरा भी राजस्थान पुलिस का नहीं है। जिस तरह से चांद पर दाग है, इस वर्दी के अन्दर भी कुछ छिपे हुए इतने शैतान हैं जिन्होंने इस वर्दी को देश सेवा की जगह, खुद का पेट भरने का जरिया बना लिया है। आज भी पुलिस पर समय-समय पर आरोप लगते हैं, जिस तरह से ये लोग आर्थिक अपराधों के अन्दर लिप्त रहते हैं, जिस तरह से ये लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं, उन अधिकारियों को सब जानते हैं। (व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और यह सबके मन की बात भी है कि इस पुलिस को अधिकार मिले और उसके बाद हम इनसे काम लें, तो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन हम यह भी जानते हैं।

गृह मंत्रीजी, मैंने आपको भीलवाड़ा में भी सुझाव दिया था कि थानों के अन्दर जैसा दुर्व्यवहार फरियादी के साथ में होता है; जनता जनार्दन, लोकतंत्र का असली मालिक जब थाने के अन्दर जाता है, तो अच्छे से अच्छे आदमी को कह दो कि रात के टाइम थाने में चला जा, तो उसकी धूजणी छूट जाती है। थाने में घुसने से पहले वह तीन बार सोचता है। उस दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत है। हम सी सी टी वी कैमरे बाहर लगा रहे हैं, हमें थाने के अन्दर भी सी सी टी वी कैमरा लगाना चाहिए और उस सी सी टी वी कैमरे की सीधी रिकार्डिंग उस एस पी के आफिस के अन्दर होनी चाहिए और इसका बहुत आसान तरीका है सी यू जी प्लान। आजकल थ्री-जी नैट हर जगह पर है। उस थ्री-जी के माध्यम से, बिना किसी वायर के खर्चे के, अगर हम सी सी टी वी कैमरा लगायेंगे, मोबाइल की जो बड़ी स्क्रीन है, वह एस पी के आफिस के अन्दर लगा देंगे, तो उस थाने के अन्दर क्या हो रहा है, यह एस पी बैठा-बैठा देखता रहेगा। तो कम से कम उस थाने के अन्दर तो उस जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। क्योंकि थानों के

(श्री धीरज गुर्जर)

अन्दर ही ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं, थानों में बलात्कार भी हुए हैं, थानों के अन्दर ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं का हम बयान नहीं कर सकते।

मैं आज इस संयमित भाषा में और इन शब्दों में इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो यहां पर बोलूंगा, वह एक-एक शब्द रिकार्ड में चला जायेगा और रिकार्ड में जाने के बाद, मुझे इस पुलिस विभाग की ऐसी-ऐसी सच्चाइयां पता हैं, मैं इनके इतनी गहराई के अन्दर गया हुआ हूं कि अगर मैं इनकी परतें उघाड़ दूंगा, तो ऐसी सड़ांध उठेगी कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वह जब इन दस्तावेजों को पढ़ेगी तो वह अपने माथे पर हाथ ठोक लेगी कि राजस्थान की पुलिस ऐसी भी हुआ करती थी। लेकिन इन सब बुराइयों के ऊपर इस पुलिस की...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह इतना अनुसंधान कब किया?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं छात्र राजनीति से आया हूं। तो पुलिस का और मेरा गहरा नाता है। बहुत अच्छी तरीके से ये भी मुझसे परिचित हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं भी परिचित हूं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आज एक बड़ी समस्या और है, हम बीट प्रणाली को सशक्त करने की बार-बार बात करते हैं, लेकिन उस बीट प्रणाली के अन्दर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि दो-दो साल तक एक ही आदमी बीट के ऊपर जमा हुआ रहता है1 फिर उसको सब पता लग जाता है कि अवैध लकड़ी कहां से जा रही है, अवैध सट्टा कहां चल रहा है, अवैध जुआ कहां चल रहा है। उसके बाद में वह बीट का अधिकारी पैसा इकट्ठा करके अपने थानाधिकारी को देने का काम करता है। जब हम सुनते हैं, मैं सिर्फ इशारों के अन्दर कह रहा हूं, जब हम सुनते हैं कि यह थाना पांच लाख है, यह थाना दस लाख का है, यह थाना बीस लाख का है, तो इन थानों के अन्दर पोस्टिंग क्या नेता करते हैं? पोस्टिंग तो जिले का मुखिया ही करता है, तो फिर ये लाखों रुपये के जो थाने होते हैं, इन थानों के बारे में ज्यादा तफसील से बात नहीं करें, जोगारामजी तो अच्छा होगा।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बीट प्रणाली है, इस बीट प्रणाली के अन्दर सिपाही बदल जाता है, उसकी पोस्टिंग बदल जाती है लेकिन नम्बर नहीं बदलता। सी यू जी मोबाइल जो हम नम्बर लेते हैं, उनको समय-समय पर हमें...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): बाप बनने के बाद में आप में परिवर्तन तो आया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बाप बने हुए दस दिन हो गये हैं मेरे को। यह तो मेरी मेहनत है..

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपकी अकेले की मेहनत है?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेहनत मेरी है, फल भगवान का है और मिठाई आप सबको मिलेगी।

मैं कह रहा था कि बीट प्रणाली के अन्दर सी यू जी प्लान के मोबाइल्स हैं, वे मोबाइल हम थानों के अन्दर जमा नहीं कराते हैं। फिर जब क्राइम हो जाता है, उसके बाद में गांव के लोग फोन करते हैं, तो फिर वह अधिकारी, या वह सिपाही बोलता है। मैंने गृह मंत्रीजी से मांग भी की थी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितने भी सिपाहियों की जो बीट है उस बीट के मोबाइल नम्बर, जो थानाधिकारी हैं, उनके सी यू जी प्लान के नम्बर जन-प्रतिनिधियों को, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे पंचायत समिति मेम्बर हो, सी आर ओ, डी आर ओ, सरपंच हो इनके पास इनके सी यू जी मोबाइल रहने चाहिए, ताकि जैसे ही किसी प्रकार अपराध घटे, वह उच्च अधिकारी को फोन करने की जगह सीधा फोन जो लगाये वह अपने बीट इंचार्ज को लगाये, ताकि बीट इंचार्ज तुरन्त वहां पर पहुंच जाए और उस अपराध के ऊपर त्वरित कार्यवाही हो जाए।

मैं आपसे यह भी मांग करता हूं, आज जो सम्पति सम्बन्धित अपराध की मैं बात कर रहा था, आप प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर साइबर क्राइम जो खोलना चाह रहे हैं थाना, उस साइबर क्राइम के थाने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साइबर क्राइम में इंटेलीजेंट जैसे सिपाही हों, ऐसी ट्रैनिंग कराकर उनको वहां पर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के कारण, राजस्थान का अनपढ़ आदमी, जो सोच नहीं सकता, उसके साथ क्राइम हो जाता है और उसके पैसे की बरामदगी जीरो है। आज तक मेरे हिसाब से, मैं सोचता नहीं, आप खुद भी इनकी बरामदगी के आंकड़ें मंगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ये 60 परसेंट तो एफ आई आर दर्ज ही नहीं करते हैं और वह रो-पीटकर मर जाता है कि मेरे साथ चोरी हो गई है; मुझसे फोन किया, मेरे ए टी एम का पिन नम्बर पूछ

(श्री धीरज गुर्जर)

लिया, मैंने पिन नम्बर बता दिया। तो ये कहते हैं, आपने बताया ही क्यों? अरे, भाई गलती हो गई आदमी से। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस अपराध के ऊपर आप लगाम लगाओ, उस अपराध को आप पकड़ो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम के ऊपर लगाम लगाने के लिए आपको प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि हत्या और बलात्कार, इन चीजों के जो पारम्परिक अपराध हैं, इनसे हटकर इस तरह के सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध हो रहे हैं।

आज जयपुर के अन्दर भू-माफियाओं को सबसे ज्यादा संरक्षण देने का काम पुलिस कर रही है। भू-माफियाओं को प्लाट पर कब्जा करवाएंगे, उस प्लाट पर कब्जा भी यही छुड़वाएंगे। सहकारी समितियों के जो दो-दो पट्टे दे दिये, इन मामलों के अन्दर पुलिस थाने के अन्दर बैठकर सहकारी समितियों के दो-दो पट्टों के मामलों के अन्दर समझौता करवाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पूरी पुलिस ऐसी है, लेकिन कहते हैं ना कि सफेद चीज पर अगर काला दाग लगा दो, तो आदमी की नजर उस सफेदी पर नहीं जाएगी, उस दाग के ऊपर जाएगी। ये कुछ बदनुमा दाग हैं जो हमें राजस्थान पुलिस के ऊपर से धोने पड़ेंगे।

मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि थाने में स्टाफ की कमी है। जो शहरों के नजदीक थाने हैं उनके अन्दर लोग ज्यादा रहना चाहते हैं। जो ग्रामीण एरिया के थाने हैं, उनके अन्दर संतुलन नहीं है। तीन-तीन साल से जो सिपाही जमे हुए हैं, उनका ट्रांसफर तो कागजों में कर देते हैं लेकिन पुलिस को एक छूट दे रखी है, मौखिक आदेश से। उस मौखिक आदेश से दस-दस साल तक ऐसे सिपाही हैं जो अपने थाने के अन्दर जमा रहते हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। चाहे मौखिक आदेश से, चाहे लिखित आदेश से, जो सिपाही ज्यादा समय तक एक थाने के अन्दर है, उसका तबादला हो जाए और मैंने ऐसे भी सिपाही देखें हैं कि कई सिपाही तो ऐसे बन गए कि थाना ही वे ही चलाते हैं। थानेदार कोई भी आ जाए, वे गर्व से कहते हैं कि थानेदार कोई-सा भी आ जाए, वह रहेगा मेरी जेब के अन्दर ही। क्योंकि उस थानेदार की जेब भरने का काम वह सिपाही कर रहा है। इसलिए हमें इसके अन्दर सुधार करना पड़ेगा।

मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि लड़कियों के भागने के अन्दर

(श्री धीरज गुर्जर)

पुलिस ने एक स्ट्रेटजी अपना ली है। आज इस तरह के अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि लोग लड़कियों को भगाकर ले जाते हैं और हमारे इधर तो नाता प्रथा है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, चित्तौड़ इस एरिया के अन्दर नाता प्रथा होने के कारण ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और इन घटनाओं के अन्दर पुलिस का एक ही जवाब होता है कि क्या करें, मोबाइल नहीं लग रहा है। तो यह जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि अगर किसी बच्ची को कोई भगाकर ले गया, नाबालिग बच्ची है, अभी भी हमारे इधर की एक लड़की को भगाकर ले गये थे और ले जाकर के मुम्बई के अन्दर उसको बेच दिया। प्रेम विवाह करते हैं, वहां तक तो ठीक है लेकिन जब लड़कियां बिक जाती हैं, उनके साथ दुर्घटना हो जाती है और पुलिस एक सेपरेट जवाब देती है, क्या करें? आजकल हर अपराधी, अख़बार में मोबाइल के बारे में इतना आ चुका है कि अपराधी इस चीज को जान चुका है कि मोबाइल अगर ले जाएंगे तो हम लोग उलझ जाएंगे। इसलिए हर आदमी इस चीज से बचना चाहता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि लड़कियों को भगाकर ले जाने के मामले के अन्दर पुलिस त्वरित कार्रवाही करे और इनको तत्काल बरामद करे।

इसके अलावा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के अन्दर पुलिस, आज भीलवाड़ा की पुलिस अच्छी है, इन्होंने एक नई पहल की है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पिछले दिनों से भीलवाड़ा जो साम्प्रदायिक ताकतों का गढ़ बना हुआ था और भीलवाड़ा के अन्दर साम्प्रदायिकता की आपस में लड़ाई-झगड़ों की जो घटनाएं बढ़ रही थीं, चौपाल के माध्यम से पुलिस ने एक नई परम्परा शुरू की है भीलवाड़ा के अन्दर कि जो सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये लोग चौपाल लगाते हैं और उस चौपाल के माध्यम से हिन्दू और मुस्लिम सब समाज के लोग बैठकर ये लोग आपस की बात करते हैं, इससे सुधार हुआ है और पूरे राजस्थान के अन्दर आप लोगों को इस पहल को ले जाना चाहिए। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भीलवाड़ा का समुदाय, कालू हत्याकाण्ड के मामले में लोग नाक रगड़ कर के मर गये, हम उसकी सी आई डी (सी बी) से जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? आज उसके कारण बार-बार भीलवाड़ा में तनाव की स्थिति पैदा होती है। कालू हत्याकाण्ड के ऊपर, गृह मंत्रीजी, मैं आपसे मांग करूंगा कि इसके अन्दर आप कोई अलग टीम बनाये, या इसको सी आई डी (सीबी) के अन्दर भेजें। हत्याकाण्ड भीलवाड़ा के अन्दर बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। इसका आप समाधान करें।

भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मंदिरों में अगर चोरी होने की घटनाएं

(श्री धीरज गुर्जर)

हो रही हैं, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हो रही हैं। नरसिंह द्वारा के अन्दर इन्होंने चोरी का आज तक राज फाश नहीं किया। अभी तीन-चार दिन पहले भगवासा के अन्दर 400 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस उसको बरामद नहीं कर रही है। यह बात मुझे इसलिए याद आई कि वामन घीया के गिरोह के द्वारा आज तक जहाजपुर में तीन बार धौड़के गणेशजी के मंदिर में चोरी करवा दी गई है, फिर भी उसके ऊपर हम रोकथाम के प्रयास नहीं कर रहे हैं।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, मेरी आपसे मांग है कि जो इन्होंने कहा, आई ओ बदल जाता है, फिर वह आई ओ 15-15 साल तक पेशी पर जाता है। कई बार वह पेशी पर नहीं पहुंच पाता है। तो उससे जो न्याय जल्दी मिलना चाहिए, उस न्याय के अन्दर हमें देरी मिलती है। इसलिए आई ओ, जिस व्यक्ति ने जांच की, उसकी जगह उस कुर्सी को ही आई ओ मानते हुए, जो उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि आई ओ को जाकर के यही कहना है। आज तक कोई भी आई ओ अपनी दी हुई गवाही से फिरता नहीं है। तो जो फाइल के अन्दर लिखा हुआ है, उसी को मानकर, हम लोग यह कह देंगे कि उसी को मान लें और आई ओ को बाहर से यहां पर आना नहीं पड़े, तो निश्चित रूप से त्वरित न्याय के अन्दर हमें फायदा मिलेगा।

मैंने आपको भीलवाड़ा में भी ध्यान दिलाया था कि यह कैसी राजनीतिक द्वेषता है! जब एक सरपंच ने खुद ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि मैं अनपढ़ महिला हूं। मैं, दसवीं पास पंचायतों के सरपंच के लड़ने के लिए आपने नियम लागू किया था, उसके अन्दर दसवीं पास और आठवीं पास के नियम का विरोध करती हूं। मैं खुद अनपढ़ महिला हूं। उस महिला ने जब चुनाव लड़ लिया, चुनाव हार गई सरपंच का, सरसिया पंचायत, थाना जहाजपुर की घटना है, और उसके बाद में उसके खिलाफ जब लोगों ने एफ आई आर दर्ज कराई तो पुलिस ने उसमें एफ आर लगा दी। जब वह खुद महिला कह रही है कि मैं अनपढ़ हूं और हाई कोर्ट में अपना तीन महीने पुराना डाक्यूमेंट दे रही है, और उसके बाद पुलिस उसके ऊपर एफ आर लगा रही है।

हम जो क्राइम घटने की बात कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि सरकारें क्राइम घटाती हैं, कोई सरकार क्राइम नहीं घटाती है। नेता प्रतिपक्ष के सगे चाचा से गाड़ी छीन कर ले गये और उसकी गाड़ी का आज तक पता नहीं

(श्री धीरज गुर्जर)

लगा। एक गोपाल सिंह कोलायत का ब्लाक शिक्षा अधिकारी है ...(व्यवधान) मैं वही कह रहा हूं कि बरामदगी कौन करवाएगा? हत्या में इतनी कमी हो गई, वह तो अपराधी की मर्जी की बात है कि उसने हत्या नहीं की; डकैती में इतनी कमी हो गई, वह डकैती करने का उसको मौका नहीं मिला; हमने बरामद क्या किया? हमें बरामदगी के प्रतिशत को बढ़ाना होगा, हमें रोकथाम की कार्यवाईयां करनी होंगी, हमें प्रभावी निरीक्षण को अपनाना होगा, हमें नाकाबंदी को मजबूत करना होगा, तब जाकर के होगा।

एक यह नाकारा पुलिसकर्मियों को, आजकल तो कमाई की पोस्ट हो गयी ट्रैफिक के अन्दर भी, क्योंकि सौ-दो सौ, पांच सौ रुपये ठेले लगाने वालों तक से हम रिश्वत ले लेते हैं, पर ठेले की रेट तय कर रखी है कि इस लाइन में ठेला लगेगा, तो सौ रुपये। ये ऐसी सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिर कहीं न कहीं, दारू की दुकानों की बात तो अपन करें ही नहीं। इनकी पुलिस की बिना मर्जी के एक भी शराब की दुकान की ब्रांच नहीं खुल सकती। लेकिन जैसे ही कोई नेता आवाज उठाता है तो उसके कार्यकर्ता की ब्रांच पकड़ लेंगे। दुकानें सबके हैं, आजकल लाटरी व्यवस्था आपने ऐसी कर रखी है कि सबके दुकानें रहती हैं, लेकिन या तो ब्रांच नहीं हो...। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ व्यवस्था में इनको सुधार करना पड़ेगा और कुछ हमें इनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी।

माननीय सभापति महोदय, वर्दी, हम जिस चमकती हुई वर्दी की बात करते हैं, मुझे सभापतिजी इशारा कर रहे हैं, मुझे एक-दो लाइन और बोलनी थीं, जो मैंने मांग की थीं। हमारे जहाजपुर के खजूरी में नयी चौकी खुलनी चाहिए पुलिस की। कोटड़ी जो हमारी तहसील स्तरीय जगह है, वहां पर नया वृत्ताधिकारी का कार्यालय खुलना चाहिए। सवाईपुर में अगर आप नया थाना खुलवायेंगे, हाइवे है दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं; क्षेत्र लम्बा है कोटड़ी थाने का, तो सवाईपुर में अगर नया थाना खुले तो बहुत बढ़िया रहेगा। जहाजपुर के अन्दर जो हमारे थाने की बिल्डिंग है वह बहुत पुरानी हो गयी है। कस्बे में चौकी की घोषणा को बहुत समय हो गया लेकिन आज तक न तो वहां पर चौकी का निर्माण हुआ, न वहां पर आपने स्टाफ लगाया है।

सबसे बड़ी बात कि पुलिस को तो फिर भी बाहर रह कर कुछ न कुछ कमाने का मौका मिल जाता है, जेलकर्मी जो हमारे कारागार के अन्दर हैं, जो जेलकर्मी जेल में नौकरी करते हैं, उनको ऊपर की कमाई करने का मौका बहुत

(धीरज गुर्जर)

कम मिलता है। जैसे मुजरिम बंद रहता है, उसी तरह उनकी सुरक्षा में और जेलों की सुरक्षा के लिए वे जेलकर्मी जेल में बंद रहते हैं। इन जेलकर्मियों का वेतन पुलिसकर्मियों से भी कम है। कम से कम इन जेलकर्मियों पर हमको दया करनी चाहिए और इन जेलकर्मियों का वेतन बढ़ाकर पुलिसकर्मियों के बराबर करना चाहिए। यह मैं आपसे, गृह मंत्रीजी, मांग करूंगा।

इसके साथ मैं मांग करूंगा कि भीलवाड़ा की जो हमारी जेल है, इसको सेन्ट्रल जेल का दर्जा दिया जाए। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ी उप खण्ड कार्यालय पर नयी जेल खोली जाए और...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बी ई ओ।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, बी ई ओ को बरामद करवा देंगे गृह मंत्रीजी। कोलायत का जो हमारा बी ई ओ है, ब्लाक शिक्षा अधिकारी पांच महीने से लापता है। उसको तो कम से कम, गृह मंत्रीजी, आप बरामद करायें। वह बी ई ओ गया कहां पर, वह जिन्दा है कि मर गया? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ?

इन शब्दों के साथ मैं कंक्लूड करता हूं। कल मैंने एक बात कही थी कि अगर अधिकारी ईमानदार होगा, तो कोई उसको सिफारिश नहीं करेगा, लेकिन अधिकारी अगर बेईमान होगा, तो वह जब खुद बेईमानी के काम कर रहा है, तो एक-दो सिफारिश उसको मान लेनी चाहिए। आज थाने में जिस तरह से, आज आम आदमी भी जानता है कि भाई साहब, अपने मिलने वाला थानेदार वहां लग गया, कितने रुपये दे रहा है? यह आज सब जानते हैं कि किस तरह से सिस्टम नीचे से चालू होता है पैसे वसूलने का और कहां तक पहुंचता है।

इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, आज इन्होंने नाम लिया एक अधिकारी का कि ईमानदार है, लेकिन हमारे पीछे से नसीराबाद से आने वाले भी कह रहे हैं कि एक ईमानदार अफसर एस.पी., जो अजमेर में लगा था, उसको दो महीने के अन्दर हटा दिया, शराब माफियाओं के दबाव में आकर। ऐसे ईमानदार अधिकारी, मैं कह रहा हूं, धीरज गुर्जर ईमानदारी से आपको कह रहा है कि अगर ईमानदार अधिकारी होगा तो कोई उसके ऊपर अंगुली नहीं उठायेगा और अधिकारी अगर बेइमानी करेगा तो फिर उसको सबकी माननी पड़ेगी।

मुझे यही कहना था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): एक एस.पी. ने ...(व्यवधान) गिरफ्तार नहीं किया। उसको यहां लगा दिया।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक मिनट। एक मामूली चीज, सिर्फ ध्यानाकर्षण कर रहा हूं।

श्री सभापति: मैंने अगला नाम पुकार लिया है। बैठें आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भीलवाड़ा में जो बैच लगा था 2013 वाला, उसके नब्बे लड़कों की ट्रेनिंग करवाने में सरकार ने देरी करवा दी। तो उनका फिक्सेशन नहीं हो पाया है। फिक्सेशन में उनको तीन महीने की देरी हो गयी। तो उनको न तो पैसे का फायदा मिल पा रहा है और न उनकी समय पर पदोन्नति हो पायेगी। नागौर के अन्दर एस.पी. साहब ने दया दिखाते हुए उनको पुरानी तारीखों में जोइनिंग करवा दी, उनका फिक्सेशन कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भीलवाड़ा के जो नब्बे लड़के हैं, जिनकी सरकार ने ट्रेनिंग में तीन महीने की देरी की, इसलिए उनकी तीन महीने बाद ट्रेनिंग पूरी हुई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनका प्रकरण दिखवाकर, आप उन लोगों का समय पर फिक्सेशन करवायें, ताकि उनको उनका आर्थिक फायदा मिल जाए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय गृह मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पुलिस विभाग में मूलभूत सुविधाओं के विकास और आधुनिकीकरण के लगभग समस्त सम्भव बिन्दुओं को बजट देने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहती क्योंकि सारे लोगों ने आंकड़ों का जाल बहुत बिछा दिया है, मगर मैं स्वयं एक पुलिस आफिसर की लड़की हूं और आज जब मैं नहीं बोलती हूं तो मेरे को थोड़ा मन में बड़ा अजीब-सा लगता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं बोले बगैर जाऊंगी नहीं। तो मेरा बोलना अति आवश्यक है। क्योंकि मैं अभी तक भी किसी को वर्दी पहने हुए देखती हूं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। जब पुलिस की मांग हो और मैं नहीं बोलूं, तो मेरे को संतुष्टि नहीं होती।

बजट में क्वार्टर निर्माण के लिए एक करोड़ नब्बे लाख रुपये पुलिस लाइन और थाना भवन के लिए दिये हैं; सबके लिए दिये हैं। सारे आंकड़े दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर एक ऐसा शहर है जो जयपुर के बाद दूसरा नंबर का है और कमिश्नरेट लागू किया है, जयपुर में भी और जोधपुर में भी किया है, आनन-फानन में उन्होंने यह कर तो दिया, मगर न तो उसमें कोई भवन बनाया। क्योंकि जोधपुर शहर के रियासतकाल में, राजा-महाराजाओं के समय में, स्टेटों के समय से, जो डाक बंगला बना हुआ था, उसका आधा हिस्सा करके पुलिस कमिश्नर साहब को वहां बैठाया गया है।

यही हालत है महिला थानों की। भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे, तो मैंने पुलिस लाइन में एक थाना बनवाया। उसके बाद आज तक कोई भी पुलिस थाना नहीं बना है। पुलिस थाना जब पिछली सरकार ने दिया, तब किराये के भवन में दिया और अब वह एक क्वार्टर में चल रहा है। उस क्वार्टर में पुलिस थाना चले, तो वहां कहां तो समझौता करावें, कहां बैठकर बात करें, क्या करें। तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम, आप कुछ नहीं करो तो यह तो करो कि महिला थाने के लिए जमीन तो उपलब्ध करवाओ। आप जे डी ए से कराओ, नगर निगम से कराओ, किसी से भी करवा करके, महिलाओं के लिए तो करो। हमारे सदन की नेता भी महिला हैं, हमें इस बात का भी गर्व है और मैं समझती हूं कि मेरी आवाज सदन की नेता तक पहुंचेगी और इस महिला थाने के लिए आप जमीन उपलब्ध करायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया था, मगर हुआ कुछ नहीं; मैं यह चाहूंगी कि आज की इस मांग में, जो देवनगर में थाने का प्रस्ताव आया हुआ है, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि अगर उसका प्रस्ताव आया हुआ है, तो देवनगर थाने के प्रस्ताव को मंजूर करवायें और वहां थाना बनवायें।

माननीय सभापति महोदय, बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक रेंज स्तर पर एक साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव स्वागत-योग्य है। इसके साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य का विस्तार भी प्रशंसनीय है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है।

मैंने पुलिस का वह समय देखा है कि जब एक कांस्टेबल निकलता था, तो वह एक थानेदार के बराबर होता था, और आज पुलिस की क्या हालत हुई है। सबसे ज्यादा जो राज किया है, उन्होंने पुलिस का मनोबल गिराया है। पुलिस का मनोबल हरेक ने नहीं गिराया है। जब कभी भी यहां भैरोंसिंहजी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

शेखावत साहब बोलते थे, तो मेरे पिताजी उनको घर जाकर के पुष्पहार पहनाते कि आपने पुलिस के लिए इतना बजट दिया है, आपने पुलिस के लिए इतना बोला है।

तो मैं, माननीय गृह मंत्रीजी, आपको याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि आप भी उनके साथ रहे हैं और मैं भी रही हूं, मैं यह चाहूंगी कि उस बात को आप याद करो और पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सख्त बनवाओ। इनको ज्यादा से ज्यादा आप, अंग्रेजी में कहते हैं फैसेलिटी, लेकिन मैं मेरी भाषा में बोलना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा इनको सुविधाएं दिलावाओ। आप इनको सुविधाएं दिलावायेंगे, आप इनको ज्यादा से ज्यादा व्हिकल्स दिलवाओगे, अभी एक मोटरसाइकिल मिलती है, क्या होता है एक मोटरसाइकिल से? माननीय सभापति महोदय, एक सी आई थाने में एक मोटरसाइकिल और एक जीप से कोई काम चलता है क्या? अब वह जमाना थोड़े रहा है। मैं चाहती हूं कि हर सी आई थाने पर कम से कम चार मोटरसाइकिल और एक जीप होनी चाहिए और वह जीप भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि रास्ते में चलते-चलते खराब हो जाए। सदन की नेता का दिल बहुत ऊंचा है और वे महारानी हैं खुद; वे यह चाहती हैं। मैं चाहूंगी, गृह मंत्रीजी, आप और वे बैठ करके इन थानों को, पुलिस को, सख्त बनाओ और इनको हिम्मत दिलाओगे, तो मैं समझती हूं कि इस पुलिस विभाग की छवि और निखरेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे ज्यादा मेरा फंड पुलिस विभाग में देती हूं और पुलिस विभाग में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहती हूं। मेरे पिताजी सबसे पहले सिटी पुलिस में कोतवाल रहे थे। उस समय सिटी पुलिस पुलिस लाइन के रूप में जानी जाती थी। वहां पर दो थाने बनवाये। सबसे पहले मेरे पिताजी वहां कोतवाल रहे। उस थाने की आज जाकर के आप स्थिति देखो, तो नीचे वाला थाना तो ठीक है, ऊपर वाला तो बिलकुल ही कंडम है; नहीं के बराबर है। सामने वाले बहुत जोर-शोर से बोल रहे थे, मगर इन्होंने कभी इन थानों की और पुलिस चौकियों की सुध नहीं ली। इन्होंने पुलिस थाने और चौकियां कहां लगवाईं, जालौरी गेट के अन्दर, मेढ़ती गेट के अन्दर; ये जो गेट थे, उनके अन्दर चौकियां लगवाई हैं। आज शहर की स्थिति बहुत नाजुक है, जयपुर से दूसरे नंबर पर जोधपुर होते हुए भी आज थानों की स्थिति अच्छी नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी, मैं यह चाहूंगी, आप इस पर विशेष ध्यान दें कि जोधपुर में किस तरीके से काम किया जाये और कैसे काम करें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद, कमिश्नरेट लागू तो कर दिया, मगर उनके पास इतनी नहीं, उनको बजट इतना नहीं, अब बजट दिया, तो कम से कम यह तो हो कि जोधपुर में इतना मिलेगा। आपने आंकड़ें खूब दे दिये, अच्छे दिये, सब बोले हैं, अच्छी बात है, मगर मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि कम से कम आप जोधपुर का डिस्ट्रिब्यूशन अच्छी तरह करना, प्लानिंग अच्छी करके देना, ताकि जोधपुर को कुछ मिल सके। मेरा सूरसागर क्षेत्र है, मैं वहां की जन-प्रतिनिधि हूं और जन-प्रतिनिधि होने के नाते मेरे यहां चौपासनी हाउसिंग बोर्ड आता है, प्रताप नगर आता है, सभापति महोदय, नफरी कम है, मैं चाहती हूं इस बार आप वहां पर सब जगह, हाउसिंग बोर्ड है, सूरसागर थाना है। जहां कहीं, भी हो, नफरी बराबर करो; सी आई की पोस्ट हो, तो सी आई लगाओ। वहां पर अच्छी व्यवस्था करो। मैं आपसे यह उम्मीद करती हूं कि इस बार आप हमारी बात के ऊपर ध्यान देंगे।

मेरा निवेदन है मिशन मोड पर काम करके, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण और आवास मंडल, आदि विभागों के साथ चर्चा करके आज जमीन उपलब्ध करायें। हम एम एल ए फंड देकर भी किसी तरीके से थाने, चौकियों को सुधार करने में पूरा सहयोग करेंगे। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं, अगर आपने जमीन की व्यवस्था कर दी आप स्वयं जोधपुर पधारे थे, आपने अपने भाषण में यह कहा था कि हम जमीन उपलब्ध करायेंगे; अगर आप जमीन उपलब्ध करायेंगे, तो हम थाना, चौकियां बनाने में आपको पूरी मदद करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं बोलना तो काफी कुछ चाहती थी, पुराने पुलिस थानों की बात कर ली; जोधपुर सहित प्रदेश में घातक पदार्थ, मैं पुलिस की तारीफ तो करूं, पर तारीफ के साथ यह भी कहना चाहूंगी कि कमला नेहरू कालेज है, और भी कई कालेज हैं, लड़कियों की प्राइवेट कालेज भी हैं, वहां बाहर लड़के खड़े रहकर, नोट में डालकर, यह स्मैक कहते हैं या क्या कहते हैं, वह पीते रहते हैं। इन पर रोक लगनी चाहिये।

चेन स्नैचिंग बहुत होती है और विशेष तौर से हाउसिंग बोर्ड में तो बहुत रहती है। मैं यह चाहूंगी कि इसके ऊपर भी थोड़ी लगाम कसी जाये। क्योंकि कोई गिरोह आया हुआ है। ऐसा होता है, जो पुलिस को सब पता तो रहना चाहिये। हमारे जमाने में तो पुलिस थानों में बदमाशों की फोटो लगी रहती थीं कि ये ये बदमाश लोग हैं। अब तो हैं, या नहीं, मेरे को कोई नजर नहीं आया। फिर भी मैं यह चाहूंगी कि आप इस तरीके से हमारे थानों में भी व्यवस्था करें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर, पुलिस थाना प्रतापनगर और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में बहुत जनसंख्या बसावट होने के कारण, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि वहां बहुत होने के कारण देवनगर थाने की स्वीकृति प्रदान करने का पूरा प्रयास करना, मेरा आपसे यह निवेदन है।

जोधपुर में सबसे पुराना पुलिस थाना सदर भवन, जिसकी मैं अभी चर्चा कर चुकी हूं, वह जर्जर अवस्था में है। मैं क्या कहूं? आप खुद जाकर देखें, तो पता चलेगा।

इसी तरीके से, पुलिस थानों, चौकियों और कार्यालयों पर सी सी टी वी कैमरे की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर हमारा सहयोग भी आप लेना चाहेंगे, तो मैं आपको पूरा सहयोग दूंगी।

दूसरी बात है कि थानों में जो सिपाही होते हैं, कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल होते हैं, मुंशी होते हैं, हमारे जमाने में मुंशी कहते थे, हवलदार कहते थे, अब कमिश्नरेट हो गया तो डी सी पी हो गये, हम एस पी साहब कहते थे...

श्री सभापति: अब भी आपका जमाना है। आपका जमाना गया नहीं है अभी तक। हमारा जमाना नहीं, आपका जमाना अब भी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, वह तो मैंने कह दिया कि मैं जब तक जिऊंगी, तब तक लडूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे को पुलिस के बारे में काफी कुछ कहना है। फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगी कि आप इस पर विशेष ध्यान देकर इस पुलिस व्यवस्था को मदद करें और इनको प्रभावी बनायें, इनके भत्ते बढ़ायें। इनके भत्ते बढ़ाने से आपको काफी कुछ लाभ होगा। इनका भत्ता बढ़ाना अति आवश्यक है। मैस में इनका खाना भी अच्छा होना चाहिये। सिटी पुलिस की मैस में जाकर देखती हूं, इनका खाना अच्छा होना चाहिये। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, इनका कोई टाइम भी नहीं है। मैं आपसे मदद चाहूंगी और सदन की नेता तक भी मेरी आवाज पहुंचनी चाहिये कि इन लोगों को मदद करें और पुलिस विभाग को पूरा सतर्क बनाने के लिए आप अपना पूरा सहयोग देंगे और मेरी बात को भी वहां तक पहुंचायेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का अवसर दिया ...(व्यवधान) अब बोलें क्या? आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे। (व्यवधान) उसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सभी विद्वान माननीय, सदस्य जो विराजमान हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अपने सुझाव दिये। माननीय वसुंधराजी के सत्ता सम्भालने के बाद, माननीय कटारियाजी के गृह मंत्री बनने के बाद, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य अपराधों के बढ़ने-घटने की बात कहे, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, बाकी आपके सत्ता सम्भालने के बाद और कटारियाजी के गृह मंत्री बनने के बाद अपराधों में निश्चित कमी आई है। इसमें कोई दोराय नहीं और यह एक तरह से सत्य भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन की बात कहना चाहता हूं। यह देश आजाद है और हमारा देश आजाद होने के बाद, पुलिस अमले में बहुत सुधार हुआ। यह अंग्रेजों के टाइम की पुलिस नहीं है। आज प्रजातंत्र है, हमारा देश आजाद हो गया, उस समय की पुलिस है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारी बहुत मेहनत करते हैं। जो अधिकारी मेहनत करते हैं, उनको रिवार्ड मिलना चाहिये और जो ऐसे पुलिस कर्मी हैं, जो अपने काम के प्रति लापरवाह हैं, उन्हें प्रताड़ित करना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य ने एक मूवी की बात की, धीरजजी ने भी मूवी की बात की। मैंने भी एक पिक्चर देखी, पिक्चर का नाम याद नहीं है, एक पुलिस अफसर था, उसने कहा कि मैं सुधार करूंगा और इस क्राइम जगत को मैं खतम करके रहूंगा। अपराधी लोग उस पुलिस अफसर को जिंदा जला देते हैं, मुझे याद नहीं है उस मूवी का नाम, इस तरह के लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं, क्योंकि सभी ने अपने सुझाव दे दिये, हमारे पूर्व में जो डी.जी. थे आदरणीय ज्ञान प्रकाशजी पिलानिया, उन्होंने थानों को मंदिर बनाने की बात कही थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाकई में गृह मंत्रीजी की थानों को मंदिर बनाने की इनकी मंशा है, ये उसको पूरा करेंगे, इनकी इच्छा शक्ति है, माननीय गृह मंत्रीजी की। थाने को मंदिर बनाने की बात माननीय पिलानिया जी ने की थी। आज थानों में पुलिस अधिकारी हो, थाना अधिकारी हो, जनता

(श्री हीरालाल)

हो, चाहे साधारण आदमी हो, उनको पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। इस तरह का माहौल पैदा करें कि थाने में वे जाएं तो यह महसूस करें कि मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूं। यह सुधार करना चाहिए।

जन- प्रतिनिधियों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो उनको सहयोग करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं कि आलोचना करें कि पुलिस वाले ऐसे, यह ऐसे हैं, ऐसे हैं। आपके सामने बात है 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे तो आप और हम भी काम करते हैं, 1 बजे भी कोई कार्यकर्ता फोन करेगा तो अपन भी उठाएंगे। 24 घंटे पुलिस भी काम करती है और जन प्रतिनिधि भी 24 घंटे का नौकर है।

पूर्ववर्ती सरकार ने जिनकी एच.एस. हिस्ट्रीशीटर बंद कर दी, उनकी भी जांच करावें। माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है।

मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊंगा और मांग करूंगा, क्योंकि आंकड़े तो मेरे विद्वान साथियों, पक्ष और प्रतिपक्ष के...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इतने बड़े माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। आप सुनो उनको। आपके काम आयेगा वह।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊंगा और मैं निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरे क्षेत्र में, मेरे सी.ओ. क्षेत्र निवाई में...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हीरालालजी, आज आपने पुरानी बात अपने समय की नहीं कहीं। पिछली बार कही, वैसी नहीं कही आज। पुरानी बात अपने समय की, वह नहीं कही आज।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आपका समय अब भी चल रहा है। लम्बा अनुभव है आपका।

श्री दर्शन सिंह (करौली): कर लेंगे बात। अभी तो स्टार्ट हुई है गाड़ी।

श्री हीरालाल (निवाई): तो मैं अपने क्षेत्र के लिए बताऊंगा। मेरे क्षेत्र में, जिस तरह से आप सारी बात करते हैं, मैं तो सारी पंचायत, चौधराहट दूसरी जगह की नहीं करूंगा, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, मेरे क्षेत्र में भी अपराध हुए हैं, लेकिन अब पुलिस को, माननीय गृह मंत्रीजी को और हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 90 प्रतिशत अपराध खुल

(श्री हीरालाल)

गये हैं; चोरी हुई वे बरामद हो गयी हैं, और इस तरह के अपराध, जो 90-90 मोटरसाइकिलें चोरी हुईं, वे हमारे पुलिस के लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों ने बरामद कीं। मैं उनकी तारीफ करता हूं।

माननीय सभापतिजी, अपने क्षेत्र में हर एक थाने को अनुसंधान कक्ष, बाउंडरी, ट्यूबवेल, कम्प्यूटर और प्रिंटर, ये सभी मैंने अपने विधायक मद से उपलब्ध कराये हैं, हर थाने में बाउंडरी, और मैं गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी जो बैठते हैं, तो उनको अच्छा स्थान मिलना चाहिए, आफिस भी मिलना चाहिए। मेरे यहां डीवाई.एस.पी. के बैठने के लिए जगह नहीं थी, मैंने दस लाख रुपये अपने मद से लगाकर डीवाई.एस.पी. के लिए आफिस बनाया, अपने विधायक मद से। आप लोग करके बताइये। खाली बातें ही करते हो।

तो इनसे यदि काम लेते हैं तो सुख-सुविधा का भी ध्यान रखें। जब इनसे काम लेते हैं तो सुख-सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए हमको। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहूंगा और निवेदन करूंगा, माननीय सभापतिजी, पुलिस अधिकारियों को, कर्मियों को, जनता को अपने साथ मानना चाहिए। यह सब आदरणीय पिलानियाजी का सपना साकार हो।

मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। परमेशचंद्र कमेटी के अनुसार भविष्य में घटित होने वाले अपराधों के दृष्टिगत पुलिस वृत्त, निवाई में प्रस्तावित थानों और चौकियों की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार है ....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, सुबह मुख्य मंत्रीजी ने हिदायत थी कि कोई मांग नहीं करोगे। तो फिर क्यों कर रहे हो?

श्री हीरालाल (निवाई): यह तो जन-प्रतिनिधि को बोलने का अधिकार है। आप बिना उसके बोल रहे हैं। आपको नहीं बोलना नहीं चाहिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको क्या है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): आप तो मुख्य सचेतक हैं। आपको तो पालना करनी चाहिए सदन के नियमों की। ऐसे डिस्टर्बेंस करोगे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए सचेत कर रहा हूं आपको कि मांग नहीं रखोगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): निवाई थाना सदर, जिसमें 11 पंचायतें हैं, जिनमें 2014 तक कुल आपराधिक आंकड़े 149 दर्ज हैं। प्रस्तावित थाना जिलाई में कुल 9 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 2014 तक कुल आपराधिक आंकड़े 121 दर्ज हैं। प्रस्तावित थाना बनवाड़ा में कुल 7 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 2014 तक कुल आपराधिक आंकड़े 81 दर्ज हैं। करड़ा पुलिस चौकी, पुलिस थाना रतवास प्रस्तावित की जाए, जिस हेतु राजस्व विभाग आवश्यक भूमि भी उपलब्ध कराएगा।

पुलिस थाना पीपलू की बिल्डिंग काफी जर्जर है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराकर बिल्डिंग बनाई जाए।

इसके अलावा, निवाई कस्बे में बढ़ती जनसंख्या व अपराधों की दृष्टि से स्थायी रूप से सिटी मोबाइल गाड़ी की व्यवस्था की जाए।

एन.एच. 12 पर गुन्सी बोर्डर से बनास पुल तक इंटरसेप्टर वाहन की व्यवस्था की जाए।

आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि होम गार्ड को काफी कम मानदेय मिलता है, उस मानदेय को बढ़ाया जाए।

मांग संख्या 17, जिला बंदी कारागृह, टोंक में कारागृह के चारदीवारी नहीं है। उसकी चारदीवारी के लिए पर्याप्त बजट दिया जाए, जिससे बंदियों की फरारी की सम्भावना कम बने।

जिला बंदीगृह में जैमर का होना अति आवश्यक है। हम मांग करते हैं और बात करते हैं कि जेल में मोबाइल ले जाते हैं। मैं यह कहता हूं, अच्छी कम्पनी का एक जैमर उपलब्ध करवा दिया जाए तो मोबाइल पर बात नहीं होगी, जैसे विधान सभा में मोबाइल काम नहीं करता। तो मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है।

साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि सी.एल.जी. में जो सदस्य बनाए जाएं, पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाएं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उसमें नहीं शामिल किया जाए। क्योंकि कभी-कभी सी.एल.जी. और शांति समिति में अशांत आदमी आ जाते हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, सी.एल.जी. में जो जनता के, और कार्यकर्ता लिए जाएं, अच्छे नेचर के, जिनका नैतिक आचरण अच्छा हो, जिनमें नैतिकता हो, ऐसे लोगों का लिया जाए। इसमें सुधार किया जाए।

साथ ही सभी माननीय सदस्यों के लिए एक शेर आपकी शान में कहूंगा, कि एम.एल.ए. कैसे बनता है। जैसे 'आज का एम.एल.ए' पिक्चर नहीं। एम.एल.ए. कैसे बनता है। जनता ने वोट दिया और मैं बन गया।

इन्सां सुर्खरू होता है ठोकरे खाने के बाद।
हिना रंग लाती है पत्थर पर घिसने के बाद।।

तो माननीय सदस्यों की शान में है।

एक बात और सुन लो आप। आप बार-बार करते हैं कि यह सरकार, यह सरकार, यह माननीया वसुंधराजी के लिए हैं।

फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शमा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत खुदा करे।

जय हिन्द, जय भारत। वन्दे मातरम्।

श्री सभापति: श्री कन्हैयालाल।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जिस तरह से अभी हमारे माननीय सदस्यों ने राजस्थान पुलिस के बारे में, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे गृह मंत्री, हमारी राजस्थान की पुलिस अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में हमारे सदस्यों ने बताया और जो आंकड़े सदन में रखें, उनसे पता चलता है कि अपराध का ग्राफ घटा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र, टोंक जिला और सवाई माधोपुर, सभी जगह, एक ऐसी ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान

(श्री कन्हैयालाल)

आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक मोगिया जाति है, इसका आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि पिछले कुछ समय में चोरी की नीयत से इस जाति के लोगों ने कम से कम 20 मर्डर किये हैं। ये लोग स्थानीय होते हैं। चोरी करने के बाद, सबूत मिटाने के लिए, ये लोग, खेत में काम करने वाले किसान रात्रि में सोते हैं, या वहां कोई बाहर मकान रहता है, रात में चोरी करके उनका मर्डर करके आते हैं। अभी 4-5 दिन पहले बद्रीलाल मीणा किसान था, उसका मर्डर किया। उसमें भी मोगिया जाति के ही चार आदमी पकड़ में आये हैं। आतंक इतना बड़ा हो गया है कि उस क्षेत्र के लोग, इनको पुलिस पकड़ कर भी ले जाती है, जेल में डालती है, ये जेल से भी कई दफा छूट कर आ चुके हैं। जब ये न्यायालय में पेशी के दौरान जाते हैं तो इनकी औरतें, जो भी गवाह जाता है, उसके खिलाफ या तो बलात्कार का मुकदमा लगाती हैं, या कहीं न कहीं लड़ने-झगड़ने को तैयार रहती हैं।

सभापति महोदय, इनका इतना आतंक हो गया है कि जब ये निकलते हैं तो जिस तरह से पहले डांग क्षेत्र में रामबाबू गडरिया का नाम सुनते थे, उसके नाम से लोग डरते थे, इसी तरह से आज मोगिया जाति का एक छोटा सा बच्चा भी जाता है, चलते हुए किसी आदमी के थप्पड़ मार दे, तो उसके वापस देने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस में भी करते हैं, तो मानवाधिकार की आड़ लेते हुए, पुलिस के अधिकारी भी ड़रते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं होती है। पिछले 15-20 साल के आंकड़े निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा मर्डर इस मोगिया जाति ने किये हैं।

यह बात मैं आपके माध्यम से इसलिए उठाना चाह रहा हूं कि ये विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा व टोडारायसिंह के बीच रहते हैं। वहां लोगों में बहुत बड़ा डर बैठ गया है। मेरे टोड़ारायसिंह और मालपुरा की दूरी 35 किलोमीटर है। बीच में एक स्टेट हाइवे 37 पर एक चौकी है, मोर गांव है, उसके आस-पास इस जाति के लोग रहते हैं। अभी इस हाइवे को मेगा हाइवे भी घोषित कर दिया। आस-पास की लगभग 20 पंयायतें इस चौकी से प्रभावित होती हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इस चौकी को थाने में तब्दील कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत अंकुश इस मोगिया जाति के ऊपर भी होगा। आस-पास क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हैं, 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मोर गांव उपखण्ड टोडारायसिंह में पड़ता है। टोडारायसिंह पंचायत

(श्री कन्हैयालाल)

समिति की कुछ ग्राम पंचायतें मालपुरा क्षेत्र में थाना लामारीसिंह है, उसमें जाती हैं। किसान काम करने के लिए टोडारायसिंह का आता है, वापस दूसरी जगह पर पड़ता है, उनको भी यह सुविधा मिल जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से एक और मांग करता हूं, जिस तरह से सरकार की मंशा है, हर उपखण्ड पर एक सी ओ सर्किल खोला जाए। टोडारायसिंह उपखण्ड 40 साल पुराना उपखण्ड है। टोंक जिले के सभी उपखण्ड पुराने हैं, उन पर सी ओ सर्किल खुले हुए हैं अगर यहां भी सी ओ सर्किल खोला जाएगा, तो कहीं न कहीं अपराधों पर और अंकुश होगा, सही मानिटरिंग होगी। यह भी खोलने की कृपा करें, आपसे निवेदन करता हूं।

साथ ही, जिस तरह से मालपुरा क्षेत्र में, मालपुरा शहर में पिछले 25-30 साल से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहता है। सौहार्द बिगाड़ने के लिए कहीं न कहीं वहां से, अभी बीच में जांच हुई थी, देशद्रोह के नारे लगे थे। अगर उनकी सही जांच की जाए तो कहीं न कहीं इनका आई एस आई से हाथ निकलेगा। पिछले टाइम कई दफा दंगों के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं।

मालपुरा, टोडारायसिंह रोड, केकड़ी रोड के बीच में लगभग 500 बीघा सरकारी जमीन पड़ी हुई है। यह ऐसी जगह है, यहां से अगर कहीं पर दंगा हो, चाहे भीलवाड़ा हो, आसींद हो, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, कहीं भी हो, बीच में सब जगह हाइवे बन चुके हैं, दो घण्टे में किसी भी क्षेत्र में यहां से पुलिस जा सकती है। जिस तरह से कामां के अन्दर, पैरा मिलिट्री, पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर, या आर ए सी का ट्रैनिंग सेंटर यहां खोला जाए, तो समय पर शांति-व्यवस्था बनाने के लिए, राजस्थान के विशेषकर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिले में कहीं भी हो, यहां से पुलिस समय पर जा सकती है। जमीन भी सरकारी है, लगभग 500 बीघा यहां उपलब्ध है। अगर खोलने की कृपा करें, तो काफी अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर जिस तरह से अभी पुलिस काम कर रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी सरकार के, हमारे गृह मंत्रीजी के नेतृत्व में, हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है।

इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय,...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय। रमेशजी, एक मिनट। सभापति महोदय, एक मिनट। गंगानगर में कल गंगानगर के जिला कलक्टर ने, किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलने आफिस में गया था, उनके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की; कहां कि मैं आपके दांत तोड़ दूंगा; जेल के अन्दर डलवा दूंगा; मैंने अच्छे-अच्छे दादाओं को ठीक कर दिया; मैं भी उड़ीसा का बहुत बड़ा गुण्डा हूं। गंगानगर के कलक्टर हैं, पी सी किशन। सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा चल रही है....

श्री सभापति: आप बैठिए। आपका विषय जानकारी में आ गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था पर चर्चा चल रही है...

श्री सभापति: आप बैठिए। माननीय सदस्य, आपका विषय सरकार की जानकारी में आ गया। आपने ला दिया। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसे क्यों करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: आप बैठें। आपकी बात अंकित नहीं होगी। आप बैंठे।

श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने गृह और कारागार पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

वैसे तो गृह मंत्री यहां विराज नहीं रहे, गृह मंत्रीजी को यहां होना चाहिए। एक तरह से यह परम्परा बन गई है कि हमें प्रतिपक्ष का फर्ज निभाना है और विधान सभा के इस रिकार्ड में अपना भाषण, नाम लिखाना है। यही समझ लो, नाम लिखाना, एक फोर्मेलिटी पूरी करनी है।

श्री सभापति: आपकी हर बात माननीय गृह मंत्रीजी तक पहुंचाएंगे। आप चिंता मत करो। आप तो अपनी बात कहो।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, साहब। सभापति महोदय, धन्यवाद।

सबसे पहले, हमारे माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखीं। यहां सबसे पहले बात आती है कि इस विभाग में कैसे सुधार हो, कैसे संसाधनों की व्यवस्था हो, पद रिक्त हैं उनको

(श्री रमेश)

कैसे भरा जाएं। यहां तो एक ही परम्परा है, सत्ता पक्ष पक्ष में बोलेगा, प्रतिपक्ष विपक्ष में बोलेगा, कमियां बताएंगे; कमी दोनों को ही बतानी चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सरकार जिसकी होती है, उसकी मंशा सही हो तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अधिकारी तो वही हैं; इनको कोई एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट तो किया नहीं गया है। इनमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं, व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, प्रदेश में शांति कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर हमारे आई पी एस अधिकारी के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, क्या इस विभाग में होना चाहिए।

(17.00 बजे)

मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पुलिस के पास संसाधनों का अभाव है। मैं एक दिन अख़बार में पढ़ रहा था। आजकल लूट-खसोट, अपहरण, इतने गम्भीर अपराध होते हैं और उनके पास नई एस.यू.वी., नई अच्छी मोडिफाइड गाड़ियां हैं, पुलिस के पास पुरानी गाड़ियां हैं। कैसे दौड़ लगायें? कैसे पकड़ पायें? किसी का अपहरण हो गया था, जिसका अपहरण हुआ था उसके परिवार के पास फार्च्यूनर गाड़ी थी, तो उस अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया।

इसी तरह हमारे पास पुलिस विभाग में हजारों पद खाली हैं। निर्धारित समय से अधिक हमारे पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके अनुसार, जो तय होना चाहिये। पुलिस की सेहत कैसे बनी रहेगी? अनफिट हो जाते हैं। इसकी भी पुलिस में एक समीक्षा हो। हमारे जो कर्मचारी हैं, उनकी आवास की व्यवस्था सही हो, सुदृढ़ हो। उनके सिस्टम में भी क्या कमियां आ रही हैं, उसकी भी समय-समय पर एक कमेटी गठित हो। वह सर्वे करवायें कि हमारे जवानों की मनोदशा पाजीटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। उस बारे में भी हमारे विभाग का, हमारी कैबिनेट का, हमारी सरकार का ध्यान होना चाहिये। जैसे, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहां जयपुर में 53 पी.सी.आर. तैनात हैं, जिनमें हमारे जवान 12 से 15 घण्टे ड्यूटी करते हैं। इनका भी ध्यान रखा जाए। सबसे बड़ी जो कमी है कि पुलिसकर्मी कम हैं। अधिक घण्टों की नौकरी करना और जब कहीं कोई प्राब्लम क्रियेट हो जाये, तो उनको छुट्टी नहीं मिलना, या कहीं कोई बीमारी के समय कोई प्राब्लम हो

(श्री रमेश)

जाये, या शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो उनको छुट्टी नहीं मिलना, ये ऐसे कारण बन जाते हैं कि उनका मानसिक संतुलन भी कभी-कभी नेगेटिव होता चला जाता है। इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में पुलिस थाने की गाड़ियों की डीजल का, मेंटीनेंस का, सरकार से पूरा नहीं मिलता है। वह जनता के पैसों से या एस.एच.ओ. की जेब से खर्च होता है। जो लाग-बुक भरी जाती है, वह पैसा कहां से आ रहा है। पुलिस अफसर कहते हैं, निर्देश देते हैं, ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो, परन्तु हमारे अधिकारियों या सरकार को नहीं दिखता है कि पैसा कहां से आ रहा है। यह सारा पैसा अपराधियों से तो नहीं आ रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा समय-समय पर एनुअल इंस्पेक्शन करने होते हैं। जो वार्षिक निरीक्षण का खर्चा होता है, वह कहां से होता है? रंग-रोगन है, रिनोवेशन है, सफाई है, टूट-फूट है, इनका पैसा कहां से मिलता है? कौन एड करता है? कहां से अनुदान मिलता है? हिसाब से सरकार द्वारा इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार रेंज वाइज विभागीय प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भी सभी भाग लेते हैं। जिस विभाग का जो कार्यक्रम है, विभागीय; जिस-जिस जिले में होता है, जो मेजबान होता है, उसको उसकी व्यवस्था सारी जुटानी होती है। वह पैसा खर्च कहां से होता है? यह भी प्रशासन को और हमारी सरकार को सोचना चाहिये। जिस प्रकार के खर्चे होते हैं, विचाराधीन कैदी हैं, रिमाण्ड पर हैं, उसका भी कितना पैसा सरकार देती है? तो वह पैसा कहां से आता है? करप्शन की शुरुआत कहां से होती है?

इसी प्रकार थानों में एस.एच.ओ. कैसे लगता है। जो थाने अच्छे माने जाते हैं, पुलिस की निगाह में कौनसे अच्छे थाने होते हैं, कैसे बोली लगती है, कौन लगेगा, किसकी एप्रोच से लगेगा, कौन राजनेता से हमारी बात को रखा जायेगा, या अधिकारी एक-दूसरे के पीछे पड़कर राजनीतिक रूप से फायदा लेकर थाने में लग जाते हैं। जहां भूमि का कारोबार हो या अफीम का कारोबार हो, या स्मैक का कारोबार हो, या कोई नम्बर दो का धंधा हो, वे अच्छे थाने कहलाते हैं। तो इस प्रकार इन पर भी पुलिस को ध्यान देना होगा, विभाग को ध्यान देना होगा।

हमारे जो पुलिस के जवान हैं, इनके वेतन भत्ते हैं, इनमें वृद्धि होनी चाहिये। इनको आवास उपलब्ध होना चाहिये। इसी प्रकार, यहां एक बिन्दु साथ

(श्री रमेश)

में मैं कह देता हूं, जो हमारे जेल प्रहरी हैं, जेलों में हैं, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। एक हमारे आर.ए.सी. के जवान बाहर जेलों में जो सरकार ने लगाये हैं, उनकी तनख्वाह जेल प्रहरी से ज्यादा है। तो उनकी भी तनख्वाह, क्योंकि वे भी अन्दर काम करते हैं, उनको भी इनके बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, अब मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार राजस्थान में अपराध बढ़े हैं और हमारे माननीय गृह मंत्रीजी अभी बताएंगे, जब भी उत्तर का समय आयेगा तो कमी की बात करेंगे और वे कहेंगे कि 5.7 प्रतिशत अपराध हमने कम कर दिये हैं। बार-बार इसी चीज को दोहराते हैं। हम आंकड़ों में जाते हैं, अपराध 2014-15 के बीच में बिलकुल, कटारियाजी, हमारे गृह मंत्रीजी, आदरणीय, आपने कम कर दिये हैं, लेकिन जब हम रोज-रोज अख़बार पढ़ते हैं, तो वहां तो हमें कहीं नजर आता नहीं कि अपराध कम हुआ है।

अभी एक लेटेस्ट घटना हुई थी 26 जनवरी को, इसी रामबाग सर्किल पर। हमारी सरकार 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस बीकानेर में मना रही थी। यहां एक दुखद घटना कह सकते हैं उसको। एक नर्स के साथ, जो सांगानेर से आती है, साढ़े पांच और छह के बीच में, रामबाग सर्किल से उसको अपराधी उठाकर ले जाते हैं और स्टेडियम के एक कोने में बलात्कार हो जाता है। उसके बाद में उसने हिम्मत की, अपने पति को बुलाया फोन पर, उसने मेडिकल कराया। लेकिन उससे भी बड़ी दुखद घटना, जब वहां उसको पुलिस वाले लेकर जाते हैं, गांधी नगर थाने के, तो वहां जब मेडिकल होता है, वहां कुछ और हमारे भी एक-दो लोग खड़े थे, तो वे बता रहे थे कि जब मेडिकल होता है तो पुलिस वाले कहते हैं, ए.एस.आई. रैंक का आदमी था, कि यह भी ऐसी है, इसकी बहन ने भी, पता नहीं, किससे शादी की है; ये लोग ऐसे ही हैं, तो वे छिपाना चाहते थे कि 26 जनवरी में यह घटना नहीं आये, गणतंत्र दिवस के मौके पर। उसने उस महिला के लिए, जिसने साहस किया रिपोर्ट दर्ज कराने का, मेडिकल कराने का, जबकि पुलिस को सहयोग करना चाहिये था, उस जगह उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उसकी भर्त्सना की कि यह ऐसी ही है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप

(श्री रमेश)

से कार्रवाही होनी चाहिये। हमारा पूरा बेड़ा बीकानेर चला जाता है, या सरकार चली जाती है। यहां सारी पुलिस सो जाती है क्या? स्टेडियम, जिसमें 26 जनवरी के दिन यहां ऐसा अपराध हो जाता है। एक तरफ 26 जनवरी को आपने एलर्ट कर रखा है पूरे राजस्थान में कि आतंकवादी कोई घटना हो सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है। उसके बाद रामबाग़, सर्किल से उठाकर उसको स्टेडियम में ले जाते हैं और उसके साथ गैंग रेप हो जाता है। वह तो हमारे उसमें अधिकारी भी कह सकते हैं कि हमारे पुलिस के अधिकारयों ने, जो नम्बर नोट पर लिखे थे, उनके द्वारा उसकी लोकेशन प्राप्त की और उसमें वे बावरिया जाति के, उन्होंने कोई चोरी की, उसमें पकड़ में आ गये। चार में से तीन ने गैंग रेप किया। लेकिन ऐसी घटना घट जाती है इस राजस्थान में, वह भी 26 जनवरी के दिन। तो इस तरह की दुखद घटना, और हमारे गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि बिलकुल हमने अपराध कम कर दिया है।

(17.08 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राज्य में महिला सम्बन्धी अपराधों में हमारा राजस्थान तीसरे नम्बर पर है, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान दूसरे नम्बर पर है। जयपुर, जोधपुर और कोटा दुष्कर्म के प्रकरणों में देश के दस शहरों में शामिल हैं। धोखाधड़ी के प्रकरणों में राजस्थान का नम्बर देश में पहला है। आप जो आपकी गणित बताते हैं, उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग पांच हत्याएं, दस दुष्कर्म-रेप, 17 नकबजनी और करीब 80 चोरियां प्रतिदिन हो रही हैं। आप बार -बार कहते हैं कि अपराध बढ़े हैं, घटे हैं; कहीं घटाने की बात करते हैं। तो जब हम 2013 से 2015 के बीच की तुलना करते हैं, तो आपके, डकैती में 15.25 प्रतिशत अपराध बढ़े, लूट में 15.21 प्रतिशत अपराध बढ़े, अपहरण में 8.82 प्रतिशत बढ़े, बलात्कार में 10.93 प्रतिशत अपराध बढ़े, एक्साइज में आपके 13.42 प्रतिशत अपराध बढ़े, जुआ एक्ट में 24.63 प्रतिशत अपराध बढ़े, आर्म्स एक्ट में 11.12 प्रतिशत अपराध बढ़े। अपराध कैसे घट गये, यह हमें जानकारी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012 से हम इनकी तुलना करें आपकी, तो दुष्कर्म की घटनाएं 2012 के मुकाबले आज 83 परसेंट और छेड़छाड़ की

(श्री रमेश)

घटनाएं 155 परसेंट बढ़ीं। रोजाना 30 से अधिक लोगों की एक्सिडेंट में मौत हो रही है और 75 से अधिक लोग घायल हो रहे हैं। प्रदेश में चोरी और नकबजनी में पुलिस की बरामदगी का प्रतिशत केवल 30 परसेंट है। हमारे माननीय डी.जी.पी. साहब ने भी माना है कि जयपुर के वैस्ट-ईस्ट और नोर्थ की स्थिति को खराब बताया। ईस्ट क्षेत्र को 100 में से जीरो नम्बर दिये। दौसा जिले की स्थिति तो राज्य में सबसे बड़ी खराब बताई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप आंकड़ों को कम दिखाते हों, जब आपका दिसम्बर का महीना आता है, 21 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, इसी प्रदेश में, इसी राजधानी में, 11-11 प्रकरण दर्ज होते हैं। जहां थानों में हजारों प्रकरण दर्ज होते हैं, उन प्रकरणों को कम किया जाता है। आप प्रकरणों को कम करो, ज्यादा करो; अपराधों को कम करो। आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि यदि हम सत्ता में आए, हम राज में आए, तो महिलाओं का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाएंगे। बड़े दु:ख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि महिलाओं का सम्मान आप वापस नहीं लौटा पाए और बलात्कार, दुष्कर्म, ये केस राजस्थान में बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसमें यह उसकी बात नहीं है, सरकार की, कि सरकार आपकी है, या हमारी है। इन केसेज को रोकना है। पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है, पुलिस से कैसे अच्छा काम करवाना है, इस पर आपको सोचना होगा।

आज राज्य में रोजाना दो-तीन लावारिस लाशें मिल जाती हैं लेकिन तहक़ीक़ात, व्यवस्थित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं होने के कारण अधिकांश लाशों की पहचान नहीं हो पाती है। दो-तीन दिन बाद उनका अन्तिम संस्कार कर दिया जाता है। पहचान नहीं होने से उनके कपड़े और अन्य सबूत भी मालखाने में पड़े-पड़े सड़ जाते हैं और प्रकरण अपने आप समाप्त हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था में एक आज की आधुनिक तकनीकी का, नई टेक्नोलोजी का आप प्रयोग करें। चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से, या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, इन लाशों की पहचान करवाने का, नाम उजागर करने का प्रयास करें।

आज राज्य में पिछले ढाई सालों में अवैध हथियार और विस्फोटक मिलने के भी कई प्रकरण दर्ज हुए हैं और अपराध बढ़े हैं। बाड़मेर में, अभी

(श्री रमेश)

थोड़े दिन पहले जब पठानकोट में एक घटना हुई थी, उस समय पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया था, हाई अलर्ट; उसके बावजूद भी तेल उत्पादक मंगला के पास अमोनियम नाइट्रेट, जिससे विस्फोट किया जाता है, उसके 405 कट्टे मिले और उसकी पुलिस को जानकारी नहीं थी। बीच में किसानों ने खाद समझकर उसको रुकवा लिया कि अवैध खाद का कहीं वह हो रहा है। तो उनको रुकवाया तो पता लगा कि अमोनियम नाइट्रेट थी। तो यह कैसा हाई अलर्ट है? एक मेसेज देने के लिए ही हाई अलर्ट किया जाता है क्या? आपकी आई.बी. है, उसका कोई काम ही नहीं है! क्या वह सो रही है?

आज स्थिति राजस्थान में, मुखबिरों की कमी, पहले की व्यवस्था थी कि मुखबिरी के माध्यम से, आज यह तंत्र बिलकुल बहुत पीछे रह गया है और इसका नेटवर्क बनाने में जो व्यवस्थाएं पहले थीं, वे आज खतम हो गयी हैं। इसकी वजह से अपराधों में कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है।

आज राज्य में बढ़ते हुए नशे की बात करें, तो राज्य का पड़ोसी राज्य पंजाब पिछले लम्बे समय से नशे की जद में है। राजस्थान की ओर उन्होंने पैर पसार लिये हैं और धीरे-धीरे यह पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार फैल गया है। आज राज्य में 17,044 किसानों के पास अफीम उत्पादन का पट्टा है। राज्य के प्रतापगढ़, चितौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम होती है और यहीं से सप्लाई भी होती है। यह सालों से हो रहा है। प्रतापगढ़ के आस-पास गांवों में अफीम, हेरोइन तस्करी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, प्रतापगढ़ में अवैध हथियारों की बड़ी संख्या है, लेकिन राज्य सरकार और पुलिस को, दोनों को भी अच्छी तरह से जानकारी है, उसके बावजूद भी इसको रोक पाने में असमर्थ रही है। हमारे जो गृह मंत्री हैं, वे भी उसी सम्भाग से पधारते हैं।

इसी प्रकार जयपुर और अजमेर में पिछले दो सालों में गांजे का अवैध व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार ने इस भावी संकट को लेकर अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की युवा पीढ़ी नशे के कारण बरबादी के कगार पर है।

राज्य सरकार आन-लाइन एफ.आई.आर. प्रारम्भ करने की बात कह रही है, लेकिन साल के अंत में केवल एक किसी जिले में ट्रायल के तौर पर प्रारम्भ करने की बात कर रही है। तो वह जिला झालावाड़ भी हो सकता है, वह जिला नागौर हो सकता है, जयपुर हो सकता है।

(श्री रमेश)

सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वह पुलिस का भू-माफियाओं से गठजोड़ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज के समय में सी.आई. या इन्चार्ज या एस.पी. या जयपुर पुलिस के कमिश्नर, जिन पर माननीय गृह मंत्रीजी ने भी कहा कि मुझे आप सब लोगों की जन्मकुंडली मालूम है, उसके बावजूद भी इस भूमि में गठजोड़ भू-माफियाओं का और पुलिस का, हमारी सरकार वह रोक नहीं पाई। तो इसके लिए मैं एक निवेदन सरकार से करना चाहता हूं कि पुलिस के जितने भी, सी.आई. से लेकर, एस.एच.ओ. सेकण्ड अफसर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, उससे लेकर आई.पी.एस. अधिकारियों की सम्पतियों की एक बार जांच करवा लें, आय से अधिक सम्पत्तियों की, और बेनामी सम्पत्ति इनके ससुराल वालों के खातों में होगी, उनकी भी साथ-साथ जांच करवा लें, तो आपको पता लग जाएगा कि सम्पत्ति इतनी कहां से आई है। एक सी.आई. के पास, एक पुलिस अधिकारी के पास इतनी सम्पत्ति कैसे आई। अगर जानकारी नहीं है, तो दस-पांच जानकारी हम ही दे देंगे। एक पुलिस कमिश्नर ने अभी एक फार्म हाउस बनाया है, बड़ा तगड़ा, बहुत भारी वाला, और वह पैसा कहां से आया? इतने दिन की उसकी तनख्वाह को जोड़ा जाए, तो ये जितने भी अधिकारी हैं, इनका गठजोड़ जमीनों के खरीदने में, अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, मल्टी-स्टोरीज में, कभी किसी का नाम आता है 'जलसा' ग्रुप में, कभी किसी का नाम आता है किसी ग्रुप में। तो इनकी जांच आपको करवानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि इनकी जांच हो और यह भी नहीं है कि सारे अधिकारी ही खराब हैं; ईमानदार अधिकारी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। जैसे हमारे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, मैं उन अधिकारियों पर लांछन नहीं लगा रहा लेकिन अपने आप झांक लें कि बड़े-बड़े बंगले, बड़ी-कोठियां और बड़ी-बड़ी खानें, बड़े-बड़े काम, बड़े-बड़े उद्योग धंधे, ये कहां से चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? तो इनकी भी यह एक जांच हो जाए। आपको पारदर्शिता का वातावरण बनाने की, जीरो टोलरेंस की जो सरकार बात करती है, तो उसकी भी बात हो जाए और आप, हो सके, तो हमारे विधायक साथी भी बैठे हैं, इनकी भी और हमारी भी जांच करवा लें साथ में, कि इनके पास भी पैसा कहां से आया। हमारी भी जांच हो जाए।

(श्री रमेश)

अगर आप पुलिस विभाग में कुछ चेंजेज करना चाहते हैं, तो इन पुलिस अधिकारियों को भी सोचना होगा। क्योंकि इनको परिणाम तो मिलते हैं; हमने देखा है काफी अधिकारियों को कि पुलिस से रिटायर होने के बाद जनता क्या कहती है उनसे, या उनको सबक मिल जाता है। उनके बेटे या बेटियां क्या कर रहे हैं, उनके परिणाम उनके सामने भी आ जाते हैं। गरीब की बद्दुआ लग जाती है। तो उनको यह अहसास हो जाता है कि हमने हमारे सिस्टम में कहां गलती की, किसको न्याय नहीं दिलाया और किसको दिलाया।

तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वातावरण को, और आप बात करते हो दागी पुलिस कर्मियों की, उन पर कार्यवाही हो, आपने यह भी कहा। लेकिन, आपने कहा कि पुलिस कांस्टेबल पर ही कार्यवाही होगी, अधिकारियों पर भी कार्रवाही होनी चाहिए; ऊपर तक कार्यवाही हो। जो दोषी हैं, उनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं, तो उनको भी नौकरी से निकाल देना चाहिए।

अभी आपने ए.सी.बी. के आंकड़े दिये, उसमें कार्यवाही की बात की, तो आपका सिस्टम जो घटा है, ट्रैप की दर आपकी 40 परसेंट की कमी हुई है। आपने 2014 में 77 मुकदमे और 2015 में 33 मुकदमे ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट लूंगा, साहब... के विरुद्ध ए.सी.बी. को चालान पेश करने की अनुमति आपने, अनुमति नहीं मिली है। इससे सरकार की कार्यवाही पर सवालिया निशान उठता है कि आप जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की बात करते हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी उस केस को कैसे पकड़ते हैं ए सी बी में, अन्य केसों में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद, बड़े सबूतों के बाद उस केस को पकड़ते हैं, उसको ट्रैप करते हैं और उसके बाद आप उनको छोड़ रहे हों। तो माननीय गृह मंत्रीजी जब जवाब दें, तो एक जवाब यह भी बता दें हमें कि अशोक सिंघवी जैसे भ्रष्ट अधिकारी को अभियोजन की स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं मिली? या मिल गयी हो, तो वह भी आप बता देना।

दूसरा मेरा सवाल यह है कि आनंदपाल की बहुत बार चर्चा हो गयी, लेकिन इसका भी आप जवाब दें, तो उसकी जो रिपोर्ट आई है, वही रख दें।

(श्री रमेश)

पकड़ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, पर रिपोर्ट में खुलासा हो जाए कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी हैं; उनमें कौन दोषी हैं; उनके खिलाफ अब तक आपकी क्या प्रोग्रेस है; आपने क्या कार्रवाही की है।

इसी प्रकार आपका जो एफ एस एल वाला मामला है, राज्य के जघन्य अपराधों के खुलासे, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एफ एस एल में भी खेल चल रहा है। इसमें एक नमूने की जांच तीन से चार दिन में होती है लेकिन गम्भीर प्रकृति, हत्या, दुष्कर्म, डकैती, बड़ी गम्भीर प्रकृति के मामले जो रिपोर्ट के लिए आते हैं, 10 प्रकरणों के नमूनों की जांच एक ही दिन में पूरी कर दी। यह रिपोर्ट दी। यह कौनसा कारनामा सरकार ने कर दिया? क्योंकि आर टी आई के माध्यम से इसका खुलासा हुआ है, तो गृह मंत्रीजी इसकी भी जांच करायें कि कितना गम्भीर मामला है।

इस विभाग में 10 हजार से अधिक सैम्पल अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लम्बित हैं और इस विभाग में अतिरिक्त निदेशक के चार पद रिक्त हैं और 63 प्रतिशत वरिष्ठ वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक के पद खाली हैं, कुछ में 58 प्रतिशत हैं। तो आप इनमें भी पूरे पदों को भरें। एफ एस एल की रिपोर्ट समय पर नहीं आएगी, तो अपराधी तो आसानी से ही बच जाएगा। अपराधों में कमी तो अपने आप ही आ जाएगी, जब 302 के मुकदमे में एफ आर लग जाएगी, या छोटा-मोटा मुकदमा बनकर रह जाएगा। तो यह गम्भीर विषय है। इस बारे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

आपने जो 'पासा' एक्ट लगाया है 9 जिलों में और पुलिस कमिश्नरेट में। तो इसे सभी जिलों में लगाने की जरूरत थी। आपको ये 9 जिले ही दिखे और जिस जिले का खूंखार आतंकी आनंदपाल है, वहां आपने 'पासा' एक्ट क्यों नहीं लगाया? इसका भी मंत्रीजी जवाब दें।

एक क्षेत्र के दौरे, अधिकारियों ने तय किये पहले कि आई.जी. रेंज का अधिकारी दस दौरे करेगा, छह रात्रि विश्राम करेगा, लेकिन सरकार ने उसको घटाकर छह दौरे और तीन रात्रि विश्राम किये; जबकि एस पी को पांच दौरे, चार रात्रि विश्राम करने होंगे। लेकिन आज तक, कोई एकाध अधिकारी की तो कह नहीं सकता, यह खानापूर्ति जरूर हो गयी होगी। इन पर भी बाउंडनेस, समयबद्ध प्रोग्राम हो और उसकी सरकार समय-समय पर समीक्षा करे।

(श्री रमेश)

एक मैं जेल का बोल देता हूं। एक समस्या और है इस प्रदेश में सबसे बड़ी, जो मैं बच्चों के बारे में कहना भूल गया, अभी हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपराध में बढ़ रहे हैं और अपराध बढ़ रहा है, तो हमें, हमारी सरकार को, सभी को सोचना होगा कि बच्चों पर हम अपराध को कैसे रोकें, उनमें शिक्षा के प्रति लगाव कैसे पैदा हो। तो यह पूरे समाज को और हमारे प्रदेश के जो आये हुए विधायक हैं, सभी को इस पर सोचना होगा। क्योंकि एक साल में 3,041 अपराध हुए हैं जिनमें बच्चों के द्वारा की गयीं हत्याएं, दुष्कर्म हैं, चोरी हैं, डकैती हैं। तो इनको रोकना होगा। यदि हम नहीं रोकें, तो इस राजस्थान प्रदेश में इतने गैंगस्टर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी नेचर में आ जाएगा और अपराध बढ़ेंगे। इसको रोक नहीं पाएंगे तो राजस्थान प्रदेश के अपराधों में बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। आज पूरे जयपुर में जो कैमरे लगाये हैं, उनकी निगरानी कोई नहीं कर रहा है। उसकी भी आप देखभाल करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज राज्य की जेलों में लगभग 19,117, ज्यादा भी हो सकते हैं, जेल में बंदी हैं; 4,566 को सज़ा हो चुकी है, 14,551 बंदी विचाराधीन हैं, लेकिन इनमें से 30 परसेंट से अधिक बंदियों की नियमित पेशी पुलिस गार्ड, वाहनों एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पाती है। इनकी ट्रायल पर तीन बार में एक बार ही जा पाते हैं, क्योंकि जेल पुलिस के पास में संसाधनों की कमी है। तो इसका भी आप ध्यान रखें।

दूसरा, आपने जैमर की बात कही, वीडियो कान्फ्रेंस की बात कही, तो यह व्यवस्था भी समय पर हो जाती तो आज आनंदपाल जैसा अपराधी जेल से नहीं भागता। इसके लिये सरकार को सीआर पी सी की धारा 273 में बदलाव करना होगा, जो राज्य सरकार ने नहीं किया। लेकिन फिर भी राज्य की जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम लगा रही है, जबकि पहले संशोधन करना आवश्यक था। यदि यह संशोधन समय पर कर लिया जाता तो यह आज जो स्थिति आई है, हार्डकोर अपराधियों की, वह नहीं भाग सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं, बस एक मिनट, साहब।

पुलिस अधिकारियों को जेलों में लगा दिया जाता है। उनमें जेल प्रबन्धन का और सुधार का अनुभव नहीं होता। तो या तो उसी विभाग में, या पदों को भरें, तो पदस्थापन के बाद जो अनुभव होना चाहिये वह नहीं होता,

(श्री रमेश)
उसका नेगेटिव जाता है। सक्षम अधिकारियों ने कितने निरीक्षण जेल में किये, कितने रात्रि विश्राम किये, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिये।

एक जेल सुपरिंटेंडेंट, वन ग्रेड का अधिकारी, राज्य सरकार की बिना परमिशन के विदेश का दौरा कर आता है। सरकार को पता नहीं रहता है। सरकार को पता है, तो यह बतायें कि स्वीकृति ली या नहीं ली?

जेल प्रहरी की परीक्षा 24 जनवरी, 2016 में 925 पदों के लिए एग्जाम हुआ था और उसकी परीक्षा कराने का जो ठेका, जो कांट्रेक्ट दिया गया, वह मणिपाल टेक्नोलाजी फर्म को 11 करोड़ में, और उसके बाद वह परीक्षा लीक हो गयी। सरकार को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। तो यह क्या गड़बड़ घोटाला है? हमारे विभाग के अधिकारी सक्षम नहीं थे उस एग्जाम को कराने को, जो आपने प्राइवेट से करवाई? और 11 करोड़ का क्या लेना-देना, यह कमीशन का मामला है क्या? इसकी भी सरकार जांच करवाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चलो, साहब, आपने कह दिया। एक केस और था, मैं एक मिनट बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप पिछले आधे घंटे से बोल रहे हैं। मैं अगर इसी प्रकार से सबको बुलाता रहा, तो आप तय कर लें। सुबह पांच बजे तक बैठना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): एक छोटा-सा जो सस्पेक्टेड है, बताना चाह रहा हूं मैं। जयपुर का ही केस है। ठीक है, साहब। थैंक यू।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों का स्वागत करना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आप लोग, जब मैंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, तो उपस्थित नहीं थे। बहुत सारी मौलिक बातें मैंने उसमें उठायी थीं। आज आप उपस्थित हों, आपका स्वागत करता हूं। टी.वी. पर आप सुन रहे होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं तो, आप क्या गवर्नर के अभिभाषण से चालू होंगे क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं वहीं से ही चालू हो रहा हूं और कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आ रहा हूं। वहीं से मैंने स्टार्ट किया

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है। कांग्रेस के मित्रों का स्वागत है, सुन लें। अभी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन इन्होंने किया, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, और विधान सभा आते-आते कुछ लोगों के ज्ञापन ले लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसे-वैसे, कैसे करो?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कैसे करो, वह बता रहा हूं। ज्ञापन ले लिये पुलिस वालों से और कुछ लोगों से बातचीत कर ली कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, उनको उठाकर यहां रख दिया। अब आप यह बताओ कि आपका राज कितने साल रहा और हमारा राज कितने साल रहा? आपने इन पुलिस वालों के लिए क्या किया? क्यों नहीं इनकी भलाई के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, इनकी बहबूदी के लिए, इनके आवासों के लिए, आपने अब तक काम क्यों नहीं किया? हमारा राज तो बहुत कम रहा है; शेखावत साहब का राज रहा, वसुन्धरा जी का रहा; बाकी तो आप लोगों का ही राज रहा है। आप किसको ज्ञान दे रहे हो? एक अंगुली यदि आप हमारी तरफ उठाते हैं तो तीन अंगुली आपकी तरफ भी आ रही हैं।

मैं एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा हमारे पुलिस-साथियों के लिए। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब तक आपने चालू नहीं किया था क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब तक कांग्रेसियों पर था। (व्यवधान) अब तक मैं कांग्रेसियों पर था, अब मैं पुलिस पर आ रहा हूं और उनको सलाम करना चाहता हूं, उनको अपना अभिवादन प्रस्तुत करना चाहूंगा इस पुलिस गीत के साथ –

'जन रक्षा संकल्प, हमारा जन सेवा ईमान;
आरक्षी का धर्म एक है त्याग और बलिदान।'

यह आरक्षी का धर्म है। यह पुलिस गीत के पहले चार छंद हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक ही है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, गुरु, यह एक ही है लाइन।

'शांति, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था में हरदम तैनात हैं;
दंडित करते उन लोगों को जो करते अपराध हैं।'
'दंडित करते उन लोगों को जो करते अपराध हैं।'

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

'तस्कर, जासूसों, चोरों पर रखनी पूरी निगरानी;

यातायात नियंत्रक भी हैं और शस्त्र बल के सेनानी।

जन रक्षा का संकल्प हमारा,

आरक्षी का धर्म एक है, त्याग और बलिदान।'

यह पुलिस का एक गीत है, जो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक थाने में प्रति दिन प्रत्येक पुलिस वाले को गाना चाहिए। यह अनिवार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी भावना हैं। आप नेगेटिविटी से प्रारम्भ करेंगे, तो कोई काम शुद्ध ढंग से नहीं हो सकता। पुलिस वाले खाते हैं, पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते हैं, पुलिस वाले यह करते हैं, तो उनका धर्म भी याद दिलाना होगा। आपने आज तक नेगेटिविटी पर राज किया है। पाजिटिविटी आपके पास है ही नहीं। हम यह कहते हैं कि यह पुलिस गीत, जैसे स्कूलों में प्रार्थना होती है, निश्चित रूप से प्रत्येक पुलिस वाले को ड्यूटी पर आते ही इस गीत को गाना चाहिए और इस गीत के सम्मान में खड़े होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज पता लग गया कि आपको बार-बार क्यों खड़ा करते हैं। क्योंकि आप जैसा विद्वान इतना शानदार बोल रहा है। तो आज पता लगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 'कर्तव्यनिष्ठ हों, सदा बढ़ायें हम वर्दी का मान,' वर्दी का मान।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जाट होकर विद्वान से क्या लेना-देना? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौन है?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वह तो है ही है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 'वर्दी का मान और त्याग और बलिदान', पुलिस वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस वर्दी के सम्मान की रक्षा करेंगे, जो वर्दी इस देश ने, इस सरकार ने हमें दी है; उस कर्तव्य की भावना का भी हम पालन करेंगे, और निश्चित रूप से उसी आधार पर इस पुलिस के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमारे अभी कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे कि अपराध तो सब जगह होते हैं, पहले भी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

होते थे अब भी होते रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, होते रहेंगे, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, यंगमैन हो आप, कह सकते हो, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पुलिस के सामने लक्ष्य क्या है, हमारी कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक कैसे हो, उसके लिए क्या हम दूसरे लोगों से उदाहरण नहीं ले सकते हैं? मैं यह कहना चाहूंगा कि गंगटोक में अपराध क्यों कम हैं, सिंगापुर में अपराध क्यों कम हैं, जापान में अपराध क्यों कम हैं, दुबई में अपराध क्यों कम हैं?... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आगे वाले हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कोई बात नहीं। आपके ऊपर ही हंस रहे हैं, मेरे पर नहीं हंस रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही यह बात।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके अभिभाषण पर हम में से कोई नहीं हंसेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, हंसने की बात ही नहीं है। इतना गम्भीर भाषण है। आप ढंग से क्यों नहीं सुनते?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं यह कहना चाहूंगा कि जापान में चोरी, अपहरण और गुंडागर्दी की इतनी घटनाएं नहीं होती हैं। दुबई में सोने की दुकानें खोलकर लोग बाग बैठते हैं और जब बाहर जाते हैं तो केवल पर्दा लगा कर जाते हैं। केवल पर्दा लगाकर जाते हैं। टनों सोना उनके यहां पड़ा रहता है लेकिन चार घंटे, पांच घंटे, आठ घंटे दुकान पर कोई चोर नहीं आता है। अब बात यह है कि यह सब स्थिति हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती है? यह इसलिए नहीं हो सकती है कि हमारे यहां जो कानून-व्यवस्था है, जो आपने एस्टेब्लिश की है, गुंडों में दहशत होनी चाहिए, बदमाशों में दहशत होनी चाहिए, चोरी करने वाले अपराधियों को पकड़वाने की क्षमता और ताकत इस कानून में होनी चाहिए और जो अपराधी हैं, उनको त्वरित न्याय मिले और उनको सज़ा मिले। (व्यवधान) सज़ा मिले। सुन लो जरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपराधी को न्याय मिले?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): न्याय मिले; बिलकुल न्याय मिले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, रिकार्ड पर आ रही है यह बात। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, संशोधन कर लो, मौका है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सबको न्याय मिले, गुंडों को सज़ा मिले। गुंडों को सज़ा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। A person is innocent till he is proved guiltys. This is the principle of the Indian Penal Code. यह आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। माननीय सदस्य, ए पर्सन, भारतीय दंड संहिता का पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति इनोसेंट है, जब तक उसे कानून के तहत प्रूव नहीं कर दिया जाता कि वह अपराधी है, तो जब तक उसको आप न्याय के कठघरे में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक आपकी यह व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है।

आप कह रहे हैं, पुलिस को यह दो, वह दो; मैं कहता हूं, पुलिस जिस अपराधी को पकड़े, जिसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करे, उसको तुरन्त गति से न्यायालय में पेश करके और उसे दंडित करवाये, इस व्यवस्था को आप सुदृढ़ कीजिए। होता नहीं है यह। अपराधी जाते हैं, आते हैं, जेलों में पड़े रहते हैं। कई अपराधी तो ऐसे हैं कि जिनको न्याय नहीं मिला और सालों से जेलों में पड़े हैं। हमारी न्याय व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है; जुडिशियरी को ठीक करने की आवश्यकता है, वकीलों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। वकील लोग तारीख पर तारीख लेते रहते हैं। (व्यवधान) बैठिये। बैठिये प्लीज। प्लीज। आपके बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है और आप कहो, तो मैं डिस्टर्ब भी कर दूंगा, बाद में। हां। मैंने आपकी बात गम्भीरता से सुनी है।

तारीख पर तारीख लेते जाते हैं; तारीख पर तारीख लेते जाते हैं। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार कानून-व्यवस्था का जो मखौल उड़ रहा है, उससे हमारे पुलिस के अधिकारियों का भी मोरल गिरता है। पकड़ते हैं, फिर उनको सज़ा नहीं हो पाती है। यह पूरी हमारी विधायिका बैठी हुई है, क्यों नहीं हम इस बात पर चिन्तन और मनन करते हैं कि जो अपराधी पकड़े गये हैं, उनको तुरत-फुरत गति से, पूरा न्यायिक गति का सम्मान करते हुए, सज़ा मिले? सज़ा मिल जायेगी, अपराध नहीं होंगे। अपराधियों के मन में खौफ जरूर रहेगा। आज अपराधियों के मन में खौफ नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राठौड़ साहब में खौफ है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इतना खौफ आप में भी है।

एक माननीय सदस्य: इतना खौफ आपका भी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इनके अन्दर खौफ है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान के अन्दर खौफ है, सारे राजस्थान में खौफ है आप लोगों का।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप पार्टी को छोड़ गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): छोड़ नहीं गये ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्योंकि आप कुछ हो, आपके अन्दर कुछ है। कुछ है, वह शब्द अंकित नहीं करना चाहता हूं। कृपया आप डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2017 में मंत्री मत बनना, नहीं तो वापस नहीं आओगे। अभी बन जाओ, इस साल में, बनना है तो। बाद में कोई नहीं करेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): गुंडों में दहशत, यह निश्चित रूप से दहशत जब तक नहीं होगी, तब तक गुंडागर्दी, चोरी, बदमाशी, बलात्कार की घटना, आतंककारी घटना, ये सब कम ही नहीं होंगी। मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत प्रसन्नता की बात है। सारे दिन से गृह मंत्रीजी एकदम यों बैठे थे और अब मोहन लालजी ज्यों ही बोलने लगे, मुस्करा दिये। आपको बधाई बहुत-बहुत।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसमें मोहन लालजी का दोष नहीं है, आपकी आंखों का देखने का दोष है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो आपकी आंखों में ही देख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आंखों ही आंखों में इशारा कब से होने लग गया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह बहुत पुराना राग है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अच्छा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी थोड़ी दिनों में प्रकट हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मन ही मन में प्यार हो गया। मैं तो देख रहा हूं, आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा है, प्यार हो रहा है, एक-दूसरे को मुस्करा कर देख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपराधियों में खौफ और आम जनता में विश्वास। आम जनता में विश्वास की तरफ मैं आ रहा हूं। हमारी वसुंधराजी ने इस प्रकार के थाने खोले थे, इस प्रकार के थाने डवलप किये थे, इस प्रकार के थानों की व्यवस्थाएं की थीं कि वहां आम आदमी जाने से डरे नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): डरें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): डरे नहीं। डरे नहीं। आम आदमी को विश्वास हो कि मैं थाने में जाऊंगा, पुलिस मेरी मित्र है। इस मित्रता के नाते मैं अपनी कोई भी समस्या लेकर के जाऊंगा, तो इसका सुलझाव निश्चित रूप से होगा। पहले पुलिस थाने में जाते ही आदमी यह सोचता है कि एम एल ए साहब से फोन करवा लूं, किसी और आदमी से फोन करवा लूं। वह अपना जैक लगवाकर के फिर थाने में जाना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो व्यवस्था, विधायकपुरी थाने में मैं गया था, एक बार माननीया मुख्य मंत्रीजी भी गई थीं, उसको आदर्श थाना बनाया। उसके अन्तर्गत अभी कोई विकलांग जाता है, तो नीचे से ही घंटी बज जाती है उसकी कि मैं विकलांग हूं, मेरी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए...। आप बताइये, वहां पर विकलांग को ले जाने की व्यवस्था, महिलाओं के बैठने की व्यवस्था और अन्दर जो कैदी रहते हैं, उनके भी अधिकार, उनको भी अच्छी व्यवस्था मिले, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की थीं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के थाने डवलप करने की एक प्रक्रिया चालू हुई थी। अब वह, पता नहीं, कहां बंद हो गई। विधायकों को भी कहा था कि आप लोग भी कम्प्यूटर दीजिये, इनको सारी सुविधाएं दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2 साल से वे घंटियां बंद हैं क्या? बताओ तो सही।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी बता रहा हूं, बता रहा हूं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आपने वह सब बंद कर दिया, सारी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया; जो हमने चालू किया, वह सब आपने खतम कर दिया।

एक माननीय सदस्य: इनके 5 साल की बताओ, घंटियां।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आप खुद ही कह रहे हो कि घंटियां बंद कर दीं, तो मैं क्या करूंगा? हम वापस चालू कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, ठीक, ठीक।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आदर्श थाने, अच्छे थाने, व्यवस्थित थाने, जनता के मित्र, ऐसे थाने और अधिकारी नियुक्त होंगे तो जनता का विश्वास बढ़ेगा; जनता का विश्वास बढ़ेगा तो अपराधों में निश्चित रूप से कमी आयेगी।

मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, पुलिस वालों से भी कहना चाहूंगा, आज पेपर में एक खबर आई कि मेवात इलाके में इतने सारे वाहन पकड़े गये; चोरगढ़ी अपराधियों का गढ़ है; कोई भी पुलिस वाला वहां जाता नहीं है; कोई भी पुलिस वहां जाने से डरती है। वहां गाड़ियां आराम से खरीदते हैं, 10 लाख की गाड़ी 1 लाख में। ये सारी सब चीज मालूम है पुलिस वालों को, फिर क्यों नहीं गये? मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में वहां क्यों नहीं छापे डले? वहां कांग्रेस के राज में क्यों नहीं इस प्रकार की गतिविधियों को रोका गया? हमारे राज में रोका गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं डले। माननीय सदस्य, आपकी सरकार ने सवा 2 साल से छापे नहीं डाले। यह तो अख़बार वाले लेकर आये हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, मैं यही कह रहा हूं। हमारी बी जे पी की सरकार ने ही विकास कुमार और राहुल ...(व्यवधान) उन्होंने 5-5 सौ को ले जाकर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो इतना बता दिया जाये कि कितने समय तक सहन करना है। यह बता दिया जाये, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कितना समय दिया है इनको? कितने समय तक सहन करना है, वह बता दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप निश्चित होकर बैठ जाओ 2-4 घंटे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत दिन हो गये आपको बोलते हुए। सुनिये। हमारे जो विकास कुमारजी हैं, राहुल प्रकाशजी, एस पी हैं, 2-3 बार उन लोगों ने वहां...

श्री रमेश (सपोटरा): यह भी बताओ, किसने हटवाया? अच्छे अधिकारी हैं, हम भी मानते हैं। किसने हटवाया, यह भी तो बताओ। (व्यवधान) अलवर से, भरतपुर से। यह भी तो बताओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पहले यह बताओ कि आपने छापे क्यों नहीं मारे वहां पर? आपको मालूम था। आज तक कांग्रेस के राज में वहां कोई पुलिस अधिकारी गया नहीं। बी जे पी के राज में गये हैं, और हमें गर्व है कि अब उस अपराध के षड्यंत्र को तोड़ने में सफल रहेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): उनको हटवाया क्यों?

एक माननीय सदस्य: चोरगढ़ी में छापा मारकर आज पकड़ लिया सबको।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज सबको मालूम नहीं है क्या कि कहां अपराध हो रहे हैं? पुलिस क्यों नहीं जाती है वहां पर? जालूपुरा में अपराध हो रहे हैं, पुलिस जाती नहीं है; भट्टा बस्ती में अपराध हो रहे हैं, पुलिस जाती नहीं है; रामगंज में अपराध होते हैं, पुलिस जाती नहीं है, देखती नहीं है। वहां हेलमेट के चालान जगह-जगह कर दिये। आपके राज में कभी नहीं गये। क्यों नहीं जाते हैं? क्या पुलिस को मालूम नहीं है? क्या कांग्रेस के लोगों को मालूम नहीं है? लेकिन उनकी सांठगांठ है वोटों के षड्यंत्र में; सांठगांठ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हो सवा 2 साल से। हमारी क्या सांठगांठ होगी?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बैठिये आप। बैठिये। आतंकियों की मदद करने वाले आप लोग हों। अपराधियों की मदद करने वाले आप लोग हों। देश-भक्ति की भावना जगाने वाले आप लोग नहीं हों। जो लोग देश-भक्ति की भावना वाले हैं, उनको गाली देते हों। जो लोग भारत-माता-की-जय और भारत माता का सपना तोड़ना चाहते हैं, वे कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं करेंगे, उन लोगों के साथ हों आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, यह।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उन लोगों के साथ हों, आतंकियों के साथ हों।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी बहुत बातें बतायेंगे मोहन लाल जी। बहुत-बहुत अन्दर की बातें बतायेंगे अभी तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वहां क्यों नहीं जाते हों? पुलिस के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आतंकियों के गढ़, अपराधियों के गढ़ जहां-जहां हैं और जिस-जिस सिस्टम से वे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन गढ़ों को तोड़ना चाहिए; आतंकियों के आर्थिक जो साम्राज्य हैं उनको तोड़ना चाहिए और इनको खतम करके देश में, राजस्थान में, कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। उन षड्यंत्रकारियों को आप पनाह देते हों।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मोहनजी, आपको इतनी बातें पुलिस की, अन्दर की, कैसे पता हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आप मुझे बताइए कि आई एस का जो षड्यंत्र चल रहा था, आई एस आई एस का षड्यंत्र चल रहा था, इंडियन आयल में वह कर्मचारी काम कर रहा था, किसने पकड़ा उसको? हमारी पुलिस ने पकड़ा, ए टी एस ने स्लीपर सैल पकड़े, जासूसी के नेटवर्क को पकड़ा; परीक्षा में नकल करने वाले गिरोहों को पकड़ा। यह सब आपके राज में खूब होते थे, लेकिन आप लोगों की उस सब में मिलीभगत थी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आर पी एस सी में।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आर पी एस सी, वगैरह सब चीजें हैं, सबमें मिलीभगत थी आपकी। आपके आर पी एस सी के चेयरमैन का क्या हुआ? आप लोग उन षड्यंत्रकारियों से, गुंडे लोगों से, सांप्रदायिक दंगे कराने वालों से, आंतककारियों से मिले हुए थे। इसलिए उन पर कार्यवाही नहीं होने देते थे। आपके मिनिस्टर्स जेल में हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आपका अभिभाषण अंकित हो रहा है। यह पढ़ा जायेगा। बाद में भी रिकार्ड पर ही रहेगा। इसलिए थोड़ा देख लो कि क्या बोल रहे हों।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी कल हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आपके राज में काफी लोगों के राजनीतिक मुकदमे वापस ले

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

लिये। कल सुन लिया नहीं क्या आपने? 420, 120-बी, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुकदमे आपने वापस लिये हैं। चैक बाउंस, ये आपके हैं। अब आप अपने प्रश्न में खुद ही फंस गये। प्रश्न करने से पहले सोच लेते कि क्या हो रहा है, कहां कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। गुलाबजी से; माननीय गृह मंत्रीजी से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय राठौड़ साहब, अब म्हारे मारवाड़ी के मायने एक शब्द है, 'खैल्यो', सुनेडो है के थांको?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बींको जवाब घनश्यामजी देसी।

किनसे कर रहे हों आप? प्रश्न कर रहे हो गृह मंत्रीजी से। ईमानदार हैं। आप कहते हों, थानों में पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, और ना जाने क्या। आज बताओ, हमारा गृह मंत्री है क्या? गृह मंत्री ने पैसा लिया किसी थाने में लगाने का? नहीं लगा सकता। ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है, कर्मनिष्ठ आदमी है, दबंग भी है और जवाब देना भी जानता है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): लेकिन सी आई का ट्रांसफर नहीं करवा पाता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और आपके गृह मंत्री, ...(व्यवधान) लेकिन मैं गृह मंत्रीजी से एक बात कहना चाहूंगा, ...(व्यवधान) पानी सामने वालों को पिला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि रोजाना पांच मिनट इनको बुलवाया जाये, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): और बता दो, किस-किस को बुलवाया जाये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि आनंदपाल आपके लिए चुनौती है। (व्यवधान) चुनौती है यह। यह कोई इतने बढ़िया, ईमानदार गृह मंत्री, दृढ़ निश्चयी गृह मंत्री के लिए चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): गृह मंत्रीजी को सुना रहे हो, या ये डी जी पी साहब या पुलिस अधिकारी हैं...? कांग्रेस का नाम लेते रहो और कटाक्ष इन पर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहा था, उस वक्त बहुत सारी बातें आपको सुना रहा था, देश भक्ति की, समाजवाद की, कम्यूनिज्म की, एकात्म मानववाद की। बहुत सारी बातें कहीं, आपने सुनीं नहीं। आप पढ़ लेना, जे एन यू की, आप तो किनके समर्थक हो, 'अफजल' हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।' न्याय व्यवस्था पर आप चोट करते हो। क्या बात है! छोड़ो। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से...

श्री उपाध्यक्ष: गनीमत है कि आपको कभी-कभी उपाध्यक्ष महोदय की याद तो आ जाती है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपका चेहरा बहुत अच्छा है, आप मुस्कराते बहुत अच्छे हैं और कभी डांटते हैं और उसके बाद मुस्कराते हैं, तो और भी अच्छे लगते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह पूरे पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती का प्रश्न है। आज जो आधुनिक यंत्र हैं, तंत्र हैं, व्यवस्थाएं हैं, सूचनाएं हैं, इंटरनेट है, आर्थिक उसको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं और विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करके, आनंदपाल को लेकर आना, यह बहुत बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से आप स्वीकार करेंगे, इस बात के लिए, मैं कहना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का आधुनिकीकरण भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। आज साइबर अपराध हो रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब तो हमारे सामने चुनौती आपको बैठाना है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं तो अपना समय होगा, तो अपने आप बैठ जाऊंगा, लेकिन आप तो सुनो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसके लिए भी आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करो। यहां तो काम जमने वाला नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पुलिस का आधुनिकीकरण भी एक चुनौती है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का सारा ध्यान और पुलिस की सारी व्यवस्थाएं, उनमें यदि आधुनिकीकरण पर पैसा ज्यादा खर्च हो जाये, तो अपराधों के ग्राफ में निरन्तर

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कमी आती जायेगी। क्योंकि बाहर के देशों में, या अन्य कहीं भी यदि अपराधों में कमी हुई है, तो उसमें आधुनिकीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहां ई-मेल की व्यवस्था नहीं है, पुलिस थानों में, हमारे यहां इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां इंटरनेट के माध्यम से अपराधियों की सूचना देने और लेने का तंत्र विकसित नहीं है। अपराधी उस तंत्र से युक्त हैं, वह उन तंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पुलिस के थानों और पुलिस के लोगों को इंटरनेट प्रयोग करने की ट्रेनिंग, मोबाइल से भी इंटरनेट कर सकते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं और जी पी एस सिस्टम और विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक उपकरण हैं, उनके माध्यम से यदि हम करेंगे, तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गश्त, पुलिस का डर और गश्त, आप सारी जनता पर नियंत्रण नहीं रख सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का जो समय है, पूछ लीजिये, समय में बढ़ोतरी की है। यदि आप इजाजत दें तो मैं आगे बोलूं, नहीं तो मैं बैठूं।

श्री उपाध्यक्ष: फाइव मिनट।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी बोलने वाले वक्ता हैं, उन सबकी तरफ से इन गुप्ताजी को बुलवा दो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि बहुत कम पैसा खर्च हुआ है आधुनिकीकरण पर। इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। भारत सरकार भी इस बात का पैसा दे रही है, आधुनिकीकरण का, पुलिस को और आप उसी के साथ-साथ आधुनिकीकरण करने के लिए एम एल एज से भी सहयोग ले सकते हैं। मैंने पहले भी अपने कोटे से मोटर साइकिलें दी हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें लेने वाला कोई आया ही नहीं पुलिस की तरफ से। (व्यवधान) मैंने घोषणा भी की है, पैसे भी दे दिये लेकिन वह लेने ही नहीं आये। उसी के साथ-साथ विभिन्न थानों में ...(व्यवधान) देखो, आप तोड़ो मत तारतम्य को।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न थानों में अच्छी व्यवस्थाएं हों, आधुनिकीकरण हो, पुलिस को कोई चीज चाहिये, कैमरे लगवाने हों, इन सबके लिए प्रत्येक विधायक राज़ी है, तैयार है। आप विधायकों से पैसा लेकर उस काम को जल्दी करवा सकते हैं। (व्यवधान) कम्प्यूटर, या जो भी हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैं आज सदन में यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपये मेरे किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के लिए दे रहा हूं। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहर में ज्यादा कुछ खर्च करना ही नहीं पड़ता। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो दो करोड़ रुपये दे रहे हैं हमारे विधान सभा क्षेत्र में, हम तो दो करोड़ रुपये साल के दे रहे हैं, आप तो पचास लाख ही दे रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत अच्छी बात है। मैं एजुकेशन में भी देता हूं, और बहुत सारे काम करता हूं।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस छोटे-छोटे मामलों में उलझ जाती है, बड़े अपराधियों की तरफ उसका ध्यान कम जाता है। चालान करना छोटी-छोटी जगहों पर, छोटी-छोटी बातों पर, पुरानी बस्ती में चालान कर रहे हैं हेलमेट के। रामगंज में जाते नहीं हैं, जालूपुरा में जाते नहीं हैं, भट्टा बस्ती में जाते नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण बना रखा है कि वहां जायेंगे तो पता नहीं, क्या हो जायेगा। वे भी देश के नागरिक हैं। वहां पर रहने वाले लोगों को भी कानून का पालन करना हम अनिवार्य करेंगे, तब जाकर के देश में कानून की, व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी, कानून का राज स्थापित होगा। रूल आफ लॉ एस्टेब्लिश होगा। रूल आफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक है कि रात को 11 बजे के बाद में दुकानें यदि बंद होंगी तो सबकी बंद होंगी, सबकी बंद होंगी। यह नहीं है कि किसी इलाके में बंद हो जायें और दूसरे इलाके में मांस और मच्छियां बिकती रहें; अतिक्रमण होते रहें। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। यह तो तुष्टिकरण का मामला है। इस तुष्टिकरण के मामले को हमको देखना होगा। प्रत्येक नागरिक को कानून के राज में रहने का सबक सिखाना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे-छोटे

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मामलों में पुलिस, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी की बाइक चोरी हो गई, किसी का छोटा-मोटा और कोई मामला हो गया, तो पुलिस कहती है कि आप एप्लिकेशन दे जाओ, एफ आई आर दर्ज नहीं करेंगे। फिर वह हमसे फोन करवाता है; भाई साहब, मेरे मोबाइल का क्लेम मुझे लेना है, मेरी मोटर साइकिल का क्लेम मुझे लेना है, मिल नहीं रही है। आप फोन करो। क्यों? आवश्यकता क्यों है? आपको चाहिये कि आप छोटी-छोटी चीजों में उलझें नहीं, पुलिस वाले बड़े अपराधियों को पकड़े। 107/151, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, दो लोगों में कुछ और बात हो गई, पटक कर कर दिया, 107/151 में बंद कर दिया। किसी एम एल ए को फोन आयेगा, या और जाने किसी को फोन आयेगा कि साहब, मुझे तो बंद कर दिया। छोटे-छोटे मामलों में, अपराधियों को बंद करो। जो शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, जो कभी छोटा-मोटा अपराध भी कर देते हैं, तो उनको बैठा कर...। शांति समिति किसलिए बनाई गई है? सी एल जी किसलिए बनाई गई है? उनको आप बैठाइए, समझाइए, समझौता कीजिये और आगे से पाबंद कर दीजिये, लेकिन आपने 107/151 में बंद कर दिया। आपका काम भी बढ़ गया, काम छोटे-छोटे कामों से बढ़ रहा है आपका। आपके अन्दर इस बात का कांफिडेंस होना चाहिए कि हम उन नागरिकों को शांति समिति के माध्यम से समझा-बुझाकर भी काम करवा सकते हैं। बहुत सारे काम कम हो जायेंगे। चालानों के काम हैं, छोटे-छोटे काम हैं, मोबाइल चोरी का मुकदमा दर्ज कीजिये और लेने दीजिये क्लेम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस के जो हमारे साथी हैं, उनकी जो स्थिति है, वह स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं है। मैं माननीय

(18.00 बजे)

गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनका मोरल बूस्ट-अप करने के लिए उनको पूरी सुविधाएं दें और उनको सुविधाएं देने के साथ-साथ, उनका मोरल भी बूस्ट-अप करें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनमें इस प्रकार की भावना हो कि वे वर्दी का ध्यान रखें। उनके पुलिस गीत में लिखा है-

''गुमराहों को राह दिखाना,

निर्दोषों को न्याय दिलाना,

आतंकित जनता के मन में निर्भयता, विश्वास जगाना,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

विघ्नकारी तत्व मिटाना,

निर्बल को अधिकार दिलाना,

घर-घर की उलझन सुलझाना,

हर पल सेवा धर्म निभाना,

जाति, धर्म से परे फर्ज... रूल आफ ला;

जाति, धर्म से परे, फर्ज ही है अपनी पहचान। आरक्षी का धर्म एक है, त्याग और बलिदान।''

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर चर्चा हो रही है। मुझे भी आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट पेश किया था, उस बजट के समय पुलिस को चुस्त, दुरुस्त ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोहनलालजी को सदन का सितारा तो घोषित करो आज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप प्रस्ताव तो लेकर आओ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पुलिस को चुस्त, दुरुस्त और मजबूत, साधन-सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए बजट में कई घोषणाएं की गयी हैं। इसमें पुलिस लाइन और थानों की मरम्मत के काम के लिए आवश्यक बजट दिया गया। सबोर्डिनेट को आवास उपलब्ध कराने के लिए 190 करोड़ रुपये दिये। निर्माणाधीन भवनों के लिए 31 करोड़, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 34 करोड़, वाहन उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एक करोड़, इस प्रकार कई घोषणाएं हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की हैं।

हमारे प्रदेश के गृह मंत्रीजी बहुत ही मजबूत, ईमानदार और दृढ़ निश्चयी हैं। उनके रहते हुए पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा अपराधों को कम करने में लगा रहा है। हमारे गृह मंत्रीजी की मंशा हमेशा यही है कि अपराध कम हों, अपराध घटें। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार यदि ऐसे ही प्रयास करती, तो आज इस

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

प्रकार अपराध नहीं बढ़ते और अपराधों को कम करने के लिए हम और कोई कारगर कदम उठाते। पुलिस विभाग में पुलिस क्या कर रही है, इसके लिए जरूर हम आंकड़ों की तरफ देखें, तो कांग्रेस के कार्यकाल से हमारे इस राज में अपराधों में कमी आयी है।

अपराधों में तो कमी आ गयी, लेकिन अपराधियों के हौसले बड़े बुलन्द हैं। अपराधियों के हौसले क्यों बुलन्द हैं? मुझे याद आता है, जब हम छोटे-छोटे थे, तब दादी और नानी के पास बैठकर सुनते थे कि राजाओं का राज होता था और राजाओं के राज में यदि कोई भी, उस समय पुलिस को कोतवाल कहा जाता होगा, या ऐसा कोई और नाम दिया होगा, यदि अपराध करने वाला आदमी, कोई अपराधी के घर पर राजा का आदेश होता कि उसको पकड़कर लाओ और यदि वह घर पर नहीं मिलता तथा वह कोतवाल उसके घर के कुंदे पर गोबर लगाकर चला जाता, तो परिवार के किसी भी सदस्य की हिम्मत नहीं होती कि वह दरवाजा खोलकर अन्दर प्रवेश करे। मुलजिम अपने आप वहां पर जाता। लेकिन आज मुलजिमों में किसी प्रकार का खौफ नहीं है। मुलजिम में जब तक खौफ नहीं होगा, तब तक अपराध कम नहीं होंगे। अपराधों को कम करने के लिए हम सब कृतसंकल्प हैं। राजस्थान की विधान सभा के अन्दर हमेशा कोई न कोई सिस्टम बना है कि अपराध कम हो जाएं। डण्डे के राज के बिना अपराधी मानते नहीं हैं। अपराधियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है।

जयपुर के अन्दर अभी एक महीने पहले एक जौहरी, व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, दिन-दहाड़े गोली मार दी। अपराधी फरार हो गये; सोना-चांदी, रुपया, पैसा, सब लेकर भाग गये। यह आये दिन की घटना है।

दिन-दहाड़े चेन छीनना, चोरी, नकबजनी, डकैती, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, आये दिन हो रही है, लेकिन पुलिस विभाग क्या करे? मैं सोचता हूं, पुलिस को इस सम्बन्ध में हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुलिस का मोरल बना हुआ रहना चाहिए। जब तक पुलिस विभाग में उनको अपने काम के लिए शाबाशी नहीं मिले और उनको दण्डित कर दिया जाय, तो पुलिस हमेशा पीछे हट जाती है, बैकफुट पर आ जाती है।

इसी प्रकार की एक घटना मुझे याद आ रही है। 5-7 साल पहले एक खूंखार आतंकवादी, या बहुत बड़ा तस्कर या माफिया कह सकते हैं, सोहराबुद्दीन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

नाम से, जिसका बहुत बड़ा हल्ला हुआ था और उसमें हमारे एक ईमानदार अफसर दिनेश एम एन और उनकी पूरी टीम को, जब उन्होंने उस आतंकवादी से मुठभेड़ की, उस अपराधी से मुठभेड़ हुई, जो अवैध पैसे की वसूली करता था, वह उस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन उसकी पहुंच इतनी आगे थी, जैसा अभी गुप्ताजी कह रहे थे, कि वकीलों के चक्कर में सच्चे ईमानदार अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी गयी और वे अधिकारी जेल में रहे।

इस प्रकार से कोई भी अधिकारी यदि अपराधी को पकड़ना चाहे और इस प्रकार की कार्यवाही खुद पर हो जाय, तो हर आदमी सोचता है कि जैसे-तैसे, जब पुलिस विभाग में नौकरी लग जाय, तो वह सोचता है कि जैसे-तैसे 60 साल की उम्र पार हो जाय और मेरी नौकरी पूरी हो जाय, मैं मेरे परिवार को पाल लूं। आज पुलिस विभाग का मनोबल बना रहे, इसके लिए हमें कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। आज पुलिस विभाग में छोटे से छोटा कर्मचारी होता है वह कांस्टेबल होता है, जिसकी तनख्वाह बहुत कम होती है। यदि उसकी तनख्वाह बढ़े तो ईमानदारी से वह अपना कर्तव्य निभा सकता है। पुलिस विभाग के अन्दर जिस प्रकार की साधन-सुविधाएं हैं, आधुनिक हथियार और आधुनिक साधन होने चाहिए। चोरों के पास तो बहुत बढ़िया गाड़ियां होती हैं, अपराध करके भाग जाते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट खटारा गाड़ी में चलता है। जब वह चलता है तो पुलिस तो पीछे रह जाती है और चोर आगे भाग जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें?

हमारे होम गार्ड की स्थिति बड़ी दयनीय है। होम गार्ड भी पुलिस विभाग की तरह ही टेम्परेरी नौकरी करता है, लेकिन उसको ड्यूटी पर जाने के लिए, ड्यूटी पर लगने के लिए, उसके मातहत को रिश्वत देनी पड़ती है। जब वह इतना छोटा कर्मचारी, जो पुलिस डिपार्टमेंट में अपराध को कम करने के लिए लगा हुआ है, उसको भी इस प्रकार का कृत्य करना पड़े, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। यह हम सब जानते हैं, यह सदन पूरा जानता है, लेकिन इस प्रकार का काम कब तक चलता रहेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारे गृह मंत्रीजी कोई न कोई कारगर कदम उठाएं।

मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, उन पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे यहां पर पिछले 5-6 साल से भोपालसागर उपखण्ड मुख्यालय पर थाना तो

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

खोल दिया, लेकिन भवन नहीं बना। जब भवन ही नहीं है और किराये के भवन में, उधार की बिल्डिंग में यदि कोई थाना चले, तो वह किस प्रकार से सम्भव हो पाएगा?

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में सांवलियाजी का धार्मिक स्थल बहुत बड़ा है। वहां पर हर महीने लाखों यात्री दर्शन के लिए आते हैं। वहां छोटी-मोटी वारदातें होती हैं। मैं चाहूंगा, वहां पर एक चौकी तो आपने खोल रखी है, लेकिन उस चौकी को क्रमोन्नत करके यदि थाना खोल देंगे, तो मैं सोचता हूं कि यात्रियों और वहां पर रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। बिल्डिंग तो हम सांवलिया मंदिर बोर्ड के द्वारा बनाकर दे देंगे, उसको और बड़ी बना देंगे।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में थाना राशमी, कपासन, आकोला, बासोड़ा, जो आज से 50-50 साल पहले बने हैं, आज जर्जर हालत में हैं। उनको बजट की आवश्यकता है। उनकी मरम्मत हो जाय। पुलिस चौकी पवना उधार के भवन में चल रही है। यह कब तक चलेगा? मेवदा कालोनी, जो पूरा का पूरा कंजरों का इलाका है, वहां पर चौकी टूटी-फूटी बनी हुई है। कैसे काम होगा वहां पर? इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे गृह मंत्रीजी पूरा बजट देकर इन चीजों का निर्माण करायें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में पुलिस विभाग चुस्त, दुरुस्त और ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, लेकिन कोई अधिकारी माफियाओं के साथ जब मिल जाता है तो एक मछली पूरे तालाब को गन्दा करती है। ऐसा सिस्टम राजस्थान में यहां पर डवलप हो गया है। उसमें हम देखें, आज भू माफिया, टोल माफिया, मकान खाली कराने वाला माफिया, झगड़े कराने वाला माफिया, झगड़े को सुलझाने वाला माफिया, ये सब माफिया ही माफिया चलते रहेंगे, तो इस प्रदेश की स्थिति कहां से कहां चली जायेगी? मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक लक्ष्मणगढ़ का मामला है। वहां पर एक इन्द्रमल सिसोदिया है जो जीनगर जाति का है, लक्ष्मणगढ़ में उसकी कृषि की जमीन है और उस पर माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। उसने गुहार लगायी मेरे पास, तो मैंने डीवाई.एस.पी. साहब को कहा, मैंने सी.आई. को कहा; तो कहा कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। वह बेचारा ई.ओ. के पास जा रहा है, तहसीलदार के पास जा रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में माफियाओं को और पनपने का अवसर दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि माफिया नहीं पनपें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

चोरी की वारदातें रुकनी चाहिए। मुझे यहां कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि चित्तौड़ में मेरा आफिस है और लोक सभा के चुनावों का जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, उस रिजल्ट के एक दिन पहले मेरे आफिस में चोरी हो गई और सामान तथा टी.वी. ले गये। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि उसको रिजल्ट देखने की आवश्यकता होगी, इसलिए मेरा टी.वी. खोलकर ले गया। ऐसी चीजों की बरामदगी नहीं होगी। जब तक चोरियों की बरामदगी नहीं होगी, तब तक हम उन पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेल विभाग की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जेलें हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए और जब तक जेलें दुरुस्त नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, जेल के अन्दर खूंखार अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी, यातनाएं नहीं मिलेंगी, तब तक उन अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। मुझे याद है कि हम लोग एक बार अण्डमान-निकोबार टूर पर गये थे और वहां की जेल को देखा। जब अंग्रेजों का यहां पर शासन था, तो उस अंग्रेजों के शासन में हमारे यहां के देश-भक्तों को वहां पर ले जाकर सज़ा देते थे, अण्डमान-निकोबार की सेल्यूलर जेल में। वहां पर उनसे चक्की पिसवाते, रोज कौड़े मारते। आज भी यदि इसी प्रकार का राज हो, इसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था हो, जो खूंखार अपराधी हैं उनको एकांत में रखा जाए, उनको रोज यातनाएं दी जाएं, ताकि जेल में जाने से पहले वे यह सोचें कि मुझे यातनाएं मिलने वाली हैं। आज यदि हम सोचें और आज के जेल को देखें, तो रोज जांच होती है और वहां मोबाइल मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, नशीले पदार्थ मिल रहे हैं। यह क्या हो रहा है? यह जेल है, या ऐशो-आराम का अड्डा बना हुआ है? जब तक ऐशो-आराम के अड्डे जेलखाने बने रहेंगे, तब तक अपराधी में डर नहीं होगा। आज के जेलर मुझे ऐसा लगता है, याद आ रही है मुझे फिल्म 'शोले' की, उसमें जो जेलर, असरानी था उसने यह कहा कि अंग्रेजों के जमाने की जेल है आधे इधर, आधे उधर, बाकी मेरे साथ। यानी, ऐसी स्थिति में उस जेलर के पीछे कोई बचा ही नहीं। जेल में जेलर ऐसा होना चाहिए, मुझे याद आती है, फिल्म 'कालिया', उसके अन्दर जेलर होता है रघुवीर सिंह। कालिया फिल्म है और वह जेलर अमिताभ बच्चन को कहता है कि कालिये, आने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि मैं रघुवीर सिंह की जेल में जाऊं या नहीं जाऊं। हमारे जेलर रघुवीर सिंह की तरह होने

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

चाहिए, जो प्राण उनका रोल करता है; ऐसे जेलर बनाने की आवश्यकता है। जब तक जेल के अन्दर आराम करने की जगह होगी, अपराधी वहां आराम से बैठेंगे, अपराधी वहां रहकर माफिया गिरोह बाहर चलायेंगे और माफिया बाहर गैंगस्टर का काम करेंगे। जो खूंखार व्यक्ति है, वह तो अन्दर बैठेगा और बाहर इस प्रकार से आतंक का माहौल रहेगा, तब तक तो यह हो नहीं सकता है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी जेल और हमारा पुलिस विभाग चुस्त, दुरुस्त और मजबूत हों। जब तक ये बातें हमारे नहीं होंगी और पुलिस विभाग को पूरे संसाधन नहीं दिये जायेंगे, तब तक अपराधों पर पार नहीं पड़ेगी। अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस को दुरुस्त होना पड़ेगा। कुछ पुलिस वाले जो इस प्रकार से बेइमान हैं, उन बेइमान अधिकारियों को नौकरी से हटाने की जरूरत है। जब तक वे नौकरी में रहेंगे, एक मछली पूरे तालाब को गन्दा करती है, इसलिए उन मछलियों को बाहर निकालो और ईमानदार अफसर, +++ जैसे, +++ जैसे हों। इन्होंने कई कारनामे किये हैं और जब तक कारनामे नहीं होंगे, तब तक अपराधियों में डर नहीं होगा। सरकार तो तभी चलती है, तुलसीदासजी ने कहा था – भय बिन प्रीत नहीं....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट रुको, साहब। उपाध्यक्ष महोदय। एक मिनट। आपने पहला नाम तो ठीक बताया लेकिन +++ कौनसे?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप नहीं जानते उनको?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो सबसे बड़ा माफिया है, भू-माफिया है और उसका ही आपने नाम ले लिया। क्या बात कर रहे हो! थोड़ी तो इस विधान सभा की गरिमा का ख्याल करो। भू-माफिया की क्या बात कर रहे हो!, +++

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): चित्तौड़ के अन्दर माफियाओं का इलाज कर दिया उन्होंने। हमारे चित्तौड़ में रहे हैं और अच्छे-अच्छे माफियाओं का उन्होंने इलाज कर दिया। आपकी पार नहीं पड़ी होगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपकी पार नहीं पड़ी होगी, इसलिए आपको ठीक नहीं लग रहे होंगे। आपके खिलाफ कार्यवाही की होगी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं इतना निवेदन करना चाह रहा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हूं कि अपराधियों के अन्दर डर होना चाहिए। भय के बिना राज नहीं चलता है। भय बिन प्रीत नहीं; जब भय होगा, राज के डण्डे का जोर होगा, तब जाकर के अपराधी अंकुश में आयेंगे और अपराधी जब तक अंकुश में नहीं आयेंगे, तो प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब होगी।

मैं कटारिया साहब, हमारे गृह मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप दिल के बड़े मजबूत तो हैं, लेकिन एक बार अपना गुस्सा दिखायें इस विभाग में, आंख निकालकर दिखायें, तो अपने आप ही यह सारा सिस्टम ठीक हो जायेगा।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम लिया गया है। वह अंकित नहीं हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पर बोलने का मौका दिया।

इतनी देर से सभी तरह के आंकड़ों की भी बात हुई, लेकिन मेरा मानना यह है, पुलिस थाने पर आदमी या इन्सान कब पहुंचता है? जब इन्सान किसी बात से बहुत दु:खी हो जाता है, तो वह ईश्वर के मंदिर में जाकर अपनी फरियाद सुनाता है, लेकिन इस सांसारिक धर्म में, जहां कहीं लड़ाई हो गई, चोरी हो गई, कोई लूट, कोई अत्याचार, कोई बलात्कार हो गया, तो वह इन्सान थाने की चौखट पर जाता है; थाने पर जाकर अपनी फरियाद सुनाता है कि मेरी फरियाद सुनिये, मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिये। जिस महिला की अभी इतनी देर से चर्चा हो रही थी, बार-बार चर्चा हो रही थी कि इतने आंकड़े बढ़ गये, इतने घट गये, जब वह थाने पर अपनी किसी फरियाद को लेकर जाती है, तो जो सीकर की बच्ची का उदाहरण है, कि उसकी मां जाती है, तो इस थाने की सीमा नहीं है उस थाने की सीमा है, कह दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कौनसी थाने की सीमा का जिक्र करते हैं? क्या इन्सान की भी कोई सीमा होती है? क्या कोई महिला की कोई सीमा होती है, क्या कोई मां की भी कोई सीमा होती है क्या? पहले रिपोर्ट तो दर्ज कर लें, फिर बाद में अपने थाने के नियम और कानून को निर्धारित कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मंत्री महोदय?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जनता की सेवा के लिए बनती है। मंत्रीजी, आप जनता की समस्या सुनने के लिए हैं, पूरे राजस्थान के मन की आवाज सुनने के लिए हैं, आप नियम बनाने वाले हैं, नियमों में सुधार करने वाले हैं, आपकी गरिमा है, आपका कोई पद है। अति महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय होता है। उसमें जो भी ऐसी घटना आती है, उसको अति संवेदनशील मानकर के निर्देशित करना चाहिए।

जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, वह आपका बड़प्पन है कि आप खुद ही नोट कर रहे थे, क्योंकि आपको जवाब देना था, इसलिए। लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण नहीं था कि आप अधिकारियों से आंकड़े मांगें आप अधिकारियों से रिपोर्ट मांगें, वे आकर यहां जन की समस्याओं को सुनें, वे सदस्यों की बातों को सुनें कि वे क्या कहना चाह रहे हैं? आपको तो हम वैसे भी कई बार सुना देते हैं।

सीमा के विवाद के तहत मेरे यहां बानसूर में चन्दूवाली ढाणी में एक लड़के का अपहरण हुआ। बानसूर थाने में गये कि साहब, अपहरण हो गया। कहां से हो गया? साहब, बानसूर से कोटपूतली जा रहा था। तो आप कोटपूतली थाने में जाइये। कोटपूतली से बानसूर, बानसूर से कोटपूतली, चक्कर लगाता रहा। इतनी देर में उसको तेजाब से जलाकर मार दिया गया। यह कैसी विडम्बना है? ऐसी चीजों के बारे में हमको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

वह तिजारा की बच्ची हो, चाहे बून्दी की बच्ची हो, मैं वहां मिलने गयी। मैंने कोई राजनीति की इस तरह की बात नहीं की। मैं इस तरह की बात नहीं सोचती। वह एक कन्या होती है, देवी का रूप है। हास्पिटल से छुट्टी मिल रही थी। मैंने कहा, इसको अभी और रखो, इसकी जांच कराओ; इसके जबड़े में भी शायद कहीं फ्रैक्चर है, आप देखो। उपाध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर कह रहा है कि क्या आप डाक्टर हैं? मैंने कहा, मैं डाक्टर नहीं हूं, लेकिन एक मां जरूर हूं।

आये दिन अपराध इस तरीके से बढ़ रहे हैं। दिन में घर में भी परिवार सुरक्षित नहीं हैं। गांव की तो बात छोड़ें, सिटी में भी सुरक्षित नहीं हैं। शहरों में भी दिन में लूटपाट हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो पुलिस का ऐसा कौनसा नियम है और किस चीज का नियम है? आज डाकुओं के अन्दर, लुटेरों के अन्दर, हत्यारों के अन्दर, भय

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नहीं है, लेकिन भय किसके अन्दर है, पुलिस का भय किसमें है? मैं बताती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक खेत से दूसरे खेत में कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, रोटी लेकर किसान जा रहा है, या चौपाल पर बैठकर कोई बात कर रहे हैं, उनको उठा लिया जायेगा; मोटरसाइकिल का चालान कर दिया जायेगा। हम जैसे कोई पूछते हैं कि भाई, क्या जुर्म है इसका? क्यों चालान किया गया? कि हमें तो टार्गेट दिया गया है, ऊपर से आदेश है। यह कौनसा ऊपर से आदेश है? यह कौनसा ऊपर का आदेश है? मैं यह पूछना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय। उससे मोटी रकम ली जाती है जुर्माने के तौर पर। तो यह कैसा न्याय है? अपराधियों को जब पुलिस पकड़कर लाती है, तो पुलिस के सामने ही वे कुछ भी बोल सकते हैं, उनमें पुलिस का भय नहीं है। यह ऐसा क्यों हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन मर्डर हो रहे हैं। अलवर जिले में बहरोड़ में बिजली के आफिस में घुसकर दिन में मार दिया गया व्यापारी को। मेरे बानसूर में भी आये दिन लूट हो रही हैं। पुलिस कस्टडी में बंद होने के बाद भी इस तरीके के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं अपनी बात रखना चाहूंगी कि महिला उत्पीड़न के केस जितने गिनाये गये, लेकिन यह इधर से उधर आंकड़ों की बौछार हो रही थी। सरकार अगर करे, सुने तो वह सुने उस बालिका, उस कन्या की आवाज सुने; उस तड़पती हुई आवाज को सुने जिस कन्या से बलात्कार हुआ, उस दर्द को महसूस करे; उस दहेज के लिए जली हुई राजस्थान की बाला की चिल्लाई हुई उस आवाज को महसूस करे। न्याय मिले, या ना मिले, लेकिन पुलिस हर इंसान की आवाज और बात को तो सुने। अपनी वर्दी के साथ-साथ अपनी अंतरात्मा को तो नहीं रंगीन करे।

अभी माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि ज्ञापन दे दिया और पुलिस वालों की मांग उठाई। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या किसी भी कर्मचारी को, किसी भी नागरिक को अपना ज्ञापन देने का अधिकार नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय? मंत्री महोदयजी से आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसी घटनाएं जो आये दिन बढ़ रही हैं, कृपया उन पर आप कड़ा कानून कसें। एक-एक दिन की रिपोर्ट लेकर आप थोड़ा, सारे आंकड़े नहीं, उनकी सच्चाई मांगें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हम यह नहीं कह रहे कि आप पुलिस को सुविधाएं नहीं दें, जो सदस्य कह रहे थे, ज्ञापन के लिए। जब हम पूछते हैं कि हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी करते हुए के लिए हम यह नहीं कह रहे हैं। उनका ध्यान रखें, उनको आप थर्ड ग्रेड का प्रमोशन दें; साप्ताहिक अवकाश दें; रोडवेज में चाहे फ्री करें; उनको दिये जाने वाले मकान भत्ते से टैक्स हटायें। आप उनको जो सुविधा देना चाहें, सारी गिना दीं। जहां-जहां महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको क्वार्टर देने की आप व्यवस्था करें जिससे कोई भी महिला रात को रिपोर्ट दर्ज कराने आये तो वहां पर उसे महिला कांस्टेबल भी मिले, या एस एच ओ मिले। जो महिला डेस्क लगाई गई है, तो उसके लिए सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। कई बार इस तरह की परेशानियां भी आती हैं।

अगर जेल की बात करें, तो जेल में ये सारी सुविधाएं पहुंच जाती हैं। उनके पास मोबाइल हैं, सिम हैं, हथियार हैं और नशीले पदार्थ हैं। इस तरह की चीजें क्यों पहुंच जाती हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जांच हो।

जो भी सरकार के वादे थे कि दो साल के अन्दर-अन्दर सी सी टी वी कैमरे लग जायेंगे, जैमर लग जायेंगे, तो यह क्यों नहीं हुआ अभी तक?

जेल के अन्दर कैदी आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? सरकार को जागना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि कम से कम, कैदी ऐसे प्रताड़ित होते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं; उन कैदियों के लिए जेल में प्रशिक्षण शिविर लगाये जायें, जिससे उन आदतन अपराधियों में बदलाव आ सके। जेल के अन्दर ये जो ऐसे-वैसे आपराधिकजनक सामान जाते हैं, उसकी जगह उनकी सुविधा के लिए सामान पहुंचे, जिससे कि वे प्रशिक्षण लेकर अपनी आपराधिक आदत को बदल सकें और आपस में लड़ाई-झगड़े भी नहीं करें। आपसे यह मेरा अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

एक छोटी-सी बात और है। वाहन में थानों में खड़े-खड़े जंग लग जाती है। कई वर्षों से पड़े हैं चाहे गौ-वंश तस्करी के हैं, चाहे आबकारी के हैं, चाहे खनिज विभाग के हैं। तो ऐसे वाहनों की क्यों नहीं नीलामी की जाये? वे वहीं खड़े हुए बेकार हो जाते हैं। धन्यवाद, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस डिमांड पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्या ने ज्ञापन और सीमा की बात कही, ज्ञापन लेना भी कोई बुरी बात नहीं है और ज्ञापन देना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इन पुलिस वालों ने, पिछली बार सरकार में थे, उस समय ज्ञापन लिया और आप लोगों ने सुन लिया होता, तो आज ज्ञापन देने की नौबत नहीं आती।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अब तो आप हो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): करेंगे, अभी घोषणा करेंगे।

जब सीमाओं की बात आई, तो एक गांव होता है, उसकी एक सीमा होती है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने इतना बढ़िया बोला। सब चले गये हैं। आपको कोई सुन ही नहीं रहा। बेकार में फिर काहे को बोले? (व्यवधान) आपके तो भाषण का बहिष्कार कर गये कांग्रेसी।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): कोई भी एक गांव होता है, उसकी एक सीमा होती है; कोई भी तहसील होती है, उसकी भी एक सीमा होती है; कोई जिला होता है, उसकी एक सीमा होती है; कोई भी देश होता है, उसकी एक सीमा होती है, ऐसे ही पुलिस की भी अपनी एक सीमा है। अगर वह कांस्टेबल है, बीट है, अगर वह डीवाई एस पी है, अगर वह एडिशनल एस पी है, अगर वह एस पी है, अगर वह आई जी है, तो सबको अपनी सीमाओं में रहकर काम करना पड़ता है।

बहुत सारी बार पुलिस वालों को, हमारे जो नियम कानून बने हुए हैं, उनकी वजह से इनको सुनना पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां पर कुण्डाल एक क्षेत्र है। उस ग्राम पंचायत में किसी बच्चे का अगर एक्सिडेंट हो जाता है, या वह बीमार हो गया और उसको सी एच सी पर ले जाया जाता है। सी एच सी वाले उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर रैफर कर दें और फिर वहां पर उस बच्चे की डैथ हो जाये, तो उसमें पोस्टमार्टम की जरूरत होती है। जब पोस्टमार्टम की जरूरत होती है, तो चित्तौड़गढ़ से वह दूरी 160 किलोमीटर है। उसमें एक नियम है कि वहां से आपको पोस्टमार्टम कराने के लिए स्थानीय पुलिस की

(श्री सुरेश धाकड़)

जरूरत पड़ेगी, और जब तक वह तहरीर नहीं देता है, तब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस नियम में कुछ शिथिलता प्रदान करते हुए, कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिस परिवार में 25 साल को बेटा चला गया और पुलिस वाले की मजबूरी है कि अगर वह बस में बैठ गया है तो उसको पहुंचने में छह घंटे लगते हैं, और अगर वह मोटरसाइकिल लेकर आये तो भी चार घंटे से कम समय में वह नहीं पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में जो कुछ लोग होते हैं, न्यूसेंस करने वाले लोग भी आ जाते हैं और कहीं सही बात भी होती है और कहीं गलत बात पर भी कर लेते हैं। वह सारी की सारी सज़ा पुलिस वालों को मिलती है। इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि पोस्टमार्टम के लिए तहरीर स्थानीय पुलिस दे दे और उसी टाइम उसका पोस्टमार्टम करके रवाना कर दे। बाद में अगर कोई जांच अधिकारी बनता है, तो वह वहां से, जिसने तहरीर दी, उससे रिपोर्ट ले ले और उस पर अनुसंधान कर सकता है।

दूसरा, मेरी एक ग्राम पंचायत है खारखंदा, उस ग्राम पंचायत में तीन गांव हैं, एक बानेणा, दूसरा इन्दौरा और तीसरा खारखन्दा। खारखन्दा गांव राजसमी तहसील में आता है। खारखन्दा का जो पुलिस थाना है, अगर वहां कोई घटना घट गई, तो राजसमी पुलिस थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। उसका विधान सभा क्षेत्र कपासन है और उसका डीवाई एस पी सर्किल कपासन है। दूसरा गांव इन्दौरा है, उसकी पंचायत समिति गंगरार है, उसका सी ओ सर्किल चित्तौड़ है और वह विधान सभा क्षेत्र बेगूं है और उसका पुलिस थाना गंगरार है। तीसरा जो गांव है बानेणा उसका पुलिस थाना चन्देरिया है, उसका डीवाई एस पी सर्किल चित्तौड़ है, वह विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़ है और उसको चन्देरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराना है। जब तीनों गांव तीन किलोमीटर की परिधि में हैं, लेकिन पुराने जमाने के नियम और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर के उन्होंने व्यवस्था बना दी है। अब विधान सभा क्षेत्र तीन हो गये, डी वाई एस पी सर्किल अलग-अलग हो गए, पंचायत समितियां तीन हो गई। ऐसी स्थिति में उस आदमी को न्याय के लिए बार-बार दूर-दूर भटकना पड़ता हे।

तो मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि जब भी, पहले भी आप पंचायती राज मंत्री थे, तो पंचायतों का

(श्री सुरेश धाकड़)
परिसीमन कर दिया। उससे आम आदमी को काफी राहत मिली है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर थानों का परिसीमन हो जाएगा, तो ऐसे आदमी को बार-बार तीन-तीन जगह, दो-दो जगह, पांच-पांच जगह जाना पड़ता है, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा।

पुलिस वालों पर लोग शंका करते हैं, क्योंकि ये कभी-कभी काम भी ऐसा ही कर देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे यहां एक टोल टैक्स है, उस पर इन्होंने एक ए एस आई और चार कांस्टेबल लगा रखे हैं, टोल वसूली के लिए। जब आम आदमी वहां होकर निकलता है तो वह बोलता है कि पुलिस टोल टैक्स पर क्या कर रही है? मैंने पूछा भी, तो बताया कि लॉ एण्ड आर्डर व्यवस्था के लिए लगा रखा है। ठीक बात है, टोल टैक्स पर कोई धमाल हो जाए, कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाए, तो लॉ एण्ड आर्डर के लिए पुलिस लगाई जाती है। लेकिन तीन-चार-पांच महीने के लिए अगर लगा देंगे, तो फिर आम आदमी का शक करना जायज है। उस स्थिति में, जब उस टोल टैक्स पर अगर कोई गाड़ी होकर के निकलती है और अगर उसकी 400 रुपये की रसीद बनती है, तो उसमें टोल टैक्स में एक नियम है कि अगर कोई ओवरलोड वाहन निकलेगा, तो उससे दस गुना पेनल्टी वसूल करते हैं, तो उन पुलिस वालों की उपस्थिति में उस टोल टैक्स वालों के भी भाव बढ़ जाते हैं और वे दस गुना पेनल्टी वसूल करते हैं। हमारी पुलिस उसमें शामिल होकर के अगर ऐसा काम करती है तो निश्चित रूप से आम आदमी के मन में कोई ठीक बात नहीं जाएगी।

दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई, कोई सी आई लगा था, तो दो-तीन महीने हो गये और फिर बोला कि इसको चेंज कर रहे हैं। जब मेरे को पता लगा, तो मैंने फोन किया कि क्यों चेंज कर रहे हो? तो बताया कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है क्या? मैंने कहा मैं कोई पुलिस वालों की दलाली नहीं लेता, कोई थाने की बंदी नहीं लेता; मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगा, अच्छा आदमी है, इसको दो-तीन महीने रहने दो। तो उन महाशय ने बताया कि ये किसी अपराधी से बात करता है फोन पर। आप पहली बार एम एल ए बने हों, थोड़ा इनसे सावधान रहें। तो मुझे लगा कि ठीक बात कह रहा है। मैंने कहा हमारा क्या लेना-देना? किसी भी पुलिस अधिकारी को लगा दो, जो भी सी आई आएगा, काम करना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद मैंने उनको एक बात और कही कि इस तरह की हरकत में अगर ये

(श्री सुरेश धाकड़)

इनवाल्व हैं, तो क्यों नहीं इसकी काल डिटेल निकालकर के इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाए? लेकिन वही पुलिस अधिकारी जब किसी बड़े अधिकारी के समक्ष पेश हो जाता है और पन्द्रह दिन बाद उसका ट्रांसफर निरस्त हो जाता है, तो फिर पुलिस के ऊपर शक पैदा होता है।

इसलिए हमें, कहीं-न-कहीं पुलिस को भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसा काम नहीं करें जिससे शक पैदा हो, और ट्रांसफर की एक पालिसी बन सकती है। क्योंकि हर बार कभी नेताओं के ऊपर आरोप लगा देते हो, कभी पुलिस वालों पर आरोप लगता है। आरोप-प्रत्यारोप के दौर से बचने के लिए एक पोलिसी बन जाए और उस पालिसी के तहत उस पर काम हो सकता है।

मेरा एक जावदानिमडी क्षेत्र है जो भैंसरोड तहसील में आता है। वहां पुलिस थाना तो है लेकिन उनके रहने के लिए बिल्डिंग नहीं है। बरसात में भी उनको बहुत तकलीफ होती है। पुलिस खड़ी रहकर के अगर सेवा करती है, तो उन लोगों के लिए वहां पर पुलिस थाना निर्माण, अगर बजट में मंत्रीजी को लगता है, कहीं गुंजाइश है, तो जरूर जावदानिमडी क्षेत्र, भील बहुल क्षेत्र है, अगर वहां एक थाना निर्माण के लिए बजट मिल जाएगा, तो ठीक रहेगा।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां बार्डर भी है एम पी और राजस्थान का। तो बॉर्डर मीटिंग तो होती है, लेकिन चुनाव के समय में होकर के रह जाती है। अगर नियमित रूप से बार्डर मीटिंग होने लग जाए और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर दिया जाए, तो थोड़ा अच्छा होगा। जो हमें जानकारी होगी, हम इनको बताएंगे और सभी लोगों के ध्यान में रहेगा। बाकी होता क्या है, कि राजस्थान का रहने वाला आदमी नीमच और मंदसौर में क्राइम करके आ जाता है और नीमच और मंदसौर में रहने वाला आदमी यहां क्राइम करके वापस भाग जाता है। तो दोनों स्टेटों में, दोनों जिलों में थोड़ी ऐसी स्थिति बनी रहती है। प्रतापगढ़ में भी विशेष असर दिखता है इसका। तो अगर कंटिनुअस मीटिंग बराबर हो जाएगी, तो अपराधी इधर-उधर भागने का प्रयास करते हैं वे ज्यादा भाग नहीं पाएंगे और सबको मदद मिलेगी।

सी एल जी कमेटियां बनी हुई हैं लेकिन सी एल जी कमेटियां शांति समिति, उनका उद्देश्य यह होता हैं कि वातावरण ठीक रहे, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी कमेटियां हैं, उन लोगों को देखकर के भी अशांति हो जाती है। सी एल जी की कमेटियों में परिवर्तन होना चाहिए और जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनकी पैठ है समाज के अन्दर, विभिन्न समुदाय के लोग उन कमेटियों में आयें और आम आदमी के बीच में एक संदेश जाए कि ये शांति

(श्री सुरेश धाकड़)

समिति के लोग हैं। दस लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार हों, ऐसे लोगों को सी एल जी की कमेटियों में लिया जाना चाहिए।

मार्च, या जो पखवाड़ा चलता है, अभी चालान की बात आ रही थी, चालान बनाना इसलिए जरूरी है, गाड़ी का लाइसेंस देखना भी जरूरी है, ये सब काम इसलिए करना जरूरी है; अभी विपक्ष से ये सब बातें आ रही थीं कि मोटरसाइकिलों के चालान बना देते हो, गाड़ियां पकड़ लेते हो; यह सब चैक इसलिए करना पड़ता है कि नहीं तो फिर अगली बार बोलेंगे कि अपराध इतना बढ़ गया, इतने लोग चोरी करके भाग गये। तो चोरों को पकड़ने के लिए उनके लाइसेंस देखना जरूरी है। लेकिन पुलिस पर अंगुली इसलिए उठती है कि एक तो सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, उस समय ये रसीद बुक लेकर के खड़े हो जाते हैं और दूसरा जब इनका टार्गेट रेवेन्यू, लास्ट टाइम चल रहा होता है, कि हमारे बजट में इतना पैसा कम है। पुलिस ने टार्गेट पूरा नहीं किया तब रसीद बुक लेकर के खड़े हो जाते हैं और चालान बनाना शुरू कर देते हैं, कभी हेलमेट के नाम पर। कभी लाइसेंस के नाम पर। तो क्यों नहीं इसका एक रेगुलर सिस्टम बने कि हम इतने दिनों में, इतनी जगह चैक करेंगे, यह-यह सिस्टम रहेगा? जो मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक जाए ताकि हमारे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सके, पुलिस के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सके कि यह सिस्टम है। इसके लिए हम यह काम कर सकते हैं।

बेगूं बिजोलिया क्षेत्र किसान आंदोलन के प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ महीनों से वहां पर जो चिटफंड कम्पनियां हैं, वे सक्रिय हैं। उन भोले-भाले किसानों को, जो सामान्य परिवार से आते हैं, उनको बड़े-बड़े लोभ दे देती हैं, तुम इसमें यह करा दो, हम तुम्हें यह गिफ्ट दे देंगे। उन पर कोई प्रभावी कार्रवाही नहीं हो पाती है। पुलिस के पास कोई पहुंचता है, तो मुकदमा दर्ज करने की आनाकानी करने के बावजूद, या कुछ थोड़ी-बहुत उनकी भी कोई जान पहचान होने के कारण, या कभी कोई छोटे-मोटे जन-प्रतिनिधि भी फोन कर देते होंगे, तो ऐसी स्थिति में वहां स्थिति ठीक नहीं है। तो इन चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ पूर्णतया कार्रवाही हो और जो भी दोषी आदमी, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाही होनी चाहिए।

अभी मोदीजी का स्वच्छता अभियान चल रहा है। हम जब किसी भी थाने में जाते हैं, या थाने के बाहर से होकर के निकलते हैं, तो कहीं गाड़ी खड़ी मिलती है, कहीं ट्रक खड़े मिलते हैं, तो कहीं बसें खड़ी मिलती हैं, और बहुत,

(श्री सुरेश धाकड़)
सारी बार तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बसें खड़ी हुई मिलती हैं, थाने के बाहर, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई कोर्ट-कचहरी के कारण से, या किसी कारण से, लेकिन इसका भी बैठकर के एक कानूनी हल निकालना चाहिए, ताकि उन थानों की सुन्दरता बने और मोदी जी के स्वच्छता अभियान को आगे भी गति मिले।

मैं इन सब बातों से उम्मीद करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी इस पर कुछ अपना आशीर्वाद रखेंगे।

मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय। एक मिनट आप विराज जाएं। दो नाम बाद में आये थे। सारी।

मान सिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की पुलिस और कारागार की मांग पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और समय की नजाकत को देखते हुए, बहुत संक्षेप में मैं मेरी बात को कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर माननीय गृह मंत्रीजी और हमारी सरकार के नेतृत्व में अपराधों में कमी हुई है, उसके लिए मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

पूरे राजस्थान के आंकड़ों में नहीं जाकर के, मैं मेरे क्षेत्र के हिसाब से इस बात को कहने का प्रयास करूंगा कि अभी दो महीने पहले हमारे पूर्वी राजस्थान में धौलपुर में बिसम्बरजी और गंगापुर में प्रकाश अग्रवाल के ब्लाइंड मर्डर हुए। उन ब्लाइंड मर्डर्स के अन्दर जिस प्रकार से समाज को उद्वेलित होने का मौका मिला, उसी के साथ-साथ में पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ में उन मर्डरों को खोलने का काम किया। एक बड़े व्यापारियों में जिस प्रकार से, क्योंकि दोनों बड़े व्यापारी थे, हमारे पूरे सारे समाज के अन्दर जो विश्वास कायम करने का काम किया, उसके लिए भी मैं माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में 2008 से लेकर 2013 तक अपराध के जिस प्रकार से मामले दर्ज हुए, उन दर्ज मुकदमों के अन्दर जो हत्या, नकबजनी और लूट के मामले थे वे टोटल 1,233 थे, उनमें से 1,114 मामलों

(श्री मान सिंह)

में एफ आर लगा दी गई और जो रिकवरी हुई, वह केवल चार परसेंट थी। कांग्रेस के पिछले पांच साल में हत्या, लूट, नकबजनी के जो मामले हैं और पिछले हमारे दो साल में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का बताना चाहता हूं, अपराध रिकार्ड तो लगभग नौ सौ है लेकिन रिकवरी साढ़े-नौ परसेंट है। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इसके लिए भी पुलिस को धन्यवाद देता हूं।

इसी के साथ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस निश्चित रूप से चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए। पुलिस की भर्ती में जो जवान आना चाहिए, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो पुलिस भर्ती में दौड़ के नम्बर को जिस प्रकार से कम किया गया है, एक अच्छा परफैक्ट नौजवान पुलिस में भर्ती हो, इसमें निश्चित रूप से संशय है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि पुलिस भर्ती में दौड़ की व्यवस्था के नम्बरों को पुनः शुरू किया जाए, जिससे अच्छे नौजवान भर्ती हो सकें और पुलिस में जिस प्रकार से जो पी.टी. परेड हुआ करती थी, वह बिलकुल बंद हो गयी है, थानों में। उसको भी वापस शुरू किया जाना चाहिए, जिससे हमारा नौजवान हमेशा एक परफेक्ट स्थिति में मिल सके। यह पुलिस की सेहत के लिए, मैं समझता हूं, बहुत जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ में मैं यह कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अपराध के साथ-साथ भ्रष्टाचार की जो बात है, उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमारी ए.सी.बी. को बहुत ताकतवर बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम यह कहते हैं कि अपराधी में डर होना चाहिए, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी अगर एंटी-करप्शन को हम मजबूत करेंगे, ए.सी.बी. को मजबूत करेंगे, तो हमारी पुलिस में सुधार के साथ-साथ में मेसेज अपराधियों में भी जायेगा कि किस प्रकार का शासन चल रहा है। उस शासन से निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा, जिस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पुलिस की जो जांच प्रणाली है, मुकदमा दर्ज होता है, अपराधी की जिस आई.ओ. द्वारा जांच की जाती है, उसके पास में 164 का जो हथियार होता है और जब वह गिरफ्तार करता है, तो वहां भ्रष्टाचार और वहां

(श्री मान सिंह)

गलती होने की पूरी सम्भावना रहती है। तो मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से थानों में नफरी की कमी है, थानों में स्टाफ की कमी है, लेकिन अगर हम इस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना चाहते हैं तो जांच सैल अलग से होनी चाहिए और जांच सैल की रिपोर्ट के बाद में गिरफ्तारी का सैल अलग से होगा, तो वह भ्रष्टाचार जो शुरू से जड़ लेने का काम करता है, उस पर अंकुश लगेगा और एक नयी व्यवस्था विकसित होगी। इस बात के लिए भी हमको इस पर आगे चल कर सोचने का काम करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसमें भी जिस प्रकार से छोटे लेवल पर एक भ्रष्टाचार होता है और जिस प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए मैं जयपुर शहर का उदाहरण देना चाहूंगा। जयपुर में पिछली सरकार के समय जिस कम्पनी को ट्रैफिक का ठेका दिया गया, जिस कम्पनी को, एजेंसी को इस काम को दिया गया जोधपुर और जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में, उतने ही पैसे में बंगलौर में...; जोधपुर और जयपुर में जितना पैसा हम ट्रैफिक में उस कम्पनी को दे रहे हैं, उससे कम पैसे में बंगलौर में न केवल ट्रैफिक कंट्रोल में नीली-पीली लाइट का बल्कि और भी रिकार्ड पुलिस को मिलते हैं। इस बारे में मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जिस कम्पनी को जयपुर और जोधपुर में ट्रैफिक का यह काम दे रखा है, क्यों नहीं हम उसके माध्यम से और चीजों को जोड़ कर के उस चीज का हमारा जो आज का सिस्टम डवलप हुआ है, एक प्रकार से नैट के, माध्यम से हम उनसे और सारी जानकारियां लेकर के उस सारी चीज पर अंकुश लगा सकते हैं। जिस चालान को काटने के लिए पुलिस वाले केवल इसलिए कि उनको भी उसमें कुछ मिलता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह चालान आटोमेटिक उससे कट जाएगा। तो निश्चित रूप से पुलिस को इस बारे में भी सोचना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा यह निवेदन है, जिस प्रकार से कानून-व्यवस्था की लचर व्यवस्था के चलते आज हम पुलिस पर ही इस बात को डालें, या केवल विधायिका इस बात को, जो सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, जिसके ऊपर पूरे राजस्थान और पूरे देश की जनता की नजर रहती है, उसमें हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसमें कानून में जिस प्रकार से न्याय लेट मिलता है और जब लेट मिलता है, तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता।

(श्री मान सिंह)

उसके कारण भी अपराधी ज्यादा बढ़ते हैं। इस पर भी हमको सोचना चाहिए। इस व्यवस्था में कोई कारगर इस प्रकार की व्यवस्था हो।

आज किसी भले आदमी की, किसी भले परिवार की किसी बच्ची को जब अपराधी जेहाद के नाम पर, लव-जेहाद के नाम पर, कहीं भी ले जाता है। जब मुकदमे में उसका नाम दर्ज हो गया और वह बालिग है, तो कानून कहता है कि उसके साथ भेज दो; अगर वह नाबालिग है, तो उसको बालिका गृह में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से कानून की पेचीदगियों में कई बार सामाजिक रिश्ते जब तार-तार होते हैं, तो पुलिस भी इस बात को महसूस करती है कि यहां गलत हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इन व्यवस्थाओं को भी हमको देखना चाहिए।

निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए, संसाधनों के लिए, जो पैसा दिया है, अबकी बार ज्यादा है और इसके लिए पुलिस हकदार भी है, क्योंकि पुलिस में जिस प्रकार के संसाधन होने चाहिए, बहुत से साथियों ने इस बात को कहा है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अब मेरे क्षेत्र की मांग करना चाहूंगा। मेरे यहां तीन थाने हैं, शहर में, जिसमें सबसे पहला कोतवाली का 1962 का थाना है। उसमें हालात ये हैं कि आप बैठ नहीं सकते और पूरा का पूरा उसका मसाला गिरता है। इस प्रकार की बुरी हालत है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां बैठने वाला आदमी और जो नफरी है, अकेले थाने में साठ आदमी कम हैं, तो कई बार तो वह सी.आई. कपड़ें नोचता है। कह नहीं सकते, वह पागल भी हो सकता है। ऐसी हालत में नफरी बढ़ाने का और थानों की स्थिति ठीक करने का हमको ध्यान देना होगा।

इसी के साथ मेरा जो सदर थाना है, उस सदर थाने के लिए भी मैं मांग करूंगा कि उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए गृह मंत्रीजी ध्यान दें।

एक मेरे गंगापुर सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है लेकिन वहां पर जिला जेल है। क्योंकि पहले करौली और सवाई माधोपुर एक जिला था, उसमें गंगापुर बीच में आता था, इसलिए ज्यादातर जिला हैडक्वार्टर, चाहे आबकारी का हो, चाहे सेल्स टैक्स का हो, चाहे जेल का हो, वे हैडक्वार्टर गंगापुर में थे। आज भी जिला जेल गंगापुर में है और जिस स्थिति में वह जेल है, पूरे बरसात के समय उसमें पानी भर जाता है; सुरक्षा की दृष्टि से, वहां चारों तरफ मकानात

(श्री मान सिंह)

हैं, वह सुरक्षित नहीं है। कई बार वहां से, दो-तीन बार वहां से अपराधी भाग चुके हैं। मेरा निवेदन यह है कि आज वहां पीने के पानी के लिए भी जेलर तरसते हैं। मैंने मेरे कोटे से पैसे देकर व्यवस्था की है, तब जाकर के उस जेल में रहने वाले पानी पी सकते हैं। तो मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा, मैंने पहले भी लिखित में दिया है, क्यों नहीं इस जिला जेल को वहां से ट्रांसफर किया जाए? हमारी नगर परिषद उसके लिए एम ओ यू करने के लिए तैयार है, आपको जेल बनाकर देगी। आप उसको वहां से ट्रांसफर करें। जिससे हमारे शहर का वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम, नाली का सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि वह शहर के बीच में आ रही है, उससे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है, और आपके लिए भी वह सुरक्षित नहीं है। तो मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें।

एक बात जो सब साथियों ने कही है कि अवैध वाहन जिस प्रकार से हमारे थानों में जब्त हैं उसकी एक समय-सीमा तय करनी चाहिए। इसी के साथ-साथ में, जो वाहन गोवंश तस्करी में पकड़े जाएं उन पर भी इसी प्रकार का आबकारी जैसा कानून आप लायें, जिससे उन वाहनों का दुबारा उपयोग नहीं हो और उनको भी जब्त किया जाए।

यही बात कहकर, मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का इस मांग पर जवाब आकर मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 16-पुलिस एवं मांग संख्या 17- कारागार के पारण तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मुझे माननीय सदस्यों को एक बात और सूचित करनी है कि अध्यक्षीय आज्ञा से सिर्फ बजट के वाद-विवाद तक ही आपका लिखा हुआ जो भाषण था, उसको टेबल करने की अनुमति थी; कट मोशंस पर नहीं थी।

श्री धर्मपालजी चौधरी।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 व 17, पुलिस और कारागृह पर चर्चा हो रही है और इसमें आपने अंत में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

पुलिस ऐसा विभाग है जिस पर आज पूरे दिन से चर्चा हो रही है। आमजन की, जो हमारी 7 करोड़ की जनसंख्या है, उसके लिए अपराधों को रोकने का काम करे और आमजन को अपराधियों से बचाये। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, अपराध हमेशा होते आये हैं। जिस तरह से एक अच्छे मंत्री के रूप में, एक अच्छे मुख्य मंत्री के रूप में, अच्छे अधिकारियों के रूप में, अगर सरकार काम करती है, तो इन पर रोकथाम हो सकती है। यह नहीं कि अपराध खतम हो जायेंगे, लेकिन यह राजधर्म है।

विपक्ष में बैठने वाले व्यक्ति, जिन्होंने पांच साल तक राज किया और पांच साल में कोई देवी-देवताओं का कोई राम राज नहीं रहा। पांच साल में फूल मोहम्मद जी इंस्पेक्टर, जिनको जिंदा जला दिया, और आज आप कोई छोटी घटना हो जाये, उसके बारे में इतनी बड़ी चर्चा करते हो कि यह राज आ गया तो इस राज में तो अपराधों का ढेर लग गया। इसके अलावा, चेचट थाने में क्या हुआ? आप कहते हो कि थाने में एक महिला गई, लड़की गई, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई; और आपके यहां सरेआम थाने में हैड कांस्टेबल के साथ बलात्कार हो जाता है। छोटी सादड़ी में बलात्कार हुआ।

हमारे अलवर जिले में अपराधों की, क्योंकि जिनसे आप वोट लेते हों, धर्मनिरपेक्षता की बात करके हमारे को बताते हो कि यह पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम के बहुत ज्यादा खिलाफ है और इसका प्रचार करके, वह एक ऐसा पांच साल का समय निकला, जब अलवर से भिवाड़ी और अलवर से वाया रामगढ़ होते हुए दिल्ली तक जाना दिन में भी सुरक्षित नहीं था। वहां पर जिस तरह के अपराध घटित होते थे, मैंने अपनी आंखों से भिवाड़ी में सरेआम देखा कि दिल्ली की एक महिला अपने पति के साथ हल्दीराम के होटल में जाती है और कुछ गुंडे और बदमाश लोगों ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, वह आंखों से देखा नहीं जा सकता था। वहां तिजारा में जैन मंदिर पड़ता है,

(श्री धर्मपाल चौधरी)

बाहर से जैनी भाई मंदिर पर आते हैं, पांच साल के राज में उन बहन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही।

इस पांच साल के राज में अपराधों को गिनाने लगे, क्योंकि अब समय काफी हो चुका है और मंत्रीजी को जवाब भी देना है, इसलिए अगर आपको बताने लगें तो आपके राज में अपराधों की कोई कमी नहीं रही, मैं यह नहीं कहता कि हमारा राम राज है, या हमारी सरकार में अपराध नहीं हो रहे, लेकिन हमारे मंत्रीजी ऐसे हैं कि कोई भी बात अगर यहां उठती है, तो मंत्रीजी हाथ के हाथ उठकर उस बात का जवाब देते हैं और पूरी ताकत के साथ लडते हैं। मंत्रीजी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बात की बहस कर ले, तो अगले को उसका पूरा उत्तर देते हैं।

आपके राज में क्या हुआ था? पुलिस में हम यह चाहते हैं, पुलिस 24 घंटे काम में लगी रहती है; हमारे भाइयों ने यहां बहस में भी कहा कि नेता और पुलिस 24 घंटे का काम हो गया; मोबाइल हो गया रात को 12 बजे भी टेलीफोन आ जाता है। इसी तरह पुलिस का है। हमारे हाइवे पर, क्योंकि मेरे क्षेत्र में शाहजहांपुर, नीमराना आते हैं, कुछ वी आई पी ड्यूटी में लगे रहते हैं, वहां पर नफरी कम है, क्योंकि रात को पैट्रोलिंग और गश्त भी करनी पड़ती है। माननीय मंत्री महोदय, वहां पर नफरी बढ़ानी चाहिये और उनको वहां पर ऐसे वाहन देने चाहिये, ऐसे हथियार देने चाहिये, ऐसी गाड़ी नहीं हो कि अपराधी के पास तो तेज भागने वाली नई गाड़ियां हैं और हमारी ऐसी खटारा गाड़ी हो, जो उसको पकड़ भी नहीं सके। अच्छी गाड़ियां उनको मिलें, अच्छे हथियार उनको मिलें।

आज पुलिस को जिस तरह से 9-18-27 का लाभ देते हैं, 9 साल बाद पुलिस का जो सिपाही, जो डंडा लेकर सर्दी और गर्मी में खड़ा रहता है, उसको तनख्वाह तो 9 साल में देते ही हैं, अगर 9 साल बाद उसको हवलदार बना दिया जाये, 18 साल में ए एस आई बना दिया जाये, उसके बाद जब थानेदार का नंबर आये तो उसको थानेदार बना दिया जाये; एक तो सिपाही, सिपाही होता है, लेकिन जब उसके कंधे पर फीत लगती है, तो वह काम करने में ज्यादा सक्षम होता है। इसलिए चार सिपाही पर कम से कम एक हवलदार हो, इसकी व्यवस्था करने में सरकार का तो कोई पैसा लगेगा नहीं; सरकार को तो तनख्वाह 9-18-27 में उतनी ही बढ़ाकर देनी है। इसलिए यह भी मेरा आपसे

(श्री धर्मपाल चौधरी)

निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, पुलिस अच्छा काम करे, इसलिए इस बात पर भी आप कार्रवाही करें।

थोड़े दिन पहले हमारे यहां भी एक फैक्टरी में आग लग गई थी, उससे पहले एक मर्डर भी हो गया था। इन बातों को लेकर, कि सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां पर पुलिस की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है। अगर हम वहां पूरा स्टाफ कर दें, तो यह बढ़ता हुआ अपराध कम हो जायेगा और छोटी-मोटी घटनाएं भी नहीं घटेंगी।

बहरोड़ में गैंग पनपी हुई हैं और ये गैंग जब हरियाणा में शराबबंदी थी, उसकी वजह से पूरे बार्डर क्षेत्र पर पनपी हैं। इनके ऊपर कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। माननीय मंत्रीजी, अगर वहां पर इन पर अंकुश लगा देंगे, क्योंकि नामजद रिपोर्ट हो जाती है और उसमें अपराधी का नहीं पकडा जाना, और इसी वजह से दूसरे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। इसलिए अगर वहां अपराध रोकना है, तो वहां अच्छे अधिकारी लगाकर, वहां पर पूरी नफरी करके, वहां पर अच्छे हथियार देकर, वहां पर अच्छी गाड़ी देकर, अगर हम कार्रवाही करेंगे, तो ये कांग्रेस के भाई जो कह रहे थे, इन सब बातों को रोका जा सकता है और इस राजस्थान में अमन-चैन का राज हो जायेगा।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे पुलिस की मांग पर बोलने का अवसर दिया।

आज बहुत लम्बा-चौड़ा, बहुत तरीके के आंकड़े भी आये, सता पक्ष ने भी आंकड़े रखे, विपक्ष ने भी आंकडे रखे, लेकिन पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी स्क्रूटिनी करना बड़ा मुश्किल है। खास तौर से हम विधायक, क्योंकि हम पुलिस को ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए और भी मुश्किल पड़ जाता है। क्राइम बढ़ा, क्राइम कुछ परसेंट कम हुआ, यह किसी के हाथ में नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो पुलिस के मुखिया हैं और हमारे गृह मंत्री हैं, उनका यह फर्ज होना चाहिये कि वर्किंग आफ क्राइम नहीं हो. Every crime should be reported. चाहे वह आंकड़ा 10 परसेंट बढ़ जाये, उसकी चिंता नहीं है।

(श्री नवीन पिलानिया)

मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता हूं, जब हम कम्पेरिजन करें, अभी तक जितनी बहस हुई और जितने आंकड़े आये, वह चाहे पुलिस की रिपोर्ट इधर से आ गई हो, सत्ता पक्ष ने रख दी हो, लेकिन थोड़ी-सी

(19.00 बजे)

झलक मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्राइम के आंकड़े 2014 के, भारतवर्ष के, थोड़ा-सा हम गौर करें कि राजस्थान कहां स्टैंड करता है। The incidence and rate of crime committed against women during 2014. My dear Sir, Rajasthan. 30,151. हमसे ऊपर अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, 38,467 पर है या वेस्ट बंगाल है जो 38,299 पर है। वे हमसे बहुत बड़े राज्य हैं। इसका परसैंटेज कंट्रिब्यूशन टू ऑल इंडिया टोटल जो है। हमारी स्टेट का जो क्राइम अंगेस्ट वूमन है, वह है, 9.2% of the entire country, which is just short of 11.4 and 11.3 of Uttar Pradesh and West Bengal. This is alarming. The other point is, the rate of total cognizable crime committed against women, उसकी रेट जो है पूरे भारतवर्ष में, माननीय गृह मंत्री महोदय, 91.4 % is the crime rate of Rajasthan in India. मैं 2014 के जो आंकड़े हैं, केवल वह बता रहा हूं। Highest! which is shocking.

श्री उपाध्यक्ष: This is per one lakh.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): Yes, this is per one lakh. This is the rate. This is what I am saying. पहले जो मैंने बताया था, that was percentage contribution to all India, which was 91.2, as far as Rajasthan is concerned. Now the rate of total crime against women, it is 91.4 %. सर, उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है। जिसमें सबसे बड़ा, अभी मैंने बताया था, 38,467 that is contributing only 38.3 %. Crime rate I am talking about. यह बड़ा सोचनीय बिन्दु है हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए; विशेष तौर से गृह विभाग के लिए।

अब दूसरी जो अलार्मिंग चीज बताता हूं, Incidence and rate of crime committed against Scheduled Castes during 2014. My dear, Sir, Rajasthan, 8,028. हमसे आगे अगर कोई है तो है, 8,075 पर उत्तर प्रदेश। The size of Uttar Pradesh, the population of Uttar Pradesh and the population of Rajasthan! उसके अलावा, इसके बीच में, उसके बाद में नंबर आता है बिहार का, 7,893 माई डियर, सर। आस-पास की अगर हम बात करें। उत्तरी भारत के ...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्षजी को माई डियर सर कहा जा सकता है क्या? मेरी जिज्ञासा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आपको कह रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): संबोधन तो उपाध्यक्षजी को ही करना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, आपके लिए कह रहे हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): थोड़ा-सा, मंत्री महोदय, इस ज्ञान पर ध्यान लगा लीजिएगा। इन शब्दों में मैंने कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं कहा है। मैंने तो एक इज्जत का शब्द कहा है। माफी चाहता हूं, अगर आपको उससे तकलीफ हो गई हो, तो। उपाध्यक्ष महोदय कहता हूं आपको।

लेकिन यह आंकड़ा जरा सुनिएगा। राजस्थान में आठ हजार, आस-पड़ोस के राज्य, अगर उत्तरी भारत की बात करें, हमारा आंकड़ा था 8,028, गुजरात 1,130, हरियाणा 830, पंजाब 123 और इसका जो कंट्रिब्यूशन है, percentage contribution to all India is 71.1, Sir. माननीय गृह मंत्री महोदय, विचारणीय बिन्दु है। शिड्यूल्ड कास्ट्स का आंकड़ा बता रहा हूं। जो रेट आफ टोटल क्राइम है एस.सी. का, 65.7 परसेंट रेट आफ क्राइम और उत्तर प्रदेश जो हमारे बराबर था 8075 उसका रेट आफ क्राइम क्योंकि उसकी पापुलेशन इतनी ज्यादा है, 19.5 । यह सोचनीय बिन्दु है, साहब; यह अलार्मिंग बिन्दु है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए हमारा प्रदेश कहां पर खड़ा हुआ है आज। This is very alarming Sir. मैं तो सिर्फ उजागर कर सकता हूं। मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ है नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और चीज, incidence and rate of crime committed against Scheduled Tribes during 2014. My dear, Sir, Rajasthan…

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कालूलालजी, अब बोलो आप। आप बता रहे थे ना कि जाट विद्वान नहीं होते। बोलो, कैसे बता रहे हो? बताओ आप। बताओ आप।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अरे, मैं तो वैसे ही ठूंठ आदमी हूं।

एक माननीय सदस्य: अरे, जाट तो अनपढ़ जाट पढ्यो बराबर, पढ्यो जाट, खुदा बराबर। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेहरबानी, साहब। मैं तो थोड़ा-सा समय मिल जाए तो कुछ उजागर कर दूं। यही मेरी गुजारिश है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल (निवाई): डी.जी. साहब के सुपुत्र हैं, तो आपको तो ज्यादा अनुभव है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके पिता जी भी करते रहे हैं सरकारी नौकरी में उजागर।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वह तो इनको सारा पुलिस का नालेज है। इनके तो पिता जी डी.जी. रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुलिस की ही तो बात चल रही है आज तो।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों सचेतकों को क्या हुआ है?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह आंकड़ा बता रहा था, incidence and rate of crime committed against Scheduled Tribes during 2014. My dear, Sir, Rajasthan 3,952. हमसे ऊपर कोई नहीं है। हमारे से जो दूसरा है, वह मध्य प्रदेश है, वह 2,279 पर सिमटा हुआ है। बाकी हजार के आंकड़े में कोई स्टेट नहीं है। हजार के आंकड़े में भी कोई स्टेट नहीं है। अब मैं उसका बताता हूं आपको, जो percentage contribution to all India. As far as Scheduled Tribes are concerned…

श्री उपाध्यक्ष: आप ये क्राइम रिपोर्ट 2014 पढ़ रहे हो ना?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2014 को टेबल वाइज पढ़ रहा हूं। मैं सबको टेबल कर दूंगा। यह टेबल नं. 7.7 है, यह 243 है।

श्री उपाध्यक्ष: यह है this is there on their website.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जी, हुक्म। इसका जो परसेंटेज कंट्रिब्यूशन टू आल इंडिया टोटल है, माननीय महोदय, वह 35.5 है। पूरे हिन्दुस्तान का 34.5 राजस्थान के जिम्मे में आता है, जहां तक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, और rate of total cognizable crimes in this case, it is 42.8, which is way above the national average. नेशनल एवरेज जो है, वह 11 परसेंट। अब मैं और आपको इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं?

अब आपने। पिछले दिनों...

श्री उपाध्यक्ष: अब आपने इतना पढ़ा, तो यह भी पढ़ दो ना कि density of police as per population of Rajasthan…

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): साहब, वह मैं निकालकर नहीं लाया, लेकिन मेरे को पता है, मैं जानता हूं, इनकी किताब में लिखा हुआ है, so many posts are lying vacant, लेकिन मेरे हिसाब से इंस्पेक्टर्स और उनके तो more than 30 % पद खाली पड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये, क्योंकि आज बड़ा मजेदार वाद-विवाद चल रहा था, उधर से आंकड़े आ रहे थे, इधर से आंकड़े आ रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर राजधानी, Jaipur Commissionerate has been in the news in the past and my dear hon'ble Home Minister himself has commented on that, but I don't want to go into that. My point is जब हम सिटीज की बात करते हैं, आप अचम्भा करेंगे, यह वह ही 2014 का फिगर है, Jaipur as far as cheating cases are concerned, it is 4,634, which is almost the highest in the list of cites which is being given.

Now coming to, Sir, I would like to come on…

एक माननीय सदस्य: साहब, हिन्दी में बोलो ना।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अच्छा, गलती हो गई, साहब। मैं माफी चाहता हूं।

जरा थैफ्ट के बारे में देखिएगा, गौर फरमाएं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान थोड़ा-सा लाना चाहता हूं, जयपुर सिटी की बात कर रहा हूं, यह शहरों की लिस्ट है, टोटल थैफ्ट में हैं 7,071. The rate is 238%

एक माननीय सदस्य: आप अंग्रेजी में क्यों? हिंदी में बोलिये ना।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं, भैया, रेट को तो दर बोल सकता हूं, यह कर सकता हूं। बाकी तो मैंने सारी चीज हिन्दी में ही... थैफ्ट बोल रहा हूं, चोरी बोल देता हूं। चोरी और उसमें भी टेक्निकल, उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। महोदय, पुलिस की भाषा में वह काम्प्लीकेटेड मामला है। जो इनमें टर्म है, वह ही चलने दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आटो थैफ्ट में तो हम गजब हैं। मेरे पास यह जो आंकड़ा है, जितनी भी सिटीज का है, आप मेट्रो को छोड़ दीजिएगा, दिल्ली थी 21,321 पर, राजस्थान नाम रोशन कर रहा है 5,115 पर, सर। जितनी भी बाकी सिटीज हैं, उनमें मेट्रो को छोड़ने के बाद में हम सबसे ऊपर हैं। इसके बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने तो अख़बार

(श्री नवीन पिलानिया)

में पढ़ा था, इसकी समीक्षा भी हुई थी, जी पी एस चीज या कुछ भी लगाई जाए, लेकिन ये आंकड़े भयावह हैं। These are alarming. भयावह अलार्मिंग, बात बराबर-सी है। इतना हिन्दी अनुवाद होना मुश्किल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Anti-Corruption; The statement of cognisable crimes registered and that disposed by anti-corruption/vigilance Departments of States. 2014 का ही पढ़कर बता रहा हूं, यह सारी रिपोर्ट उसी के सम्बन्ध में है। Cases are pending for investigation from previous year. At the beginning of the year, Rajasthan is the highest, 1,578. बाकी हजार के आंकड़े में भी नहीं है। लेकिन इसमें मैं बधाई देना चाहता हूं, इसका दूसरा पहलू है। वे आंकड़े तो यह दिखाते थे कि गड़बड़-गड़बड़ है। इसमें कम से कम ए सी बी काम कर रही है। यह मैं इस विभाग को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं, वरना यह आंकड़ा नहीं आता। इसके बाद जो नये केस रजिस्टर्ड हुए, वे 503 ही हुए इस साल में। वह जरूर कमी हुई है। बाकी स्टेट्स में 1,316 हुए हैं, 562 हुए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें ...(व्यवधान) बिलकुल हुआ है, साहब। इसमें तो बहुत सुधार होने की जरूरत है। यह जो आंकड़ा है, 503 ही रजिस्टर्ड हुए हैं एक साल में, यह तो हजारों में पहुंचना चाहिए।

एक और बहुत बड़ा, पिछली दफा भी मैंने कहा था और जब-जब मैं इनकी वह उठाकर देखता हूं; माननीय गृह मंत्री महोदय, आपने पिछली दफा भी जवाब में कहा था; अदम वकुवा एफ आर, अदम वकुवा एफ आर का है, अब मैं उसका cases in which FR submitted as false. यह एक फिगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं। पुलिस विभाग भी इसका कारण आपको बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान है 46 हजार 794 । बाकी इससे नजदीक आने वाला पूरे भारतवर्ष में हरियाणा है, जिसमें है 7 हजार 437 । 46 हजार 794, उसके बाद इससे जो नीचे वाला आंकड़ा है, वह है, हरियाणा, 7 हजार 437 । बाकी तो सारे ही कम हैं। किसी में 2 हजार है, तैलंगाना में 6 हजार है। बाकी सब में 5 हजार, हजार, 2 हजार का आंकड़ा है। यह अदम वकुवा एफ आर है। हमारे अकेले राजस्थान में 46 हजार हैं। मेरी जितनी जानकारी थी, उसमें यह आंकड़ा मेरे समझ में नहीं बैठ रहा कि कैसे क्या हो रहा है।

Cases in FR as mistake..

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): पुलिस की दाल खाई है। सुझाव सुझाओ आप, सुधार के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं तो बंद ही कर रहा हूं, साहब।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): पुलिस की दाल खाई है, तो आप पुलिस प्रणाली में सुधार के सुझाव दो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सदस्य, मुझे राजस्थान पुलिस पर इतना गर्व है। राजस्थान पुलिस ने इस पूरे देश को ऐसे-ऐसे अधिकारी दिये हैं, पूरे देश को उन पर मान है। पहले आई पी एस शहीद हुए थे पूरे हिन्दुस्तान में, वह जोधपुर में ताराचंदजी हुए थे। राजस्थान पुलिस पर हमारे बड़ा गर्व है। लेकिन ये आंकड़े पुलिस की गड़बड़ी बताने के लिए नहीं थे। इन दिनों पुलिस की जो घटती हुई साख है, कुछ चीजों को लेकर पुलिस पर जो बट्टा लगा है मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, वह सब को पता है, पूरा देश देखता है। उसका अफसोस होता है मेरे को।

मैं अब एक या दो मिनट से ज्यादा बिलकुल नहीं लूंगा। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, cases in FR as mistake of the fact or of law submitted. राजस्थान में 22 हजार 254 । अलार्मिंग है, साहब।

किडनेपिंग, जयपुर शहर, हमारी राजधानी पिंकसिटी, जिस पर हमको गर्व है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 653 इंसिडेंट्स हुई हैं; 21.2 percent in the crime rate. जयपुर शहर की बता रहा हूं। हमसे ऊपर अगर क्राइम रेट किसी और की है, मेट्रो छोड़ दीजिएगा, दिल्ली 36 है। ...(व्यवधान)..साहब, यह रिपीट नहीं हो रहा है। यह अलग-अलग आंकड़ा है और अलग-अलग टेबल हैं। वह आपकी समझ में फर्क अलग है। मैं जिनको मुखातिब होकर बोल रहा हूं, उन सबको पता है, यह चीज क्या है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत ही बोल सकता हूं सबको।

मेरा सिर्फ इतना-सा निवेदन है, मैं बाकी इन सारे आंकड़ों में जाऊं, उससे मतलब नहीं है। मैं जो उजागर करना चाहता था, वह सिर्फ इतना उजागर करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री महोदय, आप बहुत ही नेक और सज्जन इंसान हैं, हम सब इस बात को जानते हैं; आपका जो महकमा है उस पर भी हमें नाज है, बात सिर्फ यह है कि हमारे को उस महकमे को और बल देना चाहिए। जो हमारी पोस्ट खाली हैं, हमारे पास लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया है। जब लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया है, जब संसाधन ही नहीं होंगे, जब वे ही नहीं होंगे, तो हम कैसे कवर कर सकते हैं? उन सारी चीजों पर आप

(श्री नवीन पिलानिया)

ध्यान दीजिएगा। आगे के लिए भी उसमें जो सुधार हो सकें, वह निश्चित तौर पर, मैं जानता हूं, आप करना चाहेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और पूरे सदन ने मेरा सहयोग दिया। बहुत–बहुत धन्यवाद, सर।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर, मांग संख्या 16 पर 84 माननीय सदस्यों ने 271 कटौती प्रस्ताव पेश किये; मांग संख्या 17-कारागार में 51 लोगों ने 111 कट मोशन मुझे दिये हैं, यहां सदन में आये हैं। मैं एक तो आपको आश्वस्त करता हूं कि कल शाम तक इन सबका, प्रत्येक कट मोशन का जवाब मेरा विभाग आप तक निश्चित रूप से पहुंचा देगा।

माननीय आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस गम्भीरता से इस विषय को लिया और जैसे 14 में मैंने ही राजस्थान को पहले नम्बर पर पहुंचा दिया, दूसरे पर पहुंचा दिया; इतना जोर से बोले, जैसे कोई चमत्कार मैंने ही किया और इसके कारण से राजस्थान यहां पहुंच गया। मैं आपके ज्ञान के लिए, आपके पास फिगर हैं, तो मैं भी यहां कोई खाली लौटकर नहीं आया हूं। अगर आप चाहो तो मैं आपकी पूरी की पूरी, 11 से लेकर, जन्मपत्री बता सकता हूं कि यह अपराध केवल, और केवल, 2014 में नहीं हुए हैं। यह क्राइम रिपोर्ट लास्ट 2014 की अभी आई है जिसको आप पढ़ रहे हो। महिला अत्याचार, 2011 राजस्थान चौथे स्थान पर था, 2012 में भी चौथे स्थान पर था, 2013 में भी चौथे स्थान पर था। अब की बार निश्चित रूप से यह तीसरे स्थान पर आया है। इसको मैं नकार नहीं रहा।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूं कि आपने जो एक-एक शब्द यहां बोला है, मैं इसको अपने पास लेकर, अपने सारे अधिकारियों के साथ बैठकर, जो भी विषय आपने उठाये हैं, उन पर चर्चा करके, उनका निस्तारण करने का, जितनी मुझमें समझ है, उसको मैं निस्तारण करने का प्रयत्न करूंगा। आप में से कोई भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अपराध के बारे में अगर आपको लगे कि कार्यवाही करने में कहीं कमी-खामी है, तो निश्चित रूप से मैं जितना प्रयत्न कर सकता हूं उतना प्रयत्न मैं निश्चित रूप से करूंगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बलात्कार के बारे में भी जो बताया, 2011 में भी इसी क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान चौथे स्थान पर था। फिर उसके बाद 2012 में दूसरे स्थान पर आ गया। उसके बाद 2013 में भी दूसरे स्थान पर और आज भी दूसरे स्थान पर है। मैंने जादू का डंडा नहीं घुमाया कि मेरे पग फेरे से ही कोई राजस्थान महिला क्राइम में आसमान छू गया हो और सारा पाप मैंने ही कर डाला हो। आप इतने जोर से बोले, अगर आपको थोड़ा-सा भी यह आता, अपनी जन्मपत्री पुरानी से पढ़ना शुरू करते, तो कम से कम सदन को समझ में आता कि अपराध क्या है और क्या नहीं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, आप व्यक्तिगत ले रहे हैं। मैंने केवल 2014 का आंकड़ा बताया। आप मेरी जन्मपत्री की बात कर रहे हैं। कौनसी मेरी जन्मपत्री की बात? मैं कभी सत्ता में रहा नहीं। मैंने केवल 2014 के आंकड़े बताये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, है। इसको कोई नकार नहीं सकता। यह क्राइम रिपोर्ट है और यह डाक्यूमेंट है। इसमें न मैं बदल सकता हूं, न आप बदल सकते हैं। जहां भी राजस्थान स्टैण्ड कर रहा है, वह आपके, मेरे, सबके लिये चिंता का विषय है। उसका हल निकालने के लिए आपको, हमको, सबको मिलकर प्रयत्न करना है, ताकि हम इस कलंक से बच सकें, या इसको जितना कम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। लेकिन आप तो इतना जोर से बोले, जैसे लगा कि कोई हौआ हो गया; मतलब, ऐसा हो गया कि यह 2014 ही आसमान से पड़ा और धरती पर अटक गया।

इतना समय नहीं है, बाकी तो ऐसी बात नहीं है, मैं यह सब जानता हूं कि कौन-कौन सा विषय उठेगा और कब-कब उठ सकता है। मैं अपनी तैयारी करके आता हूं। ऐसे आधी-अधूरी बात लेकर के नहीं आता हूं।

आप माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं। मैं इसको पक्ष और विपक्ष में नहीं लेता हूं। अगर हमारी पुलिस का काम सुधरे, इसके लिए राजस्थान की जनता में एक विश्वास और एक कांफिडेंस पैदा हो, अब इस कांफिडेंस को पैदा करने के लिए आप और मुझे, दोनों को प्रयत्न करना पड़ेगा। आप जब उधर भाषण देते हैं, या हम उधर भाषण देते हैं, हम सब लोग तर्क-वितर्क करते हैं; हम समस्या के समाधान पर जाना नहीं चाहते कि हम समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं और कहां-कहां कमी है, जिस कमी के आधार पर हम अपनी पुलिस को ताकत दे सकें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अब आपने तो सारी रामायण हमारी पढ़ दी। यहां राजस्थान में नौ बार आपने राज किया। हमने तो पांच बार ही किया है। यह पहली बार बलात्कारी मैंने पैदा किया क्या? जिसकी कहानियां आप बता-बताकर बता रहे हैं, जैसे कोई पहली बार कोई चमत्कारी हुआ होगा और शायद पहली बार ही सीकर की बच्ची के साथ घटना हो गई होगी। ऐसा मत करो। अगर उसमें कोई कमी-खामी रही, वह बात मैं उनकी मानता हूं, जो वहां से माननीय सदस्य ने कहा, कि निश्चित रूप से वे एक थाने पर गये, रिपोर्ट दर्ज नहीं की; उसको दूसरे थाने पर टरकाया। हमें जैसे ही उसका पता लगा, हमने उनके खिलाफ कार्रवाही की है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको बख्शा है। लेकिन हो सकता है, गलती हुई होगी, उस गलती का दण्ड दिया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है।

इसलिए मैं माननीय सदस्यों को, वर्ड-टू-वर्ड, आज की प्रोसीडिंग्स को, मैं आपके बताये हुए कागज को अपने पास रखकर, जो भी मुझसे प्रयत्न हो सकता है, वह मैं प्रयत्न करके कोशिश करूंगा। राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करने के लिए, पूरा प्रयत्न मैं और मेरा पूरा पुलिस बल, इस बात के लिए, जितना सम्भव हो सकेगा, हम इन अपराधों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे।

अब आप इस सारी कहानी को तो इतने अच्छे तरीके से बताते हों; हम स्टैण्ड कहां कर रहे हैं, इसके बारे में भी तो विचार करना चाहिये ना। राजस्थान भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल का राज्य है। हमारे यहां 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में हमारा क्षेत्र है और हमारी अन्तरराष्ट्रीय सीमा 1,040 किलोमीटर है। अब हमारे पुलिस बल की क्या स्थिति है? सौ वर्ग किलोमीटर में भारत की पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, वह 52 है, और हमारे सौ वर्ग किलोमीटर में स्ट्रेंथ है, वह 23 है। अब इसका दोषी आप मुझको बताओ, मैं आपको बताऊं, पर जितना जेब में पैसा होगा, उतना ही तो डालूंगा। आप तो एक ही दिन में कहो, चमत्कार कर दो कल, तो क्या मैं चमत्कार करके 52 लोगों को लगा सकूंगा? वह बात कहें, जिसमें सम्भव हो सकता है। जितने कदम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए तो प्रयत्न कर सकता हूं।

अब एक लाख जनसंख्या पर जो पुलिस बल है, वह राजस्थान का 115 है, और हिन्दुस्तान का 136 है, लाख की पापुलेशन के आधार पर। हमारा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्षेत्र ज्यादा होने के कारण से है। फिर भी हम देश में 28 राज्यों में से 23वें स्थान पर स्टैण्ड कर रहे हैं, हमारी एक लाख की पापुलेशन पर पुलिस की संख्या के आधार पर। पहले वाले में हम 27वें पायदान पर थे, 28 में से।

अब हम अगर दुनिया के देशों से तुलना करते हैं, तो हम कहां स्टैण्ड कर रहे हैं? पर हमारे रिसोर्सेज कम हैं। हम उनसे मुकाबला कब कर सकेंगे, जब हमारी जेब में भी तो पैसा होगा, तब। अब अमेरिका का 229 है, जर्मनी का 299 है, फ्रांस का 390 है, इटली का 411 है। अब आप उससे तुलना करो क्राइम की कि राजस्थान में क्राइम कम और ज्यादा है।

तो एक दिन में यह चमत्कार सम्भव नहीं है। जितना हमारे पास साधन है, उस साधन के आधार पर हम करने का प्रयास करेंगे।

अब मैं केवल आपको यह बताता हूं कि अगर आप तुलना करो तो आप उस बात से करो कि वास्तव में हमने क्या इस डिपार्टमेंट को दिया है। 2009 से लेकर 2013 तक कांग्रेस का राज रहा, पांच वर्षों तक, सारा मिलाकर कांग्रेस ने जो बजट दिया, प्लान बजट, पुलिस को, वह 13,003 करोड़ रुपया दिया। पूरा पांच साल का 13,003 करोड़ रुपया आपने प्लान में दिया, और हमने मात्र इस 2015 में, यह जो हमारा बजट है, इसमें हमने दे दिया 12,976 करोड़ रुपया। आपसे केवल 29 करोड़ रुपया कम है। आपके पांच साल, हमारा यह साल। तो ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है।

मैं तो अब आपकी तुलना नहीं करना चाहता हूं। पर वास्तव में जब आपने 2013-14 में बजट छोड़ा था, 13-14 में लास्ट के तीन महीने में, उस समय राजस्थान का पुलिस का प्लान बजट था 3,361 करोड़। हमने आते ही 2014 में 4,057 करोड़ रुपया, अप किया। यह हमने पुलिस पर किया। तो हमारी प्रायोरिटी है। निश्चित रूप से आज की आवश्यकता के अनुसार अपने बजट को बढ़ाने के लिए, 2013 से 2014 में जो बजट बढ़ाया, वह 31 प्रतिशत पुलिस का बजट बढ़ाया। इसका मतलब, हमारी मंशा है कि हम इसको स्ट्रेंथन कैसे करें। उसके आधार पर हमने प्रयत्न शुरू किया।

अब अपराध की कमी के बारे में न तो मैंने आंकड़े बनाये हैं और न मैंने कुछ किया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कम्पेरिजन करें, तो पूरी जन्मपत्री का करें। तब आपको समझ में आयेगा कि वास्तव में कमी कहां है और कितनी चिंता करके इसको ठीक करने का प्रयत्न

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किया है। 2004 से 2008 तक मेरे पास ही यह विभाग था। उस समय 2004 में जो अपराध राजस्थान में थे, वे 1,54,859 थे। जब हमने राजस्थान से सरकार आपको सुपुर्द की 2008 में, उस समय राजस्थान का अपराध 1,51,000 था। इसका मतलब, हमने जो आपको सुपुर्द किया, उसके बाद भी, पांच साल लगातार रहने के बाद भी, हमने अपराध में कमी की; 1,51,000 और आपका 1,54,000 ।

उसके बाद आपका आया। अब यह जो आपका, हमने इसका भी आंकड़ा निकाला है कि यह जो 2004 में था, जो अपराध की हमारी संख्या थी, उसके आधार पर, एक लाख की पापुलेशन के आधार पर, राजस्थान में अपराध कितना आता है; तो उस समय हमारा 2004 में 303 आया। 2008 में आया था, संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, और उस एक लाख की आबादी पर राजस्थान का जो क्राइम आया, वह 282 आया। अर्थात् प्रति लाख 303 पर हमने लिया, उसको हम घटा करके 282 पर लाये। इसका मतलब, हम प्रति-लाख कुछ कम किया।

उसके बाद 2009 से 2013 आपकी सरकार रही। मैं केवल कह करके आपको डाक में खड़ा नहीं करना चाहता हूं। मैं उस स्वभाव का आदमी नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिल करके, कैसे व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में चिंता करें। एक-दूसरे पर पत्थर फैंकने से, कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगेगा लेकिन उस जनता को क्या मिलेगा, जो हमारे से और आपसे, दोनों से कुछ उम्मीद लेकर बैठी है। अब 2009 से 2013 में, इस अवधि में आपकी अपराध दर एक लाख पर 391 आई है। हमने आपको कितने पर दिया, 282 प्रति लाख पर। आपके टाइम पर यह अपराध 391 पर आ गया। 2009 से लेकर 2013 में अपराधों में वृद्धि, जो हमने आपको 1,51,174 पर छोड़ा था, आपने राजस्थान का अपराध 1,96,224 पर छोड़ा है। 1,51,000 पर हमने आपको सुपुर्द किया, आपने 1,96,000 पर अपराध का आंकड़ा बढ़ा करके दिया, 2014 में।

अपराध निश्चित रूप से बढ़ा है, 2013 से अपराध 2014 में बढ़ा। 2012 से 2013 में अपराध आपके समय में बढ़ा था 14.7 प्रतिशत। आपका ही शासन था 2012 से 2013, 2013 से हमने आपके पास लिया, पर 2014 में भी अपराध बढ़ा है, लेकिन अपराध के बढ़ने का जो ग्राफ था 14 प्रतिशत का, वह घट करके 7.2 प्रतिशत पर आया है। इसका मतलब, कुछ कम करने में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हम सफल हुए। जिस रेट से, जिस गति से अपराध बढ़ रहा था, उसको हमने थोड़ा-सा चैक किया। उस चैक करने के आधार पर यह हुआ।

यह जो आपने 2014 में हमको 391 पर सुपुर्द किया, अभी 2015 में यह हमारा अपराध प्रति-लाख पर 375 आया है। जो आपने 391 पर सुपुर्द किया, उसको हमने दो साल में एक लाख की पापुलेशन के आधार पर 375 पर लाकर के खड़ा किया। मैं यह सब आंकड़े लेकर आया हूं।

अब आई.पी.सी. के अपराध के बारे में, मैं कोई यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन आप बार-बार उस बात को बता रहे हैं। मैंने कहा न, जैसे 2012 से 2013 में अपराध 14.78 परसेंट बढ़ा, हमारे टाइम पर भी बढ़ा, 7.2 बढ़ा और अभी माइनस हुआ है। वर्ष 2014-2015 में अपराध हुआ माइनस-5.8, यह कोई मैंने एक दिन में तो नहीं कहा थानों पर कि तुम इसको, आंकड़े ठीक मिला दो, मुझे वहां जाकर जवाब देना है। अगर ये बढ़े हुए आते, तो भी बताता। लेकिन केवल उसकी छीछालेदर करने से, यह अपराध हो रहा है, इसमें कोई दो-राय नहीं है और यह इस आधार पर मैं किसी अपराधी को बचाना चाहता हूं, यह भी मेरी कोई मंशा नहीं है। अपराध हुआ है, अपराध हो रहा है, आगे भी होगा; कोई यह नहीं कह सकता कि कल के बाद, चूंकि अब मैं आ गया हूं, अब कोई अपराध राजस्थान में नहीं होगा। भगवान राम ही नहीं कह सके, तो मैं क्या कह सकता हूं! मैं कहां से कह सकता हूं! लेकिन आप उसको बार-बार चुटकियां ले-लेकर, बार-बार चुटकियां ले-लेकर, जिस ढंग से आप इस बात को घूमा रहे थे, उसके कारण से मुझे आपको कहना पड़ा।

सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध। निश्चित रूप से राजस्थान का सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध पर जो काबू होना चाहिए, जिस तेज गति से, वह नहीं है। इसको कोई अदरवाइज मैं नहीं ले रहा हूं, निश्चित रूप से है, लेकिन यह जो अपराध है, यह आप इसको देखेंगे, तो अपराधों में 2013 में 74 प्रतिशत चालान हुआ था, सेवंटी-फोर; 2013 में पाइंट 8; जबकि 2014 में हमारा यह चालानी परसेंटेज बढ़ा, 76.21 हुआ, थोड़ा-सा बढ़ा, लेकिन 2015 में, वापस नीचे घटा है, वापस 74 पाइंट हो गया। इसका मतलब जो 2013 में चालानी परसेंटेज था, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध, जिसमें यह सब डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी, इन सबको मैं मिलाकर आपको बता रहा हूं और उसके कारण से बढ़ा है। बरामदगी प्रतिशत में भी ऐसा ही है। बरामदगी प्रतिशत 2013 में 50 प्रतिशत था, 50.68; जो 2014 में हुआ 54.67, बरामदगी परसेंटेज 4.6 बढ़ा है और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसके बाद 2015 में वापस घटा है लेकिन आपके 50 से 52.14 हुआ है। इसका मतलब, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध, इसमें कोई दो-राय नहीं कि आप जो कह रहे हैं, चोरी में जो है न 18 परसेंट चालान है, यह है, सच है। जो है, उसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन केवल इसके कारण से ही आप अपने भाषण को तेज धार लगाओ, यह उचित नहीं है। केवल धार लगाने के लिए ही लगाना चाहें, तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।

महिला अत्याचार की दृष्टि से, निश्चित रूप से आपका, मेरा और राजस्थान की जनता को भी इस बात का दु:ख होगा, आपकी बात, आपकी 2014 की रिपोर्ट सुनकर के, लेकिन लगातार राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से आल इंडिया क्राइम रिपोर्ट में जरूर अपना स्थान चौथा-तीसरा-दूसरा, चौथा-तीसरा-दूसरा बनाये हुए है। लेकिन हमने प्रयत्न किया है और प्रयत्न किया, तो 2012-2013 में महिला अपराध राजस्थान में जो बढ़ा था वह 32.65 परसेंट के हिसाब से, 2012 से 2013 में महिला अपराध बढ़ा 32.65 । इसको हमने थोड़ा-सा कम करने का प्रयास किया। 2013-2014 में यह घटकर के, जिस गति से बढ़ रहा था, वह हम 10.3 पर लाये। घटा है। बढ़ा तो है अपराध निश्चित रूप से लेकिन जिस गति से बढ़ रहा था, 32 प्रतिशत से, उसको हम 10 प्रतिशत पर लाये हैं। उसके बाद यह आपके और मेरे लिए और राजस्थान की जनता के लिए, मैं यह कह सकता हूं, यह सुखद वर्ष है कि अबकी बार महिला अपराध राजस्थान में माइनस, 9.55 हुआ है। अभी भी हम लिस्ट में कहा स्टेंड करेंगे, यह तो 2015 की जब क्राइम रिपोर्ट आएगी, उस समय बनेगा, लेकिन प्रयत्न किया कि इस अपराध को हम किस तरह से कम कर सकें। यह हमारे लिए भी एक दु:खद है।

इसी तरह से आपने एस.सी., एस.टी. अत्याचार के बारे में, यानी 2012 से 2013 में अपराध जो एस.सी.,-एस.टी. में बढ़ा है, वह 17.45 प्रतिशत के हिसाब से; 2013-2014 में भी बढ़ा है, लेकिन बढ़ने की रेट केवल 3.6 पर आई है; अर्थात्, जिस गति से पहले बढ़ा था, उसको थोड़ा-सा नीचे लाने में सफल हुए हैं और अबकी बार बहुत सुखद होगा कि एस.सी.-एस.टी. अपराध में माइनस-13 परसेंट राजस्थान का अपराध आया है। इसका मतलब, आखिर मेरी टीम ने कुछ न कुछ तो काम करने का प्रयत्न किया, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसको ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी हमें तो

(श्री रमेश)

यह बताएं कि अपराध कैसे कम होगा? आंकड़े मान लिये, आंकड़े तो और भी कम कर दोगे, लेकिन 26 जनवरी जैसे गणतंत्र दिवस के मौके पर इस जयपुर जैसी जगह में बलात्कार हो जाए, 26 जनवरी को, यह गम्भीर दु:खद घटना है। ऐसे अपराध हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि सुखद बात है। क्या सुखद बात है?

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आप नीचे विराजो। आपको बोलने का मौका दे दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): क्या करते हो। मेरी बात मैं कह नहीं सकता क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, 26 तारीख को राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आपको पहले बोलने का मौका दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप वैसे प्रतिपक्ष के उप नेता भी हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने आपसे पूछ कर ही, परमिशन ली थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने परमिशन दे दी थी? मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से जो अपराध हुआ, वह घृणित है, शर्मनाक है और अगर आपको यह लगे, मैं आपको अपना जज बनाता हूं, उसके कारण से आप मुझे कठघरे में खड़ा करना चाहते हो, तो मैं खड़ा होने को तैयार हूं। अगर मेरे कारण से ही हुआ हो, तो जो सज़ा आप देना चाहो, उसको मैं लेने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं आपसे यह नहीं कह रहा। मैं अपराध कम करने की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): चलिए, आप दोनों चीजों का अन्तर करो।

आई.पी.सी. के अपराध घटे हैं, यह प्रदेश के लिए अच्छा है लेकिन जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्थानीय और विशेष अधिनियम के केसेज हैं, वे अगर बढ़ेंगे, तो क्राइम पर कंट्रोल होता है। उसके बढ़ने के कारण से नुकसान नहीं होता है। उनके आधार पर हम, अब उनमें कौनसा आता है, एक्साइज एक्ट आता है, जुआ एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, एन.डी.पी.एस. एक्ट आता है, एक्सप्लोसिव्स एक्ट आता है, पी.सी. एक्ट आता है और अन्य एक्ट आते हैं, ये सभी स्थानीय हैं। इन स्थानीय में भी 2012-2013 में वृद्धि ज्यादा होनी चाहिए थी सामान्यतः, लेकिन पिछली सरकार में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मतलब, स्थानीय अधिनियम के तहत पुलिस को जो कार्रवाही करनी चाहिए थी, वह मुस्तैदी के साथ नहीं हुई। वापस 2013 और 2014, जिसमें आप और हम दोनों सम्मिलित हैं, तब स्थानीय अधिनियम में माइनस 6 हो गया जबकि स्थानीय अधिनियम में कार्रवाही तो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। इस बार 2014-2015 में स्थानीय अधिनियम में प्लस-20, 20 प्रतिशत हमने अधिक कार्यवाही की। कौन-कौन से हैड में, जो मैंने अभी गिने हैं। इसका मतलब, पुलिस ने कुछ इस प्रकार के अपराधियों को रोकने के लिए प्रयत्न किया, तब ही तो 20 परसेंट की बढ़ोतरी आई है।

अब निरोधात्मक कार्रवाही, आप उस निरोधात्मक कार्रवाही को भी रमेशजी जोड़कर बता रहे थे कि अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। बढ़ना चाहिए। निरोधात्मक कार्रवाही जितनी बढ़ेगी, उतना ही अपराध पर, आई.पी.सी. अपराध पर कंट्रोल होगा। उसके लिए आवश्यक है। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 107 है, 109 है, 110 है, 122 है, 133 है, 145 है, यह सारे में जो कार्यवाही होती है, वह निरोधात्मक कार्यवाही है। अब इस निरोधात्मक कार्यवाही में 2012 -2013 में, निरोधात्मक कार्यवाही में आपकी वृद्धि हुई थी प्लस-13.8, वृद्धि हुई है 2012-2013 में 13.8, उसके बाद 2013-2014, जब आपका आधा और आधा हमारा, उसमें प्लस-16 हुआ और अबकी बार फिर हमने प्लस-12 और किया, 16 प्लस 12। इसका मतलब, हमने इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया है।

इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि यह 'पासा' एक्ट के तहत, ये जो आदतन अपराधी हैं, अगर वास्तव में काबू करना है तो इन आदतन अपराधियों को इस 'पासा' एक्ट की जो ताकत पुलिस को मिली है, उसके तहत अन्दर डालना होगा, ये जो निरन्तर अपराध करने में शरीक होते हैं। अब आपने पूरे समय में 27 केस केवल 'पासा' के बनाये और हमने अभी केवल 2 साल में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

33 केस बना दिये और 7 अभी पाइपलाइन में हैं, जो दस-पांच दिन में अन्दर जाएंगे। इसका मतलब, हमने अपराधियों को ढूंढ कर डालने का प्रयत्न किया है, 'पासा' एक्ट के तहत।

अब यही नहीं है। पुलिस ने जो अच्छा काम किया, मैं यह चाहता हूं कि आप में से, जो कमी रह जाती है, वह गिनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, पर जो अच्छा किया है, उसके लिए पुलिस को, कम से कम उसकी तारीफ भी करो न। जिस पुलिस को हमें काम में लेना है, उसके अच्छे काम की तारीफ करो, उसकी कमियों को आप उजागर करो, ताकि उसको यह लगे कि मुझको इसमें ठीक करना है।

आपने देखा होगा कि अब यह जो आई.एस.आई. की गतिविधि में सुराजुद्दीन यहां जयपुर में, जिस ढंग से एक्टिविटीज कर रहा था, यह कोई आज का है क्या? यह तो कई सालों से है न। लेकिन हमारी पुलिस ने जो भी उसके पास साधन थे, उन साधनों से उस तक पहुंचकर उसको जेल पहुंचा दिया न। जो देशद्रोही एक्टिविटीज में, इतने बड़े पद पर रहकर, यहां आफिसर रहकर जो कार्यवाही कर रहा था, उसको हमने कसा है, उसको किया है।

अब सिरोही में 20 लाख की जो लूट हुई है, उसको हमने पकड़ा है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। करौली-हिण्डौन, जो आपका ही क्षेत्र है, यानी तिहरा हत्याकांड हुआ था, उस तिहरे हत्याकांड के मुलजिमों को पकड़कर जेल में डाला है न। कोशिश तो की है न। किसी न किसी ने तो की होगी।

यह जो गौरांग साहब हैं, आर.पी.एस.सी. का चेयरमैन किसने बनाया, आपने ही बनाया था न। आर.पी.एस.सी. का चेयरमैन, जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया था, वह केवल अपनी लड़की को आर.ए.एस. की परीक्षा पास कराने के लिए अहमदाबाद जाकर पेपर की कापी लेकर आये। उसके कारण से उस पर मुकदमा बनाया। यह पहली बार जो कार्यवाही की है न, उसके लिए पुलिस को आपको धन्यवाद देना चाहिये कि इतने बड़े अधिकारी को पकड़ने की कोशिश की है।

जिला अलवर में यह जो बालक को छुड़ाया, इसके बारे में आया। फर्जी डिग्री का जो इतना बड़ा रैकेट निकला, उस रैकेट को खोलकर किया। बेरोजगार युवकों को झांसा देकर जो पैसे ठगने का धंधा चल रहा था इतने लम्बे समय से, उसके अभियुक्त को पकड़ा। आपने देखा होगा, यह जो कनिष्ठ लेखाकार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की परीक्षा हुई थी, राजस्व लेखाकार परीक्षा में, इसमें नकल कराने वाले गिरोह को पकड़ा और वह भी नाकाबंदी में पकड़ में आया।

भारत निर्माण योजना के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि पद की भर्ती कराने में जो ठगी हुई, अन्तरराष्ट्रीय गिरोह द्वारा ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ प्राप्त परिवाद की जांच कर अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र श्री सुंदर कुमार, निवासी 615/4, यह गुडगांव से, हरियाणा से पकड़ कर लाये। राजस्थान की पुलिस को शाबाशी देनी चाहिये कि अभियुक्त को पकड़ने के लिए हरियाणा में हमारे 200 पुलिस और 600 वहां की लोकल पुलिस को लेकर, उस गांव में पहली बार रेड करके पकड़कर लाये। उसके कारण से, सारी की सारी जितनी हाइवे की रोबरी हुई थीं, उस एक आदमी से खुली थीं।

कम से कम दो अच्छे शब्द तो कह दिया करो। थोड़ा उसकी भी हिम्मत बढ़ती है कि हमने काम किया। आप आलोचना करिये, कोई हर्ज नहीं, हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को निभाएं, लेकिन इतना न निभाएं कि पुलिस का मोरल तोड़ दें हम। कोई अच्छा काम करते हैं तो दो शब्द भी हैं कहने के लिए।

हमने अपनी पुलिस के लिए कुछ प्राथमिकताएं भी बनाई हैं। हमने कहा कि जितने भी हार्डकोर अपराधी हैं, इन पर हम शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कइयों को तो पकड़कर डाला है; कुछ और प्रयत्न करेंगे।

यह जो सामुदायिक पुलिस योजना है, जिसमें सभी प्रकार के समाज को जोड़कर हम पुलिसिंग को कैसे प्रभावी करें, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। यह महिला, बालक और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों में बहु-आयामी उन्मूलन का काम हम चला रहे हैं।

सड़क दुर्घटना में, जो बहुत ही दु:खद है, क्योंकि हमारे मर्डर तो 1,200 होते हैं लेकिन साल में हमारे यहां एक्सिडेंट से मरने वालों की संख्या 10 हजार के आस-पास जाती है। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने इस विषय को गम्भीरता से लेकर हम तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, जिसमें मैं भी हूं, युनूसजी भी हैं और एक मंत्री राजेन्द्रजी भी हैं, और कहा कि इस एक्सिडेंट्स को कैसे रोकें हम, इसके लिए आप कोई न कोई प्रयत्न करो, जिसके कारण हम उन उजड़ने वाले घरों को किसी तरह से बचा सकें, जिनका कोई नहीं होता है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रशासनिक प्राथमिकता भी हमने तय की है। थाना और पुलिस लाइन प्रशासन का सुदृढ़ीकरण हो, क्योंकि थाने में जो 45 और 60 की स्ट्रेंथ हम बताते हैं, है नहीं वहां। हम आंकड़ों में ही चल रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से थाना और हमारी जितनी पुलिस की फोर्स है, वह हमें निश्चित जगह पर तैयार करनी पड़ेगी और उनको थोड़ा प्रशिक्षण देकर मजबूती से भी खड़ा करना पड़ेगा। प्रशिक्षण क्षमता जब तक नहीं बढ़ेगी, अगर पुलिस शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है, तो क्या पुलिसिंग करेगा? और इसके कारण से इसके अपराध प्रबन्धन में नवीन तकनीक को हम आधार बनाकर, उसका उपयोग करने का प्रयत्न, यह हमने पुलिस प्राथमिकता में तय किया है। इस पुलिस प्राथमिकता के आधार पर सूचनाओं का संकलन करने के लिए प्रयत्न किया है।

अभी हमने सोचा है कि आनलाइन एफ आई आर लेने के लिए भी एक बार कहीं प्रयोग करके इसको देखें कि इसमें हम कहां तक सफल होते हैं, कितने होते हैं। प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें भी हम कर पाएं।

साम्प्रदायिक स्थिति राजस्थान की लगभग वैसी की वैसी चल रही है। अब दो संख्या ज्यादा हो गयी, कम हो गयी, उसको गिनाकर मैं आपको कुछ कहूं, या मुझे कोई कहे, उसका कोई अर्थ नहीं है।

हमने नवाचार करने का प्रयत्न किया है। पहली बार जन सुनवाई के लिए प्रत्येक एस.पी. को पाबन्द कर रखा है कि हमेशा अपने आफिस में 12.00 से लेकर 1.00 बजे तक कोई भी व्यक्ति आये, बिना किसी पर्ची के भी आकर, एस.पी. से भी मिल सकता है। अगर आप किसी समय दौरे पर जाओ तो आपके एडिशनल एस.पी. को उस जगह बिठाकर जाओ, ताकि हर व्यक्ति को यह पता रहे कि मैं इस दफ्तर में जाकर अपनी बात कह सकूंगा। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, एस.पी. से मिलना आसान है; मैं सवेरे बैठता हूं 9.00 बजे से 10.30 बजे तक, शाम को बैठता हूं 7.30 बजे से 8.00 बजे तक; पूरा दरवाजा वहां से लेकर यहां तक खुला रहता है, किसी को ना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस सच्चाई को मैं अभी स्वीकार करता हूं, अपने अधिकारियों के साथ भी शेयर करता हूं, हम में से कोई थाने पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसका यह कान्फिडेंस पैदा करना आपका, मेरा और पुलिस का धर्म है कि कोई भी व्यक्ति जो परेशान है, वह हिम्मत के साथ थाने पर जाकर अपनी बात को कह सके, इसमें अभी भी सफलता का जो हमको परसेंटेज मिलना चाहिये, वह नहीं मिला है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आत्म-रक्षा प्रशिक्षण के लिए हमने 40,689 बच्चियों का प्रशिक्षण कराया है, ताकि उन बच्चियों में यह कान्फिडेंस पैदा हो कि नहीं, हम भी अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकती हैं।

गश्त और नाकाबंदी की और जितने ये संगीन केस खुले हैं, अब आज कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि नाकाबंदी तो चौथ वसूली का काम है, लोगों को परेशान करने का काम है, जिसको करना हो उसी का करो। अब यह कौन जानता है कि कौन तो सज्जन आ रहा है और कौन दुर्जन आ रहा है। मुझे तो रात को ढूंढना है। आप सज्जन हो तो प्रेम से चले जाओ, डरते काहे को हो? या तो आपके मन में कोई डर होगा कि पकड़े न जावें। तो ऐसे काम क्यों करें? उसके कारण से वास्तव में पुलिस ने जो नाकाबंदी की, उनमें हमें कई नाकाबंदी में सफलता मिली। यह ए टी एम चोर गिरोह जो पकड़ में आया, यह नाकाबंदी से ही आया है। जयपुर दक्षिण में जो अपहरण की घटना हुई, वह नाकाबंदी से खुला। जयपुर-उत्तर में कुख्यात अन्तराष्ट्रीय डकैत गिरोह के 6 सदस्य, जो गिरफ्तार हुए, वे इसी कारण से हुए।

यह नाकाबंदी जिले की भी है, यह नाकाबंदी प्रदेश की भी है। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर जिले में गोगुन्दा के पास जिस बच्चे को हमने पकड़ा था, वह नकल कराने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट कान में लगाकर रखता है और उसके आधार पर वह आगे से आगे पास-आन करता है। आसपुर में हत्या का जो प्रकरण दर्ज हुआ, वह पुलिस ने खोला है।

पहली बार, मैं यह कोई अभिमान से नहीं कह रहा हूं, पर मैंने पहले एक बार सम्भाग स्तर पर मेरे सारे अधिकारियों के साथ मिलकर, क्राइम की वस्तुस्थिति क्या है, मैंने उनके साथ मीटिंग की। क्योंकि पहले कम से कम मैं अपने घर को तो समझ लूं कि ये जो 861 थाने हैं, उनकी वर्किंग कैसी है, उस वर्किंग को कैसे सुधारा जा सकता है। केवल किसी को नीचा दिखाकर कभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। जो वह करता है, उसको थोड़ा पुश करके आगे बढ़ाने का अगर प्रयत्न करेंगे, तो कितना भी कमजोर आदमी होगा, आप और मैं तो पांच साल के ही मेहमान हैं न, ये 32 साल के हैं। काम तो इन्हीं से लेना है न। काम इन्हीं से लेना है, तो काम लेने के तरीकों को हमें समझना पड़ेगा और समझकर करेंगे, तो यही फोर्स काम करेगी, और अगर नहीं लेना चाहते, तो आपकी मर्जी है। हमारा तो टेम्परेरी काम है पांच-पांच साल का। कभी आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हो, कभी हम हैं, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, सम्भागवार बैठक की और पहला राउण्ड पूरे सातों सम्भागों में दोनों कमिश्नरेट का किया और उसके बाद 14 जिले, जिसमें तीन सम्भागों को, जिसमें आप जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर के, आपके आमने-सामने बिठाकर, मैंने पुलिस की वर्किग के बारे में, और वह भी कोई ऐसे नहीं, एक-एक थाने की वर्किंग, किस थाने में कौनसा क्राइम हो रहा है; थाने का हिसाब-किताब किधर जा रहा है; उसका हिसाब-किताब कैसा है; यह थाना इम्प्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, यह थानेदार कितने समय से है, इसकी हालत क्या है, और पहली बार हमने कार्य मूल्यांकन प्रणाली बनायी और उसमें थाने की भी बनायी, जिले की भी बनायी, सी.ओ. सर्कल की भी बनायी और उसके कारण से, आपने देखा कि 861 थाने हैं, हर महीने उनकी रैंकिंग लेते हैं। हर थाना यह देखता है कि मैं 645 नम्बर पर हूं, कभी वह 17 नम्बर पर है, कभी वह नीचे 721 पर जा रहा है, कभी कहां जा रहा है1 तो उसको यह लगता है कि मैं बहुत पीछे हूं, आगे बढ़ने का प्रयास करूं। उसके कारण से कई बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन हमको दिखाई दिये और सी.ओ. को भी काम्पीटिशन करना पड़ा कि 214 में मैं कहां स्टैण्ड कर रहा हूं; हमारे एस.पी. साहब को भी अपने आपको देखने का मौका मिले कि 40 एस.पी. हैं, मैं कौनसे स्थान पर स्टैण्ड कर रहा हूं। मैंने तीनों की मूल्यांकन प्रणाली बनाकर, आपने देखा होगा, कई इसमें जो कमजोर थे, यहां आपने देखा कि पुलिस की कार्य प्रणाली, यह थाना नंबर 12 – सदर थाना सूरसागर, यह जनवरी, 2015 में अन्तिम 100 थानों में था; मतलब, 761 से लेकर नीचे में था, लेकिन अभी इस 15 दिसम्बर को वह प्रथम 100 में आया है। जो लास्ट में 100 में थे, वह इस मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर उन्होंने इम्प्रूव किया और वे ऊपर के 100 की लिस्ट में आ गये। इसी तरह से हमारा चित्तौड़ जिला था, जो बहुत नीचे चल रहा था, जब इस मूल्यांकन के आधार पर वह काम्पीटिशन में आया, तो आज वह राजस्थान में पांचवें स्थान पर आ गया। इस तरह से एक-दूसरे में प्रतिस्पर्धा का काम प्रारम्भ हुआ है।

निरीक्षण के लिए भी हमने प्रयत्न किया है। अभी हमको, आपने जितना कहा, कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन फिर भी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रयत्न में आपने देखा होगा, केवल 9 महीने के आंकड़े मैं बता रहा हूं, अभी 12 महीने का है हमारा और उसमें 12 महीने के लक्ष्य में 42 जो हमारे एस.पी. हैं, दो हमारे जी.आर.पी. के भी हैं, उनको भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हम इसी में गिनते हैं, 34 पुलिस अधीक्षकों ने तथा 9 में से 6 रेंज महानिरीक्षक ने पुलिस आयोग के द्वारा मापदण्ड अनुसार निरीक्षण कार्य पूर्ण किये हैं। 42 एस.पी. में से 34 एस.पी. ने, 9 आई.जी. में से 6 आई.जी. ने अपना पूरा किया। बाकी जो बाकी हैं, वे भी तीन महीने में, और वह भी यह है कि लास्ट के तीन महीने के, लास्ट के तीन महीने का करने का क्या मतलब होगा, घास-कटी हो जायेगी। अगर हम ड्यूरेशन के आधार पर करेंगे, तो इम्प्रूव करने के चांसेज बनेंगे, कोई आप कमी निकालकर आओगे तो उसको हम सुधारेंगे और महानिरीक्षक के द्वारा भी इसकी बराबर मानिटरिंग हो रही है।

यह जो गुमशुदा की तलाश है, यह वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। वास्तव में जो बच्चे कहीं इधर-उधर हो जाते हैं, वे कैसे उनके मां-बाप तक पहुंचें और कैसे हम उसमें सफलता हासिल करें, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जुलाई, 2015 से चले 'आपरेशन मुस्कान' में राजस्थान में उत्साहवर्धक कार्य हुआ, जिसमें 373 गुमशुदा बच्चों को हमने तलाशा है और उन बच्चों को उनके मां-बाप तक पहुंचाने का काम किया है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने 2014 में 830 पुरुष और 2015 में 1,200 पुरुष, महिलाओं में 2014 में हमने 239 और 2015 में 388, नाबालिग लड़कों में 813 और 1,169, नाबालिग लड़कियों में 151 हमने 2014 में ढूंढीं और 2015 में 280 और इनमें से हमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, वह हमने 2014 में 478 किये थे और 839 लोगों को इस अपराध के एवज में हमने गिरफ्तार किया। अभी तक यह जो दो वर्षों में प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल गुमशुदा 23,060 नाबालिग बच्चों और व्यक्तियों में से हम 16,878 बच्चों को पुन: वापस ढूंढ पाये और उनको उनके परिवार तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है। हम भी सब चीजों की बराबर कर रहे हैं। इसके पीछे सारे आंकड़े, और लगे हुए हैं।

पेंडेंसी का निस्तारण, यह वास्तव में सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है कि उसकी पेंडेंसी कितनी है। इस पेंडेंसी पर पुलिस ने 2009 से, प्रारम्भ में कुल पेंडेंसी थी, 9,796 अभियोग पेंडिंग थे तथा पेंडेंसी प्रतिशत 2009 वाला, जब हमने आपको सुपुर्द किया था, 5.1 परसेंट पेंडेंसी थी। 2009 से 2013 में, जब आपने वापस इन पांच साल बाद हमको दिया, यह पेंडेंसी आपकी हो गयी 11 प्रतिशत और अभी इस दिसम्बर के बाद राजस्थान की पेंडेंसी है 8 प्रतिशत। इसका मतलब, हमने प्रयत्न करके इसको कम करने की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोशिश की है कि हम इसको कैसे कम करें। तो वास्तव में आज की तारीख में 8.6 पेंडेंसी है।

प्रशिक्षण जब तक मजबूत नहीं होगा, पुलिस की एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में हमने इस पर ध्यान देना कुछ कम कर दिया और इसके कारण से जो कुछ भी हमारा ट्रेनिंग का जितना प्रोग्राम है, जितनी मजबूती से चलना चाहिए, वह नहीं चल पाया।

अब मैं आपको थोड़ा-सा पढ़कर बताता हूं। यह जो आप में से कई लोगों ने तर्क दिया न, कि बच्चे तो 12 हजार सलेक्ट हो गये, बैठे हुए हैं, आप ले ही नहीं रहे हो; तो घर बैठे तनख्वाह दूंगा क्या? यह काम आप कर सकते हो। केवल मैं उनकी हाज़िरी ले लूं और मेरे पास यहां ट्रेनिंग कराने के लिए जगह ही नहीं हो, तो मैं उसे घर बैठे तनख्वाह चुकाऊंगा? यह कोई अक्लमंदी का काम होगा क्या? जो लड़का नौकरी पर लग रहा है, लग ही गया; वह आज नहीं आयेगा, आठ महीने बाद आ जायेगा, लेकिन मैं उसको खुश करने के लिए और राज़ी होने के लिए, उसे कहूं, तू तो आज ही भर्ती हो जा, तेरी तनख्वाह चालू। तो कौन देगा तनख्वाह? राजस्थान की सात करोड़ जनता देगी खून-पसीने के पैसे को? आपको और मेरे को अधिकार नहीं उसे बरबाद करने का।

आपने देखा होगा, आपने 2010 में जो ट्रेनिंग करायी, वह 8,006 कांस्टेबल को करायी; 2012 में करायी 10,633 कांस्टेबल। 2013 में आपने जो भर्ती की, उसका हमने यहां आकर करा। 2012 में आपने भर्ती का जो लिया, प्रशिक्षण थमता नहीं है हमारे यहां, क्योंकि आपने तो एक ही झटके में सब को लेने के लिए, पहले वाला भी ऐसा ही किया। आपने 2013 में 12 हजार लोग ले लिये और आपके प्रशिक्षण देने की कैपेसिटी चार हजार, साढ़े चार हजार। बाकी को बैठे-बैठे तनख्वाह चुकायी। हमारे यहां जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, वह थाने में लग नहीं सकता। उसकी नौकरी का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। हमने पहले इन 5 हजार का प्रशिक्षण दिया। 2013 में आपने जो भर्ती 12,187 की थी, इनमें से 3,918 को हमने पहली भर्ती में प्रारम्भ किया; वर्तमान में 8,260 प्रशिक्षणाधीन हैं। इसमें से 3,539 राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, जो हमारे पास कैपेसिटी है, उसमें कर रहे हैं और बाकी, यह राजस्थान में पहली बार किया होगा, यह डी.जी. साहब और इनकी टीम ने यह मेहनत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की। मैं बार-बार यह कहता था कि आखिर ये बच्चे सलैक्ट हो गये, यह बच्चा नौकरी चाहता है, क्या हम इनको कहीं और जगह ट्रेनिंग करा कर नौकरी के लिए नहीं ले सकते? हमारे इधर वैकेंसी है, हमको पुलिस की आवश्यकता है उधर बच्चा सलेक्ट होकर बैठा है लेकिन ट्रेनिंग के बिना वो लग नहीं सकता है, तो पहली बार आपने देखा है, 4,721 केन्द्रीय सशस्त्र पैरा मिलिटरी बल के विभिन्न आठ प्रशिक्षण संस्थानों में हमने इन बच्चों को भेज कर के हमारी ट्रेनिंग करा रहे हैं। शायद यह पहली बार आपने नाम सुना होगा। बी.एस.एफ. जोधपुर, 517 बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं; बी.एस.एफ., इन्दौर, 523 बच्चे कर रहे हैं; सी.आर.पी.एफ., नीमच, 509 बच्चे कर रहे हैं; सी.आर.पी.एफ., बहरोड़, 996 बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं; बी.एस.एफ., टेकनपुर 507 बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं, एस.एस.बी., भोपाल, 527 बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं; एस.एस.बी., गोरखपुर, 635 बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं और आई.टी.बी.पी. का पंचकुला है, वहां 507 बच्चे। इस तरह से हम इन बच्चों को, 4,721 बच्चों के लिए ट्रेनिंग की जगह ढूंढी, वहां हमने बात की और हम से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेकर के, बिना पैसे के इन्होंने हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने की स्वीकृति दी। यह कोई ऐसे नहीं है। हमने इसके लिए कोशिश की है कि किसी तरह से हमारे बच्चों को मिले।

यही नहीं, आपने देखा होगा, जो आपके पहले के पांच वर्ष थे, उन पांच वर्षों में आपने कितने इन-सर्विस को ट्रेनिंग करायी, 1,516, और हमने इन दो सालों में कितने लोगों को करायी, रिफ्रेशिंग कोर्स, जो आलरेडी सर्विस में हैं, वे 4,190 हैं। इसका मतलब, हमारा कहीं ध्यान है, हम इस बारे में चिंता कर रहे हैं कि आखिर बिना ट्रेनिंग के पुलिस हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी और उसके लिए प्रयत्न करके हमने इस काम को किया है।

सबसे सुखद, आज पुलिस के इस जवान के मन में सबसे बड़ी खुशी है, तो हमने हमारे सारे अधिकारियों के साथ बैठकर बार बार इस पर विचार किया कि पदोन्नति करो। एक लम्बे समय से पदोन्नति रुकी हुई है। नौकरी-पेशा वाले आदमी के मन में और क्या इच्छा रहती है, समय पर उसको नौकरी मिल जाए, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, काम में लग जाता है। लेकिन किसी ने माथा मारा ही नहीं कि इनकी पदोन्नति भी हो सकती है। केवल यही फंसे रहे कि कोर्ट केसेज हैं। कोर्ट में एक में केस है, सब में थोड़ी है, लेकिन सब को लेकर के बैठे रहे। पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बाधित रही। इससे एक ओर अन्वेषण कार्य के लिए पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और दूसरी ओर पुलिसकर्मियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पदोन्नति प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं को दूर किया गया। जो कोर्ट केसेज थे, उनको समझाइश करने की कोशिश की, उनको वहां से हटाया और विभिन्न पदों पर, 9 से लेकर 15 तक के हैड कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर की पदोन्नतियां पूर्ण कर ली हैं। 2009 से लेकर 2015 तक की जो पदोन्नतियां पड़ी हुई थीं, वे सेंट-परसेंट उन लोगों की पदोन्नतियां कीं। प्रदेश में अधिकांश रेंज में वर्ष 2015 तक की पदोन्नति हो चुकी हैं, अन्य की प्रक्रियाधीन हैं और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च, 2015 तक राजस्थान के कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक की सेंट-परसेंट पदोन्नति पूरी हो जायेंगी।

अब हैड कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर के 5,838, हैड कांस्टेबल से 3,741 सहायक उप-निरीक्षक, 1,336 उप-निरीक्षक से निरीक्षक। मतलब, सी.आई. तक के सारे के सारे प्रमोशन करके, जो वर्षों से पद खाली पड़े थे, आप लोग रोज शिकायत करते थे कि हमारे यहां सी.आई. की तो पोस्ट है पर हमारे यहां आदमी तो है ही नहीं, क्योंकि आपकी पदोन्नतियां समय पर नहीं हुईं, और अधीनस्थ जो भी हैं, उनकी भी 929 लोगों की पदोन्नति कीं। कुल 6,767 पदों पर पदोन्नतियां हो चुकी हैं, जबकि 2012 और 2013 में कुल 1,796 पदोन्नति हुई थीं। इसका मतलब कुछ तो किया है न। बार-बार एक ही बात को।

(20.00 बजे)

इसके ऊपर भी राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में नियमित रूप से पदोन्नति हो रही हैं। गत 2 वर्षों में 16 आर पी एस को भारतीय पुलिस सेवा में एस.पी. बनाया है, 16 लोगों को 2 साल में। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस सेवा के विभिन्न संवर्गों में 260 अधिकारियों को पदोन्नति दी हैं, जो डीवाई एस पी थे, उनको एडिशनल एस पी के ऊपर, और इसी तरह से निरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा में किया, हमारा जो सी.आई. था, उस सी.आई. से हमने 147 को डिप्टी बनाया है। मतलब, सेंट–परसेंट, हर व्यक्ति को पदोन्नति देने के लिए प्रयत्न किया।

मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि यह एक्सिडेंट का जो हमारे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ऊपर कलंक है, इस कलंक को मिटाने में आप सब लोग भी मदद करें। कारण ऐसा है कि पूरा परिवार का परिवार ही उजड़ जाता है और कई बार ईश्वर भी ऐसी बिताता है कि छोटा बच्चा 5 साल का रह गया, बाकी सारा गया। अब ऐसी घटनाओं को अगर हम थोड़ा-सा कठोर होकर के रोकने का प्रयत्न करें, तो थोड़ा-बहुत उसमें परिणाम आ सकता है। वह हमने प्रयत्न किया है।

आपने देखा होगा कि वर्ष 2015 में सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी सम्बन्धित विभागों से समन्वय हेतु मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाई गई, जिसमें परिवहन, स्वास्थ्य एवं गृह विभाग ने एक साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर एक साथ काम करना शुरू किया। गत वर्ष 2 अक्टूबर से तथा इस वर्ष 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा हेतु जाग्रति अभियान गांवों में भी किया और शहरों में भी किया। दुर्घटना संभावित 184 स्थान हमने चिह्नित किये, जहां आये दिन एक्सिडेंट होते हैं। उन पाइंटों को हमने सुधारा। सड़क में जो भी कमी थी, वह हमने 24 जनवरी तक दुरुस्त कर दी।

वर्ष 2015 में कुल दुर्घटनाओं में 556 की कमी आई; जितनी पिछले साल हुई, उससे इतनी दुर्घटनाएं इस साल कम हुईं। घायलों की संख्या में 1,300 की कमी आई। लेकिन मृतकों की संख्या में कमी नहीं आई, 221 फिर भी बढ़ी। कोई चीज छिपानी नहीं है, क्योंकि किसके सामने छिपायें? जो है, सो हमारी है; कमी है, तो हमारी है; जो कुछ है, सो है। उसमें फिर भी प्रयत्न किया है। इसलिए कुछ कठोर कदम लेने का प्रयास किया है। लोगों का विरोध होता है, वह स्वाभाविक है।

बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों से हमने, छोटा-मोटा नहीं है, 4 लाख 33 हजार 305 चालान बनाये। अब आप यह तो कह दो कि वसूली करने के लिए कर रहे हो, पर हम उसको सीख देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई, कम से कम हेलमेट लगा ले; कहीं छोटी-मोटी टक्कर भी होगी, तो बच जायेगा। इसके लिए किया था। शराब पीकर के जो वाहन चलाने वाले हैं, हमने 37 हजार 604 चालान इस पिछले 2015 के वर्ष में किये हैं।

सड़क सुरक्षा हेतु उठाये गये नवाचार। दो पहिया वाहनों की अधिकतम सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसको नापने के लिए हमारे पास सब जगह इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई भी मोटर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साइकिल 50 से अधिक स्पीड से जाती हुई मिलेगी, तो उसके खिलाफ केस बनेगा। सभी नगरपालिका क्षेत्रों में भी हमने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाना अनिवार्य किया है। लेकिन अभी हमारी फोर्स वहां ठीक तरह से है नहीं, इसके कारण से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे हैं।

वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाइल पर बात करना अथवा मेसेज करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगायेंगे, और आदेश दे रखा है कि जो भी मोबाइल पर बात करे, उसका मोबाइल खोसकर लाओ। फिर होगा तो वापस दे देंगे, जैसा होगा, लेकिन एक बार लाओ। शराब पीकर के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाही करो, यह हमने आदेश दिये हैं।

पुलिस आवासों के निर्माण। आप पुलिस से उम्मीद तो बहुत करते हो, लेकिन कभी अपने पैरों की तरफ झांककर देखो। आपने इस पुलिस को जितना कमजोर किया है, आवास की दृष्टि से, वह आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। पिछली बार जब मेरे पास यह गृह विभाग था, तो मैंने 10 हजार आवास स्वीकृत करवाकर 8 हजार 700 का निर्माण कराया। इसके बाद 1 भी नया पुलिस आवास स्वीकृत नहीं हुआ। जो 2008 में मैं छोड़कर गया था जहां, वहीं का वहीं। आपके पूरे 5 साल में पुलिस के लिए 1 आवास निर्माण करने का भी आपका दिमाग नहीं चला, कि इसकी आवश्यकता है।

इस बजट में आगामी 3 वर्षों के लिए अभी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 1 हजार आवास स्वीकृत करके 190 करोड़ रुपया व्यय करने के लिए दिया है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि यह 190 करोड़, या इससे थोड़ा और ज्यादा होगा, मुझे 5 हजार क्वार्टर्स बनाने के लिए लोन दिला दो और यह जो आपका पैसा दे रहे हो, उस लोन की भरपाई में मुझे 5 साल की किश्तों में इसको बांट दो। मैं सोचता हूं कि राजस्थान के जो 5 हजार क्वार्टर्स बनेंगे, तो कम से कम उस कांस्टेबल का बच्चा भी किसी जगह रहकर के पढ़ सकेगा और वह भी रात को जाकर के अपने घर पर ठीक प्रकार से सो सकेगा। आप और मेरा अनुभव यह है कि जब रात को कभी थाने में जाते हैं, तो कांस्टेबल किसी नाल के कोने में नींद निकालता हुआ मिलेगा, आखिर वह इंसान है, आखिर उसको भी नींद तो चाहिए। अगर हम उसको सुविधा नहीं देंगे, तो उससे काम कैसे लेंगे?

आवासों की स्थिति बता रहा हूं। मैं आपके माध्यम से आदरणीया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आवासों की जो आवश्यकता है मेरी पुलिस को, उसकी तुलना में अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अब आपने देखा कि अपर-सबआर्डिनेट, अभी हमारे जो आवास उपलब्ध हैं 2 हजार 997, अर्थात् 3 हजार मान लो। इसका मतलब, आवश्यकता का कितना है, 26 परसेंट; जितनी आवश्यकता मुझे है, उसके 26 परसेंट क्वार्टर मेरे पास हैं। इसी तरह से लोअर-सबआर्डिनेट, मेरे पास जो आज उपलब्ध हैं, वे 22 हजार 982 हैं, अर्थात 25 प्रतिशत मेरे पास उपलब्ध हैं। आवश्यकता मेरे पास क्या चाहिए, कि मुझे अपर-सबआर्डिनेट में तो 100 परसेंट, इसका मतलब 8,543 आवास और चाहिए, और जो लोअर-सबआर्डिनेट हैं, इस आवश्यकता के अनुसार 60 परसेंट को भी अगर कवर करूं तो मुझे 31 हजार 871 और मकानों की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, हम जितनी ज्यादा से ज्यादा इनको सुविधा दी जा सकती है, उसके लिए कर रहे हैं।

वाहनों की स्थिति, केवल शार्ट में ही बता देता हूं, वर्तमान में हमारे पास 6 हजार 243 हैं। पहली बार हमने एक प्रयोग किया है मोटरसाइकिल का। लगभग हमने 950 मोटर साइकिलें खरीदकर के थानों को देने का प्रयत्न किया था। कई बार अपराधी सड़क-सड़क नहीं जाता है, शहर की गलियों में घुस जाता है, या किसी मगरे पर चढ़ जाता है, अथवा कहीं भी पैदल रास्ता पकड़ लेता है। इसके कारण से हमने जो कुछ हमारे पास बजट था, उसके आधार पर 950 इसको बढ़ाया है।

पुलिस ने जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि मैं जिससे काम लेना चाहता हूं, उसकी उपलब्धि और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, तो उसमें काम करने का उत्साह जाग्रत होगा। आपने देखा होगा कि एथलेटिक्स, श्रीमती सपना, पिछली बार जब इसने मेडल प्राप्त किया था, तो हमने इसको एक प्रमोशन दिया। उप निरीक्षक पुलिस द्वारा 35वीं राष्ट्रीय खेलकूद में 20 किलोमीटर वाक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, 20 किलोमीटर चलने में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2015 के लिए 'ए' क्लास टाइम में क्वालिफाई कर लिया है। 64वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता, 2015 में 10 किलोमीटर में इसने रजत पदक प्राप्त किया एवं ब्राजील में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में इसका चयन हो गया है। थोड़ा-सा इसको पुश किया पहली उपलब्धि पर और उसके कारण से यह हमारे नाम को आगे तक बढ़ायेगी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हर साल बैंड प्रतियोगिता होती है। 15वीं प्रतियोगिता में भी और 16वीं प्रतियोगिता में भी राजस्थान का ब्रास बैंड है, पिछले साल हम सेकेंड थे और इस बार हम और बी एस एफ दोनों मिलकर के प्रथम हैं। 6 महीने तक उनके पास रहेगी ट्राफी और 6 महीने तक हमारे पास रहेगी।

इसी तरह से घुड़सवारी की प्रतियोगिता भी अपने यहां हुई थी। घुड़सवारी में भी 33वीं जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हमारा तीसरा स्थान था। अभी जो 34वीं हुई, उसमें भी घुड़सवारी में हमारा तीसरा स्थान है।

शूटिंग, 16वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता, 2015 में राजस्थान पुलिस टीम के श्री अमृत सिंह ने 50 गज शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।

कुश्ती, 64वीं अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता, 2015 में राजस्थान की टीम द्वारा कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। क्षमता है, उस क्षमता को उभारने का प्रयत्न अगर हम करेंगे, तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।

मैं आपके जितने भी व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 2-3 बच्चे गायब हैं, उसमें से 1 बच्चा मिला, बाकी नहीं मिले। लोगों में स्वाभाविक है गुस्सा होना। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं और मेरी पुलिस इस काम के लिए जो कर सकते हैं, वह निश्चित रूप से करके, उनके परिवार को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें सफल होंगे।

अब यह जो कारागृह है, वास्तव में जो आपका कहना था, मुझे भी वह तकलीफ महसूस होती है। किसी समय पुलिस कांस्टेबल और प्रहरी की पे-स्केल एक थी, लेकिन बीच में इस पे-स्केल में अन्तर हो गया और उसके कारण से उसके मन में एक निराशा का भाव है। कोशिश कर रहे हैं, कब सफलता मिलेगी, एकदम से नहीं कह सकते, लेकिन प्रयत्न जरूर कर रहे हैं।

आपने देखा होगा कि हमारे यहां जितनी जेलें हैं, हमारी जितनी क्षमता है, उससे अधिक हमारे पास एक तरह से जो प्रिजनर हैं वे हैं हमारे पास, लेकिन इसको भी आपने निश्चित नहीं किया। हम हमेशा हर मीटिंग में, हर महीने की मीटिंग में, इसका एनेलेसिस करते हैं कि आखिर ये जितनी अधिक हैं, जहां पर, इनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है क्या? इसका क्या

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोई और रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि आदमी को सोने के लिए भी छह-बाई-तीन की जगह चाहिए, वह भी कई जेलों में छह-बाई-तीन की जगह भी नहीं मिलती और वह करवट भी नहीं बदल सकता। इतना और आधिक्य के कारण, हमने बराबर इस बात का प्रयत्न किया और आपने देखा कि 2011 में जो क्षमता थी 17,796 की, उसकी जगह बंदी थे 18,014; 2012 में जो कैपेसिटी थी, वह कम हो गई अर्थात् संख्या में, उसमें, जेलों को बंद कर दिया, जो ठीक प्रकार से नहीं चल रही थीं, या किसी कारण से जीर्ण शीर्ण थीं, उसके कारण से कैपेसिटी हो गई, 16,600, उसके पहले वाले साल में 17,796 थी वह घटकर 16,600 हो गई और उसकी जगह हमारे पास जो कैदी थे वे 19,351 हो गये। उसके बाद 2013 में 16,622 कैपेसिटी में वही 19,297 हो गई और उसके बाद 2014 में जब हमने लिया तो 17,191 थी। हमारी कैपेसिटी 17,000 होते हुए भी 20,359 कैदी हमारे पास थे। 2015 में हमने थोड़ा-बहुत इधर-उधर छांटा-छांटी करने के बाद और कुछ लोगों को, पैरोल पर छूटे, कुछ लोगों को सज़ा के कारण, 19,607, यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। यानी जो हमारी कैपेसिटी 17,191 थी, उसको हम 2015 में 19,607 कैपेसिटी को ले गये। उसके कारण से आज की तारीख में यूं तो स्टेट का अगर अंदाज लें, तो 19,679 है, तो हमारी संख्या के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ जेलें ऐसी हैं जिनमें जितनी कैपेसिटी है, उससे कहीं अधिक हैं, आज भी, क्योंकि वह सारा समान डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन अधिकांश को करने का प्रयास किया है।

वर्ष 2015 में, मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि 12.20 करोड़ रुपये जेल बैरक निर्माण के लिए, 29 जेलों में 36 बंदी बैरकों का निर्माण करवाया जाकर 1,778 क्षमता की वृद्धि की है। पहली बार इस समस्या को समझ कर, इस पैसे को लगाकर, 1,778 कैदी हैं, उनको रखने की; लम्बे समय से बंद उप कारागार, बिलाड़ा, आगरा, सांचौर और फलौदी को पुन: चालू किया, वापस उनको हमने शुरू किया है।

बंदियों की बढ़ती संख्या, अब आपने देखा होगा कि अभी हमने कुछ प्रयत्न किया है, जिसमें हमने काम शुरू किया है, जिसमें दौसा में 776 और कैदियों को हम रख सकते हैं, उसकी कैपेसिटी तैयार हो गई है। इसी तरह से जयपुर में 500 की एक अलग से जेल बन रही है, बीकानेर में 400 की बन रही है और अभी कोटा का जगह के बारे में विवाद होने के कारण से, जहां हमने 850 की कैपेसिटी का पैसा दिया, लेकिन जगह विवाद के कारण हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पुरानी जगह में बनाकर इसको कर रहे हैं। इसी तरह से अजमेर में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो विशेष प्रकार के अपराधी हैं, उनको हमने एक हाई सिक्योरिटी जेल के अन्दर, 264 की उसमें कैपेसिटी बनाकर उनको रखा। क्योंकि वहां अन्दर रहना, अपराधी को वैसे भी तारे नजर आ जाते हैं, लेकिन इसी कारण से यह आनंदपाल और जिस ढंग से, उसमें आनंदपाल अकेला नहीं है, उसमें कई लोग हैं।

यह बात सही है कि हमको जो रिपोर्ट दो महीने में और एक महीने में मिलनी है, वह अभी तक भी नहीं मिली है। मैंने कल-परसों भी बात की, पहले भी बात की, मुख्य मंत्रीजी से भी बात की, मैंने कहा कि जिस रिपोर्ट को आना है उसमें विलम्ब हो रहा है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 31 तारीख तक कोशिश करके दे दूंगा, क्योंकि उनके पास माइन्स का भी काम है, कोआपरेटिव का भी काम है और उसके साथ-साथ यह काम भी कर रहे हैं। पहले हम किसी न किसी जज को लगाते थे किसी इन्क्वायरी के लिए, कोई जज साहब इन्क्वायरी करते थे, वह पांच साल तक इन्क्वायरी ही चलती रहती और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आती, वह दफ्तर में दिखाई देती? देखी होंगी रिपोर्टें आपने। वास्तव में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो जाता है। सरकार का पैसा भी बचे और वास्तव में जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाये, उसी दृष्टि से हमने इस काम को कराया है।

मैं सोचता हूं कि अब कुछ जेलें ऐसी हैं जिनमें विस्तार की सम्भावना नहीं है, जिसमें राजसमंद है, निम्बाहेड़ा है, गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी का जो हमारी सेंट्रल जेल है उसको तो हमने शिफ्ट करके सवाई माधोपुर में ले लिया है और आपको हम दूसरी जगह बनाने के लिए, जिन बातों पर आप कह रहे हैं, हम निर्णय करेंगे। ऐसे ही निम्बाहेड़ा में हमने जमीन तो ले ली लेकिन उसके निर्माण के लिए प्रयत्न हम कर रहे हैं। राजसमंद के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये जेलें बाहर बनें।

छह केन्द्रीय कारागार, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, अलवर तथा दो जिला कारागार भीलवाड़ा और झालावाड़ में इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्र कीं स्थापना की ताकि वहां जो हमारी जेल के अन्दर है और बालक पढ़कर परीक्षा देना चाहता है, उसको उसकी व्यवस्था हो, ताकि वह जेल से बाहर निकलने के बाद कहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विभाग ने 394 कर्मियों की पदोन्नति की है, जेलों में भी, और 624 लोगों को प्रहरियों पर नियुक्ति दी।

आपने एक विषय उठाया था कि अभी हमने जो परीक्षा की थी, उस परीक्षा में पेपर आउट हो जाने के कारण से, वह सारा का सारा उन बच्चों को भी नुकसान हुआ और हमको भी हुआ। यह बात, रमेशजी ने शायद इस विषय को उठाया था। जो 11 करोड़ रुपया है, उसको हमने अभी तक मनी को यूनिवर्सिटी को एक पैसा भी नहीं दिया है। अभी भी एक पैसा भी नहीं दिया है। हम व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे यहां सबओर्डिनेट जो बोर्ड बना है सर्विसेज का, अब हम यह परीक्षा उनको कराने के लिए देंगे, ताकि हमारी परीक्षाएं ठीक प्रकार से हो सकें।

आपने देखा होगा कि पहली बार, पहली बार कह रहा हूं, और वास्तव में उस प्रिजनर को या उस जेल में रहने वाले व्यक्ति को कितना आनंद का अनुभव हुआ होगा कि किसी ने दिमाग लगाया। पहले यह बंदी मजदूरी जो मिलती थी, जो काम करता था जेल में, उसको मिलती थी 20 रुपया और 30 रुपया। हमने यह सोचा कि यह 20 रुपया और 30 रुपया किस आधार पर? मिनिमम, किसी मजदूर को भी हो तो मिनिमम वेज तो देना पड़ेगा। इस बात को लेकर हमने और मुख्य मंत्रीजी ने भी कृपा करके, यह जितने भी कुशल श्रमिक और यह जो हमारे श्रमिक हैं, कुशल और अकुशल, इनको हमने 189 रुपया और 209 रुपया देकर लाभ उठाने का दिया है। पहले किसी का ध्यान नहीं गया कि यह 20 और 30 रुपये में कैसे काम कर रहा है। आखिर वह अपने परिवार को मदद के लिए क्या भेज सकेगा? जेल में रहकर के। हमने उसको बढ़ाया और आज यह उनको मिलता है।

3 सितम्बर, 2015 को बंदी आनंदपाल सिंह के पुलिस चालानी गार्ड अभिरक्षा में फरारी के बाद सभी कारागारों पर पूर्ण सतर्कता अलर्ट जारी कर दिया गया है। हार्डकोर अपराधी बंदियों को जेल परिसर में न्यायालय स्थापित कर अथवा वीडियो कांफ्रेंसिंग पेशी व्यवस्था पर गम्भीरता से कार्यवाही कर रहे हैं। न्यायालय में आवेदन कर ऐसे बंदियों को हथकड़ी, पहली बार हमने वापस प्रयोग किया कि इस प्रकार के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको हथकड़ी लगाई जायें। तो उसके लिए कोर्ट की बात आती। हमने कोर्ट से उसकी स्वीकृति ली और अब हम उनको हथकड़ी लगायेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरण। करौली को छोड़कर, केवल एक जेल को छोड़कर, जिला जेल छोड़कर शेष सभी जिला जेलों में, केन्द्रीय जेलों में भी जो हमारी आठ हैं, वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरण लग गये हैं। इस बजट में हमको 1.70 करोड़ रुपया कनेक्टिविटी के लिए और इस बजट में दिये हैं। उसके कारण से इसको हम प्रभावी बनाकर कार्य कर सकेंगे।

सी सी टी वी कैमरे। जैसे हमने आप लोगों को चिट्ठी लिखी। कई लोगों ने हमको मदद की है। कल ही मैं चौमूं में था, तो चौमूं नगरपालिका में उन्होंने 16 लाख एक बार दिया, 19 लाख एक बार नगरपालिका ने दिया। ऐसे ही आप में से कई विधायकों ने हमको इस प्रकार के कैमरे स्थापित करने के लिए दिया है। कुछ हमने अपने सोर्स से भी किया है। छह केन्द्रीय कारागार, तीन जिला कारागार एवं उच्च सुरक्षा कारागार पर 1.99, अर्थात् 2 करोड़ रुपये की लागत से सी सी टी वी कैमरे 2014 में हम स्थापित कर चुके हैं। वर्ष 2015 में शेष समस्त 22 बी-श्रेणी कारागार, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर, जोधपुर; बाल सुधार गृह जैतारण एवं 387 लाख रुपये की लागत, से जिला कारागार करौली को छोड़कर, सी सी टी वी कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं।

जैमर, पिछली बार भी मैंने कहा था कि हम जैमर लगा लेंगे, लेकिन हम इसमें अभी तक परफैक्टली सफल नहीं हुए हैं। चार में हम यह 4जी जैमर, जेलों में मोबाइल मिलने की शिकायतों को दृष्टिगत रखकर 20.15, अर्थात् 20 करोड़ रुपया हमको मिला है और इस लागत से 7 केन्द्रीय कारागार एवं उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर में 4जी जैमर स्वीकृत, जिसमें केन्द्रीय कारागार, जयपुर, बीकानेर, अजमेर में हमने स्थापित कर दिये हैं, शेष में हम बहुत शीघ्र ही ये 4जी के जैमर लगा देंगे, जिसके कारण से मोबाइल के कारण से जो अपराध कर रहा है उस पर हम चैक लगा सकें।

केन्द्रीय कारागार और उच्च सुरक्षा कारागार पर आधुनिक मुलाकात कक्ष बनाये हैं।

अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर एक -दो रुपया नहीं, 37 करोड़ 40 लाख रुपये से हमने 100-100 महिला बंदी गृह का निर्माण किया है।

52 कारागृह में हमने 747 शौचालय, 47 कारागृह में हमने 689 स्नानागार का निर्माण 10 करोड़ रुपये से कराकर उनको सुविधा देने का प्रयत्न किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पैरोल। जो जेल में होता है, उसको पता लगता है, पैरोल क्या होता है। हम बराबर इसके पीछे लगे रहे कि अधिक से अधिक लोगों को पैरोल मिलकर बाहर आएं ताकि उनका जीवन ठीक बन सके। 2012 में आपने 1,509 को पैरोल दी, 2013 में दी 1,357, 2014 में हमने आकर दी 1,796, लगभग 1,800 और अभी 2015 में हमने 2,036 लोगों को पैरोल दी ताकि वे कम से कम अपने जीवन को ठीक कर सकें।

खुला बंदी शिविर। खुला बंदी शिविर में हमारी क्षमता 1,325 की है। उस क्षमता के अलावा, पहली बार हमने प्रयोग किया है कि जो भी गौशाला है, खुला बंदी गृह की सुविधा देकर, अगर लेना चाहें, तो हम अपने उन कैदियों को दे सकते हैं। ऐसी 5 गौशालाएं हमारे पास आयी हैं जिनमें हमने उनको यह संख्या दी है। वर्तमान में 1,190 दण्डित बंदी खुले शिविर में हैं।

आर ए सी की 13वीं बटालियन कारागृहों में तैनात हैं जिसमें 648 लोग हैं। जिसके कारण से अन्दर जाने के समय और निकलते समय ठीक प्रकार से उनकी चैकिंग हो जाय, उसके लिए हमने लगाया हुआ है।

बंदी फरारी, जो सामान्यत: एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहता है कि फरारी कितनी हुई, मैं आपको गिनाकर यह नहीं कहता कि आपके ज्यादा थी और हमारे कम है, मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूं। मैं सोचता हूं, जो भी है उसमें सुधार कैसे करें, लेकिन चूंकि आंकड़े हैं, 2012 में घटना हुई 7, 2013 में हुईं 5, 2014 में हुईं 3 और 2015 में एक घटना फरारी की हुई। उसमें भी जो फरार हुए थे, उन फरार में से लगभग बाकी रहे, 2012 के 4 लोग, 2013 के 6 लोग, 2014 का कोई बाकी नहीं, 2015 का एक व्यक्ति अभी भी बाकी है जिसे हमें पकड़ना है।

देश में पहली बार जयपुर केन्द्रीय कारागृह में सभी बंदियों की सुविधा के लिए पायलट प्रोजेक्ट में ई-हिस्टरी टिकट की सुविधा दी है; अर्थात कोई भी कैदी अगर चाहे कि उसकी टोटल जो भी सज़ा है, या वह जिस पोजिशन में है, कब आया है, कब उसको रेमिशन मिला है, कब उसकी डेट है, अगली पेशी कब है, वह स्वयं आकर, बैठकर कमरे में पूरी हिस्टरी देख सकता है। यह पहला प्रयोग जयपुर की केन्द्रीय जेल में सारे हिन्दुस्तान में शुरू किया है और उसके कारण से हो रहा है।

पहली बार अभी बजट में जो हमारे 8 केन्द्रीय कारागृह हैं, उनमें रोटी बनाने के लिए मशीन के लिए पैसा मिला है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आनन्दपाल फरारी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें हमने कार्रवाही की है। ऐसा नहीं कि हमने कार्रवाही नहीं की। उस रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप परमिशन दें, तो मैं एक बात पूछूं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सदन चल रहा है, यह रिपोर्ट क्या इस सदन के चलते हुए आ जाएगी? इतना-सा आश्वासन चाहता हूं आपसे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने पहले ही आपको बताया कि आज ही उनसे बुलाकर मेरी बात हुई। वे 31 तारीख तक हमारे विभाग को सुपुर्द कर देंगे, ऐसा उनका आश्वासन है। मैं कोशिश करूंगा कि सदन समाप्त होने के पहले, इसके बारे में हो। अगर कहीं देर हो गई, तो भी मैं आपको आकर बताऊंगा कि देर है, या नहीं। लेकिन आज सवेरे ही मैंने बुलाकर बात की, 31 तारीख तक उन्होंने देने की बात कही है।

यह परबतसर वाला मुकदमा, उक्त मुकदमे में फरार तीनों अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आये, परन्तु इन तीनों को भगाने में सहयोग करने वाले कुल 7 लोगों को अब तक हमने कोई न कोई हर दो दिन, पांच दिन में किसी न किसी सिस्टम से पकड़ रखा है। इसमें निम्न नाम हैं- शक्ति सिंह, पुलिस कमाण्डो; निर्मल सिंह, महेन्द्र सिंह, केसर सिंह, धर्मेन्द्र चौधरी, उदय सिंह और सूरज गुर्जर। उक्त सातों लोगों ने फरार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी; इन्हें हथियार उपलब्ध कराये, गाड़ी उपलब्ध करायी, फर्जी सिम उपलब्ध करायी; आदि लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके गिरोह में गिरफ्तार अपराधियों के नाम- पवन सिंह, सोनू, जोगेन्द्र, अनुराग, मदन, जितेन्द्र, धर्मा राम, जितेन्द्र, जितेन्द्र सिंह और जीतू चारण, श्रवणदास स्वामी, विक्रम सिंह और वैभव खेड़िया, उक्त सभी अभियुक्त आनन्दपाल गिरोह से जुड़े हुए थे। इन सभी को अलग-अलग प्रकरणों में गिरफ्तार कर लिया है। आनन्दपाल सिंह और उसके अन्य दो साथियों की फरारी के प्रकरण में एस ओ जी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा पूरा दबाव बनाया हुआ है तथा बार-बार हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। भगवान ने चाहा, तो सत्र समाप्त होने के पहले-पहले कोई अच्छी खबर भी मिल जाएगी।

होम गार्ड के बारे में आपकी, मेरी, सबकी चिन्ता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, जितना हम कर सकते हैं। 2013 में होम गार्ड का जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डिप्लायमेंट था, आपने जब लास्ट छोड़ा था उस समय 10461 लोग काम पर लगे हुए थे, अभी हमने प्रयत्न करके इनकी संख्या 2 हजार और बढ़ाकर, आज की तारीख में होम गार्ड के 12,458 लोगों को काम पर लगा रखा है जो उनकी टोटल स्ट्रेंथ का 44 प्रतिशत है। बार्डर होम गार्ड, जिनकी संख्या मेरे पास 2,664 है, उसमें से 1,559 लोग काम पर लगे हुए हैं। इनका लगा होने का परसेंटेज 59 है, जिनको हमने काम पर लगा रखा है।

एक समस्या हमारे यहां है, क्योंकि हमारे यहां से कई राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं और चुनाव ड्यूटी करके आ जाने के बाद भी, उस राज्य से जो पैसा हम मांगते हैं, वह कई बार देते नहीं और देने में बहुत विलम्ब करते हैं। हमने जिन राज्यों को पत्र लिखा, कुछ का हमें पैसा मिल गया; बाकी जो रह गया, यह दो करोड़ का पेमेंट था, एक करोड़ हमने राज्य सरकार से स्पेशल स्वीकृति लेकर एक बार उनको अपने खजाने से पेमेंट कर दिया। अब उन राज्यों का आएगा, तब हम उनको दे देंगे।

यह एफ एस एल के बारे में जो चर्चा आयी थी, मैं सोचता हूं, एफ एस एल वास्तव में क्राइम में सज़ा दिलाने में सबसे इफेक्टिव टीम है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें थोड़ी कमजोरी आ जाने के कारण से, हम इसको ज्यादा नहीं कर सके। जब 2013 में आपने हमें सुपुर्द किया था, उस समय पेंडेंसी थी 2013 के अंत में, 12,907, और अभी हमने प्रयत्न करके राजस्थान की पेंडेसी 10,840 पर लाये हैं। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इस महीने की अन्तिम तारीख तक 2014 के पहले का कोई भी सैम्पल टैस्ट से वंचित नहीं रहेगा, हंड्रेड परसेंट 2014 को हम क्रास कर जाएंगे।

सभी योग्य अधीनस्थ पदों पर डी पी सी हमने कर ली। फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट की हमने स्थापना कर दी, लेकिन अभी उसमें ट्रेनिंग होना बाकी है। पालिग्राफ प्रशिक्षण केन्द्र हमारा स्थापित हो गया है, लेकिन अभी उसमें एक्सपर्ट हमारे पास नहीं होने के कारण से हम जांच नहीं करा पा रहे हैं।

एफ एस एल में 15 सेवानिवृत्त, पहली बार मैंने ट्राई किया कि चलो, कहीं भी हो, राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में कोई भी सेवानिवृत्त व्यक्ति, साइंटिस्ट हो और हमारे यहां आना चाहता है, तो हम उसे बुलाएं। 15 लोग मेरे यहां संविदा के आधार पर काम पर लगाकर इस काम को आगे निकालने का काम किया है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभी हमने आर पी एस सी को 18 वरिष्ठ वैज्ञानिकों के लिए भी अपनी रिक्विजिशन भेज दी है। मैं सोचता हूं, यह जल्दी ही हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

अभियोजन। अभियोजन भवन का, वास्तव में मैं सभी जन-प्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूं, थोड़ा-सा अगर आप सहयोग करें, इतने सालों के प्रयत्न के बाद भी और इतना सब होने के बाद भी अभी प्रदेश में केवल 14 जिलों में अभियोजन भवन बने हुए हैं। 19 जिलों में आज भी अभियोजन भवन नहीं हैं। जो भी एविडेंस आती है, तो कहीं खड़ा रहकर, या स्कूटर पर, या कहीं धूप में, या पेड़ के नीचे, हम अपनी एविडेंस की तैयारी करते हैं। उसके कारण से जिस प्रकार से हमें केस में सफलता मिलनी चाहिए, उसमें हमें कमी अनुभव हो रही है। इस वर्ष हमने जोधपुर और राजसमन्द जिले में, दोनों में निर्माणाधीन चल रहा है। इसी तरह से ओसियां, पीपाड़ और टोंक में भवन जनसहयोग से, वहां के एम एल ए साहब और बाकी लोगों ने सहयोग किया, उसके कारण से ये भवन बन गये। खण्ड स्तर पर नोखा, सुजानगढ़ में अभियोजन भवनों का निर्माण प्रगति पर है। सभी विधायक महोदय से उम्मीद है कि इस सार्वजनिक उपयोग के लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार, जहां जैसा आपको मिले उतना सहयोग करें। एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम भी अगर मिल जाएगा, तो कम से कम हमारा आफिस हो जाएगा और वहां अपने विभाग की तैयारी कर सकेंगे।

पहली बार हमने अपने जो अभियोजन अधिकारी हैं उनको 485 लैपटाप उपलब्ध कराये हैं, ताकि वे अपने काम को एफिशिएंसी से कर सकें। पहली बार, उनकी लाइब्रेरी ठीक तरह से बने, इसलिए हमने 10,607 कानूनी पुस्तकें देने का प्रयास किया है। यह जो लोक अभियोजक-प्रथम और द्वितीय जो था, इनका हमने नाम बदला है और सहायक लोक अभियोजक अधिकारी और अभियोजन अधिकारी किया है; जो ए पी पी-फर्स्ट और सेकण्ड नाम था, उसका नामकरण बदलकर यह किया है। 15 वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 691 लोगों को पदोन्नत किया है और पदोन्नति देकर उनको हमने अपनी सूचना को इकट्ठा करने के काम में लगाया है। सूचना सहायक के भी 43 पद नये सृजित हुए हैं।

पिछली सरकार के समय प्रथम दो वर्षों, 2009-10 और 2010-11 में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो बजट आबंटित हुआ, उसके फिगर देखने से स्वयं को ही लगेगा कि किसी का दिमाग भी लगता था, या नहीं लगता था, कि इतना बड़ा काम है और हम उनको क्या देते हैं। किसी ने सोचा ही नहीं होगा; उस तरफ देखने की, झांकने की कोशिश भी नहीं की होगी। यह कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि 2009-10 के समय में, आपके राज के समय में प्लान में कितना खर्चा दिया, 7 लाख 21 हजार और नान-प्लान में आपने दिया 41 करोड़ 67 । वह नान-प्लान में तो अपने आप ही देना पड़ेगा। फिर आपने 2010-11 में उस 7 लाख 21 हजार को बढ़ाकर 8 लाख 45 हजार किया। अभी हमने आने के बाद 2014-15 में 2 करोड़ 10 लाख का प्लान बजट दिया है। इस 2015-16 में हमने 1 करोड़ 45 लाख रुपये दिये हैं। इस अभियोजन को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही तो सज़ा का परसैंटेज बढ़ेगा और उनको हम एक तरह से लाएबल बना सकेंगे। अभी वाला जो बजट पेश हुआ है, उसमें 2016-17 में 2 करोड़ 31 लाख रुपया और मिला है। अर्थात्, हमने हर साल प्लान बजट में भी बढ़ाया है।

हमने पिछले साल प्रयत्न करके लघु प्रकृति के जो छोटे-छोटे मुकदमे हैं, उनके लिए जो कलक्टर और डी.जे. की अध्यक्षता में जिले पर कमेटी बनी हुई है, उससे हमने प्रयास किया और 21,576 ऐसे लघु प्रकृति के उन मुकदमों को राइट-आफ किया, खतम किया, ताकि लोगों को इस परेशानी से किसी तरह से मुक्त किया जा सकता है।

अब जैसे आपने पद सृजित किये, तो आपको फिगर देखकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार के पहले दो वर्ष में पद सृजित किये 80; लगाये कितने, दो। 80 पद सृजित किये और दो आदमी लगाये। और पदोन्नति कितनी दीं, 159 को। हमने अभी इन दो वर्षों में 424 पद सृजित किये और 132 को हम नौकरी दे चुके और बाकी प्रोसेस में चल रहे हैं, और पदोन्नति 383 को दीं। मैं सोचता हूं कि हमने अभी कुछ समय पहले लोक अभियोजक की नियुक्ति की थी, उसमें 115 की कर दी और 294 भर्ती की प्रक्रिया में चल रहे हैं। इस तरह से हमने भर्ती करने का काम किया है।

यह जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, यह बात सही है, आज आपने जो कुछ आंकड़े दिये, उसमें निश्चित रूप से कुछ केसेज में गिरावट आई है। 2014 में जो हमारे कुल प्रकरण दर्ज हुए हैं वे 503

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

थे और ऐसा नहीं है कि हमने छोटे-मोटे को पकड़ा है, इन 503 में से 168 राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ ए.सी.बी. के केस बनाये हैं। 2015 में 401 बने हैं, यह बात जरूर है कि 503 से घटकर 401 हुए हैं पर उसमें 125 राजपत्रित अधिकारियों के बने हैं। इस ब्यूरो को भी पहली बार पैसा मिला है और 1 करोड़ 15 लाख रुपये अभी वाले इस बजट में मिले हैं। प्रथम दो वर्षों में जो आरोप पत्र दिये गये थे, 2009 से 2010 में, वे 516 दिये हैं, 158 एफ आर लगीं तो कुल 674 मुकदमे दर्ज हुए। अभी हमारे इस 2014-15 में हमने आरोप पत्र 766 दिये, 244 एफ आर लगीं और ऐसे करके 1,010 केसेज में कार्रवाही की है।

इसमें जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, उसमें मैं सोचता हूं कि अशोक सिंघवी जी के केस को ए सी बी ने ही बनाया और मैं सोचता हूं कि यह हिन्दुस्तान का पहला केस होगा जिसमें इतने बड़े अधिकारी को भी हमने इन गलतियों के आधार पर पकड़ा है। इसी तरह से आपने देखा कि ललित कुमार नंदवाना, डिप्टी चीफ इंजीनियर, उसके खिलाफ ए सी बी का केस कोटा में बना है 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए। मनीष शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, कोटड़ा, उदयपुर को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। हमने हमारे साथियों को भी नहीं छोड़ा है। सामान्यतया पुलिस की पुलिस से दोस्ती तो होती है, थोड़ी-बहुत पहचान तो होती है, लेकिन हमने इस बात की कोशिश की है। नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन थाना अधिकारी, लाडनूं, जिला नागौर, यह 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। कपिल सैन, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड बड़ी सादड़ी, चित्तौड़, इसको भी एक लाख रुपये की रिश्वत लेने हुए पकड़ा। मनोहर लाल जाट, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका देवली, जिला टोंक को एक लाख रुपये की रिश्वत में पकड़ा। कमलेश कुमार जेवलिया, सभापति, नगर परिषद, सवाई माधोपुर एवं अन्य को 15 लाख रुपये की रिश्वत के साथ पकड़ा है। जगदीश कुमार विश्नोई, सहायक पुलिस आयुक्त, जोधपुर को 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ये मैंने कुछ नमूने के केस बताये हैं। मतलब, हमने इस बात की कोशिश की है कि यह विभाग कार्रवाही करे तो छोटे-मोटे लोगों को पकड़कर खानापूर्ति करे, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। अगर किसी को पकड़ना ही है, तो किसी बड़े को पकड़ें, तो कम से कम जनता में कोई मेसेज जाए। यह 2,000 रुपये में पकड़ लिया,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

1,500 रुपये में पकड़ लिया, मैं सोचता हूं, उसमें मुझे तो कम से कम संतोष नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी उपस्थिति में, जो कुछ भी सरकार की तरफ से मेरी पुलिस को सहायता मिली है, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। किट मेंटीनेंस भत्ता – उप निरीक्षक से निरीक्षक एवं राजस्थान पुलिस सेवा 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपया। वर्दी भत्ता कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल 100 रुपये से 125 रुपया, स्पोर्टस फंड अनुदान – 40 लाख रुपया। उत्सव फंड अनुदान-35 लाख रुपया। राजस्थान पुलिस हितकारी निधि अनुदान – 2 करोड़ रुपया। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 50 लाख रुपया।

कारागार विभाग में, वर्दी धुलाई भत्ता – उप अधीक्षक से महानिरीक्षक कारागार तक 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपया। वर्दी धुलाई भत्ता-प्रहरी से लेकर कारापाल तक, प्रशिक्षक-ग्रेड द्वितीय, 113 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपया। स्पोर्टस फंड में अनुदान – 12 लाख रुपया। उत्सव फंड में 10 लाख रुपया। कर्मचारी कल्याण में 22 लाख रुपया। बंदी कल्याण कोष में 150 लाख, अर्थात् 1 करोड़ 50 लाख रुपया बंदी कल्याण में।

इसी तरह से गृह रक्षा विभाग। मैस भत्ता – आरक्षी, मुख्य आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक को 1,500 से बढ़ाकर 1,600 रुपया। गृह रक्षा स्वयंसेवकों की वर्दी धुलाई भत्ता प्रति माह 10 से 15 रुपये व अधिकतम 50 से 75 रुपये प्रति मास। कर्मचारी कल्याण निधि – 8 लाख। स्पोर्टस फण्ड – 5 लाख।

इस प्रकार की सरकार की तरफ से जो हर बार विभाग घोषणा करता है, उसके अनुसार मैं करता हूं।

आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 16 और मांग संख्या 17 को पास करें।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 – पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,68,02,31,000/- (चवालीस अरब अड़सठ करोड़ दो लाख इकतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 – कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त को होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,47,34,48,000/- (एक अरब सैंतालीस करोड़ चौंतीस लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2016 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.39 बजे बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

वन विभाग में लम्बित पदोन्नतियां

208. **म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में रेंजर्स से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2015-16 तक की रिक्तियों के विरुद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी-प्रथम से सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। वनपाल एवं सहायक वनपाल के पदों का नियुक्ति अधिकारी सम्बन्धित उप वन संरक्षक होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही सम्बन्धित उप वन संरक्षक कार्यालयों के स्तर पर की जाती है।

सहायक वनपाल एवं वनपाल के पदों पर जिस वर्ष तक पदोन्नति प्रदान की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट-अ पर है।

वन रक्षक का पद सीधी भर्ती का पद है, जिसे पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना

209. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक पंचायत समिति ब्लाक में तकनीकी शिक्षा हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोला जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला हनुमानगढ़ छात्र कौशल विकास

(श्री संजीव कुमार)

की दृष्टि से पिछडा होने के उपरान्त भी केवल जिला मुख्यालय पर ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(3) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति ब्लाक भादरा, जिला हनुमानगढ़ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। माननीया मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई टी आई उपलब्ध नहीं हो।

(2) नहीं। जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में घोषित आई टी आई संगरिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है (संलग्न परिशिष्ट-1) जो की मार्च, 2016 तक पूर्ण होना संभावित है एवं वर्ष 2012-13 में घोषित आई टी आई टिब्बी (संलग्न परिशिष्ट-2) के लिए भूमि आबंटन की कार्रवाही प्रक्रियाधीन है भूमि आबंटित होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति ब्लाक भादरा, जिला हनुमानगढ में 7 निजी आई टी आई संचालित हैं। (संलग्न परिशिष्ट-3)। माननीया मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई टी आई उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान में राज्य में 15 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें कोई भी राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं हैं। (संलग्न परिशिष्ट-4)

फिर भी यदि गुणावगुणों के आधार पर व जन-प्रतिनिधियों की मांग अनुरूप वितीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में पंचायत समिति ब्लाक भादरा, जिला हनुमानगढ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

टोंक में मिसिंग लिंक रोड का निर्माण

210. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोंक में मिसिंग लिंक सीतारामपुरा से नटवाडा वाया मण्डावर रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोंक के ग्राम देवगंज चौकड़ी, जिसकी जनसंख्या 800 से अधिक है, को ग्राम पंचायत मुख्यालय मण्डावर से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक में सीतारामपुरा से नटवाड़ा वाया मण्डावर रोड 7.60 किमी. की मिसिंग लिंक सड़क है। वर्तमान में मिसिंग लिंक सीतारामपुरा से नटवाड़ा वाया मण्डावर रोड बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोंक में देवगंज व चौकड़ी बसावटें ग्राम पंचायत मण्डावर में सम्मिलित हैं तथा देवगंज व चौकड़ी नाम से कोई राजस्व गांव नहीं है। मण्डावर की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 3,911 व जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 4,501 है। मण्डावर पूर्व में ही डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। देवगंज व चौकड़ी बसावटों को जोड़े जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सैपऊ (धौलपुर) में नवसृजित पंचायत समिति का कार्यालय भवन

211. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश में नवसृजित पंचायत समितियों एवं धौलपुर जिले की सैपऊ तहसील में नवसृजित पंचायत समिति का कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। भवन का माडल मानचित्र निर्धारित किया जा चुका है। इस मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण होने पर अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र, ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, आदि के लिये भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

विभागीय पत्र क्रमांक 2212 दिनांक 16.11.2015 द्वारा नवसृजित पंचायत समितियों के कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

जिला धौलपुर की नवसृजित पंचायत समिति सैपऊ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 9.3 बीघा भूमि का आबंटन दिनांक 21.12.2015 को हो चुका है। कार्य का तखमीना बनाने की कार्रवाही प्रक्रियाधीन है।

पीसांगन (अजमेर) में जल वितरण प्रणाली का नवीनीकरण

212. **श्री रामनारायण** (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के पीसांगन में जल वितरण प्रणाली का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पीसांगन कस्बे में पुरानी पाइप लाइनों के माध्यम से ही जल वितरण किया जा रहा है, जिससे बीसलपुर पाइप लाइन योजना के तहत जल वितरण करने में कठिनाई आ रही है? यदि हां, तो सरकार जल वितरण की कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या योजना बना रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पीसांगन में जल वितरण प्रणाली का नवीनीकरण करने हेतु सर्वे कराया गया है, जिसका अनुमानित व्यय 297 लाख रुपये आंका गया है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम पीसांगन की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 16,074 (वर्ष 2011 की जनसंख्या 15,471) को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 72 घण्टे के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अंतराल पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विद्यमान वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार हेतु राशि रुपये 292.74 लाख के बनाये गये प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार सक्षम स्तर पर इन प्रस्तावों की स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जायेगा।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार बनाये गये प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में हैं।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के अभियांत्रिकी कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति

213. **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना कब से शुरू की गई और वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जयपुर के कूकस स्थित आर्या इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी कालेज के मेकेनिकल इंजीनियरिंग के किन-किन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए कब-कब आवेदन किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन छात्रों को कब-कब भुगतान किया गया व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वर्षों की छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों से मान्यता प्राप्त

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत करने पर उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। उक्त योजनाएं भारत सरकार द्वारा वर्ष 1944 से प्रारम्भ की गई।

वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय फीस पुनर्भरण राशि के किये गये निर्धारणानुसार उक्त पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम फीस राशि रुपये 59,000 एवं नियमानुसार प्रति माह देय अनुरक्षण भत्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

(2) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आर्य इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिग एण्ड टेक्नालोजी कालेज, कूकस, जयपुर से वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में मेकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थियों से कब-कब आवेदन पत्र प्राप्त हुए, का वर्गवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का कब-कब भुगतान किया गया, का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है और जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया, का कारण सहित विवरण परिशिष्ट-स पर सलंग्न है।

(4) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कई विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण उक्त वर्षों की छात्रवृत्ति बकाया है। बकाया छात्रवृत्ति का निस्तारण उपलब्ध वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के दृष्टिगत मार्च 2016 तक किये जाने का प्रयास है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत छात्रवृत्ति उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जाकर प्राथमिकतानुसार भुगतान किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष लम्बित आवेदकों को भुगतान नहीं किया जाता है। अत: उक्त योजनान्तर्गत गत वर्षों की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अन्नपूर्णा भण्डारों की तहसील स्तर स्थापना

214. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामचन्द्र)

(1) प्रदेश के प्रत्येक जिले में उचित मूल्य की कितनी-कितनी दुकान संचालित हो रही हैं तथा इनके माध्यम से क्या-क्या सामग्री वितरित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में प्रदेश में उचित मूल्य की कितनी दुकानों का आबंटन किया गया है? वर्तमान में कितनी दुकानों का कार्य अन्य दुकानों से सम्बद्ध किया हुआ है? कितनी दुकानें नवीन आबंटन योग्य हैं तथा इनका कब तक आबंटन कर दिया जावेगा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों पर वर्तमान में किन-किन योजनाओं में क्या-क्या सामग्री वितरण हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रदेश में स्टेट बी.पी.एल. को भी बी.पी.एल. की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो स्टेट बी.पी.एल. को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कौन-कौनसी योजना के माध्यम से क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त पर खाद्य वितरण की व्यवस्था पोश मशीनों के माध्यम से की जा रही है तथा उक्त मशीनों के सही काम नहीं करने के कारण काफी परेशानियां हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें सुधार के क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उपरोक्त मशीनों में आधार कार्ड के समन्वय के अभाव में व अंगूठे के निशान नहीं आने के कारण लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) प्रदेश में तहसील स्तर पर कहां-कहां अन्नपूर्णा भण्डार खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि नये राशन कार्ड का फीडिंग का कार्य सही प्रकार से नहीं होने के कारण लाभार्थियों को असुविधाएं हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में संचालित उचित मूल्य दुकानों की जिलेवार

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चीनी एवं केरोसीन तेल का वितरण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर नान-पी.डी.एस. वस्तुएं यथा चाय, मसाले, नमक, अगरबत्ती, साबुन एवं बिस्किट की आपूर्ति उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से की जा रही है।

(2) विगत दो वर्षों के दौरान उचित मूल्य दुकानों का आबंटन नहीं किया गया है। वर्तमान में 2,497 उचित मूल्य दुकानों को अन्य दुकानों से अटैच किया हुआ है तथा 1874 दुकानें नवीन आवंटन योग्य हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

नवीन उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में दिनांक 03.03.2015 को विज्ञप्ति जारी की जाकर आबंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

(3) उक्त दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वर्तमान में वितरण की जा रही सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम सामग्री	विवरण
1	गेहूं	खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार/प्रति माह एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह
2	चीनी	बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को 650 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह
3	केरोसीन	बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को 04 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रति माह

इसके अतिरिक्त वर्तमान में राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. के माध्यम से अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराई जा रही नान पी.डी.एस. वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के रूप में स्टेट बी पी एल राशनकार्डधारियों को बी पी एल राशनकार्डधारियों की तरह 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह तथा बिना गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डधारक को 04 लीटर केरोसीन प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सुविधाएं सभी जिलों में समान रूप से दी जा रही हैं।

(5) वर्तमान में 11,644 उचित मूल्य दुकानों पर खाद्य वितरण की व्यवस्था पोश मशीनों के माध्यम से की जा रही है। उक्त मशीनें सही कार्य कर रही हैं तथा इसके माध्यम से दिनांक 14.03.2016 तक 50.77 लाख लेन-देन (TRANSACTIONS) हो चुके हैं। प्रदेश में पोश मशीनें 2जी डैटा नेटवर्क पर कार्य करती है, जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम है। वहां कनेक्टिविटी बढाने के लिए अतिरिक्त बाहरिय ऐन्टीना उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि फिर भी समस्या यथावत रहती है, तो ऐसी स्थिति में राशन डीलर द्वारा उपभोक्ता को पूर्व की भांति राशन सामग्री का वितरण करना होता है।

(6) मात्र कुछ व्यक्ति विशेष के आधार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन ना हो पाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रकार के प्रकरणों हेतु वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) की सुविधा एप्लिकेशन में उपलब्ध करायी गयी है। इसके अन्तर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन तीन बार फेल हो जाता है तो यू.आई.डी. सर्वर से वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भेजा जाता है तथा इस ओ.टी.पी. को पोश मशीन में दर्ज करने से सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है एवं सम्बन्धित को राशन वितरण किया जाता है।

(7) अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(8) नवीन डिजिटाइज्ड राशनकार्डों की सीडिंग (फीडिंग) कार्य सही प्रकार से नहीं होने पर उसे दुरुस्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सामग्री प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा/परेशानी नहीं हो रही है। उन्हें नियमानुसार खाद्यान्न (गेहूं) समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अपेक्स बैंक में फिजूलखर्ची रोकने की कार्य योजना

215. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अपेक्स बैंक द्वारा फसल मुआवजे के लिए आयोजित बैठक में किसान प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कलक्टरों को नकद राशि के कैश कूपन बांटे गये हैं? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(2) क्या पूर्व में भी किसान प्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों को उपहार या कैश कूपन का वितरण किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या उपहार व कितनी-कितनी राशि के कैश कूपन का? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अपेक्स बैंक वर्तमान में लाभ की स्थिति में संचालित है? यदि नहीं, तो उपहार स्वरूप राशि बांटने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार इस फिजूलखर्ची को रोकने हेतु कोई गाइडलाइन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) लागू नहीं।

कोटपूतली में अवैध खनन के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

216. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में कोटपूतली (जयपुर) क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के कारण लोगों पर 63 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत कई वर्षों से कोटपूतली में अवैध खनन व ब्लास्टिंग हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(3) क्या सरकार अवैध खनन कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटपूतली (जयपुर) के ग्राम कल्याणपुरा में विभाग द्वारा प्रशासन एवं पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाही करते हुए उक्त क्षेत्र में 7 स्वीकृत खनन पट्टाधारियों एवं अन्य अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध मौका पंचनामा बनाये जाकर रुपये 62.00 करोड़ की पेनल्टी वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। उक्त 7 खनन पट्टाधारियों द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बगैर खनन पट्टा स्वीकृत कराये खनन कार्य करने के कारण राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 के तहत पेनल्टी (खनिज की कीमत की मांग) लगाई गई। प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) कोटपूतली (जयपुर) क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा समय-समय पर नियमानुसार कार्रवाही की गई है। विगत पांच वर्षों में अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। खनन पट्टाधारियों को खनन पट्टा क्षेत्र में ब्लास्टिंग हेतु अनुमति खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा दी जाती है तथा क्षेत्र में अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत पर कार्रवाही भी खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की जाती है। कोटपूतली क्षेत्र में 65 खनन पट्टों को ब्लास्टिंग की अनुमति जारी की हुई है। सहायक खनिज अभियन्ता में अवैध ब्लास्टिंग की शिकायत प्राप्त होने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर को आवश्यक कार्रवाही हेतु भिजवाई गई है।

(3) जी नहीं। अवैध खनन में किसी विभागीय अधिकारी की भूमिका संज्ञान में नहीं आने से कार्रवाही करने की स्थिति नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बेरोजगारों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन

217. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) व **श्री बंशीधर** (खण्डेला) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) जनवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रदेश में कहां-कहां पर कब-कब रोजगार मेले लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मेलों में कितने बेरोजगार कहां-कहां पर कब-कब नौकरी हेतु आये और उनमें से कितने बेरोजगारों को किस-किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मेलों में कितनी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया और उनमें से कितनी कम्पनियां कहां-कहां पर कब-कब शामिल हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार विभाग द्वारा जनवरी, 2015 से 31 जनवरी 2016 तक प्रदेश में 174 रोजगार सहायता शिविर लगाये गये। जिलेवार, स्थानवार एवं दिनांकवार सूची परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) रोजगार विभाग द्वारा रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाये जाते हैं। उक्त रोजगार सहायता शिविरों में 3,56,478 बेरोजगार आशार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 68,870 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, 28,260 बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं 64,852 बेरोजगारों को प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाकर, कुल 1,61,982 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया। जिलेवार, स्थानवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(3) रोजगार विभाग द्वारा आयोजित उक्त 174 रोजगार सहायता शिविरों में 6,188 नियोजक/संस्थानों को आमंत्रित किया गया और उनमें से 2763 नियोजक/संस्थान शामिल हुए। जिलेवार, स्थानवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किरकी चौकी से ऋषभदेव वाया सलूम्बर मार्ग को चौड़ा करने की कार्य योजना

218. श्री अमृत लाल (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्टेट हाइवे नं. 53 किरकी चौकी से ऋषभदेव

(श्री अमृत लाल)

वाया सलूम्बर मार्ग को चौड़ा करने हेतु जन-प्रतिनिधियों व क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार मांग करने के बाद केवल किरकी चौकी से सलूम्बर तक मार्ग ही चौड़ा किया गया है व वर्तमान में प्रथम चरण में सलूम्बर से ईटालीखेड़ा तक की निविदा ही हुई है? यदि हां, तो शेष द्वितीय व तृतीय चरण के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

(2) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में द्वितीय व तृतीय चरण का कार्य पूर्ण कर लोगों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट हाइवे कीर की चौकी से ऋषभदेव वाया सलूम्बर को आवश्यकता अनुसार कीर की चौकी से सलूम्बर तक आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा सड़क को चौड़ा किया गया तथा वर्तमान में सलूम्बर से ईंटालीखेड़ा किमी. 85/0 से 104/0 तक की निविदा सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत प्रक्रियाधीन है। शेष लम्बाई में चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। शेष लम्बाई में चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

नवीन ग्राम पंचायतों को इंटरनेट पोर्टल में सम्मिलित करने की योजना

219. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितनी नवीन ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का गठन किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नवीन ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

(3) प्रदेश में कितनी एवं कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाई जा चुकी है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन ग्राम पंचायतों के भवन बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता नहीं होने से अधिकांश ग्राम पंचायतों में भूमि का चयन ही नहीं हो पाया है?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(5) क्या सरकार के द्वारा नवीन ग्राम पंचायतों को इंटरनेट पोर्टल तथा विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 723 नवीन ग्राम पंचायतों एवं 47 नवीन पंचायत समितियों का गठन किया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विभागीय पत्र क्रमांक 2452 दिनांक 28.12.15 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध निधियों से नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। स्वीकृतियां जिला स्तर से ही जारी की जानी अपेक्षित हैं।

विभागीय पत्र क्रमांक 2212 दिनांक 16.11.2015 द्वारा नवसृजित पंचायत समितियों के कार्यालय भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। भूमि आबंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। भूमि का आबंटन होने के उपरान्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(3) प्रदेश में नवसृजित ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि के आबंटन का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलगन है।

(4) जी नहीं। 610 ग्राम पंचायतों में भूमि का चिह्नीकरण हो चुका है, जिसमें से 171 ग्राम पंचायतों में भूमि का आबंटन हो चुका है।

आम जनता की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर के अधिकांश कार्यालय एक ही परिसर में स्थापित कर ग्रामीण सचिवालय की अवधारणा को मूर्त रूप देने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 5 बीघा भूमि चिह्नीकरण/आबंटन का अनुरोध किया गया है।

5 बीघा भूमि से कम भूमि उपलब्ध होने पर भी ग्राम पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा सकता है।

(5) जी हां। नवसृजित ग्राम पंचायतों के नाम का विवरण विभागीय साफ्टवेयर में सम्मिलित कर दिया गया है, किन्तु अब तक नवीन ग्राम पंचायतो का इंटरनेट पोर्टल, विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बांदीकुई में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

220. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत दो वर्षों में पानी की कुछ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है व उन पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 20 जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 488.12 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 34 हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु रुपये 42.84 लाख की स्वीकृतियां जारी की गईं। वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल स्वीकृत 20 जल योजनाओं में से 2 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, 4 योजनाओं पर विद्युत सम्बन्ध के अतिरिक्त समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 14 योजनाओं के निष्पादन हेतु आमंत्रित निविदा माह अप्रैल, 2016 में प्राप्त की जानी है। उक्तानुसार 6 योजनाओं पर रुपये 34.91 लाख का व्यय किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में 34 हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध विभागीय रिग मशीनों द्वारा 19 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 15 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उक्तानुसार वेधित किये गये 19 हैण्डपम्पों में से 10 हैण्डपम्प निर्माण उपरांत चालू कर दिये गये हैं। इस स्वीकृति के विरुद्ध कराये गये उक्त कार्यों पर अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर शहर के छात्रावासों में घटिया खाद्य सामग्री की आपूर्ति

221. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में संचालित छात्रावासों में सप्लाई की जाने वाली खाद्य व अन्य सामग्री के घटिया स्तर होने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो कब-कब व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कानफैड, जयपुर द्वारा छात्रावासों में सामग्री की सप्लाई स्वीकृत सीटों के आधार पर दो-दो माह की एक साथ की जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि कानफैड, जयपुर द्वारा सामग्री सप्लाई से पूर्व छात्रावासों में भरी गई सीटों का भौतिक सत्यापन करवाया जाता है? यदि हां, तो सत्यापन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार घटिया सामग्री की सप्लाई से निजात पाने हेतु स्थानीय स्तर पर छात्रावासों में खाद्य एवं अन्य सामग्री खरीद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर में संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भगत की कोठी तथा राजकीय अम्बेडकर छात्रावास भदवासिया एवं राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास जोधपुर में कानफेड द्वारा सप्लाई की गई खाद्य सामग्री गुणवत्तायुक्त नहीं पाई जाने की शिकायतें माह जुलाई एवं अगस्त 2015 में प्राप्त हुई थीं तथा इस सम्बन्ध में उक्त सामग्रियों को लेकर छात्र-छात्रायें जिला कार्यालय में भी शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे एवं स्थानीय समाचार पत्रों में ही इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए थे। छात्रावास अधीक्षकों द्वारा की गई शिकायत एवं समाचार-पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट अ पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। कानफेड, जयपुर द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 25415 दिनांक 23.04.2015 के अनुसरण में खाद्य एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति प्रथमत: दो माह की अवधि के लिए करवाई गई है, जो कि छात्रावासों

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

की स्वीकृत क्षमता के आधार पर करवाई गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। उसके पश्चात् माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 में जिलाधिकारी, जोधपुर द्वारा छात्रावास अधीक्षकों के माध्यम से खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की गई है। विभाग के पत्रांक 55540-52 दिनांक 14.09.2015 के द्वारा माह सितम्बर 2015 की खाद्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु एवं पत्रांक 65296-350 दिनांक 28.10.2015 के द्वारा माह अक्टूबर 2015 में खाद्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे, जो परिशिष्ट-स पर उपलब्ध हैं तथा इसके पश्चात् विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में वर्णित आईटम संख्या 23 व 32 में विहित शर्तों के अनुरूप राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर को 15 नवम्बर 2015 से 15 अप्रैल, 2016 तक (कुल 5 माह हेतु) ब्राण्डेड वस्तुएं क्रय हेतु विभागीय राजकीय छात्रावासों में आपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट द पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में छात्रावासों में प्रवेश आनलाइन करवाये गये हैं जिसमें वास्तविक प्रवेशित संख्या के आधार पर खाद्य सामग्री सप्लाई करवाई गई है। जोधपुर जिले में आनलाइन प्रवेश छात्रों की सूची परिशिष्ट-य पर उपलब्ध है। आनलाइन प्रवेश के उपरान्त छात्रावास अधीक्षक द्वारा विद्यार्थी के वास्तविक रूप से छात्रावास में रहने के आधार पर जोइनिग की आनलाइन सूचना पोर्टल पर अद्यतन की जाती है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा छात्रावासों का निरीक्षण कर सत्यापन किया जाता है। विभाग की वेबसाइट पर छात्रावासों में प्रवेश की आनलाइन सूचना उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में वर्णित आइटम संख्या 23 व 32 में विहित शर्तों के अनुरूप राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर को 15 नवम्बर, 2015 से 15 अप्रैल, 2016 तक (कुल 5 माह हेतु) गुणवत्ता एवं एकरूपता वाली ब्राण्डेड वस्तुएं क्रय हेतु विभागीय राजकीय छात्रावासों में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

आपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। कानफेड द्वारा जिन छात्रावासों में कम गुणवत्ता वाला सामान सप्लाई किया था। उसें परिवर्तित कर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध करवाया गया है। अब उक्त आपूर्ति में गुणवत्ता सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

राशन सामग्री का पोश मशीनों द्वारा वितरण

222. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य पोश मशीनों के माध्यम से करा रही है? यदि हां, तो कब से एवं किस एजेन्सी के द्वारा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पोश मशीनें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिन्ट्स स्वीकार नहीं कर पाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उपभोक्ताओं की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है?

(4) क्या यह भी सही है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पोश मशीनों को नेटवर्क नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को किस प्रकार खाद्य सामग्री उपलब्ध करवायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पोश मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् सामग्री वितरण का कार्य अगस्त, 2015 से चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ किया गया है। उचित मूल्य दुकानों पर पोश मशीनों की स्थापना का कार्य राजकाम्प इंफो सर्विसेज (RISL) के माध्यम से किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जनगणना, 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) पोश मशीनें 2जी डैटा नेटवर्क पर कार्य करती हैं, जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दुर्गम एवं पहाडी क्षेत्र हैं, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम है। वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बाहरिय एन्टीना उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि फिर भी समस्या यथावत रहती है, तो ऐसी स्थिति में राशन डीलर द्वारा उपभोक्ता को पूर्व की भांति राशन सामग्री का वितरण करना होता है।

प्रश्न संख्या-223

(स्थगित)

उलोडी (मकराना) में अवैध खनन पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट

224. **श्री श्रीराम भींचर** (मकराना) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मकराना की खनिज रेंज उलोडी में खान सं. 106/1 व 106/2 आबंटित हैं? यदि हां, तो किन-किन के नाम से कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों के खानधारियों द्वारा अवैध खनन किये जाने पर व सरकार को अवैध खनन की प्राप्त शिकायत सही पाये जाने पर सहायक खनिज अभियंता एवं माइन्स फोरमैन, मकराना द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2014 को 22 लाख का पंचनामा बनाया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों में अवैध खनन की बार-बार शिकायतें मिलने पर दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को अधीक्षण खनिज अभियंता (सतर्कता) जयपुर, सहायक खनिज अभियंता मकराना, माइनिंग फोरमैन मकराना, माइनिंग फोरमैन (सतर्कता) अजमेर द्वारा खानों का मौके पर निरीक्षण किया जाकर खानों का माप किया गया तथा अवैध खनन पाये जाने पर संशोधित पंचनामा 18 करोड़ का बनाया गया? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को अतिरिक्त निदेशक खनिज (सतर्कता) जयपुर व अतिरिक्त अधीक्षण खनिज

(श्री श्रीराम भींचर)

अभियंता (सतर्कता) जयपुर द्वारा उक्त खानों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया व अपनी रिपोर्ट में कोई अवैध खनन नहीं बताया गया? यदि हां, तो पूर्ण अवैध खनन किस आधार पर बताया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त रिपोर्टों में विरोधाभास होने के कारण सरकार द्वारा संयुक्त सचिव खान विभाग जयपुर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? इसी बीच उक्त संयुक्त सचिव का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण पुन: कमेटी द्वारा उपरोक्त खानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट खान विभाग को पेश की गई? यदि हां, तो संयुक्त सचिव खान विभाग जयपुर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा क्या रिपोर्ट पेश की गई? यदि उक्त रिपोर्ट में अवैध खनन होना बताया गया है, तो रिपोर्ट के आधार पर अब तक सरकार द्वारा खानधारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई व नहीं, तो क्यों? साथ ही पूर्व की जांच रिपोर्ट में 22 लाख एवं बाद की रिपोर्ट में 18 करोड़ का अन्तर किस कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

1- खान संख्या 106/1 का बापी से रेन्ट-कम-रायल्टी-लीज (आर.सी.आर.एल.) में परिवर्तन करते हुए श्री चांद मोहम्मद व श्री अब्दुल गफार पुत्र श्री अब्दुला के पक्ष में आदेश दिनांक 30.08.1980 से स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के तहत उक्त खान को आदेश दिनांक 14.10.1987 से क्वारी लाइसेंस में परिवर्तित किया गया। श्री चांद मोहम्मद के देहान्त के उपरान्त दिनांक 14.10.1987 से उनके वारिस श्री अहमद, श्री गुलाम मुस्तफा, श्री लियाकत अली, मोहम्मद सफी, श्री हाजी मोहम्मद इब्राहिम पुत्र श्री चांद मोहम्मद के नाम नामान्तरण किया गया। इसी प्रकार श्री अब्दुल गफार के देहान्त पर आदेश दिनांक 12.03.2004 से उनके वारिस अब्दुल सलाम, अब्दुल जब्बार, अब्दुल हमीद, अब्दुल वहीद, खुर्शीद अहमद व अब्दुल रसीद पुत्र श्री अब्दुल गफार सिसोदिया पुत्र चांद मोहम्मद के नाम पर क्वारी लाइसेंस प्रभावी है।

2- खान संख्या 106/2 बापी से रेन्ट-कम-रायल्टी-लीज (आर.सी.आर.एल.) के तहत श्री गेन्दा एण्ड सन्स के पक्ष में आदेश दिनांक

(खान राज्य मंत्री)

30.08.1980 से स्वीकृत की गई। उक्त खान को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के तहत आदेश दिनांक 22.12.1987 से क्वारी लाईसेन्स में परिवर्तित किया गया। पार्टनरशिप डीड दिनांक 24.04.1992 के आधार पर आदेश दिनांक 26.03.2004 से श्री अबदुल कयूम का नाम हटाकर उनके स्थान पर अबदुल हमीद का नाम जोड़ा गया। वर्तमान में उक्त लाइसेन्सी फर्म में श्री उस्मान गनी, अब्दुल अजीज, मुस्ताक अहमद, अब्दुल अलीम सभी पुत्र श्री गैंदाजी तथा मो. असलम पुत्र श्री अहमद हसन, अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल कयूम भागीदार हैं।

(2) दिनांक 22.07.2014 को सहायक खनिज अभियन्ता, मकराना द्वारा माइन्स फोरमैन के साथ खान संख्या 106/1 एवं 106/2 के विरुद्ध अवैध खनन किये जाने का मौका पंचनामा बनाया गया। खान संख्या 106/01 में मौका पंचना में 30मीx4मी.x5मी. क्षेत्र में अवैध खनन एवं 106/02 में मौका पंचनामा में 20मी0×4मी.×5मी. क्षेत्र में अवैध खनन पाया गया, जिसके क्रम में लाईसेंस धारकों को दिनांक 13.08.2014 से कारण-बताओ- नोटिस जारी किया गया। मौका पंचनामे की प्रति परिशिष्ट-1 व 2 तथा कारण बताओ-नोटिस की प्रति परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(3) दिनांक 17.09.2014 को अधीक्षण खनिज अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर द्वारा खान संख्या 106/1 एवं 106/2 के विरुद्ध अवैध खनन किये जाने का मौका पंचनामा बनाया गया जिसमें तीन अलग-अलग आकार के पिटों में अवैध खनन किया जाना पाया गया, मौका पंचनामा की प्रति-परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 20.11.2014 की प्रति परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। शासन के आदेश दिनांक 31.03.2015 से उक्त खानों की विस्तृत जांच हेतु संयुक्त शासन सचिव को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर, क्षेत्र में मौके पर जाकर सभी सम्बन्धितों को सुनकर, मौका मुआयना/ निरीक्षण के उपरान्त जांच रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी बीच तत्कालीन संयुक्त शासन सचिव का स्थानान्तरण हो जाने से नवनियुक्त संयुक्त शासन सचिव, खान विभाग, जयपुर द्वारा मामले में मौके पर दिनांक 03.07.2015 को जांच कर जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत

(खान राज्य मंत्री)

की गई। (रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मौके पर इन विवादित खानों पर सीमा स्तम्भ नहीं लगे हुए होने से पास की अन्य खानों के मूल सीमांकन के आधार पर अन्य स्थानों पर पदस्थापित एवं सर्वे में कुशल कार्मिकों के दल से इन खानों, विशेष रूप से खान संख्या 95/1, 96, 107, 106/1, 106/2, 108, 80, 80ए का सीमांकन किया जाना आवश्यक है। मौके पर सभी खानों में असुरक्षित स्थितियों में खनन कार्य हो रहा है, जिसमे फील्ड सर्वे हेतु आधुनिकतम तकनीक का उपयोग वांछित है। इससे विवादित खानों का सीमांकन के साथ-साथ वैध/अवैध खनन की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी। उक्त रिपोर्ट के क्रम में शासन द्वारा दिनांक 12.10.2015 से निदेशक, खान को उनकी अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी गठित करने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशक, खान द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2015 से उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 21 व 22.01.2016 को उक्त खानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त सम्बन्धित खनि अभियन्ता, मकराना एवं नागौर को उक्त खानों एवं आसपास की खानों के रिकार्ड, मौका स्थिति एवं उपलब्ध नक्शों को ध्यान में रखकर पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर तथ्यात्मक टिप्पणी एवं नक्शे तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण अनुसंधान में विचाराधीन है।

खान संख्या 106/1 व 106/2 उल्लोडी रेंज मकराना में स.ख.अ., मकराना द्वारा दिनांक 22.07.2014 को बनाये गये पंचनामे एवं दिनांक 17.09.2015 को अ.ख.अ. (सतर्कता), जयपुर द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा एवं उनकी 10 गुणा रायल्टी का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-8)

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कपासन के उपखण्ड मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

225. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कपासन में गत दो वर्षों में सरकारी व निजी क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित करने व नवीन भवन बनाने व भवन विस्तार की स्वीकृतियां दी गयी हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें?

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड़ मुख्यालय कपासन, राशमी, भूपालसागर व भदेसर में सरकारी व निजी आई.टी.आई. केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो किस-किस नाम से तथा उनमें कौन-कौनसे ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाता है व किस-किस केन्द्र पर कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? ट्रेडवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कपासन के सरकारी आई.टी.आई. केन्द्र पर सभी ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो कौन-कौनसे ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाता है व नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में शेष ट्रेड चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार राशमी, भूपालसागर व भदेसर उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी आई.टी.आई. केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में केन्द्र सरकार की योजना "Upgradation of 1396 Govt. ITIs through PPP" के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कपासन को क्रमोन्नत करने की कार्रवाही की जा रही है। योजना अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा संस्थान प्रबन्धन समिति (आई एम सी) को दी गई राशि रुपये 2.50 करोड़ ब्याजमुक्त ऋण से संस्थान में प्रस्तावित 4 नवीन व्यवसायों को प्रारम्भ करने की कार्रवाही की जा रही है। इस हेतु संस्थान में प्रस्तावित नवीन व्यवसायों के लिए वर्तमान भवन का विस्तार तथा नवीन भवन निर्माण भी करवाये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र कपासन की पंचायत समिति राशमी में राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के तहत ऱाजकीय आई टी आई की घोषणा की गई है तथा भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। आदेश दिनांक 17-12-2014 एवं 23-02-2016 की प्रतियां संलग्न हैं। परिशिष्ट-1 व़ 2)

(2) जी हां।

1- कपासन में 1 राजकीय एवं 1 निजी आई.टी.आई. संचालित है।

2- राशमी में 1 राजकीय आई.टी.आई. स्वीकृत है तथा भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। कार्रवाही प्रक्रियाधीन है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

3- भूपालसागर में 1 निजी आई.टी.आई. पी पी पी मोड योजनान्तर्गत स्वीकृत है। आई.टी.आई. द्वारा एन सी वी टी से सम्बन्धन की कार्रवाही प्रक्रियाधीन है।

4- भदेसर में 1 राजकीय आई.टी.आई. स्वीकृत है तथा भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। भदेसर में 1 निजी आई.टी.आई. भी संचालित है।

संचालित राजकीय एवं निजी संस्थानों में मय ट्रेड एवं अध्यनरत छात्र -छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(3) कपासन के सरकारी आई.टी.आई. में फिटर एवं वेल्डर व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा केन्द्रीय प्रवर्तित "Upgradation of 1396 Govt. ITIs through PPP" योजनान्तर्गत स्वीकृति 4 नवीन व्यवसायों का प्रशिक्षण एन.सी.वी.टी. सम्बन्धन उपरान्त ही प्रारम्भ किये जा सकेंगे। इस हेतु संस्थान में आई.एम.सी. द्वारा नवीन व्यवसायों के लिए डी.जी.टी. मापदण्डानुसार संसाधन यथा भवन, औजार-उपकरण एवं मशीनरी विकसित किये जाने की कार्रवाही की जा रही है।

(4) जी हां। राज्य सरकार की मंशा प्रत्येक पंचायत समिति में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता से आई.टी.आई. खोलने की है।

राशमी पंचायत समिति में 1 राजकीय आई.टी.आई., भदेसर पंचायत समिति में 1 राजकीय एवं 1 निजी आई.टी.आई. स्वीकृत है। भूपालसागर पंचायत समिति में 1 निजी आई.टी.आई. पी पी पी मोड योजनान्तर्गत स्वीकृत है। फिर भी यदि गुणवगुणों के आधार पर क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता होने व जनप्रतिनिधियों की मांग एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो पंचायत समिति भूपालसागर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

271. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी की अधिकांश सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं एवं उक्त सड़कें गारन्टी अवधि से पूर्व ही खराब हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गारन्टी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों के दुरस्तीकरण के लिए सरकार द्वारा सम्बन्धित संवदेक के विरुद्ध कोई कार्रवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व उक्त सडकों का दुरस्तीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं लेकिन गारन्टी अवधि की कोई सड़क क्षतिग्रस्त नहीं है। उक्त सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण राज्य सरकार के वितीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(2) जी नहीं। संवेदकों द्वारा नियमित रूप से मरम्मत की जा रही है।

दौसा में ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत सड़कों का निर्माण

272. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो प्रथम चरण में दौसा जिले की विधान सभा क्षेत्रवार कितनी पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गौरव पथ का निर्माण स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया गया? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(3) क्या उक्त जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की गई है। प्रथम फेज में ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत दौसा जिले में कुल 52 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 33 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया जा चुका है एवं एक कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। शेष 18 कार्यों को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी एवज में 19 मिसिंग लिंक के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण विधायकों की अनुशंसा पर नहीं किया गया।

(3) जी हां। दौसा जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण हुआ है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़ी में ध्वजपुरा से सूरौठी तक पक्की सड़क का निर्माण

273. **श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति बाड़ी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम ध्वजपुरा से सूरौठी तक (लगभग 3 किमी.) आवागमन हेतु कोई पक्का सड़क मार्ग नहीं है?

(2) क्या सरकार ध्वजपुरा से सूरौठी तक पक्की सड़क बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति बाड़ी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम ध्वजपुरा से सूरौठी तक आवागमन हेतु कोई

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पक्का सड़क मार्ग नहीं है। उक्त दोनों सड़कों के मध्य लगभग 3.50 किमी लम्बाई है तथा दोनों गांव पृथक-पृथक डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

(2) ध्वजपुरा से सूरौठी तक मिसिंग लिंक की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण वर्तमान में किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। इसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

बहरोड़ (अलवर) में बस स्टैण्ड बनाने की योजना

274. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने बस स्टैण्ड कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ती आबादी को देखते हुए बहरोड़ में बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निम्नांकित बस स्टैंड से निगम की बसें संचालित हैं :-

क्र.सं.	निगम बस स्टैंड	वाहन संचालन की स्थिति
1	अलवर	संचालित है
2	तिजारा	संचालित है
3	मुबारिकपुर	संचालित है
4	बड़ौदामेव	बस स्टैंड है, किन्तु निगम वाहनों का संचालन स्टैंड के बाहर से होकर किया जा रहा है ।
5	राजगढ़	राजगढ़ नगरपालिका बस स्टैंड से संचालित है। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड राजगढ़ के समीप खाली जमीन है जिस पर निगम का स्वामित्व है।

(2) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल बहरोड़ में बस स्टैंड बनाने का निगम का कोई विचार नहीं है।

झालावाड़ की मुण्डेरी नदी पर ओवरब्रिज निर्माण हेतु किसानों की अवाप्त जमीन का मुआवजा

275. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की मुण्डेरी नदी पर ओवरब्रिज बनाने हेतु किसानों की जमीन अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो क्या उनको मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो किस दर से व नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला झालावाड़ में निर्मित किये जा रहे कालीसिंध नदी पर मुण्डेरी पुलिया पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण में 4 बीघा 0.07 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि विभाग के पास है। इसके अतिरिक्त 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि को अवाप्त करने की कार्रवाही की जा रही है। भूमि अवाप्ति की कार्रवाही कर मुआवजा भुगतान भूमि अर्जन, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में उप परिवहन कार्यालय की स्थापना

276. श्री सुरेश धाकड (बेगूं) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बेगूं विधान सभा क्षेत्र के रावतभाटा तहसील मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। तहसील रावतभाटा में पंजीकृत वाहनों की न्यून संख्या व विभाग में कार्मिकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कम कार्मिकों की उपलब्धता के मध्यनज़र वर्तमान में रावतभाटा में उप परिवहन कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

नवीन बी.पी.एल. सर्वे की योजना

277. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमसा)

क्या यह सही है कि प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे काफी समय से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार बी.पी.एल. सर्वे वर्ष 2002 किया गया था, जिसे माह सितम्बर 2006 में लागू किया गया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. सर्वे के स्थान पर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का कार्य राज्य में सम्पन्न हो चुका है। बी.पी.एल. परिवारों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाना विचाराधीन है।

सी.एफ.टी. प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाओं का चयन

278. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहयोग करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के तहत सी.एफ.टी. प्रोजेक्ट के लिए संस्थाओं का चयन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं (एन.जी.ओ.) का तथा उनको 31 जनवरी, 2016 तक कितना भुगतान किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चयनित संस्थाओं ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया है? यदि हां, तो किस-किस संस्था ने कितने बेरोजगारों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों, व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहयोग करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के तहत सी एफ टी प्रोजेक्ट के लिए संस्थाओं का चयन नहीं किया गया है। बल्कि भारत सरकार

(ग्रामीण विकास मंत्री)

के निर्देशों की पालना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक के रूप में मजदूरी उपलब्ध करवाने तथा 15 दिन की अवधि में मजदूरी का भुगतान दिलवाने में सहयोग करने के लिए सी एफ टी का गठन किया गया है। इस हेतु चयनित संस्थाओं एवं उन्हें दिनांक 31.01.2016 तक किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस योजनान्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक जाबकार्डधारी परिवारों को प्रोत्साहित कर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रम का कार्य उपलब्ध करवाया जाता है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	चयनित एनजीओ का नाम	दिनांक 31.01.2016 तक जारी राशि (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	डूंगरपुर	झोथरी	पीड़ो	373333
2.	बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	प्रोग्रेस	2380000
3.	उदयपुर	खैरवाड़ा	बायफ	793333
4.	राजसमंद	देवगढ़	एफईएस	1120000
5.	भीलवाड़ा	आसीन्द	एफईएस	746666
6.	झालावाड़	बकानी	ग्रामीण विकास ट्रस्ट	2380000
7.	बारां	छीपाबड़ौद	बायफ	746666
8.	टोंक	निवाई	सृजन	373333
9.	चूरू	चूरू	भौरूका चेरीटेबल ट्रस्ट	1540000
10.	चित्तौड़गढ़	बेगूं	एफईएस	746666
11.	अजमेर	केकड़ी	बायफ	373333
12.	जोधपुर	बालेसर	उन्नती	2380000
13.	पाली	पाली	अम्बूजा सीमेंट फाउण्डेशन	793333

1	2	3	4	5
14.	सिरोही	पिण्डवाड़ा	जन चेतना संस्थान	793333
15.	कोटा	सांगोद	ग्रामीण विकास ट्रस्ट	1586666
			योग	**17126662**

उदयपुर ग्रामीण में पंचायत स्तर पर संचालित योजनाएं

279. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायत स्तर पर कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायत स्तर पर निम्न विभागीय योजनाएं संचालित की जा रही है :-

राज्य वित्त आयोग चतुर्थ, राज्य वित्त आयोग पंचम, तेरहवां वित्त आयोग, चौदहवां वित्त आयोग, निर्बन्ध राशि कोष, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना, टाडा योजना, माडा योजना, नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किसान सेवा केन्द्र, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, क्षतिपूर्ति समनुदेशन योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति कार्यशाला निर्माण, मुख्यमंत्री जन स्वावलम्बन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, आदि।

प्रदेश में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना के तहत व्यय राशि

280. **श्री भंवरसिंह** (कोलायत) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना के तहत वितीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में जिलेवार कितने व किस तरह के कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरसिंह)

(2) बीकानेर जिले की सभी पंचायत समितियों में गत दो वर्षों में उक्त योजना के तहत करवाये गए सभी कार्यों का कार्यवार मय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में विधायक निधि कोष की राशि को सम्मिलित कर जन भागीदारी के तहत कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में कब्रिस्तान, श्मशान घाट की चारदीवारी, खेल मैदान की चारदीवारी व समतलीकरण, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में कमरा/हाल मय बरामदा निर्माण, सड़क निर्माण व सामुदायिक परिसम्पत्ति से सम्बन्धित कार्य करवाये जाते हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में रुपये 5,821.81 लाख व्यय कर 982 कार्य तथा वर्ष 2015-16 में रुपये 6840.77 लाख व्यय कर 1,418 कार्य करवाये गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बीकानेर जिले की सभी 7 पंचायत समितियों में गत दो वर्षों में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के तहत 112 कार्य रुपये 1,178.29 लाख के करवाये गये। करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) अभी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शाहपुरा (भीलवाडा) में जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत जारी स्वीकृतियां

281. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) की कई परियोजनाओं (कैटेगरीज) के विकास/निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जाती हैं? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विकास खण्ड में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से अब तक किन-किन परियोजनाओं (कैटेगरीज) की विकास/निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई? प्रत्येक परियोजना(कैटेगरी) की किस-किस

(श्री शैतानसिंह)

तारीख को कितने-कितने धन की स्वीकृति जारी की गई और उसके पूर्ण होने में कितना व्यय हुआ एवं उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र कब पेश किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विकास कार्य पूर्ण होकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद भी विभाग की ओर से निगरानी/जानकारी किये जाने की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त विकास/निर्माण कार्यों की क्रियान्विति के दौरान सम्बन्धित प्रभारी सहायक अभियन्ता के अलावा भी किसी अन्य उच्च अधिकारी या अन्य एजेन्सी (आडिट सुपरविजन) द्वारा भी कार्य की प्रामाणिकता तथा भौतिक सत्यापन भी किया जाता है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) अन्तर्गत राज्य में संचालित जलग्रहण परियोजनाओं (परियोजना में विकास/निर्माण कार्य समाहित) की स्वीकृतियां आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं।

भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा ब्लाक में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत अब तक तीन जलग्रहण परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। परियोजनावार, स्वीकृत वर्षवार, स्वीकृत क्षेत्रफलवार, स्वीकृत राशिवार एवं विकास कार्य/निर्माण कार्य (एन.आर.एम. गतिविधि) की राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रत्येक परियोजना की प्रारम्भ से लेकर अब तक कैटेगरीवार विकास/निर्माण कार्यों की स्वीकृति का दिनांक, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पंर संलग्न है।

(2) जी हां। विकास कार्य पूर्ण होकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् भी भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की ओर से अनुबंधित गैर-सरकारी

(पंचायती राज मंत्री)

संगठन द्वारा प्रारम्भिक चरण मूल्यांकन एवं मध्य चरण मूल्याकंन कराये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में प्रदेश में जलग्रहण परियोजनाओं में कार्यों का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेन्सी 'मेल्ड' (Monitoring, Evaluation, Learning and Documentation) अन्तर्गत किया जा रहा है। मार्गदर्शिका के अनुसार प्रारम्भिक चरण में ई पी ए के कुल कार्यो का 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन मय फोटोग्राफ्स किया जाता है एवं एन आर एम अन्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों का न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा जो कार्य 2.50 लाख रुपये एवं इससे अधिक लागत के हैं, उनका 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। कार्यों की उपादेयता व भौतिक सत्यापन ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से कराया जाता है।

आई.डब्ल्यू.एम.पी-04 एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी-20 की जलग्रहण परियोजनाओं का वर्ष 2013 के प्रारम्भिक चरण का मूल्यांकन दिनांक 11.08.2014 से 13.08.2014 में किया गया एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी.-04 परियोजना का मध्य चरण का मूल्यांकन तृतीय पार्टी द्वारा प्रक्रियाधीन है जो कि 'मेल्ड' अन्तर्गत नेबकोस संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा प्रति माह कराये गये विकास कार्यों का नेबकोस द्वारा भौतिक सत्यापन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को प्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त जलग्रहण परियोजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा प्रति वर्ष जारी सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर के अनुसार सम्पादित कराया जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा उप समिति जलग्रहण द्वारा कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन के साथ उस कार्य पर की गई व्यय राशि का भी सत्यापन किया जाता है।

(3) जी हां। इन विकास/निर्माण कार्यों की क्रियान्विति के दौरान सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के अलावा भी अन्य उच्च अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता) एवं अन्य एजेन्सी (आडिट सुपरविजन) द्वारा समय-समय पर कार्य की प्रमाणिकता तथा भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। उप समिति जलग्रहण के अध्यक्ष/सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत/वार्ड पंच एवं डब्ल्यू डी टी सदस्य द्वारा मौके पर कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

(पंचायती राज मंत्री)

उपरोक्त दोनों जलग्रहण परियोजनाओं में मौके पर विकास/निर्माण कार्यों का अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की दिनांक परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

कार्यों की प्रामाणिकता एवं भौतिक सत्यापन करने हेतु महालेखाकार अंकेक्षण के दल द्वारा प्रति वर्ष जलग्रहण क्षेत्रवार पी आई ए एवं उप समिति जलग्रहण के समस्त रिकार्ड का परीक्षण किया जाता है।

महालेखाकार अंकेक्षण के दल द्वारा वर्ष 2012-13 में आई.डब्ल्यू.एम.पी.-04 एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी.-20 दोनों जलग्रहण परियोजनाओं के रिकार्ड का दिनांक 31.03.2013 तक का आडिट किया जा चुका है। वर्ष 2013-14 में आई.डब्ल्यू.एम.पी.-04 का दिनांक 06.09.2013 तक का एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी -20 का दिनांक 01.11.2013 तक का आडिट किया जा चुका है।

उपरोक्त दोनों जलग्रहण परियोजनाओं का शुरू से लेकर वर्ष 2014-15 तक का सीए आडिट भी कराया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2014-15 के माह जून में राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में भिजवाये गये विशेष जांच दल द्वारा परफोर्मेन्स आडिट में रेन्डमली चयनित आई.डब्ल्यू.एम.पी.-04 जलग्रहण परियोजना की विस्तृत आडिट करवाई गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ग्राम पंचायतों में मकानों/बाड़ों के पट्टे देने की योजना

282. **श्री रामनारायण** (नसीराबाद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने मकान/बाड़े के कैम्प लगाकर पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कैम्प लगाने से पूर्व पट्टे देने की समस्त प्रक्रिया को पूर्ण करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान विद्यमान है, जिसके तहत आबादी क्षेत्र में बने पुराने मकानो का कब्जाधारी द्वारा कब्जे के आधार पर

(पंचायती राज मंत्री)

पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा दिया जाता है।

(2) जी नहीं। पट्टे देने की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा दिये जाते हैं।

गिड़ा और पाटोदी पंचायत समिति में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना

283. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गिड़ा और पाटोदी में सहायक अभियंता कार्यालय नहीं हैं?

(2) क्या सरकार गिडा व पाटोदी पंचायत समितियों की जनता को समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने और पेयजल परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन करने के लिए उक्त कार्यालय खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला बाड़मेर में नवसृजित एवं दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से कार्यरूप में अस्तित्व में आईं पंचायत समिति गिड़ा और पाटोदी की पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण का कार्य क्रमश: विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय, उपखण्ड उण्डू एवं पचपदरा द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।

(2) बाड़मेर जिले की पंचायत समिति क्षेत्र गिड़ा में पेयजल आपूर्ति हेतु उण्डू जल स्रोत से 3 क्षेत्रीय जल योजनाएं वर्तमान में संधारण में हैं तथा सहायक अभियन्ता का कार्यालय मुख्यालय उण्डू में कार्यरत होने के कारण गिड़ा में अतिरिक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय के सृजन की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यालयों के मुख्यालय परिवर्तन करने के तैयार किये गये प्रस्तावों में पंचायत समिति क्षेत्र पाटोदी सहित प्रत्येक पंचायत समिति

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मुख्यालय (पंचायत समिति गिड़ा के अतिरिक्त) पर सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय प्रस्तावित किये गये हैं।

इन प्रस्तावों का वर्तमान में परिशीलन किया जा रहा है एवं गुण-अवगुण के आधार पर तद्‌नुसार कार्रवाही की जावेगी।

सिंगल फेज नलकूप व आर.ओ. प्लांट

284. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणग़ढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के बजट घोषणा पत्र में पेयजल से सम्बन्धित क्या-क्या घोषणाएं की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में प्रदेश में कितने हैण्डपम्प, नलकूप, सिंगल फेज नलकूप एवं आर.ओ. प्लांट स्वीकृत किये गये हैं तथा इन पर कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2014-15 के परिवर्तित बजट भाषण दिनांक 14 जुलाई, 2014 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट भाषण दिनांक 9 मार्च, 2015 में पेयजल के सम्बन्ध में की गई घोषणाएं एवं इनकी प्रगति सम्बन्धी विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न हैं।

(2) उपरोक्तानुसार बजट घोषणाओं की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित है।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प, थ्री-फेज नलकूप, सिंगल फेज नलकूप एवं आर.ओ. संयंत्र तथा इनके निर्माण पर माह फरवरी, 2016 तक किये गये व्यय सम्बन्धी जिलेवार एवं वर्षवार वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विश्वेश्वैरया नगर व गंगोत्री नगर (जयपुर) में बीसलपुर से पानी की आपूर्ति

285. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के गोपालपुरा बाइपास स्थित विश्वेश्वैरया नगर व गंगोत्री नगर में वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी व आस-पास की कालोनियों में महेश नगर की टंकी से पानी सप्लाई किया जा रहा है? उक्त पानी की टंकी तीन किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण कम दबाव से पानी आ रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में बीसलपुर के पानी की सप्लाई नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में बीसलपुर के पानी की सप्लाई करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की पानी की परेशानी के समाधान हेतु कोई पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के गोपालपुरा बाइपास के दक्षिण की ओर स्थित विश्वेश्वैरया नगर एवं गंगोत्री नगर में शहरी जल योजना, जयपुर अन्तर्गत महेश नगर में निर्मित उच्च जलाशय से घरेलू जल सम्बन्धों के माध्यम से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। महेश नगर में निर्मित उक्त उच्च जलाशय (जल भण्डारण क्षमता-1250 किलोलीटर) से गोपालपुरा बाइपास के उत्तर की ओर स्थित कालोनियों में एवं दक्षिण की ओर स्थित विश्वेश्वैरया नगर एवं गंगोत्री नगर सहित अन्य कालोनियों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

विश्वेश्वैरया नगर एवं गंगोत्री नगर की उक्त उच्च जलाशय से दूरी लगभग 2.3 किलोमीटर है तथा ये दोनों क्षेत्र अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण इस उच्च जलाशय से इनमें कम जल दबाव से पेयजल आपूर्ति हो पाती है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त दोनों क्षेत्रों में बीसलपुर के स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति वर्तमान में उक्त उच्च जलाशय से प्रतिदिन प्रातः 5:00 से 6:30 बजे तक, कुल डेढ घण्टे की अवधि के लिए की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विश्वेश्वैरया नगर में निर्मित 1 नलकूप एवं गंगोत्री नगर में निर्मित 2 नलकूपों से उच्च जलाशय से पेयजल आपूर्ति के समय एवं इसके उपरान्त भी सीधे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

(4) उक्त कालोनियों सहित अन्य कालोनियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु गोपालपुरा बाइपास के दक्षिण और क्षेत्र के मध्य स्थित कालोनी 10-बी स्कीम में नवीन उच्च जलाशय के निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को आवश्यक भूमि के आबंटन हेतु आवेदन किया गया है। भूमि आबंटन की सुनिश्चितता होने के उपरान्त योजना बनाकर इसकी स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया जावेगा।

अलवर को चम्बल योजना से पेयजल की आपूर्ति

286. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कौन-कौनसी पेयजल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति की जा रही है? 1 अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक किस-किस योजना में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि अलवर जिले के लिए स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति हेतु कौन-कौनसी योजना में कितनी-कितनी राशि से कौन-कौनसे पेयजल कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में सुचारु एवं सुव्यवस्थित पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

(4) क्या सरकार चम्बल योजना से अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना पर अब तक क्या कार्रवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले के 8 शहर/कस्बे अलवर, राजगढ़, बहरोड़, खैरथल, खेड़ली, गोविन्दगढ़, तिजारा एवं भिवाड़ी शहरी जल योजना अन्तर्गत पाइप्ड

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जल योजनाओं से लाभान्वित हैं। जिले में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 2,021 ग्रामों में विभिन्न प्रकार की जल योजनाओं से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पंचायत समितिवार विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से 31 जनवरी, 2016 की अवधि में शहरी क्षेत्र अन्तर्गत 95 योजनाएं, कार्य राशि रुपये 1,852.40 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 947 योजनाएं, कार्य राशि रुपये 8,729.27 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में पेयजल सम्बन्धी स्वीकृत उक्त योजनाओं/कार्यों के विरुद्ध शहरी क्षेत्र में 70 योजनाएं/कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 24 पर कार्य प्रगति में हैं एवं 1 कार्य पर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में 536 योजनाएं/कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, 278 पर कार्य अपूर्ण/प्रगति में है एवं 133 कार्यों पर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाना है। जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की उक्त योजनाओं में क्रमश: रुपये 533.16 लाख एवं 2,800.67 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। योजना/कार्यवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(3) अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु तात्कालिक समाधान के अन्तर्गत उक्तानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति के तहत इनके कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण जिले की पेयजल की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत चम्बल नदी सतही जल स्रोत से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्रोत फिजिबिलिटी सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई है, जिसका परीक्षण विभागीय तकनीकी समिति द्वारा प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार कार्रवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

दौसा शहर में पेयजल आपूर्ति की कार्य योजना

287. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(श्री शंकर लाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्षा कम होने के कारण पानी की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो दौसा शहर में वर्तमान में कितने दिन में एवं कितनी देर तक पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दौसा में भीषण पेयजल संकट के निवारण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा के शहर दौसा की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 1,05,730 (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या-85,960) हेतु अभिकल्पित पेयजल मांग 105.00 लाख लीटर के विरुद्ध बाणगंगा एवं होदायली धर्मपुरा क्षेत्र में निर्मित 30 नलकूप एवं शहर में विभिन्न स्थानों पर निर्मित 4 खुले कुओं से 25 लाख लीटर प्रतिदिन जल उत्पादन किया जाकर 96 से 120 घण्टे के अंतराल पर शहर के कुल 40 वार्डों में से 35 वार्डों में 30 से 45 मिनट की अवधि के लिए पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

शहर के शेष 5 वार्ड वितरण पाइपलाइनों से जुड़े नहीं होने के कारण इन वार्डों में स्थापित एवं क्रियाशील हैण्डपम्प व सिंगल फेज नलकूपों से तथा टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वार्डवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

दौसा शहर में वर्तमान में प्रतिदिन 105 टैंकर ट्रिपों द्वारा 4,20,000 लीटर तथा साथ ही शहर में क्रियाशील 105 सिंगल फेज नलकूप एवं 411 हैण्डपम्पों से भी पेयजल आपूर्ति हो रही है।

(2) दौसा शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत जल सेवा स्तर में आवश्यक सुधार हेतु 8 नलकूप एवं इनसे सम्बन्धित मुख्य राइजिंग पाइप लाइन का प्रावधान लेते हुए संवर्धन शहरी जल योजना, दौसा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.05.2015 को राशि रुपये 89.34 लाख की जारी की गई। स्वीकृत योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु सफल संवेदक को राशि रुपये 68.64 लाख का कार्यादेश दिनांक 09.10.2015 को जारी किया गया।

संवेदक द्वारा माह नवम्बर, 2015 में वेधित किये गये दो नलकूप

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

निर्माण के दौरान असफल रहे। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा नलकूप निर्माण में अनावश्यक रूप से भारी विरोध के कारण संवेदक द्वारा नलकूपों के निर्माण कार्य करने में असमर्थता जाहिर की गई। विभाग द्वारा नलकूपों के निर्माण का कार्य भू-जल विभाग की रिग मशीनों से कराये जाने हेतु निर्णय लिया जाकर, प्रशासन के सहयोग से एक सफल नलकूप का निर्माण दिनांक 05.03.2016 को पूर्ण किया गया है तथा शेष अन्य नलकूपों के निर्माण की कार्रवाही प्रगति पर है। योजना में प्रावधित नलकूपों का निर्माण सुगमता से हो जाने की स्थिति में उक्त योजना का कार्य माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, दौसा शहर में 20 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 21.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 02.07.2015 को जारी की गई। इस स्वीकृति के विरुद्ध विभागीय रिग मशीनों द्वारा 14 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विभागीय रिग मशीनों की पहुंच नहीं होने के कारण (रास्ते संकरे होने से) शेष 6 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य तथा इसके साथ-साथ इन हैण्डपम्पों हेतु प्लेटफार्म निर्माण, हैण्डपम्प स्थापना एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर के कार्यों हेतु निविदा सम्बन्धी कार्रवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत समस्त हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

दौसा शहर में तीन स्थानीय खुले कुएं, इससे सम्बन्धित पाइपलाइन, विद्युत सम्बन्ध, आदि का प्रावधान लेते हुए राशि रुपये 83.61 लाख के बनाये गये प्रस्ताव वर्तमान में सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट भाषण दिनांक 8 मार्च, 2016 में दौसा जिले की पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु 14 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित करने की घोषणा की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रावतसर शहर में पानी के स्टोरेज की व्यवस्था

288. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :-

(1) क्या यह सही है कि रावतसर नगरपालिका क्षेत्र सेमग्रस्त क्षेत्र है?

(श्रीमती द्रोपती)

यदि हां, तो यहां पर जमीन में दबाई गई पेयजल पाइपे कितनी गहराई पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रावतसर शहर में बने वाटर वर्क्स में कितने दिनों तक पानी का स्टोरेज रहता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शहर में वर्ष 2014-15 में कितने पानी के लीकेज ठीक किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रावतसर कस्बे का कुल क्षेत्रफल 8.10 वर्ग किलोमीटर है तथा भू-जल स्तर 5 से 10 फीट तक है। कस्बे के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में विभिन्न वार्डों की पेयजल पाइपइलाइनें 8 से 10 फीट की गहराई पर तथा शेष 60 प्रतिशत क्षेत्र में ये पाइपलाइनें 3 से 4 फीट की गहराई पर बिछी हुई हैं।

(2) रावतसर की शहरी जल योजना का मुख्य जल स्रोत इंदिरा गांधी नहर की खेतेवाली वितरिका से 12.33 क्यूसेक्स क्षमता के आउटलेट से रा-वाटर 3,200 मीटर लम्बाई में निर्मित चैनल द्वारा 5 स्टोरेज टैंकों (कुल जल भण्डारण क्षमता 1,20,000 किलोलीटर) में एकत्रित कर, 4.49 एम.एल.डी. रेपिड ग्रेविटी एवं 0.72 एम.एल.डी. के दो स्लो-सैण्ड फिल्टर संयंत्रों से छनन उपरान्त अवशेष क्लोरीन-युक्त स्वच्छ पेयजल 82 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वितरित किया जा रहा है। रा-वाटर स्टोरेज टैंकों की जल भण्डारण क्षमता कस्बे की पेयजल मांग अनुसार 25 दिवस की है।

(3) रावतसर शहरी जल योजना अन्तर्गत बिछी हुई पेयजल पाइप लाइनों में वितीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न कारणों से विभिन्न स्थानों पर हुई कुल 219 लीकेजों की मरम्मत की जाकर कस्बे में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाई रखी गई। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी में सम्बल योजना व नवजीवन योजना में आबंटित बजट

289. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बून्दी जिले में सरकार द्वारा संचालित सम्बल योजना व नवजीवन योजना की स्थानीय स्तर समिति की वर्ष 2015-16 में कब-कब बैठकें आयोजित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक डोगरा)

(2) उक्त योजनाओं के लिए कितना बजट प्राप्त हुआ तथा किस-किस मद में व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी में सम्बल योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये थे। स्वच्छ भारत मिशन में पर्याप्त बजट होने के कारण कवर हो गये जिसके कारण सम्बल योजना में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

नवजीवन योजना बून्दी में उक्त योजना की वित्तीय वर्ष 2015-16 में मार्च माह में दिनांक 16.03.16 को बैठक प्रस्तावित की हुई है।

बून्दी में स्थानीय स्तर समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोई प्रकरण लम्बित नहीं होने के कारण आयोजित नहीं की गई।

(2) बून्दी में सम्बल योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये थे। स्वच्छ भारत मिशन में पर्याप्त बजट होने के कारण कवर होने से सम्बल योजना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, न ही बजट आबंटन हुआ।

नवजीवन योजना बून्दी में उक्त योजनान्तर्गत मानव कल्याण एवं चेतना संस्थान, बून्दी को वर्ष 2013-14 में किये गये प्रशिक्षण कार्य हेतु 1,97,720 रुपये का भुगतान दिसम्बर 2015 में किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

योजना	बजट	व्यय
नवजीवन योजना (एस सी)	10,00,000 रूपये	1,97,720 रूपये
नवजीवन योजना (अन्य)	5,00,000 रूपये	-

गवारिया जाति की महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु कार्य योजना

290. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गवारिया जाति की अधिकांश महिलाएं स्वयं का रोजगार करने हेतु गांव-गांव में फेरी लगाकर महिला सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बेचने का कार्य करती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी

(श्री केसाराम चौधरी)

महिलाओं के स्वावलम्बन तथा इन्हें प्रोत्साहन देने हेतु एवं उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए कोई विशेष प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो अब तक इन्हें कौन-कौनसी योजना में लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ऐसे कितने राशन कार्ड धारक परिवार उक्त जाति के हैं, जिनके पास रहने हेतु स्वयं का मकान नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य जानकारी के अनुसार प्रदेश में गवारिया जाति की महिलाएं सामान्यत: स्वयं का रोजगार करने हेतु गांव-गांव फेरी लगाकर महिला सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बेचने का कार्य करती हैं। राज्य सरकार द्वारा गवारिया जाति की महिलाओं के स्वावलम्बन तथा इन्हें प्रोत्साहन देने एवं इनके बच्चों की शिक्षा हेतु अलग से कोई विशेष योजना संचालित नहीं है। इसलिए इस जाति की महिलाओं एवं इनके बच्चों को लाभान्वित करने की पृथक से सूचना एकत्रित किये जाने की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने पर पात्रता के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से गवारिया जाति की महिलाएं एवं इनके बच्चे भी लाभ ले सकते है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में कुल 237 राशन कार्ड धारक परिवार गवारिया जाति के हैं। इनमें से 232 परिवारों के पास रहने के लिए मकान उपलब्ध हैं।

पंचायत समिति देसूरी में गवारिया जाति के निम्न 5 परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परिवार का विवरण	ग्राम पंचायत
1	भंवरलाल/लालाराम गवारिया	डायलाना कलां
2	जोराराम/भंवरलाल गवारिया	डायलाना कलां
3	इन्दरलाल/ भंवरलाल गवारिया	डायलाना कलां
4	सोहनलाल/लालाराम गवारिया	डायलाना कलां
5	मनोहरलाल/लुम्बाराम गवारिया	डायलाना कलां

फुलेरा में पालनहार योजना में लाभान्वित बच्चे

291. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पालनहार योजना कब से व कहां-कहां संचालित है तथा उक्त योजना में किन-किन बच्चों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक उक्त योजना में किन-किन बच्चों को कब-कब लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2005 से पालनहार योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में संचालित है। पालनहार योजना में निम्न श्रेणी के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है:

1. अनाथ बालक/बालिका;

2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड /आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे;

3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की तीन संतान;

4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे;

5. एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे;

6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे;

7. नाता जाने वाली माता की तीन संतानें;

8. विशेष योग्यजन माता /पिता की संतान; एवं

9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान।

अनुदान एवं शर्तें:-

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य);
2. 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1,000 रुपये प्रति माह (विद्यालय जाना अनिवार्य);
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते, आदि हेतु 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं);

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

4. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए;
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए; एवं
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

शहरी क्षेत्र में (आवेदन हेतु) :-

जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

ग्रामीण क्षेत्र में (आवेदन हेतु) :-

विकास अधिकारी, पंचायत समिति कार्यालय/जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जनवरी 13 से 31 जनवरी, 2016 तक कुल 936 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

शेरगढ़ में आस्था योजना से लाभान्वित

292. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में विशेष योग्यजन हितार्थ आस्था योजना का संचालन किया जा रहा हैं? यदि हां, तो योजना की पात्रता एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधानसभा क्षेत्र शेरगढ में दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने परिवारों को आस्था कार्ड जारी कर योजना से लाभांवित किया गया? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा एक ही परिवार में एक से अधिक विशेष योग्यजन होने की दशा में उक्त परिवार को आस्था कार्ड जारी किया जाता है। ऐसे आस्था कार्डधारी परिवारों को बी.पी.एल परिवार के समकक्ष सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है। योजनान्तर्गत जारी नियमों की प्रति सलंग्न परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर 2013 से दिनांक 31.01.2016 तक राज्य सरकार द्वारा संचालित 'आस्था' योजनान्तर्गत 5 परिवारों को 'आस्था' कार्डधारी जारी कर लाभान्वित किया गया। इन 'आस्था' कार्डधारी परिवारों का ग्राम पंचायत वार विवरण संलग्न परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत नियुक्त काउंसलर

293. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित किशोर गृहों, बालिका गृह व सम्प्रेक्षण गृह में बालक व बालिका की काउंसिलिंग करने के लिए काउंसलर नियुक्त करने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रदेश के प्रत्येक गृह में नियुक्त काउंसलरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त काउंसलर के नियुक्ति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? नियुक्त काउंसलरों की योग्यता व अनुभव का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सही है कि किशोर गृह, सेठी कालोनी, जयपुर में काउंसलर की नियुक्ति की गई? यदि हां, तो कार्यरत काउंसलर के नियुक्ति आदेश, उसकी योग्यता व अनुभव का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त काउंसलर द्वारा अब तक कितने बच्चों की काउंसलिग की गई? की गई काउंसलिंग रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित किशोर गृहों, बालिका गृह व सम्प्रेक्षण गृह में बालक/बालिकाओं की काउंसलिग करने के लिए काउंसलर नियुक्त करने का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रत्येक गृह में नियुक्त कांउसलरों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा काउंसलर हेतु विजिटिंग बेस पर (प्रति विजिट 400,

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रति माह में अधिकतम 20 विजिट एवं प्रतिदिन 5 घंटे) एंजेन्सी के माध्यम से लेने का प्रावधान किया गया है।

नियुक्त काउंसलरों की योग्यता एवं अनुभव की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। (पृष्ठ संख्या 1 से 85)

(3) जी हां। किशोर गृह सेठी कालोनी, जयपुर में काउंसलर की नियुक्ति की गई है। काउंसलर के नियुक्ति आदेश, उसकी योग्यता अनुभव की प्रतियां परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

(4) उक्त काउंसलर द्वारा अभी तक 238 बच्चों की काउंसलिंग की गई।

काउंसलिंग रिपोर्ट में बच्चे का नाम, पता, विद्यालय का नाम एवं उसके अन्तरण जीवन के बारे में गोपनीय तथ्य एवं बातें होती हैं जिनको प्रकटन किया जाना बालक के हित में नहीं है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 74 के अन्तर्गत बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेद है व इसका प्रकटन करना दण्डनीय अपराध है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जालौर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित पात्र परिवार

294. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपील द्वारा वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने का प्रावधान है? यदि हां, तो अपील अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता है, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में उक्त अपील के अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने निस्तारित हुए? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने हेतु अपील का प्रावधान है। अपीलीय प्रक्रिया में अपील अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जालौर विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल 3,404 आवेदन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में वार्डवाइज सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन कार्य के पश्चात् पात्र परिवारों को जोड़ा जायेगा। प्राप्त आवेदनों की वार्डवार/ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

स्टाक सीमा से अधिक माल रखने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

295. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में प्रदेश में सरकार द्वारा दाल, दलहन, आदि उत्पादों पर स्टाक सीमा से माल अधिक होने पर जांच सम्बन्धी कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कब-कब व कहां-कहां? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान कितनी फर्मों का उत्पाद स्टाक सीमा से अधिक पाया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा स्टाक सीमा से अधिक माल रखने वाली फर्मों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकार द्वारा दाल, दलहन, आदि उत्पादों पर स्टाक सीमा से माल अधिक होने पर जांच सम्बन्धी की गयी कार्यवाही का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान जिन फर्मों का उत्पाद स्टाक सीमा से अधिक पाया गया, उनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) सरकार द्वारा स्टाक सीमा से अधिक माल रखने वाली फर्म पर की गई कार्रवाही का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अन्नपूर्णा भण्डारों द्वारा ब्रांडेड सामग्री का विक्रय

296. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भण्डारों में ब्रांडेड सामग्री के वितरण की भी व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं किस-किस ब्रांड की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा यह ब्रांडेड सामग्री किस-किस दर पर क्रय एवं विक्रय की जा रही हैं? क्या ये दरें प्रचलित बाजार दर से कम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अन्नपूर्णा भण्डारों से सरकार की आय में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार खोले गये हैं। दिनांक 02.03.2016 तक खोले गये अन्नपूर्णा भण्डारों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत ब्रांडेड सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का विवरण परिशिष्ट-2 एवं आपूर्ति किये जा रहे ब्रांडों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) अन्नपूर्णा भण्डारों पर आपूर्ति की जाने वाली सामग्री अनुमोदित आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स फ्यूचर कन्ज्यूमर एण्टरप्राइजेज लि. द्वारा सीधे चयनित उचित मूल्य दुकानदारों को उनकी मांग अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार योजना में सीधे फर्म से कोई सामग्री क्रय नहीं की जा रही है। चयनित उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म से क्रय

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

की जाने वाली दर मदवार परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। अन्नपूर्णा भण्डारों पर आम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर विक्रय की जा रही है।

(4) अन्नपूर्णा भण्डार योजनान्तर्गत चूंकि राज्य सरकार द्वारा सीधे कोई क्रय एवं विक्रय नहीं किया जा रहा है, अतः प्रत्यक्ष तौर पर सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है, परन्तु राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लि. को प्रशासनिक व्यय के रूप में फर्म द्वारा आपूर्ति किए गए सामान की राशि का एक प्रतिशत प्राप्त होता है, जो कि योजना शुरू होने से अर्थात सितम्बर, 2015 से जनवरी, 2016 तक कुल 1,63,447.00 रुपये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सलूम्बर की ग्राम पंचायतों में संचालित लैम्पस

297. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सराड़ा, सेमारी व उप तहसील झल्लारा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों में लैम्पस संचालित हैं एवं कितनी ग्राम पंचायतों में लैम्पस नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सराडा, तहसील सेमारी, उप तहसील झल्लारा क्षेत्र में लैम्पस सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

दी उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. उदयपुर (राज.)

विधानसभा क्षेत्र-सलूम्बर

क्र. सं.	तहसील सराड़ा		तहसील सेमारी		उप तहसील झल्लारा	
	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं
1	सराड़ा		सगतड़ा		मानपुर	
2		केजड		बाणा कला		बुडेल
3		निम्बोदा		बडगांव		जोधपुर खुर्द
4		सेपुर	सुरखण्ड खेडा			आमलवा
5		बलुआ		पडावली	भबराना	
6		पाल सराड़ा		मल्लाड़ा		घटेड
7		उपला फला सदकड़ी	सेमारी			मातासुला
8	वीरपुरा			श्यामपुरा (से)	कल्याणा	
9		श्यामपुरा (झा.)		कुराडिया		पावरा
10		ग्रातोड	कुण्डा		शेषपुर	

क्र. सं.	तहसील सराड़ा		तहसील सेमारी		उप तहसील झल्लारा	
	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं
11	परसाद			धनकावाडा		धोलागिर खेडा
12		खरबर		सदकड़ी	झल्लारा	
13		खरबर ए	टोकर			माण्डली
14		डेलवास		घोडासर	जेताना	
15	झाड़ौल			कालीघाटी		कराकला
16		थाना		भौराई		बड़ी विरवा
17		सल्लाडा		शक्तावतों का गुडा	देवगांव	
18	चावण्ड			जाम्बुडा		खोलड़ी
19		कातनवाडा	रठौडा		मालपुर	
20		कलात		ईन्टाली		मोरिला
21		नठारा		चन्दौडा		बेडावल
22		नाल अलंकार	जावद			सती की चोरी
23	अमरपुरा (धावड़िया)			सेमाल		
24		केवडा खुर्द		नईझर		

क्र. सं.	तहसील सराड़ा		तहसील सेमारी		उप तहसील झल्लारा	
	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित हैं	ग्राम पंचायत का नाम जहां लैम्पस संचालित नहीं हैं
25		भालडिया		अदवास		
26		नेवातलाई				
27		देवपुरा				
28	सिंघटवाडा					
29		पाडला				
30		ओडा				
31	पिलादर					
32		सर्सिया				
33		पलोदडा				

संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना)
सहकारी समितियां, राज. जयपुर

किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण देने की योजना

298. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की प्रदेश के किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

(2) सरकार द्वारा किसानों को सहकारी बैंकों से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आय कर से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना प्रदेश में प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों से ब्याज वसूल नहीं किया जा रहा है। उक्त कुल 7 प्रतिशत ब्याज में से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा एवं 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है।

(2) किसानों को सहकारी बैंकों से जोड़ने हेतु निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं-

- ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना प्रभावी है;
- वर्तमान वर्ष में दिनांक 29-01-2016 तक 2.90 लाख नये कृषक सदस्यों को ऋण वितरण किया गया है;
- अन्य निवेश ऋण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक नई योजना सहकार किसान कल्याण योजना प्रभावी की गई है; एवं
- व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ द्वार-द्वार पहुंचाये जाने हेतु भामाशाह योजना अन्तर्गत प्रयास किये जा रहे है;

(3) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आयकर से मुक्त किये जाने का विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

प्रश्न संख्या-299

(स्थगित)

जोधपुर जिले में ओरण, गोचर, कैचमेंट तथा वन भूमि पर स्वीकृत खानें

300. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर में वर्तमान में ओरण, गोचर, कैचमेंट, जलस्रोतों तथा वन भूमि पर कितनी खदानें स्वीकृत व कार्यरत हैं? उक्त समस्त खानों की स्वीकृति सहित खान संचालक के नाम, खनिज का विवरण व राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म क्या दर्ज है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जोधपुर में ओरण, गोचर, कैचमेंट तथा वन भूमि पर खनन गतिविधियों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन निषेध सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे समस्त आदेशों की पालना में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में वर्तमान में गोचर भूमि पर 7 खनन पट्टे प्रभावशील व कार्यरत हैं तथा ओरण, कैचमेंट, जलस्रोतों तथा वन भूमि पर कोई खनन पट्टा प्रभाव में नहीं है व कार्यरत नहीं है। उपरोक्त खनन पट्टों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जिला जोधपुर में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2012 की पालना में कैचमेंट क्षेत्र में स्थित 62 खानों को बंद करवाया गया था एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 की पालना में वन विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर वन क्षेत्र में स्थित 181 खानों को बंद करवाया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। जोधपुर में बेरीगंगा वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका संख्या 8809/2011 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 15.05.2012 को पारित आदेश की पालना में वन विभाग द्वारा तत्समय विशेष प्रयास कर वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को बन्द करवाया गया। वर्तमान में जोधपुर वन मण्डल के वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने हेतु समय-समय पर गश्त कर आवश्यक कार्रवाही की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्री जगमाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 25.04.2011 को जारी चरागाह एवं जलग्रहण क्षेत्रों की भूमियों के

(खान राज्य मंत्री)

निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा ओरण, गोचर, कैचमेंट एवं वन भूमियों के संरक्षण हेतु माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार कार्रवाही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में चेजा पत्थर की आबंटित खानें

301. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में चेजा पत्थर की खानें किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां, कब-कब आबंटित की गयीं तथा वर्तमान में कितनी खानें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खानों से सरकार को गत तीन वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा मकान बनाने हेतु चेजा पत्थर ले जाने पर उनके पास रायल्टी की रसीदें होने के उपरान्त भी वन विभाग द्वारा उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विगत तीन वर्षों में इस प्रकार के कितने प्रकरण कहां-कहां दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खनिज चेजा पत्थर के 66 खनन पट्टे संचालित हैं। खनन पट्टों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त खनन पट्टों से विभाग को गत तीन वर्षों में निम्नानुसार राजस्व प्राप्त हुआ है :-

वर्ष 2012-13	8.60 लाख
वर्ष 2013-14	9.22 लाख
वर्ष 2014-15	9.97 लाख
वर्ष 2015-16 (फरवरी, 2016 तक)	7.25 लाख

(3) उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर ने पत्र दिनांक 09.03.2016 से अवगत कराया है कि इस तरह की कोई रसीद उनके द्वारा नहीं काटी गई है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्वीकृत खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों का विवरण

क्र. सं.	खनन पट्टा संख्या	नाम खनन पट्टाधारी	निकट ग्राम	स्वीकृत क्षेत्र हैक्टर	खनन पट्टा अवधि
1	2	3	4	5	6
1	121/91	श्रीमती रेणू शेखावत पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह निवासी ई-219 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	04.12.91 से 30 वर्ष
2	123/91	श्रीमती रेणू शेखावत पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह निवासी ई-219 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	04.12.91 से 30 वर्ष
3	127/91	श्रीमती सुख कंवर पत्नि श्री अजीत सिंह डी-13 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	27.02.92 से 30 वर्ष
4	128/91	श्रीमती सुख कंवर पत्नि श्री अजीत सिंह डी-13 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	27.02.92 से 30 वर्ष
5	131/91	श्री गिर्राज सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	27.02.92 से 30 वर्ष
6	132/91	श्रीमती प्रिती खंगारोत पत्नि श्री गिर्राज सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	27.02.92 से 30 वर्ष
7	324/92	श्री शंकर लाल मीणा पुत्र श्री चन्दा लाल मीणा निवासी नटाटा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।	नटाटा	1.00 है.	02.08.94 से 30 वर्ष

1	2	3	4	5	6
8	439/92	श्री नेम जी मीणा पुत्र श्री केदार लाल मीणा निवासी ए-23 सरस्वती नगर गैटोर रोड सांगानेर जयपुर।	नटाटा	1.00 है.	22.05.95 से 30 वर्ष
9	66/94	श्री अभिमन्यू सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाडी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	18.06.96 से 30 वर्ष
10	263/95	श्रीमती इन्द्र कंवर पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाडी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	24.09.98 से 30 वर्ष
11	264/95	श्रीमती इन्द्र कंवर पत्नि श्री देवेन्द्र सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाडी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	08.01.01 से 30 वर्ष
12	271/95	श्रीमती उत्सव कंवर पत्नि श्री भंवर सिंह निवासी ई 219 अम्बाबाडी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	08.01.01 से 30 वर्ष
13	272/95	श्रीमती कमला देवी मीणा पत्नि श्री बाबूलाल मीणा निवासी नारदपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	11.10.04 से 30 वर्ष
14	43/97	श्री योगेश कुमार मीणा पुत्र श्री पूरण मल मीणा निवासी सी-46 बाई जी की कोठी, झालाना डूंगरी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	03.10.98 से 30 वर्ष
15	44/97	श्री पूरणमल मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा निवासी सी-40 बाई जी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	09.10.98 से 30 वर्ष
16	66/97	श्रीमती रेखा लाटाला पत्नि श्री देवनारायण लटाला निवासी 1386 सांगो का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर।	दलेर	1.00 है.	23.08.99 से 20 वर्ष
17	111/97	श्री योगेश कुमार मीणा पुत्र श्री पूरण मल मीणा निवासी सी-46 बाई जी की कोठी झालाना डूंगरी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	03.10.98 से 30 वर्ष
18	112/97	श्री पूरण मल मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा निवासी सी-40 बाई की कोठी झालाना डूंगरी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	09.10.98 से 30 वर्ष

1	2	3	4	5	6
19	131/97	श्रीमती उत्सव कंवर पत्नि श्री भूवर कंवर निवासी ई-219 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	24.09.98 से 30 वर्ष
20	133/97	श्री भंवर सिंह शेखावत पुत्र श्री सुगन सिंह निवासी ई-219 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	23.09.98 से 30 वर्ष
21	134/97	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ई-219 अम्बाबाडी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	23.04.02 से 30 वर्ष
22	136/97	श्री अजीत सिंह पुत्र श्री रामजीत सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाड़ी जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	09.07.02 से 30 वर्ष
23	136/97	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह निवासी डी-135 अम्बाबाड़ी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	23.09.98 से 30 वर्ष
24	138/97	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सूगन सिंह निवासी ई-29 अम्बाबाडी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	23.09.98 से 30 वर्ष
25	145/97	श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री विष्णु अग्रवाल निवासी 9 लीला मैशन, सिविल लाईन जयपुर।	बासना	1.00 है.	09.07.02 से 20 वर्ष
26	162/97	श्री जगनी मीणा पत्नि श्री जी.एन.सतवान ए-23 सरस्वती नगर, गैटोर रोड, सांगानेर, जयपुर।	नटाटा	1.00 है.	10.02.99 से 30 वर्ष
27	163/97	श्रीमती गायत्री देवी शर्मा पत्नि श्री देवी सहाय शर्मा निवासी 5 झ जवाहर नगर जयपुर।	नटाटा	1.00 है.	10.02.99 से 20 वर्ष
28	164/97	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामनारायण मीणा, लांगड़ियावास, सी.आर.पी.एफ. लालवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।	नटाटा	1.00 है.	10.02.99 से 30 वर्ष
29	165/97	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामनारायण मीणा, लांगड़ियावास, सी.आर.पी.एफ. लालवास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।	नटाटा	1.00 है.	10.02.99 से 30 वर्ष

1	2	3	4	5	6
30	410/97	श्रीमती चन्दा देवी पत्नि श्री पूरण मल मीणा निवासी 40 बाई जी कोठी झालाना डूंगरी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	10.05.00 से 30 वर्ष
31	411/97	श्रीमती चन्दा देवी पत्नि श्री पूरण मल मीणा निवासी 40 बाई जी कोठी झालाना डूंगरी, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	11.06.01 से 30 वर्ष
32	648/97	श्री ललित किशोर खंडेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल निवासी गी-100 जनता कालोनी, जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	17.04.01 से 20 वर्ष
33	612/97	श्री राधा किशन मीणा पुत्र श्री देवी लाल मीणा निवासी गोपालगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	16.04.01 से 20 वर्ष
34	613/97	मैसर्स गणेश स्टोन्स ग्राम लूनेठा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	16.04.01 से 20 वर्ष
35	713/97	श्री प्रभू दयाल पुत्र श्री सोहन लाल करौल निवासी चक रोलान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	17.04.01 से 20 वर्ष
36	712/97	श्री राज कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा, 27 पुराना अगराना, वार्ड नम्बर 52 रूपवास तहसील व जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	01.06.00 से 20 वर्ष
37	714//97	श्री राम स्टोन सप्लायर्स निवासी गोपालगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर	लूनेठा	1.00 है.	17.04.01 से 20 वर्ष
38	715/97	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामवतार मीणा निवासी जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	16.04.01 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6
39	716/97	श्री नानग राम मीणा पुत्र श्री रामकुमार मीणा निवासी पालड़ी तहसील सांगानेर जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	22.02.06 से 20 वर्ष
40	41/00	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रभू दयाल करौल, निवासी चक करोलान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	14.09.02 से 20 वर्ष
41	79/01	श्रीमती सूमन पत्नी श्री पंकज वर्मा निवासी एस-1 द्वितीय तल प्लाट नंबर 802 रानी सती नगर अजमेर रोड जयपुर।	बोबाडी	1.00 है.	12.09.02 से 20 वर्ष
42	80/01	श्री पंकज वर्मा पुत्र श्री रामनिरंजन वर्मा, एस-। द्वितीय तल प्लाट नम्बर 802 रानी सती नगर अजमेर रोड, जयपुर।	बोबाडी	1.00 है.	12.09.02 से 20 वर्ष
43	12/02	श्री कृष्णवीर सिंह हाडा पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह हाडा निवासी 203 पदमावती कालोनी, गली नंबर 4 निर्माण नगर जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	13.07.04 से 20 वर्ष
44	505/02	सर्व श्री पिंक सिटी माइन्स एंड मिनरल्स 347, उद्योग नगर, विद्या स्कूल के पास निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयुर	लूनेठा	1.00 है.	02.05.05 से 20 वर्ष
45	506/02	सर्व श्री पिंक सिटी माइन्स एंड मिनरल्स 347, उद्योग नगर, विद्या स्कूल के पास निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयुर	लूनेठा	1.00 है.	02.05.05 से 20 वर्ष
46	507/02	मैसर्स चौहान माईन्स एंड मिनरल्स 347, उद्योग नगर, विद्या स्कूल के पास निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयुर	लूनेठा	1.00 है.	02.05.05 से 20 वर्ष
47	305/04	श्री श्याम बाबू खंडेलवाल पुत्र श्रीलक्ष्मीनारायण खंडेलवाल निवासी बी-100 जनता कालोनी, जयपुर	लूनेठा	1.00 है.	29.04.06 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6
48	328/04	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा पटेल नगर 36 दुकान हीरापुरा अजमेर रोड, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	22.09.05 से 30 वर्ष
49	329/04	श्री जय प्रकाश वशिष्ठ पुत्र श्री सत्यनारायण वशिष्ठ निवासी 99 शिव शक्ति नगर, क्विंस रोड जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	22.09.05 से 30 वर्ष
50	354/04	श्री रविप्रकाश सैनी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद सैनी निवासी ई-1 मुरली पुरा जे.डी.ए. स्कीम, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	06.11.06 से 30 वर्ष
51	355/04	श्री रविप्रकाश सैनी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद सैनी निवासी ई-1 मुरली पुरा जे.डी.ए. स्कीम, जयपुर।	साईवाड	1.00 है.	06.11.06 से 30 वर्ष
52	485/05	श्रीमती उमा शर्मा पत्नि श्री आर.जी. शर्मा 196 हरियाणा कालोनी टोंक रोड जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	08.06.07 से 20 वर्ष
53	486/05	श्रीमती उमा शर्मा पत्नि श्री आर.जी. शर्मा 196 हरियाणा कालोनी टोंक रोड जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	08.06.07 से 20 वर्ष
54	491/05	श्रीमती अंजू शर्मा पत्नि श्री अनिल शर्मा निवासी 38 अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर	लूनेठा	1.00 है.	08.06.07 से 20 वर्ष
55	493/92	श्री नेमजी मीणा पुत्र श्री केदारलाल मीणा निवासी ए-23 सरस्वती नगर गैटोर रोड सांगानेर, जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	25.04.08 से 20 वर्ष
56	539/05	श्री विजय जाखड पुत्र श्री ब्रह्मपाल जाखड, भारत रोड कैरियर जौडला पावर हाउस के सामने सीकर रोड जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	23.09.08 से 20 वर्ष
57	360/07	श्री ललित किशोर खंडेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल निवासी गी-100 जनता, कालोनी, जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	19.01.09 से 20 वर्ष

1	2	3	4	5	6
58	56/09	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट सैंथल तहसील व जिला दौसा।	बृजपुरा	1.00 है.	25.10.10 से 20 वर्ष
59	55/09	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट सैंथल तहसील व जिला दौसा।	बृजपुरा	1.00 है.	25.10.10 से 20 वर्ष
60	493/05	श्री विजय जाखड़ पुत्र श्री बह्मपाल जाखड़, भारत रोड कैरियर जौडला पावर हाउस के सामने सीकर रोड, जयपुर।	लूनेठा	1.00 है.	25.04.2008 से 30 वर्ष
61	313/93	श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल, 112 गोविन्द नगर पूर्व आमेर रोड, जयपुर	बुरहानपुरा	1.00 है.	09.01.1995 से 30 वर्ष
62	314/93	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री गोकुल चन्द, बड़ा जामदा, जिला पश्चिम सिंघम, झारखण्ड	बुरहानपुरा	1.00 है.	03.01.1995 से 30 वर्ष
63	315/93	श्री चेतन प्रकार पुत्र श्री चिरंजी लाल, 47 लक्ष्मीनारायणपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर	बुरहानपुरा	1.00 है.	29.05.1995 से 30 वर्ष
64	316/93	श्री चेतन प्रकार पुत्र श्री चिरंजी लाल, 47 लक्ष्मीनारायणपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर	बुरहानपुरा	1.00 है.	03.01.1995 से 30 वर्ष
65	317/93	श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश, 277 जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं	बुरहानपुरा	1.00 है.	03.01.1995 से 30 वर्ष
66	520/05	श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री बाबू लाल, बुरहानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर	बुरहानपुरा	1.00 है.	27.07.2007 से 20 वर्ष

ह.

अविनाश कुलदीप

खनि अभियन्ता, जयपुर

खनन क्षेत्र के विकास हेतु खनन नीति

302. **श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में खनन व्यवसायियों की समस्याओं के लिए व खनन क्षेत्र में विकास हेतु खनन नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार मकराना क्षेत्र में बन्द खानों को चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खनन व्यवसायियों की समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2015 को नई खनिज नीति घोषित की गई। समस्याओं के निराकरण हेतु उक्त नीति के अनुसार नियम बनाने की कार्रवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। सरकार मकराना क्षेत्र में बंद खानों को चालू कराने का विचार रखती है। रेलवे में बंद खानों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 19860-63/12 दायर है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, तथा मंदिर में बंद खानों के सम्बन्ध में डी.बी. रिट सं. 4315/10 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर है, जो भी वर्तमान में लम्बित है। खनन कार्य चालू कराने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में पारित होने वाले आदेशों के क्रम में चालू किये जाने का निर्णय हो सकेगा।

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की योजना

303. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी-कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में कब-कब व कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 17.12.15 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 197/-, 207/-, 217/- व 267/- प्रतिदिन की मजदूरी की दरें निर्धारित की गई हैं। ये दरें दिनांक 1.1.2015 से लागू हैं।

(2) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश में समय-समय पर बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी की निम्नानुसार हैं:-

दिनांक	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल
1.1.2011	135/-	145/-	155/-	205/-
1.5.2012	147/-	157/-	167/-	217/-
1.1.2013	166/-	176/-	186/-	236/-
1.1.2014	189/-	199/-	209/-	259/-
1.1.2015	197/-	207/-	217/-	267/-

(3) जी नहीं। क्योंकि बिन्दु संख्या-1 के अनुसार वृद्धि लागू की जा चुकी है तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में 5 वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षण करने का प्रावधान है।

रूपवास पंचायत समिति (भरतपुर) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना

304. श्री बच्चू सिंह (बयाना) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में कितनी पंचायत समितियां सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति रूपवास में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 5 पंचायत समितियों में राजकीय आई टी आई संचालित नहीं हैं-

1. वैर, 2. डीग, 3. कुम्हेर, 4. नदबई व 5. रूपवास। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

(2) नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति रूपवास में 09 निजी आई टी आई संचालित हैं (संलग्न परिशिष्ट-1)। माननीया मुख्य मंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई टी आई उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान में राज्य में 15 पंचायत समितियां ऐसी है (संलग्न परिशिष्ट-2) जिनमें कोई भी राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं हैं। प्राथमिकता पर इन 15 पंचायत समितियों में आई टी आई खोली जानी हैं।

फिर भी यदि गुणावगुणों के आधार पर व जन-प्रतिनिधियों की मांग अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में पंचायत समिति रूपवास में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के नियम डी जी टी, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित हैं। नियम एवं मापदण्डों का विवरण संलग्न है। (संलग्न परिशिष्ट-3)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर जिले में बंधक श्रमिक खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु कार्य योजना

305. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा बंधक श्रमिकों की खोज एवं पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो वर्ष 2013 से जनवरी, 2016 तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बंधक श्रमिक खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु वर्ष में दो बार सर्वे करवाया जाता है? यदि हां, तो नागौर जिले में गत तीन वर्षों में करवाए गये सर्वे की उपखण्डवार रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास सतर्कता समिति या अन्य गठित समिति के गठन एवं बैठक के सम्बन्ध में क्या नियम तथा दिशा-निर्देश तय किये गये हैं एवं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गत तीन वर्षों में नागौर जिले में कितनी बैठकें कब-कब जिला एवं उपखण्ड स्तर पर आयोजित की गईं? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत तीन वर्षों में नागौर जिले में कितने श्रमिकों को बंधन से मुक्ति दिलाकर पुनर्वास किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में बंधक श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में दिनांक 4.2.2004 को दिशा निर्देश जारी किये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है, जिसके तहत राज्य में बंधक श्रमिकों का पुनर्वास कराया जाता है। बंधक श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद 1,000/- प्रति श्रमिक की दर से तात्कालिक सहायता एवं 19,000/- रुपये प्रति श्रमिक पुनर्वास सहायता देने का प्रावधान है। वर्ष 2013 से जनवरी 2016 तक 216 बंधक श्रमिकों का पुनर्वास किया गया। जिसका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला प्रशासन द्वारा बंधक श्रमिकों का सामान्य सर्वे प्रति वर्ष मई-जून एवं नवम्बर-दिसम्बर में कराये जाने का प्रावधान है। नागौर जिले में गत तीन वर्षों में कोई बंधक श्रमिक चिह्नित नहीं हुआ है। नागौर जिले में सर्वे से सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास सतर्कता समिति या अन्य गठित कमेटी के गठन एवं बैठक के सम्बन्ध में नियम तथा दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विगत तीन वर्षों में जिला एवं उपखण्ड स्तर पर आयोजित बैठकों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) नागौर जिले में विगत तीन वर्ष में कोई बंधक श्रमिक नहीं पाया गया था एवं न ही अन्य जिलों/राज्यों से मुक्त होकर जिले को प्राप्त हुए हैं। अतः सूचना शून्य है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

विराटनगर के प्रशासनिक ढांचे में सुधार

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से घिरा होने के कारण शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। विराटनगर पौराणिक होते हुए भी विकसित नहीं हो सका। विराटनगर विधान सभा क्षेत्र 49 ग्राम पंचायतों एक मात्र नगरपालिका तथा तीन पंचायत समितियों में बंटा है। शाहपुरा पंचायत समिति की चार, विराटनगर पं.स. की 29 तथा पावटा पं.स. की 16 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। तहसील के अनुसार शाहपुरा की तहसील की 8 ग्राम पंचायतें, विरानगर की 25 ग्राम पंचायतें तथा कोटपूतली तहसील की 16 ग्राम पंचायतें हैं। प्रशासनिक दृष्टि से पावटा उप तहसील है जिसमें 29 ग्राम पंचायतें है तथा नवगठित पंचायत समिति पावटा में 29 ग्राम पंचायतें हैं। विराटनगर विधान सभा क्षेत्र 5 थाना क्षेत्रों में बंटा है। कोटपूतली थाने में 2 ग्राम पंचायतें उप तहसील पावटा के बाहर हैं। इसी प्रकार, मनोहरपुरा, शाहपुरा, कोटपूतली थाने विधान सभा क्षेत्र के बाहर स्थित हैं। मनोहरपुरा थाने में केवल 2 ग्राम पंचायतें आती हैं। विराटनगर में 14 ग्राम पंचायतें, प्रागपुरा में 16 ग्राम पंचायतें, शेष शाहपुरा थाने में 17 ग्राम पंचायतें आती हैं। इस प्राकर के अटपटे प्रशासनिक ढांचे से जनता को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अत: सदन के माध्यम से निवेदन है कि पावटा उप तहसील, प्रागपुरा थाना क्षेत्र को समान क्षेत्राधिकार करके, पावटा उप तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील एवं उपखण्ड बनाया जावे, क्योंकि पावटा पंचायत समिति विराटनगर तथा कोटपूतली पंचयात समितियों से बड़ी है जिसमें 29 ग्राम पंचायतें आती हैं, जबकि कोटपूतली एवं विराटनगर पंचायत समितियों में क्रमश: मात्र 27 एवं 25 ग्राम पंचायतें आती हैं। इसी प्रकार प्रागपुरा थाने में पंचायत समिति पावटा की सभी 29 ग्राम पंचायतों को डाला जावे। शाहपुरा थाने से विराटनगर 17 ग्राम पंचायतों को हटाकर आतेला में अलग थाना बनाया जावे तथा मनोहरपुरा थाने के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को विराटनगर थाने में सम्मिलित किया जावे। इसी प्रकार विराटनगर पंचायत समिति तहसील एवं उपखण्ड को भी समरूप बनाया जावे।

डा. फूलचन्द भिण्डा
(विराटनगर)

अलवर ग्रामीण में पेयजल परियोजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम मालाखेड़ा, (2) बालेटा, (3) भण्डोडी, (4) पाला, (5) बडेर, पीएचईडी, (6) बलाना, (7) सहोडी, (8) माचडी, (9) चान्दोली, (10) धूलपुरी (11) बिजोपुर, (12) घाटका, (13) देसूला, (14) भड़कोल, (15) लीली, (16) महुआ खुर्द, (17) दादर, (18) भजीट, (19) चिकानी, (20) किथूर, (21) बहादुरपुर, (22) मुंडियाखेड़ा, (23) भजेडा, (24) जाजोर, (25) कारोली, (26) सिरमोली, (27) जहारखेड़ा, (28) गाजूका, (29) रायबका, (30) पीलवा तथा अन्य गांवों में उपरोक्त स्कीम की पेयजल पीने के पानी की व्यवस्था की गई है परन्तु इन स्कीमों में अधिकांश स्कीमों की बोरिंग सूख गये हैं, या बोरिंग से पानी की टंकी में पानी जाने हेतु पाइपलाइनें टूट गई हैं, या रास्ते में रहने वाले लोगों ने पाइपलाइन तोड़कर खुद के घर के लिए पानी पीने के लिए अवरूद्ध कर दिया है।

इन स्कीमों को ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है। बिजली के बिल ग्राम पंचायतों के द्वारा भरे जाने के प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये परन्तु अधिकांश सरपंचों द्वारा बिजली के बिल जमा नहीं कराये गये हैं। बिजली के बिलों की बहुत राशि ग्राम पंचायतों की तरफ बकाया है। इसलिए पीने के पानी की योजनाओं का ग्राम पंचायतों से चलना बहुत मुश्किल है।

माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की स्कीमों के सूखे बोरिंग खुदवाएं जावें व टूटी हुई पाइपलाइनों को बदलवाया जावे। ये बिजली के बिलों की भरने हेतु सरकार स्पष्ट आदेश करे कि किस मद में ग्रमा पंचायत बिजली के बिल जमा करावें तथा ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था की जावें।

अत: मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर ग्रामीण जनता को पीने के पानी की व्यवस्था कर जनता को राहत दिलावें।

जयराम जाटव

(अलवर ग्रामीण)

वैर के चिकित्सालयों में कार्मिक सहित उपकरणों की उपलब्धता

विधान सभा क्षेत्र वैर के सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के अभाव में क्षेत्र की जनता को अपने इलाज हेतु

दूर जाना पड़ रहा है, जिससे प्रति वर्ष सैकड़ों मरीजों की मौतें हो रही हैं। विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में पर्याप्त उपकरण नहीं होने के कारण भी मरीजों की जांच, आदि में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय मरीजों को प्राइवेट जांच केन्द्रों में जांकर जांच करानी पड़ रही है।

अतः प्रक्रिया नियम 295 के तहत मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं जांच उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें, ताकि आमजन को इनका समुचित लाभ मिल सके।

भजन लाल जाटव
(वैर)

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में व्यवस्थाओं में सुधार

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न कार्यालय के किराया भवन में संचालित होने और विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नये पुलिस थाना और चौकियों के खोलने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

1. गत सरकार के समय लागू की गई पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के समय बिना भूमि-भवन की व्यवस्था किये नये तंत्र अनुरूप कार्यालय खोल दिये गये। इस कारण स्वयं पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय भी अब तक डाक बंगले में जुगाड़ में चल रहा है।

2. इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर का डी.सी.पी. वेस्ट कार्यालय भी अशोक उद्यान के पास किराया भवन में चल रहा है। इसी प्रकार महिला पुलिस थाना पश्चिम भी किराया भवन में चल रहा है। मेरा निवेदन है कि प्रथमतः जो वर्तमान संचालित स्थान को ही पुलिस विभाग को आबंटित करवाकर यहां स्थायी रूप से डी.सी.पी. कार्यालय और महिला पुलिस थाना वेस्ट का भवन निर्माण कर लिया जावे अथवा राजस्थान आवासन मण्डल या नगर निगम, जोधपुर या जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से भूमि आबंटित करवाई जाकर भवन निर्माण करवाया जावे।

3. जोधपुर में अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबन्धन के लिए विभिन्न चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की योजना लम्बे समय से बनी हुई है, परन्तु आंशिक ही क्रियान्विति हुई। मेरा निवेदन है कि सी.सी.टी.वी.

कैमरों से मानिटरिंग की योजना को प्रभावी रूप से तीव्र गति से लागू किया जावे। इससे अनेक चोरी और दुर्घटनाओं के प्रकरणों को हल करने में विशेष सहायता मिलेगी।

4. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और प्रताप नगर पुलिस थाना सर्वाधिक सघन आबादी क्षेत्र में हैं, जिस कारण इन पर अत्यधिक दबाव है। उक्त दबाव समायोजन के लिए देवनगर में नया पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। मेरा निवेदन है कि देवनगर में नया पुलिस थाना शीघ्रताशीघ्र खोला जावे। इसी प्रकार गोयलों की ढाणी, सूरसागर में एक नई पुलिस चौकी खोली जावे।

5. जोधपुर में घातक मादक पदार्थों का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस व्यापार में राष्ट्रय विरोधी ताकतें योजनाबद्ध रूप से युवाओं को फंसा रही हैं, जिससे पश्चिमी सीमा प्रान्त के सम्भागीय मुख्यालय पर हालात विकट हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर अभियानपूर्वक कार्य किया जावे।

6. जोधपुर में विभागीय रिक्त पदों को भरा जावे।

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

बीकानेर में ऐतिहासिक धरोहर बीकाजी की टेकरी को पर्यटकों के लिए खोला जाना

बीकानेर शहर विधान सभा क्षेत्र (पश्चिम) में एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व की धरोहर के रूप में बीकानेर के संस्थापक व प्रथम राजा, जिन्हें उस समय से राव बीका जी इतिहासकार कहते आये हैं, उन्होंने अपन पहला स्थायी निवास व ठहराव किले के रूप में, जो आज बीकाजी की टेकरी के रूप में विख्यात है, बीकानेर के सुप्रसिद्ध नगर सेठ, बीकानेर की पूर्ण श्रद्धा का प्रतीक भी लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर के पास स्थापित किया।

क्योंकि यह बीकानेर के प्रथम शासक राव बीका ने संवत 1545 को वैशाख सुदी 2 शनिवार को स्थापित किया, जो निम्न दूवे (दोहा) के रूप में प्रसिद्ध है :-

संवत् पन्द्रह सौ पैतालवे, सुद वैशाख सुमेर,
थावर बीज थरपिओ बीके बीकानेर।

यह बीकानेर के लोगों की भावना का प्रतीक भी है। इसके साथ-साथ बीकानेर में बाहर से आने वाले पर्यटक सभी इस बीकाजी द्वारा स्थापित व थरपी हुई टोकरी को देखने आना चाहते हैं, जो लम्बे समय से आत रहे हैं, आ रहे हैं। परन्तु खेद का विषय है कि अभी काफी समय से इस बीकानेर की धरोहर को देखने आने वालों को निराश होकर जना पड़ता है, क्योंकि इस टेकरी पर लम्बे समय से ताला जड़ा हुआ है।

इस बीकाजी की टेकरी पर, जो पर्यटकों की चाहत है, दर्शनीय स्थान होते हुए भी, कुछ विगत वर्षों में तो पर्यटकों के लिए खुला रहता था, परन्तु अब क्या हुआ कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बीकानेर की धरोहर पर ताला जड़ दिया गया?

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अन्य धरोहरों की तरह इसे भी पर्यटकों के लिए खुला रखा जाय। इसका जो ताला लगाया गया है उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाये, ताकि पुरातत्व प्रेमी पर्यटक व अन्य कोई भी पांच सौ साल से अधिक प्राचीन धरोहर को देखने से वंचित न रहें।

गोपाल कृष्ण

(बीकानेर पश्चिम)

श्रीगंगानगर नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाएं

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में शहर के हालात अत्यन्त बुरे हो गये हैं। आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाये गये थे, परन्तु उसके बाद उपजे हालातों की ना तो जिला प्रशासन ने सुध ली, ना ही नगर परिषद ने ही परवाह की। शहर के तीनों मुख्य मार्गों पर गंदा पानी सेप्टिक टैंकों का वेस्टेज बिखरा पड़ा है। नगर परिषद तो अपने स्वयं की लड़ाई में ही उलझी हुई है; कभी आयुक्त महोदय लम्बी छुट्टी पर चले जाते हैं, तो कभी सभापति और भाजप पार्षदों का वाद-विवाद प्रारम्भ हो जाता है। खमियाजा आम जनता उठा रही है। शहर के हालात नरक के समान हो चुके हैं। गंदा पानी निकासी के सारे खड्डे ओवरफ्लो होकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फैल चुका है। यहां स्थित आसपास के भवन सीवरेज पानी की चपेट में आ चुके हैं।

महोदय, बिना किसी पूर्व योजना के अतिक्रमण हटाये जाने से शहर में अराजकता को माहौल पसर गया और आमजन में सरकार के प्रति रोष व्याप्त

हो गया। एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा केवल अतिक्रमण हटाने को ही इतिश्री मान मान लिया गया और दूसरी तरफ नगर परिषद द्वारा बजट के अभाव में सड़क और नालियां बनाने में असमर्थता जाहिर कर दी गयी। फलस्वरूप श्रीगंगानगर शहर के मुख्य मार्गों पर सीवरेज, सेप्टिक टैंक का पानी फैला होने से मच्छर, इत्यादि पनपने, बीमारियों के फैलने के आशंका है। यहां तक कि किसी महामारी के फैलने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। छोटे-छोटे स्कूली बच्चों के कीचड़ से फिसलकर खुले मेनहोल ओर नालों में गिरतने की घटनाएं हो चुकी हैं।

दूसरी तरफ, शहर की मुख्य कालिनियों की सीमा में आ चुके 6-जैड का हड्डारोडी गले की फांस बना हुआ है। इसे अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग लगातर उठाई जा रही है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। उक्त हड्डारोड़ी को स्थानान्तरित करने की बजाय नगर परिषद द्वारा सेप्टिक टैंकों के वेस्डेज से भरे टैंकरों को भी यहां खाली करना शुरू कर दिया गया। हड्डारोड़ी की बदबू से आहत आसपास के कालोनीवासी अपनी मांग को लेकर आंदोलन की राह पर आ गये।

इस अत्यन्त ज्वलन्त समस्या के प्रति प्रशासन कतई गम्भीर नजर नहीं आ रहा। अतः नगर परिषद के हालातों को सुधारने और हड्डारोड़ी को स्थानान्तरित करने हेतु मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव करती हूं।

कामिनी जिन्दल

(गंगानगर)

नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरतगढ़, (बामनवास) द्वारा प्रदत्त फर्जी प्रवेश व अंकतालिकाएं

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रधानाध्यापक, नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरतगढ़, पंचायत समिति बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा अपने निजी स्वार्थों के कारण कई छात्र-छात्राओं के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के दौरान ही फर्जी प्रवेश एवं फर्जी अंकतालिकाएं देने का कार्य किया गया है।

रा.मा.वि., सुमेल, पं.स. बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के एस.आर. नम्बर 475 पर महेन्द्र सिंह की जन्म तिथि 5 जुलाई, 1995 है तथा कक्षा एक से लेकर छठी तक पढ़ने के पश्चात बिना टी.सी. के इसने उसकी उम्र 21 वर्ष करने तथा कक्षा 8वीं पास की फर्जी अंकतालिका देने के लिए एस.आर.

नम्बर 217 पर अंकित करके जन्म तिथि 2 अगस्त, 1993 कर दी तथा कक्षा एक से कक्षा आठ तक अध्ययनरत दिखाकर, दिनांक 11 जुलाई, 2011 को कक्षा आठवीं पास की टी.सी. चुनाव हेतु जारी कर दी गई।

इसी प्रकार डा. भीमरामव अम्बेड़कर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी, तहसील सांगोद, जिला कोटा के एस.आर. क्रमांक 401 की छात्रा कल्पना वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक कक्षा छह से लेकर दस तक पढ़ने के बाद भी, इसके द्वारा उस छात्रा को भी एस.आर. क्रमांक 280 पर कक्षा चार से आठ तक पढ़ना दिखाकर, 2 जुलाई, 2012 को कक्षा आठ पास की फर्जी टी.सी. दे दी।

इसी प्रकार धोडी बाई ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हबीबपुर, पंचायत समिति गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर के एस.आर. क्रमांक 1067 तथा नवीन एस.आर. 1220 पर कक्षा दो से लेकर कक्षा सात तक पढ़ने के बाद भी, बिना टी.सी. के उसको भी उक्त प्रधानाध्यापक ने एस.आर. क्रमांक 17 पर कक्षा एक से 6 तक तथा एस.आर. क्रमांक 444 पर फर्जी प्रवेश से कक्षा सात से आठ में पढ़ना दर्शाकर, जुलाई, 2011 को कक्षा आठवीं पास की टी.सी. जारी कर दी।

इस प्रधानाध्यापक ने एस.आर. क्रमांक 226 के छात्र को जन्म से पहले ही वर्ष 2003 में कक्षा तीन में प्रवेश दे दिया।

चौदहवीं विधान सभा के पंचम सत्र के प्रश्न संख्या 446/शिक्षा/अता. के उत्तर तथा कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक 13705 दिनांक 15 सितम्बर, 2015 में बिना रिकार्ड फर्जी टी.सी. जारी करने, प्रवेश फर्जी सिद्ध होने के बाद, मान्यता समाप्त के प्रस्ताव ही लिये गये। यदि विद्यालय का एस.आर. रजिस्टर जब्त करके जांच करवाई जाती है तो फर्जी प्रवेश तथा दी गई फर्जी अंकतालिकाएं उजागर हो सकती हैं। उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाकर, उसके द्वारा दी गई फर्जी अंकतालिकाओं का राज्य तथा केन्द्र की सेवाओं में उपयोग को रोकने के लिए अब तक भी ब्लैकलिस्टेड नहीं करने से, किसी भी समय उनके उपयोग की सम्भावना बनी रहेगी।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त भ्रष्ट प्रधानाध्यापक द्वारा नियम विरुद्ध जारी की गई अंकतालिकाओं को फर्जी घोषित कर, उनको ब्लैकलिस्टेड करने एवं फर्जी टी सी व अंकतालिकाएं जारी करने

एवं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके उपलब्ध करवाकर, सरकार को धोखा देने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने का श्रम करें।

अजीत सिंह

(टोंक)

केकड़ी के जिला परिवहन कार्यालय में फिटनेस केन्द्र को जारी रखा जाना

मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जिला परिवहन कार्यालय स्थित है। केकड़ी में वर्ष 2001 में उप परिवहन कार्यालय का शुभारम्भ हुआ। कार्यालय खुलने का कारण यह था कि केकड़ी क्षेत्र की 51 ग्राम पंचायतों व 2 नगरपालिका क्षेत्रों के आमजन को यातायात सम्बन्धी कार्यों व समस्याओं के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर अजमेर जाना पड़ता था। इस दूरी को व आमजन की मांग को देखते हुए, परिवहन विभाग द्वारा उप परिवहन कार्यालय का शुभारम्भ किया गया। उस समय से बसों, ट्रकों सहित सभी वाहनों का फिटनेस केकड़ी कार्यालय में अनवरत होता आ रहा है। इसके बाद 5 फरवरी, 2014 को जिला परिवहन कार्यालय का शुभारम्भ इस सरकार द्वारा किया गया, जिसके बाद से यातायात सम्बन्धी सभी कार्य केकड़ी मुख्यालय पर होने से आमजन को बड़ी राहत महसूस हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में परिवहन आयुक्त द्वारा 1 मार्च, 2016 से जिला परिवहन कार्यालय, केकड़ी को सभी बसों, ट्रकों एवं ट्रेलरों का फिटनेस बन्द करने के आदेश जारी किये गये हैं, जिससे आमजन व वाहन मालिकों में आक्रोश व्याप्त है। अगर फिटनेस केन्द्र को बन्द किया जाता है, तो वाहन मालिकों को केकड़ी मुख्यालय से अजमेर की दूरी, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी तथा समय व अनावश्यक खर्च का भार बढ़ेगा, वहीं जिला परिवहन कार्यालय, केकड़ी में फिटनेस केन्द्र के बन्द होने से नये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पायेंगे।

अत: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्तुत इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार के परिवहन विभाग से पुरजोर शब्दों में मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त जिला परिवहन कार्यालय, केकड़ी में फिटनेस केन्द्र को अविलम्ब पुन:

प्रारम्भ कराने की मंजूरी तुरन्त प्रभाव से जारी की जावे, जिससे आमजन व वाहन मालिकों को राहत मिल सके।

शत्रुघ्न गौतम
(केकड़ी)

बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाना

निवेदन यह है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर में एक भी राजकीय बालिका महाविद्यालय न होने से छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं। बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय नहीं होने के कारण बहुत-सी छात्राओं को अपनी शिक्षा को वहीं पर विराम देना पड़ता है।

एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राजकीय बालिका महाविद्यालय नहीं होगा, तो बेटियों को कैसे पढ़ायेंगे? राज्य सरकार के नियमानुसार 25 किमी. दूरी में कोई महाविद्यालय नहीं होने पर एक अन्य राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है। बस्सी से जयपुर 25 किमी. और दौसा 37 किमी. दूर हैं। लगभग 3,000 से 4,000 छात्राएं प्रति वर्ष बारहवीं कक्षा पास करके उच्च शिक्षा हेतु जयपुर और दौसा जाती हैं, जो कि बस्सी से 25 एवं 37 किमी. दूर हैं। इस कारण अधिकतर छात्राएं शिक्षा को बीच में छोड़कर उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं। मैं निरन्तर मांग करती रही हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय हो जिससे छात्राओं को होने वाली असुविधा कम हो सके।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह बस्सी, जिला जयपुर में शीघ्र से शीघ्र राजकीय बालिका महाविद्यालय खुलवाकर छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होने से बचायें।

अंजू देवी धानका
(बस्सी)

कोलायत के कपिल सरोवर की सफाई व कोलायत को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाना

भगवान विष्णु के पंचम अवतार एवं महर्षि कपित मुनि की तपस्थली श्रीकोलायत (कपिलायतन) तीर्थ भारत के प्राचीन सनातनी तीर्थो में से एक है। शास्त्रों के अनुसार कालान्तर में तीर्थ के दक्षिण भूभाग से लगभग 5 किमी दूरी पर पतित पावनी सरस्वती नदी का प्रवाह होता था। यही सरस्वती नदी

वर्तमान में भूगर्भ में इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती, यह सरस्वती के खोज एवं सैटेलाइट चित्रों से सिद्ध हो चुका है। सरस्वती के उत्तरी दिशा में बिन्दु सरोवर है जिसे अब भी कतिपल तीर्थ कहा जाता है। इसी तीर्थ के तट पर महर्षि कर्दम ऋषि के कठोर तपस्यार्थ वन गामन करने पश्चात अपनी माता देहुती का सांख्य दर्शन के माध्यम प्रकृति एवं पुरुष आधारित संसारोध्यारक ज्ञान देकर उनका उद्धार किया। तीर्थ के उत्तरी दिशा में समुद्र था जिसे स्थानीय भाषा में हाकड़ा कहा जाता है। इसके प्रमाण क्षेत्र में हो रहे सफेद मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं।

श्री कपिल तीर्थ मोक्षदायी तीर्थ है। पश्चिमी राजस्थान में गंगा के समतुल्य मान्यता होने के कारण दिवंगत लोगों की अस्थियां प्रवाहित करने हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं। प्राचीन कपिल माहात्म्य के अनुसार संसार के तीन स्थलों, श्रीकोलायत, बृज व चित्रकूट की रज मिट्टी भी छूने से मानव का उद्धार हो जाता है।

यों तो श्री कपिल तीर्थ में बारहों मास तीर्थ स्नानार्थी भारत के विभिन्न स्थानों से हर रोज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, मगर कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। मुख्य तीर्थ स्नान कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इस रोज तीन से चार लाख श्रद्धालु तीर्थ स्नान करते हैं, वहीं भारत के विभिन्न स्थानों से महामण्डलेश्वर, संत-महात्मा पहुंचकर साधकों के साथ सीधा संवाद करते है।

तीर्थ के महत्व के मध्यनजर तत्कालीन महाराजा गंगासिंह जी ने श्रीकोलायत को 1933 में रेल सेवा से भी जोड़ दिया था।

तीर्थ का समग्र विकास कुरुक्षेत्र व पुष्कर की तर्ज पर हो, जिस हेतु बजट में प्रावधान किया जावे।

वर्तमान में कपिल सरोवर जलीय वनस्पतियों से अटा पडा, व्याप्त जलीय जालों के कारण तीर्थ स्नान सुरक्षित नहीं है। विशेषज्ञों की देखरेख में सरोवर की सम्पूर्ण सफाई करवाई जाये।

मुख्य घाट के अतिरिक्त सभी 52 घाट छोटे हैं जिनका विकास किया जावे। रखरखाव के लिए सरकार ग्राम पंचायत को विशेष बजट आबंटित करे। तीर्थ के सौन्दर्यीकरण की विशेष व्यवस्था की जावे। देशनोक, रामदेवरा सहित राज्य के अन्य धर्म स्थलों की तरह श्रीकोलायत में श्रीकपिल मुनि स्मारक स्थापित किया जावे।

कपिल सरोवर का पायतन क्षेत्र बहुत कम है। पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग

15, टेचरी मगरा क्षेत्र से बरसाती पानी बहकर सरोवर में आता था, लेकिन उस क्षेत्र में चाइना क्ले व बजरी की बड़ी-बड़ी गहरी खदानें हो जाने से बरसाती पानी की आवक पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जिससे भविष्य में सरोवर का भरना असम्भव है। कपिल सरोवर में भी कुरुक्षेत्र की तरह नहर का जल प्रवाहित किया जावे।

मेला मैदान के लिए अलग से नजदीक ही भू-आबंटन किया जावे। श्री कोलायत में हर रोज बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। सुविधाओं के अभाव में ठहराव नहीं होता। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के पहलवान अपने स्तर पर कुश्ती दंगल का आयोजन करते हैं।

कपिल मुनि तीर्थ को पर्यटन विभाग के नक्शे में स्थान दिलवाया जावे ताकि देशी-विदेशी पर्यटकों का और अधिक आवागमन बढ़ सके तथा मेला आयोजन में पर्यटन विभाग की भूमिका सुनिश्चित की जावे। कपिल तीर्थ से होकर जाने वाली यात्री रेल गाड़ियों का ठहराव श्रीकोलायत में सुनिश्चित करवाया जावे ताकि इसका लाभ यात्रियों को मिल सके। कोलायत को जोड़ने वाले सभी सड़क मार्ग अत्यन्त खराब व क्षतिग्रस्त हैं। इन सड़कों का चौड़ाईकरण, नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कर आवागमन को सुलभ किया जावे।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की तपोस्थली श्रीकोलायत के कपिल सरोवर की सफाई करवाकर व कोलायत को धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित कर कोलायत कस्बे का विकास करवाने हेतु अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया जावे।

भंवरसिंह
(कोलायत)

बेरडों का बास, चेराई (जोधपुर) निवासी कृषक की हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना

सविनय निवेदन है कि जोधपुर जिले के ओसियां थाने में दिनांक 10.05.14 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 89/2014 अन्तर्गत धारा 302, 201 आई पी सी प्रकरण में किसान प्रेमाराम के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निम्न बिन्दुओं के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :-

1. जोधपुर जिले के ओसियां थाने में दिनांक 10.05.14 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 89/2014 के अनुसार गांव चेराई, बेरडों के बास निवासी किसान प्रेमाराम की निर्मम हत्या कर दी गई, परन्तु आज दिन तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।

2. उक्त घटना के पश्चात पीड़ित पक्ष और ग्रामीण लोगों ने पुलिस प्रशासन तथा सरकार के समक्ष कई बार न्याय के लिए गुहार लगाई, परन्तु उनकी बात पर आज तक गौर नहीं किया गया। ग्रामीण लोगों द्वारा दिये गये ज्ञापन में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर, दिनांक 6 सितम्बर, 2015 को जोधपुर जिले से निर्वाचित हुए एक विधायक, जो सत्ता में बैठी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं तथा वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कार्रवाही की बजाय तिवरी ग्राम में ग्रामीण लोगों को फटकारते हुए ज्ञापन को फाड़ दिया, जो लोकतंत्र का अपमान है।

3. किसान प्रेमाराम की निर्मम हत्या की तफ्तीश विभिन्न जांच अधिकारियों ने की और घटना में शामिल लोगों को जांच तथा साक्ष्यों के आधार पर नामजद किया, परन्तु अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज दिनांक तक अपेक्षित हे।

4. उक्त प्रकरण में आरोपियों को राजनीतिक शह मिलने की वजह से प्रकरण का अनुसंधान बार-बार चैंज होने से तथा घटना के इतने समय पश्चात भी कार्रवाही नहीं होने से पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

5. पिछले लम्बे समय से प्रेमाराम के परिवारजनों को न्याय नहीं मिलने के कारण दर-दर भटकना पड़ रहा है और पूरा परिवार सदमे में जीवन यापन कर रहा है।

राजनीति दबाव के कारण प्रेमाराम हत्याकांड का आज दिन तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसके विरोध में कई बार धरने-प्रदर्शन भी हुए हैं। तिवरी में ज्ञापन फाड़ने की घटना के विरोध में जोधपुर में विशाल धरने-प्रदर्शन भी किये गये थे, लेकिन एक मंत्री की हठधर्मिता के कारण स्थानीय प्रशासन कोई कार्यवाही करने से कतरा रहा है। अगर समय रहते प्रेमाराम हत्याकाण्ड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर जोधपुर जिले के ओसियां थाने में दिनांक 10.05.2014 को दर्ज प्रथम सूचना

रिपोर्ट 89/2014 अन्तर्गत धारा 302, 201 आई पी सी प्रकरण में किसान प्रेमाराम के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाएं, ताकि समाज में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाही होने से लोगों का कानून और न्याय में विश्वास कायम रहे।

हनुमान बेनीवाल
(खींवसर)

जालौर के कार्यशील पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड के पट्टे जारी नहीं किया जाना

नगरीय विकास विभाग, जयपुर ने दिनांक 29.4.13 के अन्तर्गत नगर परिषद, जालौर ने जालौर के कार्यशील पत्रकारों को आवासीय भू-खण्ड आबंटन करने के लिए एक विज्ञप्ति 'दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र में दिनांक 19.7.13 को जारी की गई। जालोर के कार्यशील पत्रकारों से आवासीय भू-खण्ड आबंटन करने के लिए विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन दिनांक 15.9.13 तक मांगे गये, जिसके बाद जालौर के 38 पत्रकारों ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी मिलने पर नगर परिषद में आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन किया।

जालोर के कार्यशील पत्रकारों द्वारा नगर परिषद, जालौर में आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन करने के बाद नगर परिषद, जालोर ने दिनांक 26.6.14 को पत्रकारों के लिए विशिष्ट आवासीय योजनान्तर्गत रियायती दर पर भू-खण्ड आबंटन के सम्बन्ध में सूचना पत्र के जरिये आवेदित पत्रकारों को निर्धारित शर्तों के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति की सूचना दी गई।

नगर परिषद, जालौर द्वारा दी गई सूचना के बाद जालोर के कार्यशील पत्रकारों ने आबंटन के लिए निर्धारित दस्तावेज तय सीमा में नगर परिषद, जालौर कार्यालय में जमा करवाये। जालोर के कार्यशील पत्रकारों द्वारा परिषद के पत्रांक के अनुसार कमी-पूर्ति पूर्ण की गई, जिसकी जांच परिषद द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गई। नगर परिषद, जालौर की जांच कमेटी द्वारा पात्र पत्रकारों की सूची तैयार कर दिनांक 10.10.14 को शाम 6 बजे नगर परिषद, जालोर के आयुक्त, सभापति, जांच कमेटी व पात्र पत्रकारों एवं आम लोगों की मौजूदगी में लाटरी निकाली गई, जिसकी परिषद द्वारा वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की गई। इसमें कुल 29 पात्र पत्रकारों को लाटरी के माध्यम से भू-खण्ड आबंटित किये गये तथा पत्रकारों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.4.13 के अनुसार नजूल दर 1,934 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से 50 प्रतिशत राशि

रुपये 1,34,297/- तीस दिवस के अन्दर नगर परिषद, जालौर ने कार्यालय कोष में जमा करवाने का आदेश दिया। परिषद द्वारा जारी आबंटन राशि पत्र के अनुसार आबंटित भू-खण्ड की आबंटन राशि पात्र पत्रकारों द्वारा कार्यालय आदेशानुसार तय समय सीमा में नगर परिषद, जालौर के कोष कार्यालय में जमा करवाई गई। राशि जमा करवाने के पश्चात नगर परिषद, जालौर द्वारा पत्रकारों की मूल पत्रावलियों में लीज डीड राशि जमा करवाने के आदेश जारी किये, जिसके बाद पात्र पत्रकारों ने नगर परिषद के आदेशानुसार एक वर्षीय लीज डीड राशि 6715/- रुपये फरवरी, 2015 को परिषद के कोष कार्यालय में जमा करवाई।

नियमानुसार पात्र पत्रकारों द्वारा आबंटन की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद भी आज दिन तक नगर परिषद, जालौर द्वारा आबंटित भू-खण्ड के पट्टे जारी नहीं किये गये, जिससे जालौर के कार्यशील पत्रकार आर्थिक व मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा शीघ्र पट्टे जारी करने का आदेश फरमावें।

अमृता मेघवाल
(जालौर)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 16 – पुलिस पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

1. प्रदेश में पुलिस के जवानों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में वेतन परिलाभ एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. कोटा शहर में आवश्यकता के अनुसार नये पुलिस थाने, चौकियां और वृताधिकारी सर्किल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. कोटा शहर में आनलाइन सर्विलांस सिस्टम के तहत सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. कोटा शहर में स्पेशल कोचिंग थाना नहीं होने से छात्रों को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

5. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पंचायत मुख्यालय डुगरी में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के हाइवे नं. 15 पर पुलिस पेट्रोलिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :

7. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सीमावर्ती पुलिस थानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

8. विधान सभा क्षेत्र महुवा के महुवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

9. विधान सभा क्षेत्र आहौर में स्टेट हाइवे पर भाडाजुन चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

10. बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में हो रही भैंस चोरी की वारदातों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. बारां जिले में हो रहे ट्रैक्टर ट्रोली चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

12. जिला अजमेर में स्थित पुलिस विभाग के सभी कार्यालयों एवं थानों में कागजी कार्रवाही को निपटाने के लिये स्वीकृत मंत्रालयिक स्टाफ की निर्धारित मापदण्डानुसार वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पुराने एवं जर्जर अवस्था में स्थित रसाल भवन को गृह विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. किशनगढ़ (अजमेर) में सुनियोजित यातायात व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त यातायात पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त पद एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में यज्ञनारायण चिकित्सालय परिसर में गांधीनगर और किशनगढ़ थाने के पुराने भवनों में 4 नवीन पुलिस चौकियां स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. किशनगढ़ (अजमेर) में अतिरिक्त अधीक्षक का नवीन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तीन पुलिस थाने सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी में पुलिस जवानों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पुलिस थाना सिवाना, सिणधरी एवं समदड़ी में नये आवास (अधिकारी और कांस्टेबल) एवं बैरिक निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में एक ही ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व गांवों को अलग-अलग पुलिस थानों में विभाजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पादरू कस्बे में स्थापित पुलिस चौकी के नये भवन में कार्यालय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. सिवाना के पुराना थाना परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

22. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति सेखाला मुख्यालय पर नवीन पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-114 पर प्रतिदिन हो रही राहगीरों से लूट को रोकने हेतु हाई-वे फ्लाइंग पुलिस की गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. जोधपुर जिले के थाना इलाकों में हो रही अवैध शराब, डोडा, अफीम, हथियार आदि की तस्करी व बिक्री रोकने में सम्बन्धित एस.एच.ओ. की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. जोधपुर जिले में पुलिस कर्मियों द्वारा प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने से मना करने, विलम्ब करने एवं परिवादों की जांच के नाम लम्बित रखने की बढ़ती प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में समारी थाने का नया भवन एवं परसाद थाने के जवानों के नये क्वाटर्स बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पुलिस को आधुनिक संसाधनयुक्त एवं साइबर क्राइम रोकने हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सदर थाना जयसमन्द में पर्यटन थाना एवं गींगला चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सल्लाडा, ईन्टालीखेड़ा एवं टोकर में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, झल्लारा, सराड़ा, सेमारी पुलिस क्वार्टर के निर्माण एवं मरम्मत कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

32. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पुलिस थाना बिछीवाड़ा में सर्किल इन्सपेक्टर का पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पुलिस थाना रामसागड़ा की ग्राम पंचायत गामडी अहाड़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सदर थाना के ग्राम पंचायत गडा मौरैया में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पुलिस थाना बिछीवाड़ा के ग्राम पंचायत बेखला में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पुलिस थाना बिछीवाड़ा के ग्राम पंचायत तलैया में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

37. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सुजानगढ़ थाने को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सुजानगढ़ शहर के अन्दर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में कानूता चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

40. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी थानों में बीट व्यवस्था का पुनर्गठन करने एवं अपराधियों से मिले हुए पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को हटाने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम बर्डोद में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

44. विधान सभा क्षेत्र वैर की पुलिस चौकी झील को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र वैर के निठार में अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

46. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में केकडी पुलिस थाने का नवीन भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्थित पुलिस जवानों व पुलिस चौकियों में स्थित क्वार्टरों के निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में एक नवीन सदर थाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सरवाड़ पुलिस थाने को पुलिस निरीक्षक थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्थित पुलिस थाना केकड़ी, सरवाड़ व सावर में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

51. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के पाणून्द व सवना में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

52. जिला हनुमानगढ़ की हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र में विभिन्न पुलिस चौकियों में वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. भादरा, जिला हनुमानगढ़ में पुलिस उप अधीक्षक (सी.ओ.) कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र भादरा के थानों क्रमश: भादरा, भिरानी एवं गोगामेडी में पुलिस का जाब्ता (स्टाफ) बढ़वाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. पुलिस थाना गोगामेड़ी, जिला हनुमानगढ़ को सब इन्सपेक्टर थाने में क्रमोन्नत कर निरीक्षक ग्रेड का थाना बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. भादरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय एवं निवास हेतु भवन बनवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

57. विधान सभा क्षेत्र बेगू में पोस्टमार्टम हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा तहरीर की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के जावदा (नीमड़ी) में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

59. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मण्डफिया में पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग) :

60. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमेहला तथा डग, पगारिया एवं मिश्रोली में कान्सटेबल निवास बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

61. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के कलडवास रीको एरिया में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

62. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के नवसृजित पुलिस थाने का भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पर्याप्त पुलिस स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु कारगर उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

65. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में लहावदकुण्ड व केमरी पदमपुरा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत थानों में रिक्त पदों पर नियुक्ति व नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

67. भीलवाड़ा पुलिस के वर्ष 2013 के 276 जवानों के बैच के 99 जवानों का कन्फर्मेशन 3 महीने देरी से करने के प्रकरण की जांच कर तीन माह पुरानी तारीख से कन्फर्म करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर थाने की नफरी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी क्षेत्र में सवाईपुर चौकी को पुलिस थाना बनाने एवं कोटड़ी क्षेत्र में वृत्त कार्यालय कोटड़ी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. जहाजपुर तहसील के ग्राम पंचायत रोपा के क्षेत्र को नवीन निर्मित थाना पाटोली से हटाकर पूर्व की भांति थाना पन्डेर में ही रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के खजुरी उप तहसील में नवीन चौकी की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) :

72. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के वृताधिकारी उनियारा के द्वारा वन विभाग के कार्मिकों से कहा-सुनी करने वाले किसानों के परिजनों को थाना बनेठा में बुलाकर अमानवीय तरीके से पीटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के वृत्त उनियारा में बढ़ते अपराधों एवं चोरियों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा के वृत्त उनियारा में थाना अलीगढ़ अन्तर्गत रा.उ.मा.वि., चौरू की छात्राओं को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पुलिस द्वारा कृषकों के ट्रैक्टरों को अवैधानिक रूप से बन्द करने एवं चौथवसूली करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के बीसलपुर डूब क्षेत्र की नासिरदा में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

77. प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के साथ कार्य-स्थल पर यौन प्रताड़ना के मामलों में आई.पी.सी. की धारा 354 में कार्रवाही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में होमगार्डस के जवानों को उचित मानदेय व स्थाई रोजगार न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में चोरी की प्राप्त शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज कर मौका मुआयना एवं बरामदगी का प्रयत्न न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्राप्त शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

81. बाड़मेर तहसील में स्थित पुलिस चौकी चवा को पुलिस थाना बायतू से निकालकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. तहसील बाड़मेर की ग्राम पंचायत सरणू सांजटा को पुलिस थाना सिणधरी से पुलिस थाना सदर बाड़मेर, ग्राम पंचायत चवा और आदर्श चवा को पुलिस थाना बायतू से पुलिस थाना सदर बाड़मेर एवं ग्राम पंचायत दूदाबेरी को पुलिस थाना रामसर से पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में बढ़ती डकैती एवं चोरी की घटनाओं के मध्यनजर पुलिस को आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

84. विधान सभा क्षेत्र भीम में पुलिस स्टेशन देवगढ़ को सी.आई. सर्किल, धार चौकी, बल्ली, जस्साखेड़ा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

85. निम्बाहेड़ा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के जलोदा जागीर (छोटी सादड़ी) में पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के बिनोता पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

88. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत खजुरा, लाम्बेसरा, बडीसखा, मोहकमपुरा, टिमेडाबड़ा एवं बिलीपाड़ा में पुलिस चौकियां खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

89. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की पंचायत समिति झौथरी में नवीन थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के दरिमारी, डूंगरसारण, पूनावाड़ा, डुवा, मीठ, माण्डली, गन्धवा, सुराता बासिया एवं कोचरी में नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नवीन थाना कुआ के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत मालचौकी सुराता को थाना घम्बोला में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

94. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के थानों में नई गाडी एवं नये हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. अलवर जिला एवं बानसूर में बढ़ते हुये अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पुलिस का सर्किल आफिस खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

97. विधान सभा क्षेत्र मावली में घासा थाने का भवन बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

98. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में बांसवाड़ा ग्रामीण के नाम पुलिस वृत्ताधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में छोटी बदरेल में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में पुलिस चौकी माही डैम को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में खान्दु कालोनी की पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

102. विधान सभा क्षेत्र नगर के डीग में चोर गढ़ी (टोडा) में फायरिंग रेंज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. प्रदेश के थानों में जप्त की गई मोटर साइकलों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र नगर के नगर शहर के कृषि उपज मंडी के सामने वाले थाने को कस्बे से बाहर शिफ्ट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र नगर की मानौता सरपंच व उसके पति को धमकी देने एवं अपमानजनक बात कहने पर एसटी/एससी का केस दर्ज होने पर भी कोई कार्रवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायत मानौता कलां में पंचायत खाते से 41 लाख रुपये के चोरी का केस दर्ज होने के बावजूद भी आज दिन तक गिरफ्तारी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

107. जोधपुर में बढ़ती चेन स्नैचिंग की वारदात को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

108. जयपुर शहर में नारायण ग्रुप के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक ज्ञानचन्द अग्रवाल द्वारा निवेशकों के साथ की गयी धोखाधड़ी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत के कारण उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नये पुलिस थाने व चौकियां स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. राज्य में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

111. विधान सभा क्षेत्र टोंक की उप तहसील बरवास में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. पुलिस लाइन टोंक में कर्मचारियों के आवास हेतु नये आवास निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. टोंक नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर अपराधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. जिला मुख्यालय टोंक में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नफरी की पुख्ता व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. नगर परिषद क्षेत्र टोंक में अपराधों की रोकथाम के लिए घण्टा घर, बहीर, छापनी, सवाई माधोपुर बाइपास, पडियों क्षेत्र में स्थाई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

116. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नए थाने स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नई पुलिस चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पुलिस चौकी ताला का भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

120. गुमशुदा नाबालिग बालकों की तलाश के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों की पालना न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

121. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में क्षेत्र एवं सीमा के बाहर स्थित थानों के स्थान पर आतेला एवं मैड में नये थाने स्थापित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पुलिस बल बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम तेवड़ी एवं जयसिंहपुरा में पुलिस चौकी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. पुलिस थाना शाहपुरा (जयपुर) के भवन एवं आवास भवन की मरम्म्त कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. प्रदेश में पुलिस गश्त को देय ईंधन की राशि कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

126. मारवाड़ जंक्शन में पुलिस थाने का नया भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने में पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. मारवाड़ जंक्शन में उप अधीक्षक कार्यालय (सर्कल आफिस) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

130. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के किशनगंज तहसील में नया सर्किल आफिस स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

131. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पुलिस द्वारा पीटा एक्ट में फर्जी मुकदमे दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के साकेत नगर में थाना एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

133. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में चान्दण, म्याजलार एवं खुईयाला, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के बडोडा, गांव बीदा, जवाहर नगर एवं लुणार गांव, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में सी.आई.डी. चौकी वापस स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

137. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के मसीतावाली हैड चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

138. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढागौड़जी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

139. विधान सभा क्षेत्र लूणी में गुड़ा विश्नोईयान व धवा में पुलिस नफरी बढ़ाने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर ग्राम कांकणी में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर ग्राम बम्बोर दर्जियान में व ग्राम दुन्दाडा में नवीन पुलिस चौकियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र लूणी में बोरानाड़ा, राजीव गांधी नगर व कड़वड़ को भूमि उपलब्ध करवाकर पुलिस स्टेशन के भवनों व रहवासियों के क्वाटर्स के निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम्स व अन्य अपराधों को रोकने नाबालिग बच्चों के अपहरण को रोकने, बच्चों द्वारा गैर-कानूनी रूप से कार्य करवाने, पुलिस थानों में लम्बे समय से जमा अनेक प्रकार के वाहनों, मादक पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. प्रदेश में कार्यरत पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों का व्यवहार जनता व फरियादियों के प्रति सुसंस्कारित करने, बीट प्रभारी योजना को प्रभावशाली बनाने, लम्बे समय से फरार व वांछित अपराधियों को पकड़ने, पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों को आधुनिक हथियार एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. विभाग में लम्बे समय से रिक्त पुलिसकर्मियों के पदों पर भर्ती करने, विभागीय पदौन्नति करने, अनुसंधान व कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों की अलग-अलग व्यवस्था करने, प्रति दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अलग से अधिक पुलिस थानों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

144. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के गांव हाड़ौती (सपोटरा) में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के मंडरायल एवं उपखण्ड में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में थाना मंडरायल, करनपुर में नये वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पुलिस थाना मंडरायल, करनपुर चौकी चन्देलीपुरा एवं गुई में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

148. जयपुर उत्तर के नाहरगढ़ थाने के आबादी क्षेत्र के बीच में आने, भवन पर्याप्त नहीं होने एवं अन्य सुविधाएं नहीं होने के कारण थाने को अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. जयपुर (पश्चिम) के थाने करधनी एवं करणी विहार थाने के एस.एच.ओ. को जमीनों के मामलों में लिप्त होने, भू-माफियाओं से मिले होने के सबूत होने के उपरान्त भी केवलमात्र लाइनहाजिर करने एवं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से अवैध खनन होने, दौसा के मण्डावर थाने के एस.एच.ओ. को सट्टे के कारोबार में मदद करने पर केवल निलम्बित करने की कार्रवाही करने व इनके द्वारा की गई अन्य अनियमितताओं की जांच करवाकर सख्त कार्रवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. जयपुर के पुलिस थानों में वाहन चोरी, मोबाइल चोरी व अन्य छोटी चोरी की वारदातों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने, केवल रजिस्टर संधारण करने तथा चोरी की वारदातों में अपराधियों को पकड़ने के उपरान्त भी बरामदगी का प्रतिशत कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. जयपुर शहर यातायात पुलिसकर्मियों की नफरी बढ़ाने, जयपुर के रामगंज, रामगंज बाइपास एवं अन्य क्षेत्रों में यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा दुपहिया वाहनों पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने, बिना हेल्मेट वाहन चलाने वालों पर चालान की कार्रवाही नहीं करने व मूकदर्शक बने रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

153. विधान सभा क्षेत्र संगरिया की मसीतावाली पुलिस चौकी व सुरेवाला पुलिस चौकी में वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के पुलिस थाना संगरिया, टिब्बी व तलवाडा झील में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जाब्ता पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के पुलिस थाना संगरिया की भूमि व भवन का पट्टा जारी करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र संगरिया का तलवाडा पुलिस थानों की भूमि व भवन निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

157. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम राजगढ़ तहसील सांगोद मुख्यालय पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिगोद उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में दिगोद उपखण्ड कोटा मुख्यालय पर उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

160. विधान सभा क्षेत्र मावली में पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र मावली में घासा पुलिस थाने का भवन निर्माण करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

162. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर पाकिस्तान बोर्डर से लगा होने के कारण नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पुलिस नफरी बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

164. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के पुलिस थानों में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

165. राज्य में बिजली के ट्रांसफार्मर की चोरी नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बच्चू सिंह (बयाना) :

166. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना शहर में महिला पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र बयाना के कस्बा रूदावल से दाहिना होते हुए रूपवास के रास्ते में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र बयाना के थाना रूदावल का भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र बयाना में तहसील रूपवास में सी.ओ. सर्किल कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र बयाना में एडिशनल एस.पी. कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर सिंह (कोलायत) :

171. बीकानेर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति व अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. बीकानेर जिले में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु बीकानेर पुलिस के अधिकारियों को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. बीकानेर शहर में नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने से अवरुद्ध होने वाले यातायात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

174. बीकानेर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु यातायात पुलिस में रिक्त चल रहे अधिकारियों व जवानों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

175. कोलायत तहसील के ग्राम बरसलपुर, बीकमपुर, हदां व दियातरा में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

176. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की पुलिस चौकी अकबरपुर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के पुलिस थाना मालाखेड़ा में पुलिस कर्मचारियों के निवास भवन बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बडी सादड़ी) :

178. देलवास पंचायत समिति डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़, थाना डूंगला में स्वीकृत पुलिस चौकी के भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. बांसी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में नवीन थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. आसावरा माताजी पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. थाना डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ की चारदीवारी निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. थाना देवगढ़, जिला प्रतापगढ़ की चारदीवारी निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

183. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में कार्यरत पुलिस थानों एवं चौकियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. राज्य में बढ़ते अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. राज्य में पुलिस का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

186. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुरलीधर व्यास कालोनी को नया शहर थाना के अन्तर्गत लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के मुक्ता प्रसाद नगर में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

190. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रानीवाड़ा व जसवंतपुरा में यातायात पुलिस के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सेवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

193. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में मुकरपुरा चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

194. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के ओबरी में नवीन पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के पुलिस थाना सागवाड़ा में कमरो के निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के गलियाकोट पंचायत समिति में चीतरी थानों के कमरों के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पुलिस विभाग की विभिन्न समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

198. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के पुलिस थानों में पुलिस कांस्टेबिल, हैड कांस्टेबिल एवं पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

199. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में तीन वर्ष से अधिक समय से लगे हुए पुलिस कार्मिकों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. वर्ष 2015-16 में कोटा जिले में हुई हत्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. वर्ष 2015-16 में कोटा जिले में कच्ची शराब, स्मेक, गांजा, सट्टा व साइबर क्राइम को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. वर्ष 2013 में कोटा जिले के ग्राम गलाना पुलिस थाना कैथून (कोटा ग्रामीण) में महिला की हत्या के प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई जाकर अपराधियों को सजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति भगवानपुरा (पुलिस थाना कैथून) में हुई चोरी के अपराधियों को विशेष टीम गठित कर पकड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

204. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में दौसा के थाना रामगढ़ पचवारा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में दौसा के थाना मंडावर में पुलिस द्वारा चौथवसूली करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. प्रदेश में अवैध रूप से बस रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर) :

208. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के पुलिस थाना आसपुर में पुलिसकर्मियों के लिए आवास बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के देवसोमनाथ में नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में साबला चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

212. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में थाना पुरानी आबादी को पुलिस निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

213. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में भणियाणा तहसील हैड़ क्वार्टर पर पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

214. राज्य के पुलिस थानों में प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में फरियादियों की प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से अपराधियों के हौसले बुलन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

215. अलवर शहर के हनुमान सर्किल के चारों ओर ट्रकों के अतिक्रमण के कारण आवागमन में बाधा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

216. बहरोड़ (अलवर) में दिनांक 04 मार्च, 2016 को इनामी घोषित बदमाश द्वारा रंगदारी के कारण दुकान पर बैठे व्यापारी घनश्याम अग्रवाल की गोली मार कर हत्या कर देने से व्यापारी समाज में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

217. राज्य में से गौवंश निकासी प्रदेश में स्थित पुलिस थानों के सामने से होते हुए भी पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों को नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पुलिस के नजरअंदाज के कारण अवैध शराब बिक्री से होने वाली घटनाओं से महिलाओं में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

219. विधान सभा क्षेत्र निवाई की गुन्सी, राहोली, वनस्थली मोड़, झिराना, ननवाड़ा, सिरस, सोहेला पुलिस चौकियों में स्टाफ कमी व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र निवाई में नोहटा मोड़, झिलाय, करेड़ा एवं गहलोद में नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम झिराना, तहसील पीपलू की पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र निवाई के शहर निवाई में बाइपास पर सदर थाना खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

223. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में मकराना थाने में पुलिस की पिटाई से हुई मौत की सीबीआई जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर गलत तरीके से किये गये लाठीचार्ज की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. जयपुर व जोधपुर कमिश्नरेट के बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. आनंदपाल फरारी प्रकरण में अभी तक सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के

खुलासे में देरी व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. राजस्थान में बढ़ते गैंगवार को रोकने के लिए चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

228. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पुलिस नफरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत सोयला में एन.एच.-65 पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पुलिस चौकी के भवन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में सी.आई. पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

232. सांभरलेक (जयपुर) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

233. पुलिस विभाग में 7 रेंज कार्यालयों एवं 2 पुलिस कमिश्नरेट में कुल 9 पद सहायक निदेशक, अभियोजन के सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा एवं सांभर पुलिस थानों में चारदीवारी एवं स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पचकोटिया में नया पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सिणोदिया में नई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

237. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जलमहल की पाल, इसके आसपास के क्षेत्र गोविंददेव जी का मंदिर, जयनिवास उद्यान, पोण्डरिक उद्यान, नाहरगढ़ किले के आसपास का क्षेत्र एवं शास्त्रीनगर इत्यादि स्थानों

पर स्थित सार्वजनिक उद्यानों/भ्रमण स्थलों व मंदिरों में समाज कंटकों द्वारा महिलाओं, श्रद्धालुओं एवं आमजन को अनावश्यक परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के लक्ष्मणडूंगरी, भट्टाबस्ती एवं शिवाजीनगर सेक्टर 5 में पुलिस चौकियां खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. एफ.आई.आर. सं. 80/2016 सादिया बनाम जीवण पठान का मुकदमा थाना चौमूं से पुलिस आयुक्तालय जयपुर में निष्पक्ष जांच हेतु स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र में बढ़ते यातायात से आमजन को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के ब्रह्मपुरी एवं दीनानाथ जी के रास्ते में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

242. विधान सभा क्षेत्र नोहर मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो कि वर्तमान में भादरा उपखण्ड पर स्थापित है, का कार्यालय नोहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

243. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के चारों थानों का पुनर्सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

244. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में आबादी के हिसाब से पुलिस थानों में नफरी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

245. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना पहाड़ा की चौकी कनबई के भवन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पुलिस थाना पहाडा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना ऋषभे, सोमारी, खैरवाड़ा, पहाडा व परसाद में स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पुलिस थाना बावलवाड़ा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस थाना सेमारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

250. प्रदेश में सीआईडी (वीशा) में कार्यरत कर्मियों का वेतन एसओजी/सीआईडी-आईबी के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. जयपुर शहर के थानों में भू-माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई व भूमि/सम्पत्ति सम्बन्धी दर्ज परिवादों पर त्वरित कार्रवाही हेतु स्पेशल विंग/विजिलेंस का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. जयपुर शहर के पुलिस थानों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. प्रदेश में पुलिस थानों में कार्यरत नफरी को विशेष वेतन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. प्रदेश में पुलिस थानों में कार्यरत जाप्ते से आठ घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

255. विधान सभा क्षेत्र धोद में ग्राम सेवदबड़ी में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र धोद के धोद में वृताधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम कासली में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

258. पुलिस थाना, गिडा (बाड़मेर) में आधुनिक संचार साधनों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टेलीफोन व ब्राडबैण्ड की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

259. उपखण्ड मुख्यालय बायतू में वृताधिकारी कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. पंचायत समिति मुख्यालय पाटोदी (बाड़मेर) में पुलिस थाना सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. बाटाड़ू (बायतू) बाड़मेर में पुलिस थाना सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

262. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पुलिस थानों में नवीन संसाधन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

263. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम खटकड़ में संचालित पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

264. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की मोर चौकी को पुलिस थाने में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

265. पुलिस थाना सदर, गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

266. गंगापुर सिटी में जनसंख्या व अपराध के रिकार्ड को देखते हुए एक नया थाना उदेई में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

267. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पुलिस चौकी ऊंचानंगला को क्रमोन्नत कर थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. भरतपुर जिले में स्वीकृत पुलिस निरीक्षक के पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के विभिन्न थानों की नफरी बढ़ाने एवं रिक्त नफरी को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के सभी थानों में नकारा वाहनों को नीलाम करने एवं नये वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 17 – कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

1. कोटा स्थित जेल में कैदियों के लिये पर्याप्त स्थान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

2. सब-जेल सांचौर, जिला जालौर में प्रहरियों के लिए आवास बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

3. विधान सभा क्षेत्र आहौर के कारागार में अपराधियों के पास अवैध मोबाइल सिम मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

4. बारां जिले के कारागार का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

5. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग किये जाने को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. जोधपुर केन्द्रीय कारागार में जैमर लगे होने के बावजूद भी कैदियों द्वारा मोबाइल फोन से वाह्टसप व फैसबुक चलाने के प्रकरण प्रकाश में आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड बालेसर में नया उप-करागृह खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. प्रदेश की जेलों में बंद अपराधियों द्वारा जेल के बाहर अपराधिक कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

9. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बालोतरा कारागृह में कैदियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों के लिए अतिथि गृह की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कारागृह बालोतरा की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. बाड़मेर जिले में मात्र दो ही कारागृह होने के कारण कैदियों के क्षमता से अधिक बेरकों में रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

13. सलूम्बर उप-कारागार का नवीन भवन बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. सलूम्बर उप-कारागार के लिये नई जेल हेतु भूमि आबंटन करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कारागृह प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर उप-कारागृह को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

18. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागार की मरम्मत कराने एवं कैदियों की क्षमता बढ़ाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर महिला कैदियों के लिए अलग से जिला कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागार में प्रहरियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

21. सुजानगढ़ में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

22. आजीवन कारावास के बंदियों को किसी न किसी व्यवसाय में पूर्णत: जोड़ने के लिए जेलों में औद्योगिक इकाई प्रारम्भ कर आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. प्रदेश के कारागारों में अपराधियों को मोबाइल पहुंचाने एवं मादक पदार्थों की उपलब्धता को रोकने के समुचित उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. बहरोड़ उप-कारागृह में भोजन एवं अन्य सुविधाएं सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राजस्थान की सभी जेलों में जेल कर्मियों की भर्ती करने एवं जेल कर्मियों को आधुनिक हथियार उपकरण व अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

26. बहरोड़ उप-कारागृह को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

27. विधान सभा क्षेत्र बैर में नवीन कारागृह की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

28. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में उप-कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

29. विधान सभा क्षेत्र कपासन की जेल में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

30. प्रदेश में जेलकर्मियों का वेतन पुलिसकर्मियों के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कारागृह में 1 जेलर आवास व 8 स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. भीलवाड़ा जेल को सेन्ट्रल जेल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में तहसील व उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी में नवीन उप कारागार स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

34. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में जेल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश की जेलों में कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. प्रदेश की जेलों में कैदियों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश में जेल से रोगी कैदियों को चिकित्सालयों में रैफर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

38. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर में सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं नफरी की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

39. विधान सभा क्षेत्र भीम के उप-कारागृह की स्वीकृत भूमि पर भवन हेतु राशि आबंटित करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

40. निम्बाहेड़ा उप-कारागृह भवन का निर्माण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

41. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के कुशलगढ़ में आरक्षित भूमि पर जेल निर्माण की स्वीकृति जारी कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

42. प्रदेश में कैदियों के मानसिक विकास को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. जिला-डूंगरपुर के सागवाड़ा कारागार में सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

44. प्रदेश एवं अलवर के कारागार में महिला बन्दियों को सुविधा देने एवं कैदियों के सुधार के लिए कारागार में प्रशिक्षण शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

45. भरतपुर की डीग जेल में रह रहे कैदियों को अच्छा भोजन न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

46. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

47. राज्य की जेलों में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

48. प्रदेश में कारागृहों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. प्रदेश की जेलों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

50. प्रदेश के कारागारों में रिक्त पदों को भरने एवं नये पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारु देख-रेख हेतु पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. प्रदेश की जेलों में कैदियों के साथ होने वाली मारपीट एवं अत्याचार को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, हथियार एवं आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश के कारागारों में बंद कैदियों को अपराध प्रवृत्ति छोड़ने पर प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

55. मारवाड़ जंक्शन में उप-कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

56. जिला बारां के कारागार के जीर्णोद्धार व सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

57. ब्यावर, जिला अजमेर के कारागृह में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

58. जैसलमेर जिले के कारागार में मेडीकल व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. जैसलमेर कारागार में बाउन्ड्री के ऊपर फैंसिंग एवं कारागार के पेरेरल बाउन्ड्रीवाल बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. कारागार से कैदियों को न्यायालय लाने व ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

61. केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में अनेक विश्व प्रसिद्ध व खूंखार अपराधी जमा होने, क्षमता से अधिक कैदी जमा होने, यह कारागार पुराना व शहर के भीतरी भाग में स्थित होने से अपराधियों को कोर्ट में लाने व ले जाने में पुलिस को भारी परेशानी होने इत्यादि के कारण इस केन्द्रीय कारागार को जोधपुर शहर से बाहर स्थानान्तरित कर, आधुनिक किस्म के कारागार का निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बन्द आदतन, खूंखार अपराधियों व भू-माफियों द्वारा केन्द्रीय कारागार से संचालित की जा रही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु एवं जेल में उपलब्ध हथियारों, मोबाइल्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन बंदियों को उनके विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों में न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुसार अभिरक्षा में रखे जाने, युवा व महिला बंदियों को अलग से रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजा भोग रहे अपराधियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न प्रकार के व्यवसाय प्रारम्भ करने, उन्हें प्रशिक्षित करने व उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. जेल से फरार अपराधियों की पुन: गिरफ्तारी, समय से पूर्व बंदियों की रिहाई, सजा भोग रहे बंदियों को खुले शिविरों में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

66. जयपुर में पेशी के दौरान न्यायालय में बनी बैरक में अपराधियों द्वारा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अपने मिलने-जुलने वालो से आपस में चर्चा करने पर रोक लगाने की आश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में जेल प्रहरियों के वेतन भत्ते पुलिस कर्मियों के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश की जेलों में हार्डकोर अपराधियों को न्यायालयों में पेशी पर पेश नहीं कर विडियो कान्फ्रेन्स से अदालती कार्रवाही जेल से ही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश की जेलों में बंदियों के पास मिल रहे मोबाइल एवं जेल से अपराधियों द्वारा मोबाइल से धमकाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. जयपुर के केन्द्रीय कारागार के शहर के बीच में आने से सुरक्षा के खतरे को देखते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

71. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप कारागार सांगोद की बाउन्ड्री वाल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप कारागार सांगोद में स्टाफ के आवास बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

73. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

74. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के कारागार में कैदियों की संख्या के अनुसार बैरक उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

75. बीकानेर कारागृह में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश की जेलों में कैदियों से मिलने वाले रिश्तेदारों को बैठने व पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश की जेलों में प्रहरी सहित अन्य रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश के केन्द्रीय कारागारों में जैमर लगवाकर जेलों से संचालित अपराध पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश की जेलों में कैदियों को मोबाइल, शराब, नशीले पदार्थ, हथियार एवं अन्य आपतिजनक वस्तुएं पहुंचाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

80. प्रदेश की जेलों में जेल कर्मचारियों जेलरों, जेल प्रहरियों एवं अन्य कर्मचारियों को ज्यादा समय तक पदस्थापन रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

81. बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़ में कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

82. राज्य के कारागारों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

83. प्रदेश के कारागारों में जेल प्रहरियों एवं अन्य रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

84. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के कारागार को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कैदियों के भोजन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कैदियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

87. कोटा जिले के रामगंजमण्डी व सांगोद से 80 कि.मी. दूर इटावा कस्बे में उप-कारागृह बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

88 प्रदेश में बंदियों द्वारा जेल में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश की जेलों में पुराने बंदियों द्वारा नये बंदियों पर जेल में मारपीट किए जाने की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

90. श्रीगंगानगर केन्द्रीय जेल को शहरी सीमा से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

91. जेलों में नये आने वाले कैदियों से प्रताड़ना स्वरूप मसाला पिसवाने व आटा गुथवाने की शिकायतों एवं बंदियों द्वारा मारपीट कर राशि प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. जेलों के अन्दर पुराने बंद कैदियों द्वारा नये कैदियों के साथ मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. अलवर शहर की जिला जेल को शहर से बाहर शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

94. आनंदपाल फरारी प्रकरण में दोषी जेल अधिकारियों पर कार्रवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाकर अवैध मोबाइल व नशीले पदार्थ तथा हथियार की रोकथाम के उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. प्रदेश के कारागृहों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. जोधपुर केन्द्रीय कारागार में नरसिंगाराम जाट की जेल प्रशासन व कैदियों द्वारा अमानवीय तरीके द्वारा की गई पिटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में हाई सिक्योरिटी जेल को और मजबूत बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

99. सांभरलेक (जयपुर) के कारागार में स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा नये पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभरलेक कारागार में वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. सांभरलेक (जयपुर) के कारागार की अधूरी पड़ी चारदीवारी को पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

102. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक कारागार में आगंतुकों को बैठने की एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

103. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में अपराध एवं कैदियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जेल परिसरों की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

104. बाड़मेर में बंदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये जिला कारागृह का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

105. प्रदेश की कारागारों में कार्यरत प्रहरियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स व स्पेशल वेतन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में बंदियों को उच्च स्तर का भोजन व अल्पाहार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. प्रदेश के कारागारों में कैदियों के पास मोबाइल व शराब मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. प्रदेश में न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गये मुल्जिम व सजा याफ्ता कैदियों के बंदीगृह को वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में लम्बी सजा काट रहे कैदियों को आध्यात्म से जुड़ाव हेतु उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

110. प्रदेश के कारागारों में जैमर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

111. गंगापुर सिटी स्थित जिला कारागार को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।